सामान्य हिन्दी

(प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक)

लेखक

डॉ० विजयपाल सिंह

एम० ए० हिन्दी, एम० ए० (संस्कृत)

पी० एच० डी०, डी० लिट्०

पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग

काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी

हिन्दी प्रचारक संस्थान

पो० बॉ० नं० 1106 पिशाचमोचन

वाराणसी

प्रकाशक :
विजय प्रकाश बेरी
हिन्दी प्रचारक संस्थान
पो० बॉ० नं० 1106, पिशाचमोचन
वाराणसी- 221001

मूल्य : 32.00

1994

कम्प्यूटराइज्ड :
काशी ऑफसेट प्रा० लि०
चन्द्रिका नगर कालोनी, सिगरा
वाराणसी

उस युवा पीढ़ी को जो
शुद्ध हिन्दी लिखने का प्रयास कर रही है।

प्राक्कथन

'दोषा वाच्या गुरोरपि' के अनुसार गुरु के दोष भी बताने चाहिए। संभवतः गुरु से अप्रसन्न होकर ही किसी ने इस उक्ति की कल्पना की होगी। मैं इस उक्ति से सहमत नहीं हूँ परन्तु भाषा सम्बन्धी दोषों के प्रति मैं सदैव सजग रहा हूँ। जीवन भर भाषा का विद्यार्थी होने के नाते अशुद्ध भाषा का प्रयोग मुझे सदैव खटकता रहा है। काव्य शास्त्र में दोष भी यदा कदा गुण बन जाते हैं, परन्तु भाषा में प्रायः ऐसा नहीं होता। यह सिद्धान्त सभी भाषाओं पर समान रूप से चरितार्थ होता है परन्तु हमें यहाँ हिन्दी भाषा ही अभिप्रेत है। ब्रिटिश राज्य में हिन्दी ही नहीं अपितु समस्त भारती भाषाओं की उपेक्षा की गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त हिन्दी ही नहीं अपितु समस्त भारतीय भाषाओं के भाग्य ने पलटा खाया। जनतांत्रिक चेतना ने भारतीय भाषाओं के महत्व को समझा। परिणामस्वरूप आज सभी भारतीय भाषायें उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं।

समस्त भारतीय भाषाओं में हिन्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। उसके साहित्य की महत्ता तथा बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने के कारण हमारे संविधान में इसे राष्ट्रभाषा के आसन पर आसीन किया गया है। 'एक हृदय हो भारत जननी, एक राष्ट्र भाषा हिन्दी हो' का नारा बुलन्द हुआ। शोध तथा साहित्य की अन्य विधाओं की दृष्टि से हिन्दी उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है। देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इसका प्रचार एवं प्रसार तीव्र गति से हो रहा है। हिन्दी के तीनों विश्व-सम्मेलनों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नागपुर हिन्दी विश्व सम्मेलन (1974), मारीशस हिन्दी विश्व सम्मेलन (1976) तथा दिल्ली विश्व हिन्दी सम्मेलन (1982)। तीनों ही विश्व हिन्दी सम्मेलनों में देश-विदेश के सहस्रों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूनेस्को, हिन्दी स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्र संघ में भी हिन्दी का प्रवेश हो चुका है। तृतीय विश्व पुस्तक मेले में हिन्दी मंडप का निर्माण तथा उसमें देश-विदेश के लोगों की अभिरुचि इस बात का प्रतीक है कि हिन्दी का महत्व विश्वव्यापी हो रहा है।

ऐसी स्थिति में हिन्दी वालों का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। हिन्दी बोलने तथा लिखने के दोनों स्तरों पर भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। मातृ-भाषा होने से बिना अथक परिश्रम तथा निरन्तर अभ्यास के हिन्दी भाषा शुद्ध रूप में न बोली जा सकती है और न लिखी ही। 'उर्दू जुबाँ आती है रफ्ते-रफ्ते' की भाँति हिन्दी भाषा भी शनैः-शनैः आती है, परन्तु आज का नवयुवक यह मान बैठा है कि- हिन्दी जुबाँ आती है पैदा होते' और इसी लिए वह 'मैं फादर को सी आफ करने के लिए स्टेशन गया था' को ही शुद्ध हिन्दी मान बैठा है। निश्चित ही हमने "निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल" को भुला दिया है। आज अपनी भाषा के प्रति गर्व के साथ-साथ त्याग एवं तपश्चर्या की भी महती आवश्यकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक के दो संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गये। अतः इस तृतीय संस्करण को मैंने यत्र तत्र संशोधित करके उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। इस पुस्तक को मैंने छः

खण्डों में विभाजित किया है । प्रथम खण्ड में हिन्दी व्याकरण का इतिहास तथा भाषा और व्याकरण का महत्व, द्वितीय में शब्द और शब्दों का वर्गीकरण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेष शब्दों के साथ प्रयुक्त शब्द, अनेकार्थवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, सांकेतिक शब्द, एक शब्द और विभिन्न प्रयोग, एक शब्द का विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग, सम्मानसूचक शब्द, पशु-पक्षियों की बोलियों के द्योतक शब्द, तृतीय में वाक्य भेद, वाक्य-विग्रह, वाक्य-परिवर्तन, पदान्वय, विराम चिन्ह, सामान्य अशुद्धियाँ, चतुर्थ में शुद्ध वर्तनी, वर्तनी विश्लेषण और शब्द, शब्द कोश- शब्द क्रम ज्ञान, पंचम में मुहावरे, कहावतें तथा षष्ठ में आशय, भावार्थ और व्याख्या, पत्र लेखन, अन्तर्कथायें, व्याकरण शब्दों के अंग्रेजी पर्याय तथा कार्यालयों में अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी रूपान्तर आदि का विवेचन किया गया है । इस दिशा में पं० कामता प्रसाद गुरु, श्री रामचन्द्र वर्मा, पं० किशोरी दास वाजपेयी, डॉ० हरदेव बाहरी, डॉ० मनोरथ मिश्र तथा डॉ० वासुदेव नन्दन प्रसाद के प्रयास स्तुत्य हैं, परन्तु इस विशाल देश में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के ऐसे सैकड़ों प्रयत्न की महती आवश्यकता है । भारत की भावी पीढ़ी को शुद्ध हिन्दी सिखाने के लिए इसी परम्परा में मैंने भी यह एक प्रयास किया है । आज भाषा को सुधारने के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्तित्व की महती आवश्यकता है ।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में मैंने अनेक ग्रन्थों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहायता ली है । उन सभी लेखकों एवं प्रकाशकों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । बन्धुवर श्री कृष्ण चन्द्र जी बेरी हिन्दी प्रचारक संस्थान, पिशाचमोचन, वाराणसी ने इसे शीघ्र एवं सहर्ष शीघ्र प्रकाशित किया है, अतः वे भी साधुवाद के पात्र हैं ।

14 सितम्बर, 1990
हिन्दी दिवस
वाराणसी

विजयपाल सिंह
पूर्व प्रो० एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
54, गुरुधाम कालोनी

चतुर्थ संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण.

सामान्य हिन्दी के तीन संस्करण समाप्त हो चुके हैं, यह पुस्तक की लोकप्रियता एवं उपयोगिता का प्रमाण है। तदर्थ मैं पाठकों के प्रति अनुगृहीत हूँ। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इसके नये संस्करण में कुछ और सामग्री समाविष्ट कर दी जाय। जैसे अनुवाद तथा परिशिष्ट 'ख' के रूप में आलेखन और टिप्पण में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्द।

हिन्दी व्याकरण का इतिहास, हिन्दी भाषा, उसकी बोलियाँ, देवनागरी लिपि, व्याकरण, कहावतें, मुहावरे भाव पल्लवन, भाव संक्षेपण, रचना, अन्तर्कथाएँ तथा अन्य अनेक भाषा सम्बन्धी अशुद्धियों का विवेचन प्रथम संस्करण में ही कर दिया गया था।

वास्तव में यह पुस्तक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। यह चतुर्थ संस्करण संशोधित रूप में छात्र-छात्राओं, परीक्षार्थियों एवं कर्मचारियों में और अधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

वसन्त पंचमी
15.2.1994

विजयपाल सिंह
54 गुरुधाम कालोनी
वाराणसी

क्रम

प्रथम खण्ड :	हिन्दी व्याकरण का इतिहास	-------	1
	हिन्दी शब्द, हिन्दी भाषा और उसकी बोलियाँ	-------	7
द्वितीय खण्ड :	शब्द और शब्दों का वर्गीकरण	-------	12
	संज्ञा	-------	13
	सर्वनाम	-------	14
	क्रिया	-------	15
	वाच्य	-------	19
	काल	-------	20
	क्रिया के प्रकार	-------	22
	विशेषण	-------	23
	अविकारी शब्द (अव्यय)	-------	24
	उपसर्ग	-------	25
	प्रत्यय	-------	28
	सन्धि	-------	32
	समास	-------	45
	कारक और विभक्तियाँ	-------	49
	लिंग	-------	53
	पर्यायवाची शब्द	-------	58
	विलोम शब्द	-------	67
	विशेषण शब्दों के साथ प्रयुक्त शब्द	-------	75
	अनेकार्थवाची शब्द	-------	77
	अनेक शब्दों के लिए एक शब्द	-------	81
	युग्म शब्द	-------	88
	एकार्थक शब्द और उनमें सूक्ष्म शब्द	-------	100
	सांकेतिक शब्द	-------	108
	एक शब्द और विभिन्न प्रयोग	-------	110
	एक शब्द का विभिन्न शब्दभेदों में प्रयोग	-------	113
	सम्मानसूचक शब्द	-------	115
	पशु-पक्षियों की बोलियों के द्योतक शब्द	-------	117

तृतीय खण्ड : वाक्य के भेद ------- 119
वाक्य विग्रह ------- 125
वाक्य परिवर्तन ------- 127
पदान्वय ------- 128
विराम चिन्ह ------- 130
सामान्य अशुद्धियाँ ------- 135

चतुर्थ खण्ड : शुद्ध वर्तनी, वर्तनी विश्लेषण और शब्दकोश ------- 149
वर्तनी विश्लेषण ------- 152
शब्दकोश-शब्दक्रम ज्ञान ------- 153

पंचम खण्ड : मुहावरे ------- 157
कहावतें ------- 171

षष्ठ खण्ड : आशय, भावार्थ और व्याख्या ------- 177
पत्रलेखन ------- 191
अनुवाद ------- 220
अन्तर्कथाएँ ------- 225
देवनागरी लिपि का उद्‌भव एवं विकास ------- 231

परिशिष्ट :

(क) व्याकरण शब्दों के अंग्रेजी पर्याय ------- 237
(ख) आलेखन और टिप्पण में प्रयुक्त होने वाले शब्द ------- 242

प्रथम खण्ड

हिन्दी व्याकरण का इतिहास

हिन्दी व्याकरण के इतिहास की रूप-रेखा प्रस्तुत करना उपेक्षित विषय रहा है। हिन्दी भाषा के उद्‌भव के लगभग सात सौ वर्ष बाद सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हिन्दी व्याकरण का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यही समय हिन्दी गद्य के सूत्रपात का भी है। वस्तुतः हिन्दी गद्य के विकसित न होने के कारण हिन्दी व्याकरण के निर्माण की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। साथ ही संस्कृत की तुलना में लोक भाषाओं का उतना महत्व नहीं था। इसीलिए आचार्यों का ध्यान हिन्दी भाषा की ओर नहीं गया। हिन्दी व्याकरण के निर्माण की दिशा में प्रारंभिक प्रयत्न करने वाले प्रायः सब के सब विद्वान् विदेशी थे। भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से भारत में निवास करने वाले अपने-अपने देशवासियों के हिन्दी ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अनेक विदेशियों ने हिन्दी व्याकरण लिखा।

हिन्दी व्याकरण के इतिहास के लगभग तीन सौ वर्षों की अवधि को निम्नलिखित काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) आरंभ काल—लगभग सन् 1676-1855 ई०।

(2) विकास काल—सन् 1855-1876 ई०।

(3) उत्थान काल—सन् 1876-1920 ई०।

(4) उत्कर्ष काल—सन् 1920-1947 ई०।

(5) नवचेतना काल—सन् 1947 से वर्तमान काल तक।

उपर्युक्त काल विभाजन के नामकरण के लिए हिन्दी-व्याकरण के स्वरूप में क्रमिक रूप से होनेवाले विकास को आधार बनाया गया है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक काल का प्रारंभ एवं समापन किसी विशेष प्रवृत्ति, विशेष उद्देश्य तथा विशिष्ट वैयाकरणों की प्रभावावधि के आरंभ और समापन के साथ जुड़ा हुआ है।

(1) आरंभकाल (सन् 1676 से 1855 ई० तक)

सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिन्दी व्याकरण का लेखन-कार्य शुरू हुआ। विलक्षण होते हुए भी यह तथ्य है कि इस आरंभकाल के लगभग पौने दो सौ वर्षों तक केवल विदेशियों द्वारा हिन्दी-व्याकरण लिखा जाता रहा। वस्तुतः इस अवधि में किसी विद्वान् ने हिन्दी-व्याकरण लिखने का प्रयत्न नहीं किया। इसके कई कारण हैं। मुसलमानों की साम्राज्य स्थापना के साथ ही खड़ी बोली के विकास के लिए अनुकूल अवसर मिला। यह खड़ी बोली हिन्दुस्तानी के रूप में लगभग पूरे देश में फैल रही थी। विदेशियों के आने पर यह हिन्दी बोली या हिन्दुस्तानी ही ऐसी बोली थी जिसके द्वारा व्यापार, धर्मप्रचार और शासन-कार्य चल सकता था। इसलिए विदेशियों के लिए हिन्दी सीखना अत्यावश्यक था। व्याकरण के माध्यम से ही हिन्दी सीखना संभव था। दूसरी ओर उस समय तक हिन्दी का व्याकरण

नहीं था। गद्य का भी अभाव था और विद्वानों का संस्कृत के प्रति परंपरागत मोह था। देशी भाषाओं के प्रति आचार्यों का उपेक्षाभाव था। अतः भारतीय आचार्यों का ध्यान हिन्दी व्याकरण के निर्माण की ओर गया ही नहीं। इसलिए विवश होकर भारतीयों से पहले विदेशियों को हिन्दी-व्याकरण लिखने का काम शुरू करना पड़ा।

निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि हिन्दी के आदि वैयाकरण कौन थे। किन्तु अनेक विद्वानों के साक्ष्य पर अद्यावधि ज्ञात हिन्दी-वैयाकरणों में सर्वाधिक प्राचीन हालैंड निवासी जोहन जोशुआ केटेलेर को माना जा सकता है। केटेलेर का 'हिन्दुस्तानी ग्रामर' सन् 1698 ई० में अथवा उसके पूर्व लिखा गया था। केटेलेर से पूर्व मिर्जा खाँ ने सन् 1676 ई० में ब्रजभाषा व्याकरण की रचना की थी जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि केटेलेर के भारत आगमन के पूर्व हिन्दी-व्याकरण के निर्माण की परंपरा शुरू हो गयी होगी।

इस काल में हिन्दी-व्याकरण के अतिरिक्त ब्रजभाषा तथा उर्दू के भी व्याकरण लिखे गये। इस काल में उर्दू-हिन्दी सम्मिलित रूप को 'हिन्दुस्तानी' कहा गया। कहा जाता है कि सर्वप्रथम जोहन जोशुआ केटेलेर ने 'हिन्दुस्तानी ग्रामर' की रचना की थी। यह परिनिष्ठित हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी का व्याकरण नहीं था, अपितु वह बंबई, सूरत आदि दक्षिणी नगरों की बाजारू हिन्दी का ग्रामर था। केटेलर के बाद बेञ्जामिन शुल्जे का 'ग्रामेटिका हिन्दोस्तानिका' नामक हिन्दी व्याकरण सन् 1744 ई० में प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज हाड्ले का हिन्दी व्याकरण विषयक एक ग्रंथ सन् 1872 ई० में लन्दन से प्रकाशित हुआ। लन्दन से ही सन् 1873 ई० में जॉन फरगूसन का 'हिन्दुस्तान भाषा का कोष' प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रारंभिक 58 पृष्ठों में 'हिन्दुस्तान भाषा का व्याकरण' लिखा गया था। जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट सन् 1801 ई० में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कालेज में हिन्दुस्तानी भाषा के प्रोफेसर नियुक्त हुये थे। उनका पहला ग्रंथ 'इंगलिश-हिन्दुस्तानी कोष' कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था जिसका दूसरा संस्करण 1810 ई० में एडिनबरा से निकला जिसमें 'हिन्दुस्तानी फिलोलॉजी' नामक एक भाग बढ़ा दिया गया। इसके तीसरे संस्करण में भी व्याकरण सम्बन्धी बातें जोड़ दी गयी थीं। 'ए ग्रामर ऑफ द हिन्दुस्तानी लैंग्वेज' के अतिरिक्त गिलक्राइस्ट ने और कई व्याकरण सम्बन्धी पुस्तकें लिखीं।

उपर्युक्त व्याकरणों के अतिरिक्त कई विदेशी विद्वानों ने भी व्याकरण लिखे जिनमें हेरासिम लेवेडेफ, रोएबक (द इंग्लिश' ऐण्ड हिन्दुस्तानी डिक्शनरी विथ एक ग्रामर प्रिफिक्स्ड',1811 ई० में कलकत्ता से प्रकाशित), जॉन शेक्सपियर (ए ग्रामर ऑफ द हिन्दुस्तानी लैंग्वेज'—1813 ई० में लन्दन से प्रकाशित), कैप्टेन विलियम प्राइस ('हिन्दुस्तानी ग्रामर'—1827-28 ई० में लन्दन से प्रकाशित), विलयम येट्स ('इन्ट्रोडक्शन टु द हिन्दुस्तानी लैंग्वेज'—1827 ई० में कलकत्ता से प्रकाशित), एम० टी० आदम, विलियम एण्ड्रिउ, सैण्डफोर्ड आर्नोट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एम० टी० आदम हिन्दी का व्याकरण लिखने वाले प्रथम वैयाकरण थे जिनका 'हिन्दी भाषा का व्याकरण' 1827 ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यों आदम के पूर्व 'हिन्दी कवायद' का उल्लेख मात्र मिलता है। आदम ने हिन्दी का पहला कोष भी लिखा था। विदेशी वैयाकरणों में आदम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दुस्तानी', 'हिंदुई' के स्थान पर 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान् जोसेफ हेलिओडोर गार्सां द तासी ने सन् 1829 से 1848 ई० के बीच हिन्दी भाषा एवं व्याकरण सम्बन्धी अनेक निबन्ध लिखे थे। उन्होंने व्याकरण सम्बन्धी स्वतंत्र पुस्तकें भी लिखी थीं। गार्सां द तासी के बाद जेम्स आर० बैजेण्टाइन जिन्होंने हिन्दी व्याकरण सम्बन्धी तीन ग्रंथों की रचना की थी, डंकन फोर्बेस ('हिन्दुस्तानी मैनुअल'-

1845 ई०), इ० बी० इस्टविक ('ए कनसाइज ग्रामर ऑफ द हिन्दुस्तानी लैंग्वेज'—1847 ई०), जे० डेटलो प्रोखनों, अलेग्जेण्डर फॉकनर आदि ने हिन्दी व्याकरण की रचना की। फॉकनर आरंभकाल के अंतिम वैयाकरण थे। इनके पूर्व के सभी वैयाकरण विदेशी थे। बाद में भारतीय पंडितों ने भी हिन्दी व्याकरण लिखना शुरू किया।

(2) विकासकाल (सन् 1855 से 1876 ई० तक)

पं० श्रीलाल के 'भाषा चन्द्रोदय' के प्रकाशन के साथ ही सन् 1855 ई० से हिन्दी व्याकरण के इतिहास के विकासकाल का आरम्भ हुआ। इसके पूर्व हिन्दी के जितने भी व्याकरण लिखे गये वे सभी विदेशियों द्वारा लिखे गये थे। 'भाषा चन्द्रोदय' उद्देश्य, आदर्श और आधार तीनों ही दृष्टियों से विदेशियों द्वारा लिखित आरम्भकाल के व्याकरणों से भिन्न कोटि का था। पं० श्रीलाल भारतीय विद्वानों में हिन्दी के प्रथम वैयाकरण थे।

भारतीय छात्रों को हिन्दी के स्वरूप का व्याकरणिक परिचय देने के लिए ही विकासकाल के वैयाकरणों ने हिन्दी व्याकरण लिखा। आरम्भकाल के वैयाकरणों का उद्देश्य था- विदेशियों को हिन्दी का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। विकासकाल के वैयाकरणों का आदर्श था भारतीय, जबकि आरम्भकाल के वैयाकरणों ने विदेशी आदर्श पर लिखा। यूरोपीय भाषाओं के व्याकरण को ही आरम्भकाल के वैयाकरणों ने आधार बनाया था, जबकि विकासकाल में वैयाकरणों ने संस्कृत व्याकरण के आधार पर व्याकरण की रचना की।

सन् 1855 ई० 1876 ई० तक हिन्दी व्याकरण के निर्माण की दिशा में पं० श्रीलाल (भाषा चन्द्रोदय' अर्थात् 'भारतवर्षीय हिन्दी भाषा का व्याकरण') के अतिरिक्त पं० रामजसन (भाषातत्वबोधिनी, 1858 ई० में बनारस से प्रकाशित), मुंशी गुलाम मुहम्मद ('कोलोकियल डायलॉग्स इन हिन्दुस्तानी'- 1858 ई० में बम्बई से प्रकाशित), हैदर जंगबहादुर की ('टू हिन्दुस्तानी'- 1861 ई० में लन्दन से प्रकाशित), सर मोनियर विलियम्स ('रुडिमेन्ट्स ऑफ हिन्दुस्तानी ग्रामर'- 1858 ई०, 'एन ईजी इन्ट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिन्दुस्तानी' 1858 ई० में लन्दन से प्रकाशित, 'हिन्दुस्तानी प्राइमर' 1860 ई० में लन्दन से प्रकाशित, 'ए प्रैक्टिकल हिन्दुस्तानी ग्रामर' 1862 ई० में लन्दन से प्रकाशित), नवीन चन्द्र राय (नवीन चन्द्रोदय- 1868 ई० में प्रकाशित), शीतल प्रसाद गुप्त (शब्द प्रकाशिका- 1870 ई० में लखनऊ से प्रकाशित), विलियम एथरिंगटन (स्टूडेण्ट्स ग्रामर ऑफ द हिन्दी लैंग्वेज' 1870 ई० में बनारस से प्रकाशित), पं० हरिगोपाल पाध्ये ('भाषातत्व दीपिका'- 1871 ई० में प्रकाशित), भैरव प्रसाद मिश्र ('हिन्दी लघु व्याकरण'- 1971 ई० में प्रकाशित), जान डाउसन ('ए ग्रामर ऑफ द उर्दू ऑर हिन्दुस्तानी लैंग्वेज' 1872 ई० में लन्दन से प्रकाशित), जॉन बीम्स ('ए कम्परेटिव ग्रामर ऑफ द माडर्न आर्यन लैंग्वेज ऑफ इण्ड़िया' 1872 ई० में लन्दन से प्रकाशित), ए० एफ० रूडोल्फ हॉर्नली ('ए कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ द गौडियन लैंग्वेजेज'- 1880 ई० में लन्दन से प्रकाशित), दामोदर शास्त्री ('भाषादर्श-बाल व्याकरण'- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रेरणा से 1874 ई० में प्रकाशित), पेज्जोनी विकारिओ (इतालवी भाषा में 'ग्रामेटिका इटालियाना इन्दोस्ताना' नामक हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण 1874 ई० में प्रकाशित), जॉन० टी० प्लाट्स (हिन्दुस्तानी ग्रामर- 1874 ई० में प्रकाशित), राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ('हिन्दी व्याकरण'- 1875 ई० में बनारस से प्रकाशित) आदि श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा हिन्दी व्याकरण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न हुए और व्याकरण लिखे गये। केलॉग के व्याकरण के प्रकाशित (1876 ई०) होने तक भाषा के वास्तविक स्वरूप-विश्लेषण की

दृष्टि से स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही । विकासकाल में आरम्भकाल की अपेक्षा हिन्दी व्याकरण के स्वरूप में अधिक निखार आया एवं स्पष्टता आयी । वस्तुतः इसका कारण यह था कि इस काल के अधिकांश लेखक भारतीय थे जिनका हिन्दी पर अधिकार था । इसके साथ ही वे हिन्दी की पूर्व परम्परा एवं भारतीय व्याकरणशास्त्र से परिचित थे ।

(3) उत्थान-काल (सन् 1876 ई० से 1920 ई०)

केलॉग का हिन्दी व्याकरण 1876 ई० में प्रकाशित हुआ । यहीं से हिन्दी व्याकरण के इतिहास का उत्थान काल शुरू होता है । इसके पूर्व बीम्स, हॉर्नली आदि विद्वानों द्वारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन की नींव डाली जा चुकी थी । हिन्दी व्याकरणेतिहास का आरम्भकाल निर्देशप्रधान था और विकासकाल विवरणात्मक प्रधान । उत्थान काल का व्याकरण ऐतिहासिक स्रोत के संकेतों से संवलित था तथा उसमें हिन्दी के अतिरिक्त अन्यान्य बोलियों के भी व्याकरणिक रूपों का तुलनात्मक परिचय दिया गया था । इस प्रकार इस काल में ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक पद्धति पर हिन्दी के व्याकरण लिखे गये जिसका प्रारम्भ केलॉग के व्याकरण से हुआ । व्याकरण रचना में केलॉग का उद्देश्य शुद्ध भाषाशास्त्रीय था । यह काल केवल व्याकरण का ही उत्थानकाल नहीं था, अपितु हिन्दी भाषा एवं साहित्य का उत्थानकाल था ।

हिन्दी व्याकरणेतिहास का आरम्भकाल फारसी से हिन्दुस्तानी के संघर्ष का काल था, तो विकासकाल हिन्दुस्तानी से उर्दू के संघर्ष का समय था । इसी प्रकार उत्थानकाल उर्दू से हिन्दी के संघर्ष का काल था । इस संघर्ष में अंततः हिन्दी ही विजयी हुई । अंग्रेजी आदि से अन्त तक साहित्येतर क्षेत्रों की सर्वोपरि भाषा बनी रही ।

उत्थानकाल के वैयाकरणों में एस० एच० केलॉग का सर्वप्रथम स्थान है । उनका 'ए ग्रामर ऑफ द हिन्दी लैंग्वेज' 1876 ई० में लन्दन से प्रकाशित हुआ । केलॉग ने हिन्दी प्रदेश में बोली जाने वाली सभी बोलियों के सामूहिक नाम के लिए 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग किया । केलॉग के बाद अयोध्या प्रसाद खत्री ('हिन्दी व्याकरण बाँकीपुर से प्रकाशित), केशव प्रसाद (भाषा लघु व्याकरण 1878 ई०), वंशीलाल (हिन्दी व्याकरण'- 1879 ई० में पटना से प्रकाशित), गोविन्ददेव शास्त्री (बाल-बोध व्याकरण- 1879 ई० में मिर्जापुर से प्रकाशित), शिवदयाल उपाध्याय (हिन्दी व्याकरण सार- 1881 ई० बनारस), बिहारी लाल चौबे (पदवाक्यबोध), पं० मदन मोहन, काली प्रसाद त्रिपाठी (भाषा व्याकरण दर्पण), विनायक राम एवं गणपति लाल चौबे, ई० एच० पामर, जार्ज ए० ग्रियर्सन (सेवुन ग्रामर ऑफ बिहारी लैंग्वेजेज' 1883 ई० से 1887 ई० तक, लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया), भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (प्रथम हिन्दी व्याकरण- 1884 में बाँकीपुर से प्रकाशित), बाबू रामचरण सिंह (भाषा प्रभाकर- 1885 ई० में बाँकीपुर से प्रकाशित), पं० अंबिकादत्त व्यास, गणपति लाल चौबे, पं० सुधाकर द्विवेदी (हिन्दी भाषा का व्याकरण- 1890 ई० में बनारस से प्रकाशित), एडविन ग्रीव्स ('ग्रामर ऑफ माडर्न हिन्दी'- 1895 ई० में बनारस से प्रकाशित), ठाकुर रामनारायण सिंह (हिन्दी व्याकरण- 1897 ई० बाँकीपुर), पं० नारायण शास्त्री पटवर्धन, माधव प्रसाद पाठक, श्याम सुन्दर दास (ऐन एलिमेन्टरी ग्रामर ऑफ हिन्दी एण्ड उर्दू- 1906 ई० में बनारस से प्रकाशित), पं० राम अवतार शर्मा (हिन्दी व्याकरण- 1914 ई०), राम दहिन मिश्र (प्रवेशिका हिन्दी व्याकरण- 1918 ई० बाँकीपुर), रामलोचन शरण (हिन्दी व्याकरण चन्द्रोदय- 1918 ई०, दरभंगा), पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी (हिन्दी कौमुदी 1919 ई०) आदि वैयाकरणों ने हिन्दी व्याकरण का निर्माण किया ।

(4) उत्कर्ष काल (1920 ई० से 1947 ई० तक)

पं० कामताप्रसाद गुरु के हिन्दी व्याकरण के प्रकाशनवर्ष सन् 1911 ई० से हिन्दी व्याकरण के इतिहास के उत्कर्षकाल का प्रारम्भ हुआ। उत्कर्ष काल के पूर्व उत्थान काल में जो भी व्याकरण लिखे गये, उनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश व्याकरण प्रवेशिका कक्षा तक के छात्रों को ध्यान में रखकर लिखे गये थे। इस उत्थान काल का कोई भी व्याकरण सर्वसामान्य नहीं बन सका था, क्योंकि उनमें भाषा के प्रचलित प्रयोगों के भीतर एकरूपता एवं स्थिरता लाने वाले नियमों का निर्धारण नहीं किया गया था। उत्कर्ष काल के शुरू होने के साथ ही हिन्दी की स्थिति में परिवर्तन हुए। गुरु के व्याकरण के कारण हिन्दी को विश्वविद्यालयीय उच्च परीक्षाओं में एक विषय के रूप में स्वीकृत किया गया। साथ ही इस व्याकरण से हिन्दी भाषा का एक परिनिष्ठित रूप स्थिर हुआ।

उत्कर्ष काल के वैयाकरणों में पं० कामताप्रदास गुरु का सर्वप्रमुख स्थान है। उनका 'हिन्दी व्याकरण' सन् 1921 ई० में नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त पं० गुरु ने 'भाषा वाक्य पृथक्करण', 'हिन्दी बालबोध व्याकरण', 'सहज हिन्दी रचना' की रचना की। उनका हिन्दी व्याकरण, हिन्दी भाषा के उत्थान में एक नये युग का मार्गदर्शक बनकर आया। पं० गुरु के अतिरिक्त शिवनारायण लाल (ए मैनुअल ऑफ हायर हिन्दी ग्रामर ऐण्ड कम्पोजीशन- 1920 ई०, कलकत्ता), अमृतलाल दासगुप्ता ('सहज हिन्दी और हिन्दुस्तानी'- 1921 ई०), श्रीनारायण चतुर्वेदी ('नवीन हिन्दी व्याकरण' 1924 ई० लखनऊ), बी० एल० जैन चैतन्य (बुलन्द शहरी), शिवत्र शास्त्री, देवी प्रसाद वर्मा, शिवनारायण झा, बलदेव प्रसाद और भगवान दीन (सरल हिन्दी व्याकरण- 1928 ई० लाहौर), सुरेश्वर पाठक विद्यालंकार (व्याकरण मयंक- 1929 ई०), गंगा प्रसाद उपाध्याय, जंगबहादुर मिश्र 'रंजन', एस० जी० मुहीउद्दीन कादरी (हिन्दुस्तानी फोनेटिक्स' 1930 ई०), पं० गिरिजाप्रसाद शर्मा (व्याकरण भूषण- 1931 ई०), सत्यप्रकाश (हिन्दी व्याकरण- 1933 ई०, इलाहाबाद), डा० धीरेन्द्र वर्मा एवं डा० बाबूराम सक्सेना ('नवीन हिन्दी व्याकरण'- 1933 ई०, इलाहाबाद), धरणीधर शास्त्री (हिन्दी व्याकरण- 1930 ई०), भुवनेश्वर मिश्र (हिन्दी व्याकरण बोध- 1934 ई०), पं० गणेशप्रसाद द्विवेदी (आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना- 1934-35 ई०), रमानाथ उपाध्याय और पं० विष्णुदत्त उपाध्याय, रघुनाथ दिनकर काणे, पं० गोपालशास्त्री, एच० सी० शोलबर्ग (कनसाइज ग्रामर ऑफ द हिन्दी लैंग्वेज- 1940 ई०), ना० नागप्पा ('व्यावहारिक हिन्दी' 1941 ई०, द० भा० हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास), केदारनाथ शर्मा, आत्माराम, सत्यजीवन वर्मा (हिन्दी के विराम चिन्ह- 1943 ई०), वी० पी० जोसफ ('हिन्दी उस्ताद'), रामचन्द्र वर्मा (मानक हिन्दी व्याकरण- वि० सं० 2018, अच्छी हिन्दी- 1944 ई०, हिन्दी प्रयोग- 1946 ई०), वासुदेव पिल्लै (हिन्दी व्याकरण- 1945 ई०), ई० बी० ईस्टविक (हिन्दुस्तानी ग्रामर- 1947 ई०, लंदन), नरदेव विद्यालंकार आदि लेखकों ने हिन्दी व्याकरण लिखे एवं हिन्दी के व्याकरण को आगे बढ़ाया।

नवचेतना काल (सन् 1947 ई० के बाद)

पं० किशोरीदास वाजपेयी हिन्दी व्याकरण के क्षेत्र में नवीन चेतना के अगुआ बनकर आये। उन्होंने सर्वप्रथम यह घोषणा की कि हिन्दी एक स्वतंत्र भाषा है जो संस्कृत से अनुप्राणित होते हुए भी अपने क्षेत्र में सार्वभौम सत्ता रखती है। हिंदी की अपनी प्रकृति है जिसके अनुसार उसका व्याकरण

बनेगा । उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी आँखें बन्द करके संस्कृत का सब कुछ नहीं ले लेगी । संस्कृत अथवा अन्य भाषाओं से आनेवाले शब्दों पर वह अपने नियमों के अनुसार शासन करेगी ।

पं० वाजपेयी ने 1943 ई० में 'ब्रजभाषा का व्याकरण' लिखा । उसके बाद 1948 ई० में 'अच्छी हिन्दी का नमूना' और 1949 ई० में 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' और 'हिन्दी निरुक्त' प्रकाशित हुए । इनके प्रकाशन से वाजपेयी जी हिन्दी जगत् में एक प्रसिद्ध वैयाकरण के रूप में ख्यात हो गये । इनमें उन्होंने गुरु के व्याकरण तथा अन्य व्याकरणों की भूलों पर विस्तार से प्रकाश डाला था । इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ने इन्हें हिन्दी का बड़ा व्याकरण लिखने के लिए आमंत्रित किया । फलतः इन्होंने 'हिन्दी शब्दानुशासन' लिखा जो सभा से ही 1958 ई० में प्रकाशित हुआ । यों हिन्दी व्याकरण में नवचेतना का उन्मेष उनके 'ब्रजभाषा का व्याकरण' से ही 1943 ई० में हो गया था लेकिन 1948-49 में जो उनके अन्य व्याकरणग्रन्थ प्रकाशित हुए, उनसे नवचेतना का व्यापक रूप एवं प्रभाव स्पष्ट हुआ । इन सबकी पुष्टि 'हिन्दी शब्दानुशासन (1958 ई०) से हो गयी ।

इस काल के प्रसिद्ध वैयाकरणों में पं० किशोरीदास वाजपेयी के अतिरिक्त डा० आर्येन्द्र शर्मा, दुनीचन्द, डा० भोलानाथ तिवारी तथा डा० दीमशित्स ने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की । इस काल में हिन्दी व्याकरण का बहुविध विकास हो रहा है । अनेक विद्वानों ने तो हिन्दी भाषा एवं व्याकरण से संबद्ध शोधप्रबन्ध भी प्रस्तुत किये ।

पं० वाजपेयी के अतिरिक्त अन्य वैयाकरणों के नाम एवं ग्रंथ इस प्रकार हैं- आचार्य शिवपूजन सहाय 'व्याकरणदर्पण', दुनीचन्द (हिन्दी व्याकरण- 1950 ई०), डा० आर्येन्द्र शर्मा (ए सेंटीफिक ग्रामर ऑफ माडर्न हिन्दी- 1958 ई०), डा० ज० म० दीमशित्स (हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा- 1966 ई०, दिल्ली) इनके अतिरिक्त अनेकानेक अन्य व्याकरण ग्रंथ भी लिखे गये- शिवप्रसाद अग्रवाल (शुद्ध हिन्दी- 1952 ई०), सेठ गोविन्द दास (राजभाषा हिन्दी- 1963 ई०), भगीरथ मिश्र (अच्छी हिन्दी कैसे लिखें- 1963 ई०), देवेन्द्रनाथ शर्मा (हिन्दी- समस्याएँ और समाधान- 1965 ई०), विनयमोहन शर्मा (हिन्दी का व्यावहारिक रूप-1968 ई०), मुरलीधर श्रीवास्तव (हिन्दी धातुकोश- 1969 ई०), रमेशचन्द्र मेहरोत्रा (हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी- 1970 ई०), बालमुकुन्द (हिन्दी क्रिया-स्वरूप और विश्लेषण- 1970 ई०), पं० करुणापति त्रिपाठी (हिन्दी धातु और क्रिया पद वाराणसी), देवेन्द्रनाथ शर्मा और रामदेव त्रिपाठी (हिन्दी भाषा का विकास- 1971 ई०), डा० विजयपालसिंह (हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण 1972) । इस समय अन्य भी अनेक व्याकरण लिखे गये हैं । इस समय एक सुव्यवस्थित व्याकरण की महती आवश्यकता है जो पं० कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण तथा पं० किशोरीदास वाजपेयी के शब्दानुशासन की विशेषताओं को समेटते हुए आधुनिक हिन्दी की विशेषताओं का भी उद्घाटन करे।

हिन्दी शब्द, हिन्दी भाषा और उसकी बोलियाँ

भाषा नदी की धारा के समान सदा प्रवाहित होती रहती है। उसकी गति अबाध होती है। हिन्दी भाषा की भी वही स्थिति है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। इस प्रकार क्रमशः वैदिक भाषा, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से हिन्दी का विकास दिखाया जा सकता है। हिन्दी का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। यों यह बात दूसरी है कि उससे पहले की आर्यभाषा के स्वरूप का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा हिन्दी के प्राचीन रूप; पालि, प्राकृत और अपभ्रंश हिन्दी के मध्यकालीन रूप तथा हिन्दी इन सब भाषाओं का वर्तमान रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि इन भाषायी रूपों में भिन्नता अवश्य है, फिर भी इनमें समानता के भी लक्षण मिलते हैं।

हमारी भाषा 'हिन्दी' नाम मुसलमानों द्वारा दिया हुआ है। संस्कृत भाषा की 'स' ध्वनि फारसी में 'ह' हो जाती है। इसलिए मुसलमानों ने सिन्धु के पार के सम्पूर्ण क्षेत्र को 'हिन्द' कहा और वहाँ की भाषा को 'हिन्दी' कहा। इस 'हिन्दी' शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होता रहा है। व्यापक अर्थ में 'हिन्दी' हिन्द या भारत से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा हिन्द अथवा भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा के लिए प्रयुक्त होती थी। स्पष्ट है कि हिन्दी शब्द हिन्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। हिन्दी का उपर्युक्त अर्थ आज बदल गया है। आज 'हिन्दी' कहने से भारत की समस्त भाषाओं का बोध नहीं होता, बल्कि एक निश्चित भाषा का बोध होता है। आजकल प्रचलित या साहित्यिक अर्थ में हिन्दी का प्रयोग मुख्यतया उत्तरी भारत के मध्य देश के हिन्दुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा के अर्थ में होता है। यों साधारणतया इसी भूभाग की बोलियों और उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के अर्थ में भी हिन्दी का व्यवहार होता है। हिन्दी क्षेत्र की सीमाएँ पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिण भाग, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण-पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खण्डवा तक पहुँचती है। लेकिन इस सीमा के बावजूद भी आज हिन्दी का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण भारत में है। इसके बोलनेवालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सन् 1950 ई० से ही हिन्दी भारत की राजभाषा है। इस समय हिन्दी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की एकमात्र राज्यभाषा है। अन्य राज्यों में भी हिन्दी का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

हिन्दी मध्यदेश के लगभग बीस करोड़ लोगों की मातृभाषा है। हिन्दी ही इनकी शिक्षा दीक्षा का माध्यम है। यों प्रारंभिक ज्ञान भी इसी भाषा द्वारा इन्हें प्राप्त होता है। लेकिन आजकल तो हिन्दी सर्वत्र फैली हुई है। संपूर्ण देश में हिन्दी के माध्यम से भ्रमण किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं, व्यवसाय, यातायात, शिक्षा, सिनेमा आदि के कारण सारा देश हिन्दी से परिचित है।

भाषाशास्त्र के अनुसार मध्यदेश की आठ बोलियों को ही हिन्दी कहते हैं। ये आठ ग्रामीण बोलियाँ दो वर्गों में विभक्त हैं। पहला वर्ग पश्चिमी हिन्दी का है। जिसमें खड़ी, बाँगरू, ब्रज, बुन्देली, कन्नौजी हैं तथा दूसरा वर्ग पूर्वी हिन्दी का है जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं।

खड़ी बोली—यह बोली ही वर्तमान साहित्यिक भाषाओं- हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी- का मूलाधार है। जब खड़ीबोली में संस्कृत तत्व की प्रधानता रहती है तब वह खड़ी बोली या हिन्दी कही जाती है। यही हिन्दी आज राजभाषा है और इसी में आधुनिक साहित्य का निर्माण हो रहा है। यही खड़ीबोली जब अरबी-फारसी के अत्यधिक तत्सम और अर्द्ध-तत्सम शब्दों से युक्त हो जाती है तथा फारसी लिपि में लिखी जाकर विदेशी वातावरण में रँग जाती है तो उसे उर्दू कहते हैं। उर्दू का अर्थ है 'बाजार'। प्रारम्भ में उर्दू भाषा बाजारू भाषा ही थी। दिल्ली या शाहजहाँनाबाद के महलों से बाहर शाही फौजी बाजारों में उर्दू का प्रयोग होता था। विदेशी शासन के कारण अरबी-फारसी के शब्दों का प्रचार हो गया था। इन विदेशियों से बातचीत करने के लिए देशी बोली में जब अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग होने लगा तो उर्दू भाषा का जन्म हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने से पता चलता है कि दक्षिण हैदराबाद के मुसलमानी दरबार में उर्दू का साहित्य में प्रयोग शुरू हुआ था। भाषाविज्ञान की दृष्टि से उर्दू और हिन्दी खड़ीबोली के साहित्यिक रूपमात्र हैं। खड़ीबोली का एक और रूप है 'हिन्दुस्तानी'। आज की साहित्यिक हिन्दी या उर्दू भाषा का परिमार्जित बोलचाल का रूप हिन्दुस्तानी है। देशी-विदेशी भाषा के प्रचलित शब्द हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त होते हैं। यों व्यवहार में हिन्दुस्तानी का झुकाव उर्दू की ओर अधिक रहता है। हिन्दुस्तानी का अपना कोई साहित्य नहीं है। वह देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है।

मूलतः खड़ीबोली रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फनगर, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, कलसिया तथा पटियाला रियासतों के पूर्वी भागों में बोली जाती है। दिल्ली के आसपास की खड़ीबोली का प्राचीनतम रूप अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलता है। दक्खिनी हिन्दी के साहित्य में भी उसका रूप देखने को मिलता है।

ब्रजभाषा—यह भाषा ब्रजमंडल में बोली जाती है। ब्रजभाषा का शुद्ध रूप मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और धौलपुर में देखने को मिलता है। खड़ीबोली को साहित्यिक रूप मिलने से पूर्व ब्रजभाषा ही प्रधानतः साहित्यिक भाषा थी। ब्रजभाषा में प्रचुर सुन्दर साहित्य उपलब्ध है। इस साहित्य का आरम्भ वल्लभ सम्प्रदाय की स्थापना से माना जाता है।

बाँगरू—बांगर प्रदेश अर्थात् पंजाब के दक्षिण पूर्वी भाग में बाँगरू बोली जाती है। इसे जाटू या हरियानी भी कहते हैं। दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा, झींद आदि की ग्रामीण बोलियाँ बाँगरू के नाम से जानी जाती हैं। बाँगरू बोली पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली तीनों का मिश्रण है।

बुन्देली—ब्रजभाषा क्षेत्र के दक्षिण में बुन्देलखण्ड में बुन्देली बोली जाती है। इस बोली का शुद्ध रूप झाँसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद में देखने को मिलता है। मिले-जुले रूप में यह दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा के कुछ भागों में पाई जाती है। बुन्देलखण्ड मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का केन्द्र तो था, परन्तु रचनाएँ ब्रजभाषा में की गयीं।

कन्नौजी—यह बोली अवधी और ब्रजभाषा के बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी ब्रजभाषा से बहुत साम्य रखती है। फरुखाबाद इसका केन्द्र है। हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, इटावा और

कानपुर के आसपास तक इसका प्रसार मिलता है । यों इस क्षेत्र के निवासी कवियों ने ब्रजभाषा में रनचाएँ की हैं ।

अवधी—इसे कोशली और बैसवाड़ी भी कहते हैं । लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी में अवधी बोली जाती है । यों इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, जौनपुर जिलों के कुछ भागों में भी अवधी बोली जाती है । अवधी में भी बड़ा ही सुन्दर साहित्य उपलब्ध है । जायसी कृत 'पद्मावत' और तुलसी का रामचरितमानस आदि रचनाएँ अवधी की श्रेष्ठ रचनाएँ हैं ।

बघेली—बघेली का केन्द्र रीवा है । परन्तु किसी न किसी रूप में यह मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में भी प्रचलित है, जैसे दमोह, मंडला, जबलपुर तथा बालाघाट जिला । बघेली का अपना कोई साहित्य नहीं है ।

छत्तीसगढ़ी—मध्यप्रदेश में रायपुर और विलासपुर के जिलों तथा काँकेर, नन्दगाँव, खैरागढ़, रामपुर, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर आदि में यह बोली प्रचलित है । इस बोली में भी कोई साहित्य नहीं है । यों दूसरी भाषा में इस क्षेत्र से साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत होती रही हैं ।

भोजपुरी—भोजपुरी एक बोली है जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है । यह छोटानागपुर, सारन, चम्पारन, शाहाबाद से लेकर आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस तक बोली जाती है । भोजपुरी का साहित्य अभी बाल्यावस्था में ही है । भोजपुरी प्रदेश के लोग भी खड़ीबोली में ही अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं ।

हिन्दी प्रदेश के अन्तर्गत ब्रज, अवधी और खड़ीबोली ही वे मुख्य बोलियाँ हैं जो साहित्य रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, प्रायः इन्हीं बोलियों का साहित्य ही हिन्दी साहित्य के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हिन्दी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते समय इन्हीं बोलियों में उपलब्ध साहित्य पर विचार किया जाता है ।

हिन्दी की लिपि—देवनागरी

भारत में लेखन कार्य बहुत प्राचीन काल से ही होता था । जैन एवं बौद्धधर्म के ग्रंथों एवं विदेशी यात्रियों के वर्णनों से पता चलता है कि भारत में अनेक लिपियाँ प्रचलित थीं । लेकिन उनके अस्तित्व के बारे में पूरा प्रमाण नहीं मिलता । यों कुछ मुख्य लिपियों के सम्बन्ध में अधिकाधिक प्रमाण मिलते हैं, जैसे सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि ।

कुछ लिपियों को छोड़कर भारत की आधुनिक लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है । इसी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ और 12वीं शती के आसपास प्राचीन नागरी लिपि से आधुनिक देवनागरी लिपि विकसित हुई । नागरी या देवनागरी के नामकरण के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं । कहा जाता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम 'नागरी' पड़ा । नगरों में प्रयुक्त होने के कारण भी इस लिपि को नागरी कहा गया । इसी तरह देवनगरों में प्रयुक्त होने के कारण अथवा देवनगरी काशी में इसके प्रयोग के कारण इसे 'देवनागरी' कहा गया । यहाँ यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन नामकरणों के पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है ।

देवनागरी विश्व की श्रेष्ठ लिपियों में से एक है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। इसी लिपि में हिन्दी लिखी जाती है। देवनागरी एक ध्वन्यात्मक लिपि है जिसमें अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपियों की विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। इस लिपि के कई गुण बताए गए हैं। 1—देवनागरी लिपि एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है, 2—इसकी ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है, 3—इस लिपि में छपाई एवं लिखाई के लिए एक ही रूप है, 4—स्वरों में ह्रस्व-दीर्घ का भेद है एवं स्वरों की मात्राएँ निश्चित हैं, 5—इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग लिपि-चिन्ह हैं, 6—एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि-चिन्ह है। 7—देवनागरी के एक लिपि-चिन्ह से सदैव एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है। देवनागरी लिपि में जहाँ अनेक गुण बताये गए वहीं उसमें अनेक त्रुटियाँ भी हैं। 1—देवनागरी लिपि पूर्णरूप से वर्णात्मक नहीं है जिससे इसके वैज्ञानिक विश्लेषण में कठिनाई होती है, 2—इस लिपि की लिखावट अधिक स्थान एवं समय-साध्य है। 3—देवनागरी लिपि में स्वरों की मात्राओं को नीचे-ऊपर, दाएँ-बाएँ लिखने के कारण इसकी लिखावट कठिन है। 4—देवनागरी के लिपि-चिन्हों में अनेकरूपता है। 5—देवनागरी लिपि में कुछ अनावश्यक चिन्ह भी हैं, यथा— क्ष, त्र, ज्ञ। देवनागरी लिपि की इन त्रुटियों की ओर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस दृष्टि से कई व्यक्तिगत, संस्थागत एवं प्रशासकीय प्रयत्न हुए हैं। लेकिन हमें देवनागरी लिपि की त्रुटियों की ओर ध्यान देकर इसके प्रचार, प्रसार में तत्पर रहना चाहिए।

लिपि में परिवर्तन करना सरल नहीं है, क्योंकि लिपि के माध्यम से साहित्य का संरक्षण और प्रसारण होता है। लिपि में परिवर्तन करने से साहित्य की अविच्छिन्न धारा खंडित होती है। अतः हमें हिन्दी की श्रीवृद्धि में लगना चाहिए, न कि लिपि के परिवर्तन में।

हिन्दी के वर्ण

वर्ण वह मूल ध्वनि है, जिसका खंड न हो सके यथा—अ, इ, क, च इत्यादि। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं जो 'क्षर' न हो अर्थात् जो छार-छार न हो सके, उसे अक्षर कहते हैं। 'सबेरा' में तीन ध्वनियों में से प्रत्येक के खण्ड हो सकते हैं, अतः वह मूल ध्वनि नहीं है। 'स' में दो ध्वनियां हैं, स् और अ, जिनका खंड नहीं हो सकता, इसलिए स् और अ मूल ध्वनि हैं। ये मूल ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। इस प्रकार 'सबेरा' शब्द में छः मूल ध्वनियाँ हैं—स्, अ, ब्, ए, र्, आ।

वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिन्दी जिस वर्णमाला में लिखी जाती है उसे देवनागरी कहते हैं। हिन्दी वर्णमाला में छियालीस (46) वर्ण हैं। ये वर्ण दो प्रकार के हैं-स्वर और व्यंजन।

स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतन्त्र रूप में होता है तथा जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, जैसे—अ, इ, उ आदि में हिन्दी ग्यारह स्वर हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन तैंतीस हैं —क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष , स, ह। व्यंजनों में दो वर्ण और होते हैं जो अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिन्दी और विसर्ग का चिन्ह स्वर के आगे दो बिंदियाँ हैं, जैसे अं, अः इसके उच्चारण में भी व्यंजनों के ही समान स्वर की जरूरत होती है।

इन स्वर, व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और स्वर, व्यंजन भी हैं। संस्कृत में ऋ, ऌ, ॡ, ये तीन स्वर और हैं लेकिन हिन्दी में इनका प्रयोग नहीं होता है। ऋ (ह्रस्व) भी हिन्दी में आने वाले केवल तत्सम शब्दों में ही ऋ (ह्रस्व) का प्रयोग होता है। जैसे—ऋषि, कृपा, नृत्य आदि। ऊपर के तैंतीस व्यंजनों के अतिरिक्त वर्णमाला में तीन व्यंजन और मिला लिए जाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं जो इस प्रकार बनते हैं—क् + ष = क्ष, त् + र = त्र, ज् + ञ = ज्ञ।

हिन्दी में दो अक्षर और बना लिए जाते हैं जैसे ड और ढ के नीचे बिन्दु लगाकर—ड़, ढ़। हिन्दी में इनका खूब प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, अरबी—फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने का प्रयास हुआ है। हिन्दी में व्यंजनों के नीचे बिन्दु लगाकर ऐसी ध्वनियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, जैसे—कलम, खत आदि।

वर्ण विभाग

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित हिन्दी वर्णमाला।

स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ए ऐ ओ औ अं अः।

मात्राएँ—ा ि ी ु ू ृ ॅ े ै ो ौ ः

व्यंजन—क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह ड ढ़ ल

क्ष त्र ज्ञ

अंक—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ०

द्वितीय खण्ड

शब्द और शब्दों का वर्गीकरण

शब्द का भाषा में विशेष स्थान होता है। शब्द ही व्याकरण अथवा भाषा-विज्ञान का मूल साधन है। एक तरह से यह कहा जाय कि भाषा में हमारे अध्ययन का मूलाधार भी शब्द है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। इस प्रकार एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या ध्वनिसमूह को शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, परन्तु, धीरे, जा आदि।

एक या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनता है तथा उसी प्रकार एक या से अधिक शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले ये शब्द परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। अतः वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, जैसे—गोपाल पुस्तक पढ़ता है, में 'पुस्तक' शब्द पद है। अपने मूल रूप में 'पुस्तक' शब्द है, किन्तु वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर यह 'पद' बन जाता है। इस प्रकार एक या अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द तथा एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्दसमूह वाक्य है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को 'पद' कहते हैं।

अनेक दृष्टियों से शब्दों के वर्गीकरण किये गये हैं, जैसे वाक्य में प्रयोग के अनुसार, रूपान्तर के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, उद्गम के अनुसार आदि।

वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के आठ भेद होते हैं—संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण, सर्वनाम, सम्बन्धसूचक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक शब्द। वस्तुओं के नाम बतलाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द वस्तुओं की विशेषता बतलाए वह विशेषण है। इसी प्रकार विधान करने वाले शब्दों (क्रिया) की विशेषता बताने वाले शब्द क्रियाविशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम हैं। क्रिया के नामार्थक शब्दों का सम्बन्ध सूचित करने वाले शब्द सम्बन्धसूचक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को मिलानेवाले शब्द समुच्चयबोधक कहलाते हैं। केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द विस्यादिबोधक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ यह वाक्य द्रष्टव्य है—'अरे ! सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गाँव के पास फिर रहे हो; अरे—विस्मयादिबोधक, सूरज—संज्ञा है, डूब गया—क्रिया है, और—समुच्चयबोधक है, तुम—सर्वनाम, अभी-क्रियाविशेषण है, इसी—विशेषण है जो गाँव की विशेषता बता रहा है; गाँव—संज्ञा, के-शब्दांश है, पास—सम्बन्धसूचक शब्द है, फिर रहे हो—क्रिया है।

रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं—विकारी और अविकारी। जिस शब्द के रूप में कोई विकार होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, लड़कियाँ, लड़का, लड़कों। जिस शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता और जो अपने मूल रूप में बना रहता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे—अचानक, बहुधा, परन्तु, अभी आदि। विकारी शब्दों के अन्तर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है और अविकारी शब्दों में क्रियाविशेषण, सम्बन्धसूचक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक शब्दों की गणना होती है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है।

व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं—रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द । रूढ़ शब्द दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जैसे- नाक, पीला, पर, कान आदि । यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे- पीलापन, कतरनी, घुड़सवार ।

उद्गम के अनुसार शब्दों के छः प्रकार बताए गए हैं—(1) तत्सम, (2) अर्द्धतत्सम, (3) तद्भव, (4) अनुकरणवाचक, (5) देशज, (6) विदेशज । तत्सम—किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं । तत्सम का अर्थ है—उसके समान अर्थात् ज्यों का त्यों । जैसे—संस्कृत के तत्सम शब्द अपभ्रंश से होते हुए हिन्दी में आये हैं, जो इस प्रकार हैं—आम्र (संस्कृत)—आम (हिन्दी), गोमल (संस्कृत) गोबर (हिन्दी) , क्षीर (संस्कृत) खीर (हिन्दी), शत (संस्कृत)- सौ (हिन्दी । अर्द्धतत्सम—यह तत्सम और तद्भव के बीच का एक प्रकार का शब्द है जो प्राकृत से होकर आते हुए भी प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत के अधिक निकट है । अर्द्धतत्सम शब्द अपने मूल रूप से मिलते-जुलते हैं । जैसे—

तत्सम	अर्द्धतत्सम	हिन्दी (तद्भव)
अग्नि	अगिन	आग
वत्स	बच्छ	बच्चा

इसी प्रकार हिन्दी में अर्द्धतत्सम शब्दों के और रूप भी मिलते हैं—किशन, चन्दर आदि ।

तद्भव—जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिन्दी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं । जैसे—

संस्कृत	प्राकृत	हिन्दी (तद्भव)
मया	मई	मैं
अग्नि	अगिन	आग
मध्य	मज्झ	में
वत्स	वच्छ	बाछा, बच्चा

अनुकरणवाचक शब्द—वे शब्द जो वस्तु या पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि के अनुकरण पर बने होते हैं, अनुकरणवाचक शब्द कहलाते हैं । जैसे लड़खड़ाना, ललकारना, दुरदुराना, सेटकिनी, पटाका आदि ।

देशज शब्द—ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता । कहा जाता है कि बोलचाल के क्रम में अपने देश में ही कुछ शब्द बन जाते हैं । जैसे—बियाना, लोटा, जूता, पगड़ी, डिबिया ।

विदेशज शब्द—वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिन्दी में आ गये हैं विदेशज हैं । अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की, फारसी, अरबी आदि वे भाषाएँ हैं जिनके शब्द हिन्दी में आ मिले हैं । जैसे—इंजन, अफसर, अलकतरा, आलपीन, आलमारी, कैंची, कुली, तोप, अदा, आराम, आफत, अजायब, अक्ल आदि ।

संज्ञा

संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु विशेष अथवा किसी व्यक्ति के नाम का

बोध हो, जैसे- घर, गंगा, मोहन, भारत आदि। 'वस्तु' शब्द यहाँ व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। वह पदार्थ और प्राणी का वाचक होने के साथ ही उनके धर्म का भी वाचक है।

संज्ञा दो प्रकार की होती है—पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक संज्ञा वह है जिससे किसी पदार्थ या पदार्थों के समूह का बोध होता है; जैसे- राम, राजा, सभा, भीड़, कागज, घोड़ा, काशी आदि। यहाँ पदार्थ से तात्पर्य जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों से है। पदार्थवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं—व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इस प्रकार संज्ञा के तीन प्रकार हुए—व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।

व्यक्तिवाचक—व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी एक ही पदार्थ अथवा पदार्थोंके एक ही समूह का बोध होता हो, जैसे गंगा, महामण्डल, काशी, मोहन आदि। यहाँ काशी या मोहन कहने से किसी एक ही पदार्थ या प्राणी का बोध होता है। काशी कहने से इस नाम के एक ही नगर अथवा एक ही प्राणी का बोध होता है।

जातिवाचक संज्ञा—जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी जाति के सभी पदार्थों अथवा उनके समूहों का बोध हो, जैसे नदी, पर्वत, मकान, सभा, मनुष्य आदि। पर्वत कहने से हिमालय, विंध्याचल, आबू आदि सभी पर्वतों का बोध होता है। इस प्रकार नदी कहने से संसार की सभी नदियों का बोध होता है।

भाववाचक संज्ञा—जिस संज्ञा से पदार्थ में प्राप्त होने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे; लड़कपन, बुढ़ापा, चतुराई, नम्रता आदि।

संज्ञा के भेद के सम्बन्ध में हिन्दी के वैयाकरण एकमत नहीं हैं। हिन्दी के अधिकांश व्याकरण ग्रन्थों में संज्ञा के पाँच भेद माने गए हैं—व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और सर्वनाम। वस्तुतः ये भेद कुछ तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार, कुछ अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, कुछ रूप के अनुसार तथा कुछ प्रयोग के अनुसार किए गए हैं।

सर्वनाम

उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो पूर्वापर सम्बन्ध से किसी भी संज्ञा के स्थान में आता है, जैसे, मैं, तुम, वे लोग, वह आदि। सब नामों (संज्ञाओं) के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम में पूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। जैसे 'लड़का' कहने से मात्र लड़का का ही बोध होता है, घर, मोटर, स्कूल आदि का बोध नहीं हो सकता; लेकिन 'वह' कहने से पूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार लड़का, घर, मोटर, सड़क, हाथी, घोड़ा आदि किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है।

हिन्दी में कुल मिलाकर 11 मुख्य सर्वनाम हैं—मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के छः भेद हैं- पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक, प्रश्नवाचक।

पुरुषवाचक सर्वनाम-जो पुरुषों (स्त्री-पुरुष) के नाम के बदले में आता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके तीन भेद हैं—उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक आता है। जैसे मैं, हम। मध्यमपुरुष में पाठक या श्रोता आते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अन्यपुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये।

निजवाचक सर्वनाम—इसका रूप 'आप' है। लेकिन प्रयोग में यह पुरुषवाचक (आदरसूचक) 'आप' से बिलकुल भिन्न है। पुरुषवाचक 'आप' आदर के लिए नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे आप मेरे लिए पूज्य हैं, आप क्या कह रहे हैं ? पुरुषवाचक 'आप' का प्रयोग केवल मध्यम और अन्य पुरुष में होता है। निजवाचक 'आप' का प्रयोग एक ही तरह दोनों वचनों और तीनों पुरुषों में होता है। निजवाचक सर्वनाम 'आप' का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है—

(1) किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए निजवाचक 'आप' का प्रयोग होता है, जैसे—मैं आप वही कार्य करता हूँ।

(2) इस 'आप' का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है, जैसे—श्याम ने तो मुझे यहीं रहने को कहा और आप चलता बना।

(3) निजवाचक 'आप' का प्रयोग सर्वसाधारण के अर्थ में भी होता है, जैसे—आप भला तो जग भला।

निश्चयवाचक सर्वनाम—निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है। जैसे—यह, वह। यह मेरी पुस्तक है। वह तुम्हारी सायकिल है।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम—अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। जैसे, कोई, कुछ, बहुत कुछ। कोई आ रहा है। बहुत कुछ हो चुका।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम—जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से सम्बन्ध स्थापित किया जाय उसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—जो, सो। वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है। जो करें सो कम ही है।

प्रश्नवाचक सर्वनाम—जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—कौन, क्या। कौन आ रहा है ? तुम क्या कर रहे हो ?

क्रिया

जिस विकारी शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाय उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खेलना, पढ़ना आदि। हिन्दी की अपनी विशेषता के अनुसार क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं।

धातु क्रिया का मूल है। धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिसमें विकार होने से क्रिया बनती है। जैसे 'चलना' क्रिया में 'चल' धातु है। इस 'चल' धातु में 'ना' प्रत्यय लगने से 'चलना' क्रिया

बनी है । हिन्दी में क्रिया का साधारण रूप मूल धातु में 'ना' जोड़कर बनाया जाता है । जैसे—देख + ना = देखना, पढ़ + ना = पढ़ना, खा + ना = खाना आदि । क्रिया के साधारण रूपों में से 'ना' हटाकर धातु का मूल रूप जाना जा सकता है ।

धातुओं के अतिरिक्त हिन्दी में क्रियाएँ संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं, जैसे—चिकना + आना = चिकनाना, दुहरा + आना = दुहराना । धातु के भेद—

धातु के प्रकार

व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है—पहला है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु । मूल धातु किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती अर्थात् वह स्वतंत्र होती है। जैसे खा, देख, पी आदि । यौगिक धातु का निर्माण किसी प्रत्यय के योग से होता है । जैसे 'खाना' से खिलाना, रंग से रँगना, पढ़ना से पढ़ाना आदि ।

यौगिक धातु की रचना

यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है —(1) धातु में प्रत्यय लगाने पर अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएँ बनती हैं, (2) कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है, (3) संज्ञा या विशेषण से बननेवाली नामधातु ।

प्रेरणार्थक क्रियाएँ (Causative Verb) या धातुएँ वे क्रियाएँ हैं जिनसे इस बात का बोध होता है कि कर्त्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है । जैसे—काटना से कटवाना । प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप होते हैं, जैसे—'गिरना' से 'गिराना' और 'गिरवाना' । दोनों क्रियाएँ एक के बाद दूसरी प्रेरणा में हैं । यहाँ ध्यान देने की बात है कि अकर्मक क्रिया भी प्रेरणार्थक होने पर कर्मवाली हो जाती है । जैसे मोहन लजाता है; वह मोहन को लजवाता है ।

प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनती हैं । ऐसी क्रियाएँ सकर्मक क्रिया से बनें अथवा अकर्मक क्रिया से, वे प्रत्येक स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं । जैसे मैंने उसे हँसाया, मैंने उससे किताब लिखवायी । पहले में कर्त्ता स्वयं हँसाने का काम करता है और दूसरे में कर्त्ता दूसरे को किताब लिखने के लिए प्रेरित करता है । अतः हिन्दी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप मिलते हैं । पहले रूप में 'ना' का और दूसरे रूप में 'वाना' का प्रयोग होता है । जैसे—

मूल	द्वितीय	तृतीय (प्रेरणा)
हँसना	हँसाना,	हँसवाना
पीना	पिलाना,	पिलवाना
देना	दिलाना,	दिलवाना
जगना	जगाना,	जगवाना
सोना	सुलाना	सुलवाना
उठना	उठाना	उठवाना

यौगिक क्रिया—यौगिक क्रिया उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों

के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनती है । जैसे—हँसना-हँसाना, चलना-चलाना, चलना-चल देना ।

नामधातु (Nominal Verb)

नामधातु उसे कहते हैं जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है ।

उदाहरणार्थ देखिए—

संज्ञा से—

हाथ—हथियाना
बात—बतियाना

विशेषण से—

चिकना—चिकनाना
गर्म—गर्माना
ठंडा—ठंडाना

रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद

रचना की दृष्टि से सामान्यतः क्रिया के दो भेद बताए जाते हैं—(1) सकर्मक, (2) अकर्मक।

सकर्मक क्रिया (Transitive Verb)

जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो अथवा जिस क्रिया का कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं । तात्पर्य यह है कि सकर्मक क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्त्ता से होता है, लेकिन जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात् कर्म पर पड़ता है । जैसे, राम रोटी खाता है । इस वाक्य में 'राम' कर्ता है, 'खाने' के साथ उसका कर्तृरूप से सम्बन्ध है । प्रश्न है, क्या खाता है ? उत्तर है—'रोटी' । इस तरह 'रोटी' का 'खाने' से सीधा सम्बन्ध है । अतः 'रोटी' कर्मकारक है । यहाँ राम के खाने का फल 'रोटी' पर अर्थात् कर्म पर पड़ता है । इसलिए 'खाना' सकर्मक हुई । साथ ही ध्यान देने की बात है कि कभी-कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है । जैसे 'वह पढ़ता है' में 'पुस्तक' जैसा कर्म छिपा हुआ है ।

अकर्मक क्रिया (Intransitive Verb)

अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका व्यापार और फल कर्ता पर ही होता है । वस्तुतः अकर्मक क्रियाओं का 'कर्म' नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्त्ता पर पड़ता है । जैसे—राम सोता है । यहाँ 'सोना' क्रिया अकर्मक है । राम कर्त्ता है, 'सोने' की क्रिया उसी के द्वारा उत्पन्न होती है । इस प्रकार 'सोने' का फल भी राम पर ही पड़ता है । इसलिए इस वाक्य में 'सोना' क्रिया अकर्मक हुई ।

सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान

'क्या', 'किसे' आदि प्रश्नों के माध्यम से सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान होती है। इन प्रश्नों का यदि कोई उत्तर मिलता है तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे कुछ क्रियाओं में क्या, किसको लगाकर प्रश्न करने पर इनके उत्तर इस प्रकार मिलते हैं—

(1) तुमने किसको मारा ?
उत्तर—मोहन को मारा।

(2) क्या खाया।
उत्तर—भात खाया।

(3) तुम क्या पढ़ते हो ?
उत्तर—किताब पढ़ता हूँ।

इन सब उदाहरणों में 'मारना', 'खाना' और पढ़ना क्रियाएँ सकर्मक हैं।

चूँकि कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, अतः प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार उनकी पहचान होती है, जैसे—

अकर्मक	सकर्मक
वह लजा रही।	वह तुम्हें लजा रही है।
उसका सिर खुजलाता है।	वह अपना सिर खुजलाता है।
बूँद-बूँद से घड़ा भरता है।	उसने आँखें भरकर कहा।

ऐसी धातुएँ जो अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं, उभयविध धातु कहलाती हैं।

द्विकर्मक क्रिया

कुछ क्रियाएँ एक कर्मवाली होती हैं और कुछ दो कर्मवाली। जैसे- श्याम ने रोटी खायी। इसमें कर्म एक ही है—'रोटी'। लेकिन 'गुरुजी लड़के को वेद पढ़ाते हैं' में दो कर्म हैं—'लड़के को' और वेद। यहाँ पढ़ाना क्रिया द्विकर्मक है।

अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाने के नियम

(1) यदि अकर्मक धातु दो अक्षरों की हो तो प्रथम अक्षर अथवा द्वितीय अक्षर के और यदि तीन अक्षरों की हो तो दूसरे या तीसरे अक्षर के ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर सकर्मक बनाया जाता है। जैसे—

अकर्मक	सकर्मक
उठना	उठाना
बैठना	बिठाना
उड़ना	उड़ाना
निकलना	निकालना
सरकना	सरकाना

(2) साधारण अवस्था वाली अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक में सकर्मक बन जाती है। अकर्मक एकाक्षरी धातु में 'ला' जोड़कर सकर्मक क्रिया बनायी जाती है। इस प्रक्रिया में धातु के दीर्घ स्वर को ह्रस्व, एकार को इकार और ओकार को उकार बनाया जाता है। जैसे—

अकर्मक	सकर्मक
जीना	जिलाना, जिलवाना
सोना	सुलाना
रोना	रुलाना

संयुक्त क्रिया (Compound Verb)

दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण—राम रोने लगा, श्याम घर पहुँच गया। यहाँ 'रोने लगा' और 'पहुँच गया' संयुक्त क्रियाएँ हैं।

वाच्य (VOICE)

वाच्य क्रिया का वह परिवर्तन है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव- इन तीनों में किसकी प्रधानता है तथा इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन या तो कर्ता के अनुसार होते हैं अथवा कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार।

वाच्य के तीन भेद होते हैं—(1) कर्तृवाच्य, (2) कर्मवाच्य, (3) भाववाच्य।

कर्तृवाच्य—क्रिया के उस रूपान्तर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार अपना रूप बदलती है। स्पष्ट है कि इस वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप अपना रूप बदलती है अर्थात् क्रिया के लिंग और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। उदाहरणार्थ-लड़के जाते हैं, राम जाता है, लड़कियाँ खेलती हैं, मैं जाता हूँ आदि।

कर्मवाच्य—कर्मवाच्य उसे कहते हैं जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार पड़ता है। इस प्रकार इस वाच्य के अन्तर्गत कर्ता करण के रूप में और कर्म कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार रूपान्तरित होती है। जैसे- श्याम ने गीत गाया। मैंने रोटी खाई। मैंने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों में क्रियाएँ कर्म के अनुसार रूपान्तरित हुई हैं।

भाववाच्य—भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार। इस वाच्य में क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिग और अन्य पुरुष में रहती है तथा कर्ता एवं कर्म दोनों से मुक्त हो जाती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की क्रियाओं के रूप कर्ता-कर्म के अनुरूप नहीं बदलते। यहाँ वाक्य निषेधात्मक होते हैं। उदाहरणार्थ- मुझसे टहला भी नहीं जाता। राम से बैठा भी नहीं जाता। उससे खाया नहीं जाता। यहाँ कर्ता एवं कर्म दोनों के स्थान पर क्रियाएँ ही प्रधान रहती हैं।

काल (TENSE)

क्रिया के जिस रूपान्तर से उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे 'काल' कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं—

(1) वर्तमान काल

(2) भूतकाल

(3) भविष्यत्काल

वर्तमानकाल

वर्तमान काल में क्रिया का आरम्भ हो चुका रहता है, परन्तु उसकी समाप्ति नहीं होती। तात्पर्य यह है कि क्रिया का व्यापार निरंतर रूप में चलता है। **परिभाषा** के रूप में कह सकते हैं—'क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमानकाल कहते हैं। जैसे, राम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान काल के पाँच भेद होते हैं—

(1) सामान्य वर्तमान

(2) तात्कालिक वर्तमान

(3) पूर्ण वर्तमान

(4) संदिग्ध वर्तमान

(5) सम्भाव्य वर्तमान

(1) सामान्य वर्तमान—क्रिया का वह रूप सामान्य वर्तमान कहलाता है जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाय। जैसे—राम जाता है। मोहन पढ़ता है।

(2) तात्कालिक वर्तमान—क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है और कार्य अभी बन्द नहीं हुआ है, तात्कालिक वर्तमान कहलाता है। जैसे—राम पढ़ रहा है। वे लोग जा रहे हैं।

(3) पूर्ण वर्तमान—इसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे—लड़का आया है। राम ने पुस्तक पढ़ी है।

(4) संदिग्ध वर्तमान—क्रिया के उस रूप को संदिग्ध वर्तमान कहते हैं जिससे क्रिया के होने में सन्देह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में सन्देह न हो। जैसे—श्याम खाता होगा। सीता पढ़ती होगी।

(5) सम्भाव्य वर्तमान—इसके अन्तर्गत वर्तमान काल में काम पूरे होने की संभावना रहती है। जैसे—राम आया हो। वह लौटा हो।

भूतकाल

भूतकाल उस क्रिया को कहते हैं जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो । जैसे—राम आया था; वह पढ़ चुका था । उसने खाया ।

भूतकाल के छः भेद होते हैं—

(1) सामान्य भूत

(2) आसन्न भूत

(3) पूर्ण भूत

(4) अपूर्ण भूत

(5) संदिग्ध भूत

(6) हेतुहेतुमद्‌भूत

(1) **सामान्य भूत**—जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं । जैसे—राम आया । सीता गयी ।

(2) **आसन्न भूत**—आसन्न भूत से क्रिया की समाप्ति निकट भूत में अथवा तत्काल ही सूचित होती है । उदाहरण—राम विद्यालय से आया है । श्याम घर से लौटा है ।

(3) **पूर्ण भूत**—क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है । जैसे—राम ने श्याम को मारा था । मोहन आया था ।

(4) **अपूर्ण भूत**—इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किन्तु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता । जैसे—मोहन भजन गा रहा था । सीता पढ़ रही थी ।

(5) **संदिग्ध भूत**—क्रिया के उस रूप को संदिग्ध भूत कहते हैं जिसमें यह सन्देह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ अथवा नहीं । जैसे—राम ने पुस्तक पढ़ी होगी । मोहन गया होगा ।

(6) **हेतुहेतुमद्‌भूत**—क्रिया के उस रूप को हेतुहेतुमद्‌भूत कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनेवाली थी परन्तु किसी कारण से न हो सकी । जैसे—वह आता । मैं खाता । तू जाता ।

भविष्यत्‌काल

भविष्यत्‌काल उसे कहते हैं जिससे भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो । जैसे—राम कल घर जायगा ।

भविष्यत्‌काल के तीन भेद होते हैं—

(1) सामान्य भविष्य

(2) सम्भाव्य भविष्य

(3) हेतुहेतुमद् भविष्य

(1) **सामान्य भविष्य**—इससे पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे—राम पढ़ेगा। सीता जायगी।

(2) **सम्भाव्य भविष्य**—जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे—संभव है, कल मोहन आ जाये।

(3) **हेतुहेतुमद् भविष्य**-क्रिया के इस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे—राम आये तो मैं जाऊँ। तुम कमाओ तो खाओ।

क्रिया के प्रकार (MOOD)

क्रिया के प्रकट करने की रीति को प्रकार (मूड Mood) कहते हैं। इस प्रकार की तीन रीतियाँ होती हैं—(1) साधारण, (2) सम्भाव्य, (3) आज्ञार्थक।

(1) **साधारण क्रिया**—साधारण अवस्था की क्रिया को साधारण क्रिया कहते हैं। प्रायः इसी का प्रयोग हमलोग करते हैं। जैसे—राम आता है। तुम खाते हो। मैंने खाया। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत तथा सामान्य भविष्यत् की क्रियाएँ साधारण क्रियाओं की कोटि में आती हैं।

(2) **सम्भाव्य क्रिया**—जिस क्रिया से अनिश्चय, इच्छा या संशय सूचित होता है उसे संभाव्य क्रिया कहते हैं। जैसे—संभव है पानी बरसे। तुम्हारी जय हो। मैंने मारा भी होगा तो केवल मोहन को ही। सन्दिग्ध वर्तमान, सन्दिग्ध भूत,हेतुहेतुमद् भूत, तथा संभाव्य भविष्यत् की क्रियाएँ संभाव्य क्रिया की श्रेणी में आती हैं।

(3) **आज्ञार्थक क्रिया**—आज्ञार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिससे आज्ञा, अपेक्षा, प्रार्थना आदि का बोध हो। जैसे—हे प्रभो ! इस विपत्ति से रक्षा करिए। तुम पढ़ो, सेवक को भेज दो। क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ ?

कुछ क्रियाएँ जिनका प्रयोग निश्चित संज्ञाओं के साथ होता है—

भाँग छानी जाती है।	आँख फूटती है।
शराब ढाली जाती है।	तूफान आता है।
गीत गाया जाता है।	हवा चलती है।
मुकद्दमा चलाया जाता है।	पानी बरसता है।
भात बनाया जाता है।	बादल गरजते हैं।
फाँसी पर लटकाया जाता है।	कष्ट भोगा जाता है।
दूध जमाया जाता है।	युद्ध किया जाता है।
अभियोग लगाया जाता है।	लड़ाई लड़ी जाती है।
कागज फाड़ा जाता है।	तकलीफ उठाई जाती है।
शीशा फोड़ा जाता है।	गाड़ी खींची जाती है।

दूध उबलता है ।
पानी खौलता है ।
दाल पकती है ।
हाथ टूटता है ।
दीवार में कील ठोंकी जाती है ।
अँगूठी में नगीना जड़ा जाता है ।
दरजी कपड़े सीता है ।
जुलाहा कपड़े बुनता है ।

विशेषण (ADJECTIVE)

जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं । गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के तीन भेद बताए गए हैं—

(1) सार्वनामिक विशेषण

(2) गुणवाचक विशेषण

(3) संख्यावाचक विशेषण

(1) **सार्वनामिक विशेषण**—पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है । वाक्य में अकेले आने पर ये शब्द सर्वनाम होते हैं और जब इनके साथ संज्ञा आती है तब ये विशेषण होते हैं । जैसे—आम आया है, वह बाहर बैठा है । यहाँ 'वह' संज्ञा के बदले आया है, इसलिए सर्वनाम है । वह नौकर अभी तक नहीं आया । इसमें 'वह' विशेषण है । किसी को बुलाओ । किसी छात्र को बुलाओ । इनमें 'किसी' क्रमशः सर्वनाम और विशेषण है । इसी तरह ऐसा लड़का, कैसा घर आदि ।

(2) **गुणवाचक विशेषण**—इससे संज्ञा का गुण लक्षित होता है । गुणवाचक विशेषणों की संख्या अन्य सभी विशेषणों की अपेक्षा अधिक होती है । कुछ गुणवाचक विशेषण ये हैं—

काल—नया, पुराना, प्राचीन, अगला, पिछला आदि ।

स्थान—भीतरी, बाहरी, लंबा, चौड़ा आदि ।

आकार—गोल, चौकोर ।

रंग—लाल, पीला, नीला, हरा आदि ।

(3) **संख्यावाचक विशेषण**-जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध न होकर उसकी संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं । जैसे—दस हाथी, चालीस दिन, कुछ लड़के, सब लड़के आदि ।

अविकारी शब्द (अव्यय)

जिस शब्द अथवा शब्दांश के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द में कोई रूपान्तर नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने रूप में बने रहते हैं। ऐसे शब्दों का व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जैसे—जब, तब, ठीक, एवं, अरे, किन्तु, परन्तु, बल्कि, कब, क्या, क्यों आदि।

अव्यय के चार भेद किए गए हैं—

(1) क्रियाविशेषण

(2) सम्बन्धबोधक

(3) समुच्चयबोधक

(4) विस्मयादिबोधक

(1) क्रियाविशेषण—जिस अव्यय से क्रिया, विशेषण या दूसरे क्रियाविशेषण की विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे—यहाँ, वहाँ, जल्दी-जल्दी, धीरे, अभी, बहुत, कम आदि। राम धीरे-धीरे टहलता है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत धीरे चलता है। यहाँ 'धीरे-धीरे' टहलना क्रिया की विशेषता बतलाने के कारण क्रियाविशेषण है। दूसरे वाक्य में 'बहुत' क्रियाविशेषण है, क्योंकि वह 'अच्छा' विशेषण की विशेषता बताता है। इसी तरह तीसरे वाक्य में 'बहुत' क्रियाविशेषण है, क्योंकि वह दूसरे क्रियाविशेषण 'धीरे' की विशेषता बतलाता है।

क्रियाविशेषण के कुछ उदाहरण

संस्कृत क्रियाविशेषण—कदाचित्, प्रायः, बहुधा, पुनः, वृथा, अकस्मात्, अन्यत्र, वस्तुतः, संप्रति, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा, साक्षात् आदि। आज, कल, परसों, बारबार, आगे, सामने आदि तद्भव क्रियाविशेषण हैं।

उर्दू क्रियाविशेषण—शायद, जरूर, बिलकुल, अकसर, फौरन, बाला आदि तत्सम क्रियाविशेषण हैं। तद्भव क्रियाविशेषण हैं—हमेशा, सही, नगीच, जल्दी, खूब, आखिर आदि।

(2) सम्बन्धबोधक अव्यय (Preposition)—जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दिखलाता है उसे सम्बन्धबोधक कहते हैं। जैसे—धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, नौकर गाँव तक गया, रात भर जागना अच्छा नहीं होता। इन वाक्यों में 'बिना', 'भर', 'तक' सम्बन्धबोधक अव्यय हैं।

(3) समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunction)—जो अव्यय किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या शब्द का सम्बन्ध दूसरे वाक्य या शब्द से मिलाता है उसे समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे- और, यदि, तो, क्योंकि आदि। 'हवा चली और पानी बरसा' में 'और' समुच्चयबोधक

अव्यय है । दो और दो चार होते हैं—इस वाक्य में 'और' समुच्चयबोधक है जो शब्दों को जोड़ता है।

(4) **विस्मयादि बोधक** (Interjection)—जिन अव्ययों का सम्बन्ध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष, शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं । जैसे—'हाय ! अब मैं क्या करूँ ! हैं ! यह क्या कहते हो ! यहाँ 'हाय' दुख, और 'हैं' आश्चर्य एवं क्रोध व्यक्त करता है । जिन वाक्यों में ये शब्द हैं उनसे इतना कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः 'हाय' और 'हैं' विस्मयादिबोधक अव्यय हैं ।

उपसर्ग (PREFIX)

परिभाषा—उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है । यह 'उप' और 'सर्ग' दो शब्दों के योग से बना है । उप = निकट या पास में, सर्ग = सृष्टि करना । इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट बैठकर नया अर्थ बना डालने वाला । उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं । परन्तु उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वे शब्दों के साथ मिलकर नए अर्थ का बोध कराते हैं । जैसे 'हार' और 'बन' शब्द के पूर्व क्रमशः 'प्र' और 'अन' उपसर्गों के लग जाने से 'प्रहार' और 'अनबन' नए शब्द बन गए । इनका नया अर्थ हुआ मारना, मनमुटाव । कभी-कभी शब्दों के पूर्व उपसर्गों के लगाने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता । कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन न आकर तेजी आती है ।

संस्कृत में उपसर्गों की संख्या निश्चित है, शब्दों के पूर्व लगने वाले शेष शब्द अव्यय होते हैं । हिन्दी में ऐसा कोई अन्तर नहीं है । हिन्दी में स्वयं हिन्दी के साथ संस्कृत और उर्दू के भी उपसर्ग मिलते हैं । संस्कृत उपसर्गों का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होता है और हिन्दी उपसर्गों का प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ होता है । इसी तरह उर्दू उपसर्गों का प्रयोग सामान्यतः उर्दू शब्दों के साथ ही होता है । संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिन्दी में 13, उर्दू में 19 उपसर्ग हैं ।

संस्कृत उपसर्ग

उपसर्ग	अर्थ	शब्दरूप
अति	अधिक, ऊपर, उसपार	अत्याचार, अत्यन्त ।
अधि	श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य	अधिकार, अधिपति ।
अनु	क्रम, पश्चात्, समानता	अनुशासन, अनुरूप ।
अप	लघुता, हीनता, अभाव, विरुद्ध	अपमान, अपशब्द ।
अभि	सामीप्य, आधिक्य और इच्छा प्रकट करना आदि	अभिप्राय, अभियोग, अभिलाषा, अभिमुख ।
अव	हीनता, अनादर, पतन	अवगत, अवनति ।
आ	सीमा, ओर, समेत, कमी, विपरीत	आगमन, आजन्म, आदान, आचरण ।

उपसर्ग	अर्थ	शब्दरूप
उत्-उद्	ऊपर, उत्कर्ष	उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्साह ।
उप	निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता	उपकार, उपकूल, उपनाम, उपासना, उपभेद ।
दुर्, दुस्	बुरा, कठिन, दुष्ट, हीन	दुर्दशा, दुर्जन, दुर्गुण ।
नि	भीतर, नीचे, अतिरिक्त	नियात, नियुक्त, नियोग ।
निर्-निस्	बाहर, निषेध, रहित	निर्वास, निर्भय, निर्मल ।
परा	उलटा, अनादर, नाश	पराजय, पराभव, पराभूत ।
परि	आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अतिशय, त्याग	परिक्रमा, परिपूर्ण, परितोष, पर्याप्त ।
प्र	अधिक, आगे, ऊपर, यश, गति	प्रकाश, प्रचार, प्रयास, प्रलय, प्रस्थान ।
प्रति	विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन	प्रशिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार ।
वि	भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता	विज्ञान, विदेश, विधवा, वियोग, विनाश ।
सम्	पूर्णता, संयोग	संगम, संग्रह, सम्मुख ।
सु	सुखी, अच्छा भाव, सहज, सुन्दर, सुगम, सुदूर, सुवास, सुकवि ।	

हिन्दी उपसर्ग

उपसर्ग	अर्थ	शब्दरूप
अ-अन	निषेध के अर्थ में	अथाह, अलग, अनजान ।
अध	आधे के अर्थ में	अधखिला, अधजला ।
उन	एक कम	उनतीस, उनसठ ।
औ (अव)	हीनता, निषेध,	औगुन, औघट ।
दु	बुरी, हीन	दुकाल, दुबला ।
नि	निषेध, अभाव, विशेष	निखरा, निडर ।
बिन	निषेध	बिनदेखा, बिनकाम ।
भर	पूरा, ठीक	भरपेट, भरपूर ।
कु-क	बुराई, हीनता	कुखेत, कपूत ।
सु-स	श्रेष्ठता और साथ के अर्थ में	सुडौल, सुजान, सहित, सजग ।

उर्दू उपसर्ग (अरबी-फारसी)

उपसर्ग	अर्थ	शब्दरूप
अल	निश्चित	अलबत्ता, अलगरज ।
कम	हीन, थोड़ा	कमसिन, कमउम्र, कमजोर ।
खुश	श्रेष्ठता के अर्थ में	खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशखबरी ।

उपसर्ग	अर्थ	शब्दरूप
गैर	निषेध	गैरकानूनी, गैरमुनासिब ।
दर	में	दरअस्ल, दरमियान ।
ना	अभाव	नासमझ, नालायक ।
फिल-फी	में प्रति	फिलहाल, फी आदमी ।
ब	से, के, में, अनुसार	बदौलत, बनाम, बदस्तूर ।
बद	बुरा	बदनाम, बदकिस्मत, बदबू
बर	ऊपर, पर, बाहर	बरदाश्त, बरखास्त ।
बा	साथ	बाकायदा, बाइज्जत ।
बिल	साथ	बाकायदा, बाइज्जत ।
बिल	साथ	बिलकुल ।
बिला	बिना	बिलावजह, बिलालिहाज ।
बे	बिना	बेइमान, बेरहम, बेइज्जत ।
ला	बिना	लाचार, लाजवाब, लापता, लावारिस ।
सर	मुख्य	सरगना, सरताज, सरपंच ।
हम	बराबर, समान	हमदर्दी, हमउम्र, हमराह ।
हर	प्रत्येक	हरसाल, हररोज ।

कुछ उपसर्ग और उनका उपयोग

अ	=	नहीं,	जैसे—अज्ञान, अप्रिय, अभेद्य, अमंगल ।
अति	=	अधिक	जैसे—अतिरिक्त, अत्यावश्यक, अत्याचार ।
अन	=	नहीं,	जैसे—अनपढ़, अनमोल ।
अनु	=	समान, पीछे,	जैसे—अनुगामी, अनुरूप, अनुसार, अनुचर ।
अध	=	आधा	जैसे—अधपका ।
अधि	=	श्रेष्ठ, ऊपर	जैसे—अधिवासी, अधिकार ।
अप	=	बुरा,	जैसे—अपमान, अपयश ।
अभि	=	सामने,	जैसे—अभ्यागत ।
अव	=	हीन,	जैसे—अवगुण, अवगति ।
आ	=	तक, मुक्त	जैसे—आजीवन, आमरण, आभार ।
उत्	=	अच्छा,	जैसे—उद्धार, उत्कर्ष ।
उप	=	गौण,	जैसे—उपवन, उपनाम, उपदेश ।
औ	=	हीन, नीचा	जैसे—औघट ।
क	=	बुरा,	जैसे—कपूत, कुबात ।
दुर्	=	कठिन,	जैसे—दुस्तर, दुर्गम ।
नि	=	रहित, हीन	जैसे—निडर, नीरस, निर्जन ।

परि	=	उल्टा,	जैसे—परिवेष्ठित, परिपूर्ण ।
प्र	=	अधिक,	जैसे—प्रख्यात, प्रसिद्ध ।
प्रति	=	प्रत्येक, विरुद्ध	जैसे—प्रतिद्वन्द्वी, प्रशासन ।
सम	=	अच्छा,	जैसे—स्वभाव ।
सु	=	अच्छा,	जैसे—सुयोग, सन्तान ।
भर	=	पूरा,	जैसे—भरसक ।
ला	=	बिना,	जैसे—लापरवाह ।
बे	=	बिना,	जैसे—बेगुनाह, बेचैन ।

प्रत्यय (SUFFIX)

उस अक्षर या अक्षरसमूह को प्रत्यय कहते हैं जो शब्दों के बाद लगाया जाता है । 'प्रति + अय' इन दो शब्दों से प्रत्यय बना है । प्रति = साथ में, पर बाद में; अय = चलने वाला । इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ है 'शब्दों के साथ, पर बाद में चलने वाला या लगने वाला' । प्रत्यय शब्दों के पीछे जोड़ा जाता है । उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी अविकारी शब्द या शब्दांश है । उदाहरण—'आई' प्रत्यय है जो 'भला' शब्द के पीछे लगकर 'भलाई' शब्द बनता है ।

प्रत्यय के दो भेद होते हैं—कृदन्त और तद्धित । इन दोनों से शब्दों की रचना होती है ।

कृदन्त—वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, कृत् प्रत्यय कहलाते हैं और कृत् प्रत्ययों के मेल से बने शब्द को कृदन्त कहते हैं । इन प्रत्ययों से क्रिया या धातु को नए रूप प्राप्त होते हैं तथा इन प्रत्ययोंसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं । हिन्दी क्रियाओं के अन्त का 'ना' हटा देने पर जो अंश शेष रहता है वही धातु है । उदाहरण—चलना के चल् और कहना कह् धातु में ही प्रत्यय लगता है । कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं—

कृत प्रत्यय	क्रिया	शब्द संज्ञा	
ऐया, वैया	रखना, खेना	खैया, खेवैया	
हार	होना	होनहार	,,
इया	छलना	छलिया	,,
वाला	गाना	गानेवाला	,,
तव्य	कृ	कर्त्तव्य	,,
यत्	दा	देय	,,
अक	कृ	कारक	,,
अन	नी	नयन	,,
क्त	भू	भूत	विशेषण
मान	विद्	विद्यमान	,,

संस्कृत के कृत् प्रत्यय और संज्ञाएँ

कृत प्रत्यय	धातु	संज्ञाएँ
आ	इष्	इच्छा
अना	विद	वेदना
अना	वन्द्	वन्दना
अ	कम्	काम
आ	पूज्	पूजा
ञ (ङि)	यज्	यज्ञ
ति	शक्	शक्ति
या	मृग्	मृगया
अक	गै	गायक
अ	सृप्	सर्प
अ	दिव्	देव
तृ	भुज्	भोक्तृ
उ	तन्	तनु
उ	बन्ध्	बन्धु
उक	भिक्ष्	भिक्षुक
ई	त्यज्	त्यागी
य	कृत्	कृत्य

संस्कृत के कृत् प्रत्यय और विशेषण

कृत् प्रत्यय	धातु	विशेषण
मान	सेव्	सेव्यमान
तव्य	वच्	वक्तव्य
अनीय	दृश्	दर्शनीय
अनीय	श्रु	श्रवणीय
य	दा	देय
य	पूज्	पूज्य

हिन्दी के कृत् प्रत्यय

अ, अंत, अक्कड़, आ, आई, आड़ी, आलू, आऊ, अंकू, आक, आका, आकू, आन, आनी, आप, आपा, आव, आवट, आवना, आवा, आस, आहट, इयल, ई, इया, ऊ, एरा, ऐया, ऐत, ओड़ा, ओड़, औता, औती, औना, औनी, औटी, आवनी, औवल, क, का, की, गी, त, ता, ती, न्ती, न, ना, नी, वन, वाँ, वाला, वैया, सार, हार, हा इत्यादि । हिन्दी के इन कृत् प्रत्ययों से भाववाचक, करणवाचक, कत्तृवाचक, संज्ञाओं और विशेषण का निर्माण होता है । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

प्रत्यय	धातु	संज्ञाएँ
आवट	सज	सजावट
आहट	चिल्ल	चिल्लाहट
औता	समझ	समझौता
औती	मान	मनौती
अ	भर	भार
अंत	लड़	लड़ंत
आई	लड़	लड़ाई
औनी	पीस	पिसौनी
नी	चाट	चटनी
नी	बेल	बेलनी
ना	बेल	बेलना
आ	झूल	झूला
आनी	मथ	मथानी
औटी	कस	कसौटी
त	खप	खपत
हारा	रो	रोवनहारा
हार	रख	राखनहार
आऊ	टिक	टिकाऊ
आक	तैर	तैराक
आका	लड़	लड़ाका
आड़ी	खेल	खेलाड़ी
आलू	झगड़	झगड़ालू
इया	बढ़	बढ़िया
इयल	अड़	अड़ियल
इयल	मर	मरियल

तद्धित प्रत्यय

वे प्रत्यय जो संज्ञा और विशेषण के अंत में लगते हैं, उन्हें तद्धित कहा जाता है और तद्धित के मेल से बने शब्द को 'तद्धितांत' कहा जाता है। कृदन्त और तद्धित में यही अन्तर है कि कृदन्त में मुख्यतः धातु या क्रिया के अंत में प्रत्यय लगता है जब कि तद्धित में संज्ञा या विशेषण के अंत में। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। विशेषण में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं :—

तद्धित प्रत्यय	विशेषण	भाववाचक संज्ञाएँ
ता	मूर्ख	मूर्खता
ता	बुद्धिमान्	बुद्धिमत्ता
इमा	रक्त	रक्तिमा

त्व	बीर	वीरत्व
अ	गुरु	गौरव
अ	लघु	लाघव

इसी प्रकार संज्ञाओं के अंत में तद्धित प्रत्ययों को जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं—

तद्धित प्रत्यय	संज्ञा	विशेषण
वान्	धन	धनवान्
लु	तन्द्रा	तन्द्रालु
उल	पृथु	पृथुल
ईय	राष्ट्र	राष्ट्रीय
इल	तन्द्रा	तन्द्रिल
अ	निशा	नैश
य	तालु	तालव्य
य	ग्राम	ग्राम्य
इक	मुख	मौखिक
मय	आनन्द	आनन्दमय
इत	आनन्द	आनन्दित
इष्ठ	बल	बलिष्ठ
निष्ठ	कर्म	कर्मनिष्ठ
र	मुख	मुखर
र	मधु	मधुकर
इन	मल	मलिन
इम	रक्त	रक्तिम
ईन	कुल	कुलीन
ल	मांस	मांसल
वी	मेधा	मेधावी

हिन्दी के तद्धित प्रत्यय

आ, आईंद, आई, ताऊ, आऊ, आका, आटा, आन, आना, आनी, आयत, आर, आरी, आरा, आड़ी, आल, इयल, आलू, आवट, आस, आसा, आहट, इन, इया, ई, ईला, उआ, ऊ, ए, एर, एरा, एड़ी, एली, एल, ऐत, ऐल, ऐला, एला, ओट, ओटा, ओं, औटी, औटा, औड़ा, औड़ी, औती, औता, ओला, क, की, जा, टा, टी, ड़ी, ड़ा, ती, ता, त, नी, पना, पन, पा, री, ला, ली, ल, वंत, वाल, वाला, वाँ, वा, स, सरा, सा, सों, हर, हरा, हा, हारा, हला, हाल इत्यादि ।

तद्धित प्रत्यय	संज्ञा-विशेषण	भाववाचक संज्ञाएँ
आई	चतुर	चतुराई
आन	चौड़ा	चौड़ान

आरा	छूट	छुटकारा
आवट	आम	अमावट
आस	मीठा	मिठास
पा	बूढ़ा	बुढ़ापा
पन	लड़का	लड़कपन
ती	कम	कमती
औती	बाप	बपौती
ई	खेत	खेती
तद्धित प्रत्यय	संज्ञा-विशेषण	ऊनवाचक संज्ञाएँ
इया	खाट	खटिया
ई	ढोलक	ढोलकी
टा	चोर	चोट्टा
टी	बहू	बहूटी
ड़ा	बाछा	बछड़ा
ड़ी	टाँग	टँगड़ी
री	कोठा	कोठरी
ली	टीका	टिकली

सन्धि (EUPHONY)

दो निर्दिष्ट वर्णों के पास-पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। सन्धि में जब दो वर्ण अथवा अक्षर मिलते हैं तो उनकी मिलावट से विकार पैदा होता है। अक्षरों की यह विकारजनित मिलावट ही 'सन्धि' कहलाती है। इस विकारजन्य मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग-अलग कर देना ही 'सन्धिविच्छेद' कहलाता है।

सन्धि तीन प्रकार की होती है—

(1) स्वर (अच्) सन्धि

(2) व्यंजन (हल्) सन्धि

(3) विसर्ग सन्धि

(1) स्वर सन्धि (अच् सन्धि)

स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर सन्धि कहते हैं अर्थात् दो स्वरों के पास आने से जो सन्धि होती है उसे स्वर सन्धि कहते हैं। जैसे—

राम + अवतार = (राम् +अ+अ+वतार) = रामावतार।

स्वर सन्धि के 5 प्रभेद होते हैं—

(क) दीर्घ स्वर सन्धि, (ख) गुण स्वर सन्धि,
(ग) वृद्धि स्वर सन्धि, (घ) यण स्वर सन्धि,
(ङ) अयादि स्वर सन्धि ।

(क) दीर्घ स्वर सन्धि- आ, ई, ऊ, ऋ ।

यदि दो सवर्ण स्वर पास-पास आवें दोनों मिलकर सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाते हैं । जैसे—

अ + अ	=	आ			
शश + अंक	=	शशांक			
कल्प + अंत	=	कल्पांत			
अन्न + अभाव	=	अन्नाभाव			
परम + अर्थ	=	परमार्थ			
अ + आ	=	आ			
रत्न + आकर	=	रत्नाकर,	सिंह + आसन	=	सिंहासन
कुश + आसन	=	कुशासन,	पंच + आनन	=	पंचानन
शिव + आलय	=	शिवालय,	भोजन + आलय	=	भोजनालय
आ + अ	=	आ			
विद्या + अर्थी	=	विद्यार्थी,	लता + अन्त	=	लतान्त
विद्या + अलंकार	=	विद्यालंकार,	महा + अर्णव	=	महार्णव
रेखा + अंश	=	रेखांश,	विद्या + अभ्यास	=	विद्याभ्यास
आ + आ	=	आ			
विद्या + आलय	=	विद्यालय,	शिला + आसन	=	शिलासन
महा + आशय	=	महाशय,	महा + आदर	=	महादर
वार्ता + आलाप	=	वार्तालाप			
इ + इ	=	ई			
गिरि + इन्द्र	=	गिरीन्द्र,	अभि + इष्ट	=	अभीष्ट
मुनी + इन्द्र	=	मुनीन्द्र,	प्रति + इति	=	प्रतीति
इ + ई	=	ई			
गिरि + ईश	=	गिरीश,	कवि + ईश्वर	=	कवीश्वर
कपि + ईश	=	कपीश,	कपि + ईश्वर	=	कपीश्वर
क्षिति + ईश	=	क्षितीश			
ई + इ	=	ई			
नदी + इन्द्र	=	नदीन्द्र,	महती + इच्छा	=	महतीच्छा
मही + इन्द्र	=	महीन्द्र,	गौरी + इच्छा	=	गौरीच्छा
देवी + इच्छा	=	देवीच्छा			

ई + ई	= ई				
मही + ईश्वर	= महीश्वर,		सती + ईश	=	सतीश
पृथ्वी + ईश्वर	= पृथ्वीश्वर,		रजनी + ईश	=	रजनीश
पृथ्वी + ईश	= पृथ्वीश,		जानकी + ईश	=	जानकीश
उ + उ	= ऊ				
विधु + उदय	= विधूदय,		लघु + उत्पात	=	लघूत्पात
भानु + उदय	= भानूदय				
ऊ + उ	= ऊ				
वधू + उत्सव	= वधूत्सव,		भू + उन्नति	=	भून्नति
स्वयम्भू + उदय	= स्वयम्भूदय,		भू + उद्धार	=	भूद्धार
उ + ऊ	= ऊ				
लघु + ऊर्मि	= लघूर्मि,		गुरु + ऊहा	=	गुरूहा
सिंधु + ऊर्मि	= सिंधूर्मि				
ऊ + ऊ	= ऊ				
वधू + ऊहन	= वधूहन,		स्वयम्भू + ऊह	=	स्वयम्भूह
भू + ऊर्ध्व	= भूर्ध्व,		भू + ऊर्जित	=	भूर्जित
ऋ + ऋ	= ॠ				
मातृ + ऋण	= मातॄण				
पितृ + ऋण	= पितॄण				

(2) गुणस्वर सन्धि- ए, ओ, अर्, अल्

यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'इ' या 'ई', 'उ' या 'ऊ' और 'ऋ' आए तो दोनों मिलकर क्रमशः 'इ' या 'ई' के स्थान पर 'ए', 'उ' या 'ऊ' के स्थान पर 'ओ' और 'ऋ' के स्थान पर 'अर्' हो जाते हैं। जैसे—

अ + इ	= ए			
देव + इन्द्र	= देवेन्द्र,	गज + इन्द्र	=	गजेन्द्र
अ + ई	= ए			
गण + ईश	= गणेश,	सुर + ईश्वर	=	सुरेश्वर
देव + ईश	= देवेश,	नर + ईश	=	नरेश
सुर + ईश	= सुरेश,	ब्रज + ईश	=	ब्रजेश
आ + इ	= ए			
रमा + इन्द्र	= रमेन्द्र,	महा + इन्द्र	=	महेन्द्र

आ + ई = ए
रमा + ईश्वर = रमेश्वर, महा + ईश = महेश
रमा + ईश = रमेश
अ + उ = ओ
सूर्य + उदय = सूर्योदय, हित + उपदेश = हितोपदेश
चन्द्र + उदय = चन्द्रोदय ।
आ + उ = ओ
महा + उत्सव = महोत्सव, महा + उदय = महोदय
अ + ऊ = ओ
समुद्र + ऊमि = समुद्रोमि, एक + ऊनविंशति = एकोनविंशति
आ + ऊ = ओ
महा + ऊर्मि = महोर्मि, रम्भा + ऊरु = रम्भोरु
महा + ऊरु = महोरु, गंगा + ऊर्मि = गंगोर्मि
अ + ऋ = अर्
देव + ऋषि = देवर्षि, सप्त + ऋषि = सप्तर्षि
आ + ऋ = अर्
महा + ऋषि = महर्षि, राजा + ऋषि = राजर्षि

अपवाद- स्व + ईर = स्वैर, अक्ष + ऊहिणी = अक्षौहिणी, प्र + ऊढ़ = प्रौढ़, सुख + ऋत = सुखार्त, दश + ऋण = दशार्ण आदि ।

(3) वृद्धि स्वर सन्धि—ऐ, औ

यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' आए तो दोनों के स्थान पर 'ऐ' और 'ओ' या 'औ' आए तो दोनों के स्थान में 'औ' हो जाते हैं । जैसे—

अ + ए = ऐ
एक + एक = एकैक, हित + एषी = हितैषी
आ + ए = ऐ
सदा + एव = सदैव, तथा + एव = तथैव
अ + ऐ = ऐ
मत + ऐक्य = मतैक्य, मम + ऐश्वर्य = ममैश्वर्य
नव + ऐश्वर्य = नवैश्वर्य
आ + ऐ = ऐ
महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य
राजा + ऐश्वर्य = राजैश्वर्य

आ + ओ	=	औ			
जल + ओका	=	जलौका,	मांस + ओदन	=	मांसोदन
परम + ओजस्वी	=	परमौजस्वी	जल + औघ	=	जलौघ
अ + औ	=	औ			
परम + औषध	=	परमौषध,	उत्तम + औषध	=	उत्तमौषध
आ + ओ	=	औ			
महा + ओज	=	महौज,	महा + ओजस्वी	=	महौजस्वी
आ + औ	=	औ			
महा + औदार्य	=	महौदार्य,	महा + औषध	=	महौषध

अपवाद—अ या आ के आगे ओष्ठ शब्द आवे तो विकल्प से ओ अथवा औ होता है, जैसे—बिंब + ओष्ठ = बिंबोष्ठ वा बिंबौष्ठ, अधर + ओष्ठ = अधरोष्ठ या अधरौष्ठ।

(4) यण स्वर सन्धि— य, र, ल, व

यदि 'इ', 'ई', 'उ', 'ऊ', 'ऋ', के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो 'इ-ई' का 'य्', 'उ-ऊ' का 'व्' और 'ऋ' का 'र्' हो जाता है। जैसे—

इ, ई + अन्य भिन्न स्वर	=	य्।			
यदि + अपि	=	यद्यपि,	अति + अन्त	=	अत्यन्त
इति + आदि	=	इत्यादि,	अति + आचार	=	अत्याचार
प्रति + उत्तर	=	प्रत्युत्तर,	प्रति + एक	=	प्रत्येक
अति + आवश्यक	=	अत्यावश्यक,	अति + उत्तम	=	अत्युत्तम
अति + ऊष्म	=	अत्यूष्म,	नदी + अम्बु	=	नद्यम्बु
देवी + आगता	=	देव्यागता,	नि + ऊन	=	न्यून
उ ऊ + अन्य भिन्न स्वर	=	व्			
मनु + अन्तर	=	मन्वतर,	सु + आगत	=	स्वागत
अनु + अय	=	अन्वय,	अनु + एषण	=	अन्वेषण
पशु + आदि	=	पश्वादि,	सु + अल्प	=	स्वल्प
अनु + इति	=	अन्विति,	अनु + आगत	=	अन्वागत
मधु + आलय	=	मध्वालय,	गुरु + ओदन	=	गुर्वोदन
गुरु + औदार्य	=	गुर्वौदार्य,	अनु + इत	=	अन्वित
ऋ + अन्य भिन्न स्वर	=	र्			
पितृ + आदेश	=	पित्रादेश,	पितृ + अनुमति	=	पित्रनुमति
पितृ + आलय	=	पित्रालय,	मातृ + आनन्द	=	मात्रानन्द
मातृ + उपदेश	=	मात्र्युपदेश।			

(5) अयादि स्वर सन्धि- अय्, आय्, अव्, आव्

यदि 'ए', 'ऐ', 'ओ', 'औ' के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो 'ए' का 'अय्', 'ऐ' का 'आय्', 'ओ' का 'अव्' और 'औ' का 'आव्' हो जाता है। उदाहरण—

ए-अय्

ने + अन = नयन,
शे + अन = शयन
चे + अन = चयन

ऐ-आय्

गै + अक = गायक,
गै + अन = गायन
नै + अक = नायक

ओ-अव्

पो + अन = पवन,
भो + अन = भवन
पो + इत्र = पवित्र,
श्रो + अन = श्रवण
गो + ईश = गवीश

औ-आव्

पौ + अन = पावन,
भौ + अन = भावन
भौ + उक = भावुक,
पौ + अक = पावक
श्रौ + अन = श्रावण,
नौ + इक = नाविक

व्यंजन सन्धि

व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन सन्धि कहते हैं। जैसे- जगत् + ईश = जगदीश, जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

(1) यदि 'क्', 'च्', 'ट्', 'त्', 'प्', के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या, य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क् च् ट् त् प् के स्थान में अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण—

दिक् + गज = दिग्गज,
दिक् + भ्रम = दिग्भ्रम
वाक् + जाल = वाग्जाल,
अच् + अन्त = अजन्त
षट् + दर्शन = षड्दर्शन,
सत् + वाणी = सद्वाणी
तत् + रूप = तद्रूप,
अप् + इन्धन = अबिन्धन
जगत् + आनन्द = जगदानन्द,
वाक् + ईश = वागीश
षट् + आनन = षडानन,
अप् + ज = अब्ज।

(2) यदि क् च् ट् त् प् के बाद म या न आये तो क्, च्, ट्, त्, प् अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। उदाहरण—

वाक् + मय = वाङ्मय,
षट् + मास = षण्मास
षट् + मार्ग = षण्मार्ग,
उत् + नति = उन्नति
जगत् + नाथ = जगन्नाथ,
अप् + मय = अम्मय

(3) यदि 'म्' के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म् का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पचम वर्ण हो जाता है । जैसे--

किम् + चित् = किंचित्, किञ्चित्
पम् + चम = पंचम, पञ्चम
अहम् + कार = अहंकार, अहङ्कार
सम् + गम = संगम, सङ्गम

(4) त् वा द् के आगे च वा छ हो तो त् वा द् के स्थान में च् होता है; ज वा झ हो तो ज्, ट वा ठ हो तो ट्; ड, वा ढ हो तो ड्; और ल हो तो ल् होता है । जैसे- शरत् + चंद्र = शरच्चद्र; उत् + चारण = उच्चारण; सत् + जन सज्जन; महत् + छत्र = महच्छत्र; विपद् + जाल = विपज्जाल; तत् + लीन = तल्लीन ।

(5) त् वा द् के आगे श हो तो त् वा द् के बदले च् और श के बदले छ होता है; और त् वा द् के आगे ह हो तो त् वा द् के स्थान में द् और ह के स्थान में ध होता है । जैसे—

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र; उत् + हार = उद्धार ।

(6) छ के पूर्व स्वर हो तो छ के बदले च्छ होता है । जैसे--

आ + छादन = आच्छादन, परि + छेद = परिच्छेद ।

(7) म् के आगे स्पर्श वर्ण हो तो म् के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आता है । जैसे—

सम् + कल्प = संकल्प वा सङ्कल्प,
किम् + चित् = किंचित् या किञ्चित्,
सम् + तोष = संतोष वा सन्तोष,
सम् + पूर्ण = संपूर्ण वा सम्पूर्ण ।

(8) म् के आगे अंतस्थ वा ऊष्म वर्ण हो तो म् अनुस्वार में बदल जाता है । जैसे—

किम् + वा = किंवा, सम् + योग = संयोग,
सम् + हार = संहार, सम् + वाद = संवाद ।

इस नियम का अपवाद भी मिलता है,—जैसे- सम् + राज् = सम्राज् (ट्) ।

(9) ऋ, र, वा ष के आगे न हो और इनके बीच में चाहे स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार य, व, ह आवे तो न का ण हो जाता है । जैसे—

भर् + अन = भरण,
भूष् + अन = भूषण, राम + अयन = रामायण
प्र + मान = प्रमाण, तृष् + ना = तृष्णा
ऋ + न = ऋण,

(10) यदि किसी शब्द के आद्य स से पूर्व अ, आ को छोड़ कोई स्वर आवे तो स के स्थान पर ष होता है । जैसे—

अभि + सेक = अभिषेक,
नि + सिद्ध = निषिद्ध, वि + सम = विषम
सु + सुप्ति = सुषुप्ति ।

यहाँ द्रष्टव्य है कि जिस संस्कृत धातु में पहले न और उसके पश्चात् ऋ या र उससे बने हुए शब्द का स पूर्वोक्त वर्णों के पीछे आने पर ष नहीं होता, जैसे—

वि + स्मरण (स्मृ-धातु) = विस्मरण
अनु + सरण (सृ-धातु) = अनुसरण
वि + सर्ग (सृज्-धातु) = विसर्ग

(11) यौगिक शब्दों में यदि प्रथम शब्द के अन्त में न् हो तो उसका लोप होता है, जैसे—

राजन् + आज्ञा = राजाज्ञा
हस्तिन् + दंत = हस्तिदंत
प्राणिन् + मात्र = प्राणिमात्र
धनिन् + त्व = धनित्व।

यहाँ द्रष्टव्य है कि अहन् शब्द के आगे कोई भी वर्ण आवे तो अन्त्य न् के बदले र होता है, पर रात्रि, रूप शब्द पर रात्रि, रूप शब्दों के आने से न का उ होता है, और संधि के नियमानुसार अ + उ मिलाकर ओ हो जाता है, जैसे—

अहन् + गण = अहर्गण, अहन् + मुख = अहर्मुख
अहन् + रात्र = अहोरात्र, अहन् + रूप = अहोरूप

विसर्ग सन्धि

विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार है उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं। जैसे तपः + वन = तपोवन, निः + अंतर = निरंतर।

(1) यदि विसर्ग के आगे च वा छ हो तो विसर्ग का श् हो जाता है, ट वा ठ हो तो ष्, और त वा थ हो तो स् होता है। जैसे—

निः + चल = निश्चल, निः + छिद्र = निश्छिद्र
धनुः + टंकार = धनुष्टंकार,
ततः + ठकार = ततष्ठकार, मनः + ताप = मनस्ताप
निः + तार = निस्तार, दुः + थल = दुस्थल

(2) विसर्ग के पश्चात् श, ष वा स आवे तो विसर्ग जैसा का तैसा रहता है अथवा उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता है। जैसे—

दुः + शासन = दुःशासन, दुश्शासन
निः + सन्देह = निःसन्देह, निस्सन्देह

(3) विसर्ग के आगे, क, ख, वा प, फ आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता, जैसे—

रजः + कण = रजःकण, पयः + पान = पयःपान

(4) यदि विसर्ग के पूर्व इ या उ हो तो क, ख, या प, फ के पहले विसर्ग के बदले ष् होता है, जैसे—

निः + कपट = निष्कपट दुः + कर्म = दुष्कर्म
निः + फल = निष्फल, दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति
दुः + कर = दुष्कर, निः + कारण = निष्कारण।
अपवाद— दुः + ख = दुःख, निः + पक्ष = निःपक्ष, निष्पक्ष।

(5) कुछ शब्दों में विसर्ग के बदले स् आता है, जैसे—

नमः + कार = नमस्कार, पुरः + कार = पुरस्कार

भाः + कर = भास्कर, भाः + पति = भास्पति ।

(6) यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे घोष व्यंजन हो तो अ और विसर्ग (अः) के बदले ओ हो जाता है । जैसे—

अधः + गति = अधोगति, मनः + योग = मनोयोग

तेजः + राशि = तेजोराशि, वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध ।

(7) यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे भी अ हो तो आ के पश्चात् दूसरे अ का लोप हो जाता है और उसके बदले लुप्त अकार का चिन्ह 'ऽ' कर देते हैं । जैसे—

प्रथमः + अध्याय = प्रथमोऽध्याय

मनः + अनुसार = मनोऽनुसार ।

(8) यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और आगे कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में र् होता है; जैसे—

निः + आशा = निराशा, दुः + उपयोग = दुरुपयोग,

निः + गुण = निर्गुण, बहिः + मुख = बहिर्मुख ।

(9) यदि र् के आगे र हो तो र् का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ कर दिया जाता है; जैसे—

निर् + रस = नीरस, निर् + रोग = नीरोग

पुनर् + रचना = पुनारचना (हिन्दी-पुनर्रचना)

कुछ प्रमुख शब्दों के सन्धिविच्छेद

	अन्तःकरण = अन्तर + करण
अन्याय = अ + नि + आय,	अभ्युदय = अभि + उदय
अन्वय = अनु + अय,	अन्तःपुर = अन्तर् + पुर
अत्यधिक = अति + अधिक,	अधीश्वर = अधि + ईश्वर
अन्योन्याश्रय = अन्य + अन्य + आश्रय	
अभीष्ट = अभि + इष्ट,	अत्याचार = अति + आचार
अन्यान्य = अन्य + अन्य,	अरण्याच्छादित = अरण्य + आच्छादित
अधोगति = अधः + गति,	अतएव = अतः + एव
अत्यन्त = अति + अन्त,	अन्तर्निहित = अन्तः + निहित
अहर्निश = अहः = निश,	अन्वेषण = अनु + एषण
अब्ज = अप् + ज,	अजन्त = अच् + अन्त
अम्मय = अप् + मय,	अभ्यागत = अभि + आगत
आत्मोत्सर्ग = आत्म + उत्सर्ग,	अन्नाभाव = अन्न + अभाव

अम्बूर्म्मि = अम्बु + ऊर्म्मि,
अत्यावश्यक = अति + आवश्यक,
अन्वित = अनु + इत,
आकृष्ट = आकृष् + त,
आच्छादन = आ + छादन,
अन्ताराष्ट्रीय (हिन्दी में-अन्तर्राष्ट्रीय) = अन्तर् + राष्ट्रीय
अन्तर्यामी = अन्तः + याम,
अहरहः = अहः + अहः,
अब्द = अप् + द
इत्यादि =इति + आदि,
ईश्वरेच्छा = ईश्वर + इच्छा,
उच्छिष्ट = उत् + शिष्ट,
उच्छ्वास = उत् + श्वास,
उद्धार = उत् + हार,
उन्नति = उत् + नति,
उद्धृत = उत् + हृत,
उद्विग्न = उत् + विग्न,
उल्लंघन = उत् + लंघन,
उद्घाटन = उत् + घाटन,
उच्चारण = उत् + चारण,
उन्मीलित = उत् + मीलित,
उन्मत्त = उत् + मत्त,
उज्ज्वल = उत् + ज्वल,
उच्छिष्ट = उत् + शिष्ट,
उन्नयन = उत् + नयन,
उद्योग = उत् + योग,
उद्भव = उत् + भव,
कृदन्त = कृत् + अन्त,
कल्पान्त = कल्प + अन्त,
किन्नर = किम् + नर,
तथैव = तथा + एव,
तल्लीन = तत् + लीन,
तद्धित = तत् + हित्,
तेजोपुंज = तेजः + पुंज,
तृष्णा = तृष् + ना,
तेजोराशि = तेजः + राशि,

अत्युत्तम = अति + उत्तम
अहंकार = अहम् + कार
आशीर्वाद = आशीः + वाद
आविष्कार = आविः + कार
आद्यन्त = आदि + अन्त
अन्तरात्मा = अन्तः + आत्मा
अधोमुख = अधः + मुख

उच्छृङ्खलता = उत् + श्रृंखल
उल्लास = उत् + लास
उन्नायक = उत् + नायक
उद्धत = उत् + हत
उन्मूलित = उत् + मूलित
उद्गम = उत् + गम
उपेक्षा = उप + ईक्षा
उत्तम = उत् + तम
उच्छिन्न = उत् + छिन्न
उदय = उत् + अय
उपर्युक्त = उपरि + उक्त
उड्डयन = उत् + डयन
उल्लेख = उत् + लेख
उन्माद = उत् + माद
एकैक = एक + एक
उद्धव = उत् + हव
कुलटा = कुल + अटा
कपीश = कपि + ईश
कवीश्वर = कवि + ईश्वर
तदाकार = तत् + आकार
तथापि = तथा + अपि
तद्रूप = तत् + रूप
तपोभूमि = तपः + भूमि
तेजोमय = तेजः + मय
तट्टीका = तत् + टीका

तपोवन = तपः + वन,
देवेन्द्र = देव + इन्द्र,
दुर्नीति + दुः + नीति,
दिग्गज = दिक् + गज,
दिग्भ्रम = दिक् + भ्रम,
दावानाल = दाव + अनल,
दुस्तर = दुः + तर,
दुर्वह = दुः + वह,
देव्यागम = देवी + आगम,
दुर्जन = दुः + जन,
नमस्कार = नमः + कार,
नद्यम्बु = नदी + अम्बु,
नारीश्वर = नारी + ईश्वर,
नद्यूर्मि = नदी + ऊर्मि,
नाविक = नौ + इक,
निश्चल = निः + चल,
निस्सृत = निः + सृत,
निराधार = निः + आधार,
निरीक्षण = निः + ईक्षण,
निरीह = निः + ईह,
निष्पाप = निः + पाप,
निर्विवाद = निः + विवाद,
निश्चिन्त = निः + चिन्त,
निर्झर = निः + झर,
निश्चय = निः + चय,
निष्प्राण = निः + प्राण,
निश्शब्द = निः + शब्द,
निर्जल = निः + जल,
निष्कारण = निः + कारण,
निस्तार = निः + तार,
निर्गुण = निः + गुण,
नीरव = निः + रव,
परमौषध = परम + औषध,
परमेश्वर = परम + ईश्वर,
पावन = पौ + अन,
पित्रादेश = पितृ + आदेश,

तिरस्कार = तिरः + कार
दुश्शासन = दुः + शासन
देवेश = देव + ईश
दुर्ग = दुः + ग
दिगम्बर = दिक् + अम्बर
दुरस्थल = दुः + स्थल
दुर्धर्ष = दुः + धर्ष
दुर्दिन = दुः + दिन
देवर्षि = देव + ऋषि
दुष्कर = दुः + कर
नारायण = नार + अयन
नदीश = नदी + ईश
न्यून = नि + ऊन
नयन = ने + अन
नायक = नै + अक
निश्छल = निः + छल
निस्सन्देह = निः + सन्देह
निस्सार = निः + सार,
निष्काम = निः + काम
निषिद्ध = निः + सिद्ध
निषिद्ध = निसिधु् + त
निस्सहाय = निः + सहाय
निरर्थक = निः + अर्थक
निरन्तर = निः + अन्तर
निर्मल = निः + मल
निर्भर = निः + भर
निरुद्देश्य = निः + उद्देश्य
निरुपाय = निः + उपाय
निष्फल = निः + फल
निर्विकार = निः + विकार
निष्कपट = निः + कपट
निरोग = निः + रोग
परमार्थ = परम + अर्थ
परमौजस्वी = परम + ओजस्वी
पावक = पौ + अक
पंचम = पम् + चम

पुरुषोत्तम = पुरुष + उत्तम,
प्रत्युत्तर = प्रति + उत्तर,
पित्रनुमति = पितृ + अनुमति,
पवन = पो + अन,
पवित्र = पो + इत्र,
प्रत्यय = प्रति + अय,
परिच्छेद = परि + छेद,
परीक्षा = परि + ईक्षा,
पदोन्नति = पद + उन्नति,
पश्वधम = पशु + अधम,
प्रोत्साहन = प्र + उत्साहन,
परन्तु = परम + तु,
प्रातःकाल = प्रात + काल,
पयोद = पयः + द,
पयःपान = पय + पान,
परमार्थी = परम + अर्थी,
भवन = भो + अन,
भाग्योदय = भाग्य + उदय,
मनोहर = मन + हर,
मनोगत = मनः + गत,
महौज = महा + ओज,
मातृण = मातृ + ऋण,
महोर्मि = महा + ऊर्मि,
मुनीन्द्र = मुनि + इन्द्र,
महाशय = महा + आशय,
मन्वन्तर = मनु + अन्तर,
महार्णव = महा + अर्णव,
महर्षि = महा + ऋषि,
मनोज = मनः + ज,
महेन्द्र = महा + इन्द्र,
मनोभाव = मनः + भाव,
मनोनुकूल = मनः + अनुकूल ।
यशोदा = यशः + दा,
यथोचित = यथा + उचित,
यशेच्छा = यशः + इच्छा,
यथेष्ट = यथा + इष्ट,

प्रत्येक = प्रति + एक
प्राङ्मुख = प्राक् + मुख
पितृच्छा = पितृ + इच्छा
पुनर्जन्म = पुनः + जन्म
पुरस्कार = पुरः + कार
प्रत्यक्ष = प्रति + अक्ष
प्रांगण = प्र + अंगण
पुनरुक्ति = पुनः + उक्ति
पीताम्बर = पीत + अम्बर
पृष्ठ = पृष् + थ
प्रतिच्छाया = प्रति + छाया
पयोधि = पयः + धि
परिष्कार = परिः + कार

प्रथमोऽध्याय = प्रथम + अध्याय
पृथ्वीश = पृथ्वी + ईश
भानूदयः = भानु + उदय
भावुक = भौ + उक
महौषध = महा + औषध
महाशय = महा + आशय
मतैक्य = मत + ऐक्य
मृण्मय = मृत् + मय,
महीन्द्र = मही + इन्द्र

महेश्वर = महा + ईश्वर
महोत्सव = महा + उत्सव
मृगेन्द्र = मृग + इन्द्र
मनोयोग = मनः + योग
महेश = महा + ईश
मनोरथ = मनः + रथ
मनोविकार = मनः + विकार

यशोधरा = यशः + धरा
यद्यपि = यदि + अपि
यशोऽभिलाषी = यशः + अभिलाषी
युधिष्ठिर = युधि + स्थिर

रमेश = रमा + ईश,
रत्नाकर = रत्न + आकर,
लोकोक्ति = लोक + उक्ति,
विपज्जाल = विपद् + जाल,
वाङ्मय = वाक् + मय,
व्यर्थ = वि + अर्थ,
वीरांगना = वीर + अंगना,
वयोवृद्ध = वयः + वृद्ध,
विद्योन्नति = विद्या + उन्नति,
वाग्जाल = वाक् + जाल,
स्वार्थ = स्व + अर्थ,
सदानन्द = सत् + आनन्द,
शंकर = शम् + कर,
सद्गुरु = सत् + गुरु,
सद्धर्म = सत् + धर्म,
सच्छास्त्र = सत् + शास्त्र,
संयोग = सम् + योग,
संवाद = सम् + वाद,
सदाचार = सत् + आचार,
संवत् = सम् + वत्,
सप्तर्षि = सप्त + ऋषि,
स्वाधीन = स्व + अधीन,
साष्टांग = स + अष्ट + अंग,
सत्याग्रह = सत्य + आग्रह,
सावधान = स + अवधान,
सन्निहित = सम् + निहित,
सद्विचार = सत् + विचार,
सदैव = सदा + एव,
समुच्चय = सम् + उत् + चय,
समुदाय = सम् + उत् + आय,
सर्वोदय = सर्व + उदय,
सूर्योदय = सूर्य + उदय,
सरय्वम्बु = सरयू + अम्बु,
स्वयम्भूदय = स्वयम्भू + उदय,
स्वर्ग = स्वः + ग,
शुद्धोदन = शुद्ध + ओदन,
षड्दर्शन = षट् + दर्शन,

रामायण = राम + अयन
राजर्षि = राज + ऋषि
वध्वैश्वर्य = वधू + ऐश्वर्य
बहिष्कार = बहिः + कार
व्यायाम = वि + आयाम
व्युत्पत्ति = वि + उत्पत्ति
वागीश = वाक् + ईश
व्याप्त = वि + आप्त
व्याकुल = वि + आकुल
वसुधैव = वसुधा + एव
स्वागत = सु + आगत
सुरेन्द्र = सुर + इन्द्र
शिरोमणि = शिरः + मणि
सद्भावना = सत् + भावना
सज्जन = सत् + जन
संकल्प = सम् + कल्प
सन्तोष = सम् + तोष
संचय = सम् + चय
संसार = सम् + सार
संभव = सम् + भव
सीमान्त = सीमा + अन्त
संयम = सम् + यम
सतीश = सती + ईश
समन्वय = सम् + अनु + अय
साश्चर्य = स + आश्चर्य
सर्वोत्तम = सर्व + उत्तम
संगठन = सम् + गठन
सच्चरित्र = सत् + चरित्र
सद्भाव = सत् + भाव
सन्धि = सम् + धि
सरोज = सरः + ज
सरोवर = सरः + वर
सद्वाणी = सत् + वाणी
समुद्रोर्म्मि = समुद्र + ऊर्म्मि
शस्त्रास्त्र = शस्त्र + अस्त्र
शशांक = शश + अंक
श्रेयस्कर = श्रेयः + कर ।

समास

परस्पर अन्वय—विशिष्ट दो या अधिक पदों का मिलकर एक होना समास कहलाता है। समास का विपरीत शब्द है व्यास। वाक्य की सहायता से विश्लेषित शब्दों को व्यास वाक्य अथवा विग्रह-वाक्य कहते हैं। जैसे—कमलनयन एक समास है। कमल के समान जो नयन है—यह व्यास-वाक्य अथवा विग्रह वाक्य है।

सन्धि और समास में अन्तर

(1) समास में कई पदों का योग होता है, जब कि सन्धि में कई वर्णों का योग होता है।

(2) समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिये जाते हैं। सन्धि में दो वर्णों में मेल और विकार संभावित होता है, जब कि समास में यह मेल और विकार नहीं होता।

(3) सन्धि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जब कि समास का विग्रह होता है। जैसे—नीलाम्बर में दो पद हैं—नीला और अम्बर। सन्धि विच्छेद होगा- नीला + अम्बर। समास विग्रह होगा नीला है जो अम्बर = नीलाम्बर।

समास के मुख्य छः भेद बताए गये हैं—(1) तत्पुरुष (2) कर्मधारय, (3) द्वन्द्व, (4) द्विगु, (5) बहुव्रीहि, (6) अव्ययीभाव।

तत्पुरुष समास

इसमें उत्तरपद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्वपद की विभक्ति का लोप होता है और उत्तरपद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके छः प्रभेद होते हैं- द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। उदाहरण—(विग्रह के साथ)।

द्वितीया तत्पुरुष—देशगत—देश को गया हुआ, गंगाप्राप्त—गंगा को प्राप्त, गिरहकट—गिरह को काटने वाला, पाकिटमार—पाकिट को मारने वाला, चिड़िमार—चिड़ियों को मारने वाला, जेबकतरा—जेब को कतरने वाला आदि।

तृतीया तत्पुरुष—आचारहीन—आचार से हीन, धनहीन—धन से हीन, कर्महीन—कर्म से हीन, श्रीयुक्त—श्री से युक्त, शोकाकुल—शोक से आकुल, गुनभरा—गुन से भरा हुआ, मनमाना—मन से माना आदि।

चतुर्थी तत्पुरुष—रेलभाड़ा—रेल के लिए भाड़ा, ठाकुरसुहाती—ठाकुर के लिए अच्छी लगने वाली बात, रसोईघर—रसोई के लिए घर, पुत्रहित—पुत्र के लिए हित, पुत्रशोक—पुत्र के लिए शोक, हथकड़ी—हाथ के लिए कड़ी।

पंचमी तत्पुरुष—जलजात—जल से जात (उत्पन्न), आकाशवाणी, आकाश से वाणी, ऋणमुक्त—ऋण से मुक्त, देशनिकाला—देश से निकाला हुआ, जन्मरोगी—जन्म से रोगी, कामचोर—

काम से अपने को चुराने वाला, गुरुभाई—गुरु से पढ़कर भाई, पापमुक्त—पाप से मुक्त, पदच्युत—पद से च्युत, अग्निभय—आग से भय ।

षष्ठी तत्पुरुष—देवराज—देवों का राजा, विश्वविद्यालय—विश्व का विद्यालय, कालिदास—काली का दास, लखपति—एक लाख का पति, ठाकुरवाड़ी—ठाकुर की बाड़ी, घुड़दौड़—घोड़ों की दौड़, चायबागान— चाय का बागान, हिन्दुस्थान—हिन्दुओं का स्थान, गजराज—गजों का राजा, राजवंश—राजा का वंश, प्रजापति—प्रजाओं का पति, पशुपति— पशुओं का पति, गुरुसेवा—गुरु की सेवा, यमलोक—यम का लोक ।

सप्तमी तत्पुरुष—घरवास—घर में वास, आपबीती—अपने पर बीती, कर्मपटु—काम में पटु, शास्त्र-प्रवीण—शास्त्र में प्रवीण, नराधम—नरों में अधम, जलमग्न—जल से मग्न, क्षत्रियाधम—क्षत्रियों में अधम, नगरवास—नगर में वास, पुरुषोत्तम—पुरुषों में उत्तम, साहित्यरत्न—साहित्य में रत्न, साहित्य-विशारद—साहित्य में विशारद ।

नञ् समास

यह भी तत्पुरुष समास का ही एक प्रभेद माना जाता है । नञ् अव्यय के आथ जो समास होता है उसे नञ् तत्पुरुष समास कहते हैं । नञ् 'नहीं' या 'न' का वाचक है । यह व्यंजनादि शब्दों में 'अ' में और स्वरादिक शब्दों में 'अन्' में बदल जाता है । जैसे—अनन्त, अधर्म आदि । नीचे विग्रह सहित उदाहरण दिये जा रहे हैं—

अनुचित—न उचित, अनन्य—न अन्य, अनेक—न एक, अस्थिर—न स्थिर, अधीर—न धीर, असाधु—न साधु आदि । अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं—अनजान, अधूरा, अनभल, अनबन, अनहोनी, अनचिह्न, अनदेखी ।

उपपद तत्पुरुष—संस्कृत के कृत् प्रत्ययों के साथ जो समास होता है उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं । विग्रह के साथ उदाहरण—पादप—पैर से पीने वाला, कुंभकार—कुंभ को बनाने वाला, करद—कर देने वाला, द्रुतगामी—तेज चलनेवाला, पंकज—पंक से जन्म लेने वाला, जलज—जल से जन्म लेने वाला, अनुज—पीछे जन्म लेने वाला, मधुप—मधु को पीने वाला, काव्यकार—काव्य बनाने वाला । कुछ हिन्दी के उदाहरण इस प्रकार हैं :—गछचढ़ा—गाछ पर चढ़ने वाला, कटफोरवा— काठ को फोड़ने वाला, तिलचट्टा—तिल को चाटने वाला ।

अलुक् तत्पुरुष—समास होने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है । जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक् तत्पुरुष समास कहते हैं । विग्रह के साथ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—मनसिज—मन में जन्म लेने वाला, युधिष्ठिर—युद्ध में स्थिर रहनेवाला, सरसिज—सर में जन्म लेने वाला, अन्तेवासी—अन्ते (निकट) में रहने वाला (शिष्य), खेचर—खे (आकाश) में चलने फिरने वाला ।

प्रादि समास

यह तत्पुरुष का ही रूपान्तर है । जिसके पूर्व में प्र, परा, अप्, सम् आदि उपसर्ग हों, वह प्रादि

समास कहलाता है, अर्थात् पूर्व में उपसर्ग और पश्चात् कृदन्त पद से बनने वाला समास प्रादि समास कहलाता है। जैसे—प्रखर, प्रताप, प्रगाढ़, प्रपितामह, अनुताप, प्रभात, अभिमुख, उद्वेल आदि।

नित्य समास

इसमें प्रायः अन्त में अर्थ या अन्तर लगा रहता है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं—दर्शनार्थ—दर्शन के लिए, विषयान्तर—अन्य विषय, पाठान्तर—अन्य पाठ, देशान्तर—अन्य देश, जन्मान्तर—अन्य जन्म, मृगयार्थ—मृगया के लिए यह, आदि।

कर्मधारय समास

इसे भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद मानते हैं। जिसका पूर्वपद विशेषण और अन्त्यपद विशेष्य है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे—नीलाकाश (नीला है जो आकाश) में पूर्वपद 'नीला' है जो उत्तरपद 'आकाश' का विशेषण है। अन्य उदाहरण :—

परमहंस, नीलकमल, महादान, महात्मा, पीताम्बर, नीलाम्बर, लाल टोपी, हेडमास्टर, लाटसाहब, महारानी, नीलगाय, लालकनेर, खासमहल, कालीमिर्च आदि।

मध्यमपदलोपी कर्मधारय समास

इसे लुप्तपद भी कहते हैं। वस्तुतः जिस समास में पूर्वपद का उत्तरपद से सम्बन्ध बतानेवाला शब्द अध्याहृत रहता है उसे मध्यमपदलोपी कहते हैं। जैसे—शाकपार्थिव— शाकप्रिय पार्थिव, यहाँ 'प्रिय' शब्द लुप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण—पर्णशाला—पर्ण निर्मित शाला, स्वर्णहार—सोने का बना हार, सिंहासन—सिंह-चिह्नित आसन, स्वर्णकंगन—स्वर्ण निर्मित कंगन, मनीबेग, दहीबड़ा, जीवनबीमा, बनमानुष, घोड़ा गाड़ी, नोन-भात, घी-भात, गोबरगणेश, आमदरबार आदि।

उपमान कर्मधारय

उपमेय में जहाँ उपमान का गुण वर्त्तमान रहता है वहाँ उपमान कर्मधारय समास होता है। उदाहरण—चन्द्रमुख—चाँद के सदृश मुख, घनश्याम—घन के समान श्याम, कुसुमकोमल—कुसुम के समान कोमल, वज्रकठोर—वज्र के समान कठोर, मृगचपल—मृग के समान चपल, चरणकमल—कमल के समान चरण, पाणिपल्लव आदि।

कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण

शोकानल—शोकरूपी अनल, विद्याधन—विद्यारूपी धन, शोकसागर—शोक रूपी सागर, भवसागर—भवरूपी सागर, भवपाश, आशालता, वचनामृत, भक्तिसुधा, विरहसागर, मुखचन्द्र, करपल्लव, नरसिंह, नयनकमल आदि।

द्विगु समास

जिस समास का पूर्वपद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे—द्विगु- दो गायें देकर खरीदा हुआ। पंचगु—पाँच गायें देकर खरीदा हुआ। शतगु, त्रिभुवन—तीनों भुवनों का समाहार। त्रिफला, त्रिमूर्ति, नवरत्न, चतुष्पदी, सप्तपदी, पंचपात्र, नवग्रह, पंचवटी, नमाही, छमाही, दोपहर, चौमाह, बारहमासा, त्रिमुहानी, चौअन्नी, द्विमासजात, पञ्चहस्तप्रमाण आदि।

द्वन्द्व समास

जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों पदों के अर्थ प्रधान हों, उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। उदाहरण—गौरीशंकर, गौरी और शंकर। सीताराम—सीता और राम। पाप-पुण्य—पाप और पुण्य। राधाकृष्ण, हरिहर, पितापुत्र, लोटा-डोरी, गाय-बैल, आज-कल, आना-जाना, भाई-बहन, दाल-भात, नखदन्त, रुपया-पैसा, भूल-चूक, हाथ-पैर, राम-लक्ष्मण आदि। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि इनमें दोनों पदों के अर्थ प्रधान हैं।

बहुव्रीहि समास

जिस समास में अन्य पदार्थ प्रधान हों; उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि का अर्थ है—बहुत है व्रीहि (धान्य) जिसके वह। उदाहरण—नीलकण्ठ- नीला है कण्ठ जिसका अर्थात् शंकर जी। दिगम्बर-दिशाएँ हैं वस्त्र जिसके अर्थात् शिव जी। पीताम्बर- पीला है वस्त्र जिसका अर्थात् श्रीकृष्ण। नीलाम्बर- नीला है वस्त्र जिसका अर्थात् बलराम, छिन्नबाहु, दशानन। चक्रपाणि- चक्र है हाथ में जिसके अर्थात् विष्णु। शूलपाणि—शूल है हाथ में जिसके अर्थात् महादेव। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं—चन्द्रमौलि, चन्द्रेशखर, वीणापाणि, वज्रपाणि, वज्रदेह, पद्मनाभ। मृगनयनी- मृग की आँखों की तरह आँखें हैं जिस स्त्री की। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं—मृगाक्षी, मीनाक्षी, चन्द्रवदनी, चन्द्रमुखी। अन्य उदाहरण—पञ्चानन, षडानन, सहस्रानन।

अव्ययीभाव समास

जिस समास में पूर्वपद अव्यय रहता है और अव्यय का अर्थ ही प्रतीयमान होता है। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे—सामीप्य, सादृश्य, अभाव, असम्पत्ति, पश्चात्, योग्यता, वीप्सा, विभक्ति, समृद्धि आदि अर्थों में अव्ययीभाव समास होता है। उदाहरण—

सामीप्य के अर्थ में—उपकूल—कुल के समीप। उपकण्ठ—कण्ठ के समीप। उपनगर—नगर के समीप। उपकृष्ण—कृष्ण के समीप।

अन्य उदाहरण—अनुवर्ण, अनुगमनं, अतिकष्ट, यथाशक्ति, यथासाध्य, आजन्म, आसमुद्र, आमरण, प्रतिदिन, प्रतिगृह, हररोज आदि।

कारक और विभक्तियाँ

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका (संज्ञा या सर्वनाम) सम्बन्ध सूचित हो, उसे (उस रूप को) कारक कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब 'ने', 'से', 'को' आदि विभक्तियाँ लगती हैं, तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। इसी स्थिति में वे 'पद' बनते हैं और पद बनकर ही वे वाक्य के दूसरे शब्दों या क्रिया से लगाव रख पाते हैं। 'ने', 'को' आदि विभिन्न कारकों की विभक्तियाँ हैं जिनके लगने पर ही कोई शब्द कारक-पद बन पाता है। कारक-पद अथवा क्रियापद बनने पर ही कोई शब्द वाक्य में बैठ सकता है। जैसे—राम ने खारे जल के समुद्र पर बन्दरों से पुल बँधवा दिया। यहाँ 'राम ने', 'समुद्र पर', 'जल के', 'बन्दरों से', 'पुल' संज्ञाओं के कारक हैं। 'ने', 'पर' आदि विभक्तियों से युक्त शब्द ही कारक हैं।

कारक का अर्थ है 'करनेवाला'। 'करनेवाला' कोई क्रिया ही सम्पादित करता है। इस प्रकार कारक का सम्बन्ध कार्य अर्थात् क्रिया से है। वाक्य में प्रयुक्त उस नाम (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) को कारक कहते हैं जिसका अन्वय (सम्बन्ध) क्रिया या कृदन्त क्रिया के साथ होता है। हिन्दी में कारक आठ हैं—कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन। संस्कृत में कारक के छः ही भेद माने गए हैं। संस्कृत में सम्बन्ध और सम्बोधन को कारक नहीं माना गया है। वस्तुतः वहाँ कारक और विभक्ति को पृथक्-पृथक् माना जाता है। किन्तु हिन्दी में तो कारक और विभक्ति को एक मानने की चाल है।

हिन्दी की विभक्तियाँ

कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्ति से बना शब्दरूप 'विभक्त्यन्त शब्द' या 'पद' कहलाता है। हिन्दी कारकों की विभक्तियों के चिह्न—

कारक	विभक्तियाँ
कर्त्ता (Nominative)	O, ने
कर्म (Objective)	O, को
करण (Instrumental)	से
सम्प्रदान (Dative)	को, के लिए
अपादान (Ablative)	से
सम्बन्ध (Genitive)	का, के, की, रा, रे, री
अधिकरण (Locative)	में, पै, पर
सम्बोधन (Addressive)	O, हे, अहो, अजी, अरे।

विभक्तियों का प्रयोग

हिन्दी में दो प्रकार की विभक्तियाँ हैं—(1) विश्लिष्ट, (2) संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आनेवाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं अर्थात् वे संज्ञाओं से अलग रहती हैं। जैसे—राम ने, टेबुल पर, लड़कियों को, लड़कों के लिए आदि। सर्वनामों के साथ विभक्तियाँ संश्लिष्ट होती हैं अर्थात् मिली होती हैं। जैसे- मेरा, तेरा, तुम्हारा, उन्हें, तुमको आदि। तुम्हारे लिए = तुम + के लिए।

कर्त्ता कारक

वाक्य में जो शब्द काम करनेवाले के अर्थ में आता है उसे 'कर्त्ता' कहते हैं। जैसे—राम खाता है। इसमें खाने का काम राम कर रहा है। अतः 'राम' ही कर्त्ता है। 'ने' इसकी विभक्ति है। वाक्य में दो रूपों में कर्त्ता का प्रयोग होता है—(1) जिसमें 'ने' विभक्ति नहीं लगती अर्थात् जिसमें कर्त्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं। इसे अप्रत्यय कर्त्ताकारक कहते हैं। जैसे—राम खाता है—में क्रिया 'खाता है' है जो कर्त्ता 'राम' के लिंग और वचन के अनुसार है। जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्त्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ 'ने' विभक्ति लगती है। यह सप्रत्यय कर्त्ताकारक है। जैसे—'राम ने मिठाई खाई' में क्रिया 'खायी' कर्म 'मिठाई' के अनुसार है। कर्त्ता के 'ने' चिह्न का प्रयोग—

(1) जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, संदिग्ध भूत और हेतुहेतुमद्भूत कालों के कर्मवाच्य में हो तो 'ने' का प्रयोग होता है। जैसे—

आसन्नभूत—मोहन ने रोटी खायी।

पूर्णभूत—राम ने रोटी खायी थी।

संदिग्धभूत—श्याम ने रोटी खायी होगी।

हेतुहेतुमद्भूत—राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि केवल अपूर्णभूत को छोड़कर शेष पाँच भूतकालों में 'ने' चिह्न का प्रयोग होता है।

(2) जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्णभूत को छोड़कर अन्य सभी भूतकालों में कर्त्ता के साथ 'ने' का प्रयोग होता है। जैसे—

राम ने खा लिया। मोहन ने उत्तर कह दिया। इन वाक्यों में 'खा लिया' और 'कह दिया' संयुक्त क्रियाएँ हैं। इसके दोनों खंड सकर्मक हैं।

(3) अकर्मक क्रिया में प्रायः 'ने' विभक्ति नहीं लगती, किन्तु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएँ हैं जिनमें 'ने' चिह्न का प्रयोग अपवादरूप में होता है; जैसे— नहाना, छींकना, खाँसना, थूकना। ऐसी क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता है। उदाहरण—

उसने नहाया। राम ने थूका। राम ने खांसा। उसने छींका।

(4) जब अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक बन जायें तो 'ने' चिह्न का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। जैसे—

राम ने लड़ाई लड़ी। राम ने टेढ़ी चाल चली।

(5) प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में 'ने' का प्रयोग होता है। उदाहरण—मैंने उसे पढ़ाया। उसने एक रुपया दिलवाया।

निम्न रूपों में 'ने' चिह्न का प्रयोग नहीं होता है—

(1) **सकर्मक क्रियाओं के कर्त्ता के साथ वर्तमान और भविष्यत्काल में 'ने' चिह्न का प्रयोग** नहीं होता। उदाहरण—राम रोटी खाता है। राम रोटी खाएगा।

(2) **कुछ सकर्मक क्रियाओं, जैसे—बकना, बोलना, भूलना के सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, संदिग्धभूतकालों में अपवादस्वरूप कर्त्ता में 'ने' चिह्न का प्रयोग नहीं होता।**

उदाहरण—मैं बोला। मैं भूला। वह भूला। वह बका।

(3) संयुक्त क्रिया का अन्तिम खण्ड यदि अकर्मक हो तो उसमें 'ने' का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण—

राम पुस्तक ले आया। उसे रेडियो ले जाना है। मैं खा चुका हूँगा।

(4) जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएँ आती हैं उनमें 'ने' का प्रयोग नहीं होता है। जैसे -राम खा चुका। वह पानी पीने लगा। मुझे बनारस जाना है।

कर्मकारक

इसका चिह्न 'को' है। कभी-कभी 'को' के स्थान पर 'ए' प्रत्यय भी जुड़ता है; जैसे—'मुझको उसकी तलाश थी, वाक्य को 'मुझे उसकी तलाश थी' भी कहा जाता है। यदि कर्म निर्जीव हो तो सामान्यतः 'को' चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण—

राम चित्र बनाता है।
कुछ कोयले ले आओ।
सीता पत्थर तोड़ती है।

निर्जीव कर्म के साथ प्रयुक्त 'को' चिह्न दिशासूचक होता है। जैसे—वह घर को गया।

करण कारक

इसका चिह्न 'से' है। जिस साधन से कार्य का करना या होना पाया जाय, उसके बाद 'से' चिह्न का प्रयोग होता है। कभी-कभी इस कारक में 'द्वारा' या 'साथ' का भी प्रयोग होता है। उदाहरण—

चाकू से तरकारी काटो।
तुम तार द्वारा मुझे सूचित करना।
राम को उसके साथ भेज दिया करो।

यदि करण कारक बहुवचन में है तो कभी-कभी 'से' का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे—

अब आप खेल का आँखों देखा हाल सुनिए। (आँखों = आँखों से)।
मैं इस काम को अपने हाथों करना चाहता हूँ। (हाथों = हाथ से)।

संप्रदान कारक

इसका चिह्न है—'को', 'के लिए' । जिसे कोई वस्तु दी जाती हो या जिसके लिए कार्य किया जाता हो, उसके बाद 'को' या 'के लिए' का प्रयोग होता है—

उदाहरण—

बच्चे को जूता पहनाओ । राम के लिए पुस्तक लानी है ।

जहाँ पर एक ही वाक्य में संप्रदान कारक में दो संज्ञाएँ आ जाती हैं, वहाँ दोनों के बाद 'को-को' या 'के लिए- के लिए' परसर्गों का प्रयोग न करके एक के बाद 'को' तथा दूसरी संज्ञा के बाद 'के लिए' परसर्ग का प्रयोग अच्छा रहता है ।

उदाहरण—

'पिताजी ने मुझको पैसे दिए और तुमको मिठाई रखी हुई है'—इससे यों कहना अच्छा रहता है—'पिताजी ने मुझको पैसे दिए और तुम्हारे लिए मिठाई रखी हुई है ।'

अपादान कारक

इसका भी चिह्न 'से' है । किन्तु करण कारक से भिन्न है । जिस संज्ञा से क्रिया निकले या अलग हो वहाँ अपादान कारक का प्रयोग होता है । करण कारक में दो संज्ञाओं की निकटता या साहचर्य का भाव है, जब कि अपादान में दूरी या अलगाव का भाव होता है ।

उदाहरण—

करण कारक—'से'

(1) वह पेड़ की डाल 'से' लिपटा है ।

(2) वह डंडे से मार रहा है ।

अपादान कारक—'से'

(1) वह पेड़ की डाल 'से' गिर पड़ा ।

(2) धनुष 'से' बाण निकल रहे हैं ।

सम्बन्ध कारक- का, के, की

इनके द्वारा अवस्था, नाते-रिश्ते, स्वामित्व, माप, कर्त्ता-कर्म, कारण-कार्य, जनक-जन्य आदि अनेक सम्बन्ध व्यक्त होते हैं ।

उदाहरण—

(1) बीस वर्ष की युवती । (अवस्था का सम्बन्ध)

(2) श्याम की बहन । (नाते-रिश्ते का सम्बन्ध)

(3) पाँच एकड़ की भूमि । (माप का सम्बन्ध)

(4) मोहन का ग्रंथ । (स्वामित्व का सम्बन्ध)

(5) सोने के कंगन । (कारण-कार्य सम्बन्ध)

(6) तुलसी का रामचरित मानस । (कर्त्ता-कर्म सम्बन्ध)

(7) राम की पुत्री । (जनक-जन्य-सम्बन्ध)

अधिकरण कारक

इसके परसर्ग हैं— 'में, पर'। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कहलाता है। कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम का आधार हो तो उसके बाद 'में या पर' परसर्ग का प्रयोग होता है। इस आधार के दो भेद हैं—

(1) **भीतरी आधार**—यहाँ 'में' परसर्ग प्रयुक्त होता है। 'में' का अर्थ 'भीतर' ही होता है। जैसे—तिल में तेल, पॉकेट में रुपए, ग्लास में पानी, मन्दिर में मूर्ति आदि।

(2) **बाहरी आधार**—'पर' बाहरी अथवा ऊपरी आधार का परसर्ग है। जैसे—टेबुल पर किताब है। डाल पर चिड़िया बैठी है।

संबोधन कारक

इसका क्रिया से सम्बन्ध नहीं होता है, वाक्यगत अन्य शब्दों से भी इसका सम्बन्ध नहीं होता। परसर्ग के स्थान पर इसमें सम्बोधित संज्ञा या सर्वनाम से पश्चात् विस्मयादिबोधक चिन्ह (!) लगाया जाता है। इसके साथ ही शुरू में 'हे, अरे, अरी' आदि विस्मयसूचक अव्यय जोड़ दिए जाते हैं, जैसे— हे बालको ! अरे लड़को ! रे शठ !

लिंग (GENDER)

लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है- चिह्न या निशान। किसी संज्ञा का ही चिह्न या निशान होता है। अतः संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे व्याकरण में 'लिंग' कहते हैं। हिन्दी में दो ही लिंग होते हैं—पुल्लिग और स्त्रीलिंग। यों संस्कृत में तीन लिंग होते हैं—पुल्लिग, स्त्रीलिंग, नपुसंकलिंग।

लिंग-निर्णय

(क) निम्नलिखित अवस्थाओं में संस्कृत के तत्सम शब्द पुलिंग होते हैं—

(1) जिन संज्ञाओं के अन्त में 'त्र' होता है, जैसे—पात्र, क्षेत्र, चित्र, नेत्र, शस्त्र, चरित्र आदि।

(2) नान्त संज्ञाएँ पु० होती हैं, जैसे—वचन, नयन, पालन, पोषण, शमन-दमन आदि।

अपवाद—पवन उभयलिंग है।

(3) 'ज'- प्रत्ययांत संज्ञाएँ पु० होती हैं—पिण्डज, सरोज, जलज, स्वेदज, ऊष्मज।

(4) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अन्त में त्व, त्य, व, र्य होता है, जैसे—बहुत्व, सतीत्व, पत्नीत्व, कृत्य, नित्य, गौरव, लाघव, धैर्य, माधुर्य आदि।

(5) जिन शब्दों के अन्त में 'आर', 'आय' या 'आस' हो; जैसे—विस्तार, संसार, विकार, समुदाय, अध्याय, उपाय, उल्लास, विकास, हास आदि ।

अपवाद—सहाय (उभयलिंग), आय (स्त्रीलिंग)

(6) 'अ'- प्रत्ययान्त संज्ञाएँ पुल्लिग होती हैं—त्याग, पाक, क्रोध, मोह, दोष आदि ।

अपवाद—जय (स्त्री), विनय (उभयलिंग) ।

(7) 'त'- प्रत्ययान्त संज्ञाएँ पु० होती हैं, जैसे—मत, गीत, गणित, चरित, स्वागत आदि ।

(8) जिनके अन्त में 'ख' होता है वे पु० होते हैं जैसे—सुख, दुख, नख, लेख, मुख, मख, शंख आदि ।

(ख) निम्नलिखित अवस्थाओं में संस्कृत के तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे—

(1) आकारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं—कृपा, लज्जा, माया, दया, क्षमा, शोभा आदि ।

(2) नाकारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं, जैसे—रचना, वेदना, प्रस्तावना, प्रार्थना, घटना आदि ।

(3) उकारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं, जैसे—मृत्यु, आयु, वायु, रेणु, रज्जु, वस्तु, धातु, ऋतु, आदि ।

अपवाद—मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु आदि ।

(4) जिनके अन्त में 'ति' अथवा 'नि' हो तो वे स्त्री० होती हैं । जैसे—जाति, रीति, गति, मति, हानि, योनि, ग्लानि, बुद्धि, सिद्धि, ऋद्धि (सिध् + ति = सिद्धि) आदि ।

(5) 'ता' प्रत्ययान्त' भाववाचक संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं । जैसे—सुन्दरता, प्रभुता, लघुता, नम्रता आदि ।

(6) 'इमा'- 'प्रत्ययान्त' शब्द स्त्री० होते हैं—कालिमा, लालिमा, महिमा, गरिमा ।

(7) इकारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं—राशि, अग्नि, छवि, केलि, विधि, निधि ।

अपवाद—गिरि, बलि, वारि, जलधि, पाणि, अद्रि इत्यादि ।

हिन्दी के तद्भव शब्दों का लिंग निर्णय

तद्भव पुल्लिग शब्द—

(1) ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष आकारान्त संज्ञाएँ पुल्लिग होती हैं जैसे—चमड़ा, पहिया, कपड़ा, गन्ना, आटा, पैसा आदि ।

(2) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अन्त में ना, आव, पन, वा, पा होता है, वे पु० होती हैं । जैसे—गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, बढ़ापा आदि ।

(3) कृदन्त की आनान्त संज्ञाएँ पु० होती हैं जैसे—खान, पान, नहान, उठान, मिलान, लगान आदि ।

तद्भव स्त्रीलिंग शब्द—

(1) ईकारान्त संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—रोटी, टोपी, चिट्ठी, नदी, उदासी आदि ।

अपवाद—पानी, घी, दही, मही, मोती, जी आदि शब्द पुल्लिग होते हैं ।

(2) तकारान्त संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—लात, बात, छत, भीत, रात, पत आदि।

अपवाद—सूत, खेत, गात, दाँत, भात आदि शब्द पुल्लिग होते हैं।

(3) ऊनवाचक याकारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं। जैसे—पुड़िया, डिबिया, फुड़िया, खटिया, ठिलिया आदि।

(4) ऊकारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं। जैसे—बालू, लू, दारू, व्यालू, झाड़ू, गेरू आदि।

अपवाद—आलू, आँसू, रतालू, टेसू आदि शब्द पुल्लिग होते हैं।

(5) अनुस्वारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं। जैसे—सरसों, खड़ाऊँ, भौं, चूँ आदि।

अपवाद—कोदों, गेहूँ आदि।

(6) सकारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं। जैसे—प्यास, वास, साँस, मिठास, रास (लगाम) आदि।

अपवाद—रास (नृत्य), विकास, काँस आदि शब्द पुल्लिग होते हैं।

(7) कृदन्त की नकारान्त संज्ञाएँ जिनका उपान्त्य वर्ण अकारान्त हो अथवा जिनकी धातु नकारान्त हो। जैसे—सूजन, रहन, जलन, उलझन, पहचान आदि।

अपवाद—चलन।

(8) कृदन्त की अकारान्त संज्ञाएँ स्त्री० होती हैं। जैसे—लूट, मार, समझ, दौड़, सँभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार आदि।

अपवाद—खेल, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार आदि।

(9) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अन्त में ट, वट, हट होता है वे स्त्री० होती हैं। जैसे—सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट आदि।

(10) जिन संज्ञाओं के अन्त में ख होता है वे स्त्री० होती हैं। जैसे—राख, चीख, भूख, ईख, काँख, कोख, साख, देखरेख आदि।

अपवाद—पाख, रुख।

अप्राणिवाचक हिन्दी पुल्लिग शब्द

(1) शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिग होते हैं। जैसे—हाथ, पाँव, कान, मुँह, दाँत, ओठ, गाल, मस्तक, तालु, बाल, अँगूठा, नाखून आदि।

अपवाद—नाक, आँख, जीभ, कोहनी, कलाई, ठोड़ी, खाल, बाँह, नस, हड्डी, इन्द्रिय, काँख।

(2) रत्नों के नाम पुल्लिग होते हैं। जैसे—मोती, माणिक, पन्ना, जवाहर, मूँगा, नीलम, पुखराज, लाल आदि।

अपवाद—चुन्नी, लालड़ी, मणि आदि।

(3) अनाज के नाम पुल्लिग होते हैं । जैसे—बाजरा, चना, मटर, जौ, गेहूं, चावल, तिल, आदि ।

अपवाद—अरहर, मूँग, खेसारी, मकई, जुआर आदि ।

(4) धातुओं के नाम पुल्लिग होते हैं । जैसे—सोना, सीसा, काँसा, ताँबा, लोहा, राँगा, पीतल, टीन, रूपा आदि ।

अपवाद—चाँदी ।

(5) पेड़ों के नाम पुल्लिग होते हैं । जैसे—आम, शीशम, बड़, पीपल, देवदारु, चीड़, सागौन, कटहल, अमरूद, नीबू, शरीफा, सेव, तमाल, अशोक, अखरोट आदि ।

(6) द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिग होते हैं । जैसे—पानी, घी, तेल, सिरका, आसव, काढ़ा, रायता, अर्क, शर्बत, इत्र आदि ।

(7) भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिग होते हैं । जैसे—द्वीप, पर्वत, समुद्र, रेगिस्तान, नगर, देश, प्रान्त, वायुमण्डल, नभोमण्डल, सरोवर, पाताल आदि ।

अपवाद—पृथ्वी, झील, घाटी आदि ।

अप्राणिवाचक हिन्दी स्त्रीलिंग शब्द

(1) खाने-पीने की चीजें स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—पकौड़ी, रोटी, दाल, कचौडी, पूड़ी, खीर, खिचड़ी, सब्जी, तरकारी, चपाती आदि ।

अपवाद—दही, रायता, पराठा, हलुआ, भात आदि ।

(2) नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं । जैसे—भरणी, अश्विनी, रोहिणी आदि ।

अपवाद—मंगल, बुध आदि ।

(3) नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं । जैसे—गंगा, गोदावरी, यमुना, महानदी, सतलज, रावी, व्यास, झेलम इत्यादि ।

अपवाद—सिंधु, ब्रह्मपुत्र, शोण नद हैं, इसलिए पुल्लिग हैं ।

(4) बनिए की दूकान की चीजें स्त्रीलिंग होती हैं । जैसे—लौंग, इलायची, दालचीनी, मिर्च, चिरौंजी, हल्दी, जावित्री, सुपारी, हींग आदि ।

अपवाद—धनिया, जीरा, गर्ममसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर इत्यादि ।

हिन्दी के उभयलिंगी शब्द

हिन्दी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिग दोनों में प्रयुक्त होते हैं । अर्थ के अनुसार इनका लिंग बदल जाता है । जैसे—

(1) कल—पु० आगामी दिन, स्त्री० चैन, आराम ।

(2) यदि—पु० संन्यासी, स्त्री० विराम ।

(3) कोटि—पु० करोड़, स्त्री० श्रेणी ।

(4) टीका—पु० तिलक, स्त्री० टिप्पणी, अर्थ ।

(5) पीठ—पु० पीढ़ा, स्थान, स्त्री० पृष्ठभाग ।

(6) विधि—पु० ब्रह्मा, स्त्री० ढंग, प्रणाली ।

(7) बाट—पु० बटखरा, स्त्री० मार्ग, इन्तजार ।

(8) शान—पु० औजार तेज करने का पत्थर, स्त्री० ठाट-बाट, प्रभुत्व ।

(9) दाद—पु० चर्मरोग, स्त्री० प्रशंसा ।

(10) ताक—पु० ताखा, स्त्री० खोज, टोह ।

(11) धूप—पु० सुगन्धित धुआँ, स्त्री० सूर्य का प्रकाश ।

(12) हार—पु० माला, स्त्री० पराजय ।

(13) शाल—पु० वृक्ष विशेष, स्त्री० दुशाला ।

इसी प्रकार अन्य शब्दों के लिंगभेद दिए जा रहे हैं—

शब्द	पुल्लिग होने पर अर्थ	स्त्री० होने पर अर्थ
काँच	शीशा	धोती का छोर, अथवा गुदा-अंग ।
कुशल	प्रवीण	खैरियत
खराद	यन्त्र	खरादने की क्रिया
खूँट	छोर	कान का मैल
खान	पठान	खनि
गाज	फेन	बिजली, ठनका
घाव	चोट	दाँव-पेंच
चटक	पक्षी	चमक-दमक
चाप	धनुष	दबाव, पैरों की आहट
चिक	बूचर	खपाचियों से बना पर्दा
चूड़ा	कंगन, चिउड़ा	चोटी
छाजन	आच्छादन	छाने का काम, ढंग
झाल	बाजा	लहर
झाड़	झाड़ी	झाड़ने की क्रिया
ताख	ताखा	ताकने की क्रिया
दून	घाटी, तराई	दुगुना
धातु	शब्द का मूल	खनिज, वीर्य
नस	नस्य, सुँघनी	स्नायु, रग
पाल	नाव उड़ाने वाला कपड़ा	कगार
बटन	काज में लगने वाली चकती	बँटने की क्रिया

शब्द	पुल्लिग होने पर अर्थ	स्त्री० होने पर अर्थ
बेर	फलवृक्ष	दफा या बार
बेल	फलवृक्ष	लता या बूटाकारी
मसक	मच्छर	मसकना
मेह	वर्षा	दवनी का खूँटा
मोट	चरस	थोक, मोटरी
रज	स्त्रियों का प्रस्राव	धूलि
रेत	वीर्य	बालू
संवार	उच्चारण का बाह्य प्रयत्न	सजाने की क्रिया
साल	वृक्ष	सालने की क्रिया
हाल	समाचार, दशा	चक्के पर लोहे का घेरा
हौआ	बच्चों को डराने की चीज	सृष्टि की पहली स्त्री

पर्यायवाची शब्द (SYNONYMS)

इसे प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द अथवा प्रतिशब्द कहते हैं। हिन्दी में तत्सम पर्यायवाची शब्द ही अधिक पाए जाते हैं जो संस्कृत से हिन्दी में आए हैं। हिन्दी में तद्भव पर्यायवाची शब्दों का अभाव है। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं—

(अ)

शब्द	पर्याय
अमृत	पीयूष, सुधा, अमी
अंग	अवयव, भाग, हिस्सा, अंश, खंड।
अग्नि	आग, पावक, अनल, वह्नि, हुताशन, कृशानु, वैश्वानर।
अनी	सेना, फौज, चमू, कटक, दल।
असुर	दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशिचर, निशाचर, रजनीचर।
अरण्य	जंगल, वन, कानन, विपिन।
अश्व	घोड़ा, वाजि, हय, घोटक, तुरग।
अंकुर	अँखुआ, कोंपल, कल्ला, नवोद्भिद्।
अंचल	पल्ला, पल्लू, आँचल।
अंत	समाप्ति, अवसान, इति, उपसंहार।
अंत	फल, अंजाम, परिणाम, नतीजा।

शब्द पर्याय

अचल—पर्वत, पहाड़, गिरि, शैल, स्थावर ।
अचला—पृथ्वी, धरती, धरा, भू, इला, अवनी ।
अतिथि—अभ्यागत, मेहमान, पाहुना ।
अधर—ओंठ, ओष्ठ, लब, रद-पट, होंठ ।
अनंग—कामदेव, मदन, मनोज, मयन, मन्मथ ।
अनल—देखिए 'अग्नि' ।
अनाज—अन्न, धान्य, शस्य ।
अनिल—हवा, वायु, पवन, समीर, वात, मरुत् ।
अनुकम्पा—कृपा, मेहरबानी, दया ।
अन्वेषण—अनुसन्धान, खोज, शोध, जाँच ।
अपना—निज, निजी, व्यक्तिगत ।
अपर्णा—पार्वती, शिवा, उमा, भवानी, भैरवी ।
अपमान—तिरस्कार, अनादर, निरादर ।
अप्सरा—देवांगना, सुरबाला, सुरनारी, सुरकन्या, देवबाला, देवकन्या ।
अबला—नारी, गृहिणी, महिला, औरत, स्त्री ।
अभय—निर्भय, निर्भीक, निडर, साहसी ।
अभिप्राय—तात्पर्य, आशय, मंतव्य ।
अभिमान—गर्व, गौरव, नाज ।
अभिलाषा—इच्छा, कामना, मनोरथ, आकांक्षा ।
अमर—अक्षय, अनश्वर, अविनाशी, मृत्युंजय ।
अर्चना—प्रार्थना, आराधना, स्तुति, पूजा ।
अर्जुन—पार्थ, धनञ्जय, भारत, कौन्तेय ।
अवनी—देखिए 'अचला' ।
अवस्था—उम्र, वय, आयु ।
अश्रु—आँसू, नेत्राम्बु, चक्षुजल, नेत्रजल ।
अहि—सर्प, नाग, भुजंग, साँप, तक्षक ।

(आ)

आँख—नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग ।
आम—आम्र, रसाल, चूत, सहकार, अमृतफल ।
आग—देखिए 'अग्नि' ।
आकाश—व्योम, गगन, अम्बर, नभ, आसमान, अनन्ता ।
आनन्द—मोद, प्रमोद, आमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास ।
आकांक्षा—देखिए 'अभिलाषा' ।
आँधी—तूफान, अंधड़, बवंडर ।

शब्द पर्याय

आँसू—देखिए 'अश्रु' ।

आखेट—मृगया, शिकार ।

आज्ञा—अनुमति, हुक्म, आदेश, कहना ।

आत्मज—बेटा, पुत्र, सुत, तनुज ।

आत्मा—रूह, अंतर, अंतरात्मा, अभ्यंतर ।

आदमी—मनुष्य, मानव, मनुज, मानुष, इन्सान ।

आदित्य—दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, सूर्य, दिनेश, भानु ।

आधुनिक—नूतन, नवीन, नया, नवल ।

आभा—चमक, कांति, दीप्ति, प्रकाश ।

आराम—विश्राम, विश्रांति, चैन, राहत ।

आर्त्त—दुखी, उद्वितन, खिन्न, क्षुब्ध, कातर, संतप्त, पीड़ित ।

आर्यावर्त्त—भारत, हिन्द, हिन्दुस्तान, इंडिया ।

आस्था—आदर, महत्व, मान, कद्र ।

आहार—भोजन, खुराक, खाना ।

(इ—ई)

इंदिरा—कमला, रमा, लक्ष्मी, श्री, विष्णुप्रिया ।

इंदीवर—पंकज, जलज, नीरज, कमल, राजीव, उत्पल ।

इंदु—चाँद, राकेश, चन्द्रमा, सुधाकर, चन्द्र, निशाकर, हिमांशु, सुधांशु, राकापति, विधु, शशि, तारापति, मृगांक ।

इच्छा—देखिए 'अभिलाषा' ।

इन्द्र—देवराज, सुरपति, महेन्द्र, मेघराज, पुरन्दर, मघवा, शचीपति, जिष्णु ।

इन्द्राणी—शची, पुलोमजा, इन्द्रवधू, इन्द्रप्रिया ।

इत्यादि—आदि, वगैरह, प्रभृति ।

ईर्ष्या—डाह, जलन, मत्सर, कुढ़न ।

ईश—ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान्, परमपिता, परमेश्वर ।

ईश्वर—देखिए 'ईश' ।

ईहा—इच्छा, आकांक्षा, एषणा, ईप्सा, चाह, कामना, स्पृहा, वांछा ।

(उ—ऊ)

उजाला—प्रकाश, ज्योति, प्रभा, आभा, रोशनी ।

उत्पल—देखें, 'इन्दीवर' ।

उत्पत्ति—जन्म, पैदाइश, उद्भव ।

उत्सव—पर्व, आयोजन, समारोह, त्यौहार ।

उत्साह—हौसला, उमंग, जोश ।

उदधि—सागर, समुद्र, सिन्धु, जलधि, पयोधि, नदीश ।

शब्द पर्याय

उद्यान—उपवन, बाग, बगीचा ।

ऊँचा—उच्च, उत्तुंग, शीर्षस्थ, उन्नत ।

(ऋ—ए—ऐ—ओ—औ)

ऋषि— मनीषी, मुनि, साधु, महात्मा ।

एषणा—देखें- 'इच्छा' ।

ऐश्वर्य—वैभव, संपन्नता, समृद्धि ।

ओंठ—देखें 'अधर' ।

औरत—स्त्री, वामा, महिला, वनिता, रमणी, अंगना ।

(क)

कमल—पद्म, अरविन्द, सरोज, जलज, कंज, सरसिज, उत्पल, वारिज, नलिन ।

कामदेव—देखें 'अनंग' ।

किरण—अंशु, कट, रश्मि, मयूख, मरीचि ।

कुबेर—धनद, धनाधिप, यक्षराज, किन्नरेश ।

कच—देखें 'कमल' ।

कंचन—स्वर्ण, कनक, हेम, सोना, हिरण्य ।

कच—कुंतल, बाल, अलक, गेसू, केश ।

कनक—देखें 'कंचन' ।

कपड़ा—पट, वस्त्र, वसन, अम्बर ।

कपाल—भाल, शीश, मस्तक, सिर ।

कमला—देखें 'इन्दिरा' ।

कलाधर—देखें 'इन्दु' ।

कवि—रचनाकार, रचयिता, शायर ।

कामना—देखें 'ईहा' ।

काया—देह, शरीर, गात्र, गात, तन ।

काला—श्याम, कृष्ण, असित, श्यामल ।

किताब—पुस्तक, ग्रन्थ, पोथी ।

किनारा—पुलिन, तट, कूल, तीर, कगार ।

कुच—स्तन, उरोज, उरसिज, चूचुक ।

कुलटा—व्यभिचारिणी, पुँश्चली, स्वैरिणी, छिनाल ।

कुसुम—फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून ।

कृष्ण—गोपाल, गोविन्द, माधव, मुरलीधर, मोहन, मुरारि, मधुसूदन, श्याम ।

कोकिल—कोकिला, पिक, श्यामा, कोयल ।

कोप—क्रोध, अमर्ष, रोष ।

कोयल—देखें 'कोकिल' ।

शब्द पर्याय

कोष—खजाना, निधि, भंडार ।
क्रोध—कोप, रोष, प्रकोप, अमर्ष ।
क्षपा—रात्रि, रात, निशा, यामिनी, रजनी, विभावरी ।
क्षिति—पृथ्वी, मही, धरा, धरणी, धरती, भू, भूमि ।
क्षीर—दूध, पय, गोरस ।

(ख)

खंजन—सारंग, नीलकंठ, कलकंठ, खड़रिच ।
खग—पक्षी, पंछी, चिड़िया, विहंग, नभचर ।
खोज—अन्वेषण, शोध, आविष्कार, अनुसंधान ।
ख्याति—प्रसिद्धि, यश, नाम ।

(ग)

गंगा—भागीरथी, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता, अलकनन्दा, देवापगा ।
गगन—देखें 'आकाश' ।
गज—हाथी, नाग, कुञ्जर, मातंग, द्विप, हस्ती, करी ।
गणेश—गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक, गजवदन, गणाधिप ।
गदहा—खर, गर्दभ, वैशाखनन्दन, धूसर, रासभ ।
गेह—घर, निकेतन, भवन, सदन, आलय, गृह, धाम, मन्दिर ।
गरुड़—पक्षिराज, विष्णुवाहन, भुजंगभोजी, पन्नगारि ।
गाँव—ग्राम, देहात, मौजा, बस्ती ।
गाय—गौ, धेनु, सुरभि, कल्याणी ।
गोधूलि— सन्ध्या, सायं, शाम, दिवसावसान, दिनांत ।

(घ)

घड़ा—घट, कलश, गगरा, कलसा ।
घन—बादल, वारिद, मेघ, वारिधर, जलधर ।
घर—देखें 'गेह' ।

(च)

चतुर—प्रवीण, निपुण, पटु, सयाना, कुशल, योग्य, दक्ष ।
चन्द्र—देखें 'इन्दु' ।
चाँदनी—चन्द्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना, जुन्हाई ।
चोर—दस्यु, रजनीचर, खनक, कुंभिल ।
चंदन—मलयज, गंधसार, गंधराज, श्रीखंड ।
चन्द्रमा—देखें 'इन्दु' ।
चपला—विद्युत, बिजली, तड़ित, चंचला, दामिनी ।

शब्द पर्याय

चरण—पग, पद, पैर, पाँव ।

चश्मा—उपनयन, उपनेत्र, सहनेत्र, ऐनक ।

(छ—ज)

छाती—सीना, उर, वक्षःस्थल, वक्ष ।

छिनाल—देखें 'कुलटा' ।

जंग—लड़ाई, संग्राम, समर, युद्ध, रण ।

जंगल—वन, विपिन, अरण्य, अटवी ।

जग—संसार, जगत्, दुनिया, विश्व, भुवन ।

जल—पानी, नीर, उदक, सलिल, अम्बु, तोय, वारि ।

जलद—मेघ, बादल, वारिद, जलधर ।

(ट—ढ)

टेढ़ा—बक्र, बंक, कुटिल ।

ठग—धोखेबाज, वंचक, छली, छद्मी ।

डगर—राह, बाट, मार्ग, रास्ता, पंथ, पथ ।

डर—भय, दहशत, भीति, आतंक, त्रास ।

डाकू—दस्यु, डकैत, राहजन, लुटेरा ।

ढंग—विधि, रीति, पद्धति, प्रणाली ।

(त—न)

तट—देखें 'किनारा' ।

तड़ाग—तालाब, सरोवर, सर, ताल, जलाशय ।

तन—काया, देह, शरीर, जिस्म ।

तलवार—कृपाण, खड्ग, असि, खंजर, करवाल; सिरोही ।

तारा—नक्षत्र, सितारा, तारिका, उडु, तारक ।

तारीख—तिथि, दिनांक, मिती ।

तालाब—देखें 'तड़ाग' ।

तिमिर—अँधेरा, तम, अंधकार, कालिमा ।

तीर—बाण, शर, शायक, विशिख ।

तोता—शुक, कीर, सुआ, सुग्गा ।

थकान—क्लांति, थकान, श्रांति, थकावट ।

दया—रहम, करुणा, कृपा, अनुकम्पा ।

दरिद्र—गरीब, निर्धन, अकिंचन ।

दर्पण—शीशा, मुकुर, आईना, आरसी ।

दारा—पत्नी, स्त्री, सहचरी, अर्धांगिनी, गृहिणी ।

शब्द पर्याय

दास—नौकर, सेवक, अनुचर, भृत्य, परिचारक ।

दिन—वासर, दिवस, दिवा ।

दीपक—प्रदीप, दीप, दीया, संदीप ।

दुख—पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, खेद, विषाद ।

दूध—दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस, स्तन्य ।

दुर्गा—चण्डिका, कालिका, काली, शाम्भवी, महागौरी, सिंहवाहिनी ।

दृग—नेत्र, नयन, आँख, चक्षु, लोचन ।

देवता—अमर, सुर, देव, विबुध ।

धनुष—पिनाक, चाप, शरासन, कमान ।

धीर—सहनशील, सहिष्णु, तितिक्षु ।

धूर्त्त—दुष्ट, खल, शठ, ठग ।

नदी—सरिता, तटिनी, सलिला, स्रोतस्विनी, कल्लोलिनी ।

नभ—देखें 'आकाश'

नयन—देखें 'आँख' ।

नर—पुरुष, मर्द, आदमी ।

नरक—यमपुर, यमलोक, यमालय, यमधाम ।

नाक—नासिका, घ्राणेन्द्रिय, नासा ।

नाटा—ठिगना, बौना, वामन, छोटा आदमी ।

नायक—अभिनेता, सितारा, कलाकार, नेता, पात्र ।

नाविक—केवट, खेवट, मल्लाह, माझी ।

निधन—देहान्त, मृत्यु, देहावसान, देहत्याग ।

नियति—प्रारब्ध, अदृष्ट, भवितव्यता, होनी, होनहार ।

नियम—ढंग, विधि, विधान, कानून ।

निर्दय—निष्ठुर, क्रूर, निर्मम, नृशंस ।

निर्धन—दरिद्र, गरीब, दीन, अकिंचन ।

निर्बल—शक्तिहीन, कमजोर, अशक्त, दुर्बल, क्षीण ।

निर्मल—अमल, विमल, स्वच्छ, अम्लान, परिष्कृत ।

(प—म)

पंख—पर, डैना, पाँख, पक्ष ।

पक्षी—विहग, विहंग, खग, चिड़िया, पखेरू ।

पति—स्वामी, भर्त्ता, कांत, वल्लभ ।

पत्थर—पाहन, शिला, प्रस्तर, पाषाण, उपल ।

पत्नी—सहचरी, गृहिणी, घरनी, भार्या, दारा, वल्लभा ।

पथिक—बटोही, राही, पंथी, बटाऊ, मुसाफिर ।

शब्द पर्याय

पर्वत—भूधर, पहाड़, गिरि, अचल, शैल, अद्रि ।
पवन—हवा, अनिल, वायु, समीर, बयार, वात ।
पशु—चौपाया, चतुष्पद, जानवर, मृग ।
पानी—जल, नीर, वारि, अंबु, सलिल, उदक ।
पिशाच—भूत, प्रेत, बैताल ।
पुत्र—बेटा, तनय, लड़का, सुत, आत्मज ।
पुत्री—बेटी, तनया, लड़की, सुता, दुहिता, आत्मजा ।
प्रभात—प्रातः, प्रातःकाल, बिहान, भोर, सबेरा ।
प्रिया—प्रेमिका, सजनी, प्रियतमा, प्रेयसी, दिलरुबा ।
प्रिय—प्रेमी, प्रियतम, साजन, प्यारा, स्नेही ।
प्रासाद—राजमहल, महल, सदन, भवन, हवेली ।
प्रेम—स्नेह, प्रीति, प्यार, अनुराग, ममता ।
फूल—पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, गल ।
ब्रह्मा—स्वयंभू, स्रष्टा, प्रजापति, अज, विधाता, विधि, चतुरानन ।
ब्राह्मण—द्विज, विप्र, भूदेव, ज्येष्ठ वर्ण ।
भास्कर—रवि, सूर्य, दिवाकर, दिनकर, दिनेश, भानु ।
मछली—मत्स्य, मीन, सफरी, झख ।
मधुकर—भौंरा, भ्रमर, भृङ्ग, षट्पद, मधुप, अलि ।
महादेव—शंभु, शिव, शंकर, पशुपति, चन्द्रशेखर, त्रिलोचन, नीलकंठ, गिरीश ।
महेन्द्र—इन्द्र, सुरेश, देवराज, देवेन्द्र ।
मोक्ष—मुक्ति, निर्वाण, परमपद, कैवल्य
मोर—मयूर, केहा, शिखी, सर्पभक्षी, शिवसुतवाहन ।

(य—ह)

यम—कीनाश, श्राद्धदेव, धर्मराज, यमराज, सूर्यपुत्र, यमुनाभ्राता ।
यश—कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, नाम ।
रजनी—रात, निशि, रात्रि, विभावरी ।
राजा—भूप, नृपति, नरपति, नरेश, नृप ।
राजीव—कमल, पंकज, नीरज, जलज, सरसिज, सरोज ।
रात—देखें 'रजनी' ।
रात्रि—देखें 'रजनी' ।
रुद्र—महादेव, शंकर, शंभु, कैलासपति, त्रिलोचन, महेश, शिव ।
लक्ष्मी—कमला , रमा, इन्दिरा, श्री ।
वर्षा—वृष्टि, वारिस, बरसात, पावस, मेह ।
वसंत—मधुऋतु, मधुमास, ऋतुराज, कामसखा ।

शब्द पर्याय

वायु—देखें 'पवन' ।
विधु—देखें 'इंदु' ।
विमाता—सौतेली माँ, दुमाता, उपमाता ।
विष—जहर, गरल, हलाहल, कालकूट ।
विष्णु—गोविन्द, केशव, श्रीपति, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुन्द, नारायण ।
वीर—योद्धा, सूरमा, शूर, बहादुर, पराक्रमी ।
वृक्ष—तरु, पेड़, पादप, विटप, द्रुम ।
शंकर—देखें 'रुद्र' ।
शत्रु—रिपु, दुश्मन, अरि
शराब—सुरा, मद्य, मदिरा, हाला ।
शिखी—देखें 'मोर' ।
शिव—देखें 'रुद्र' ।
श्रम—परिश्रम, उद्योग, उद्यम, मेहनत ।
संत—संन्यासी, साधु, फकीर, सज्जन ।
संसार—जरा, जगत, विश्व, धरा, पृथ्वी ।
सखा—मित्र, दोस्त, साथी, इष्ट ।
सदन—घर, निकेतन, गृह, भवन ।
समुद्र—जलधि, सागर, सिन्धु, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव, वारिधि ।
सरस्वती—शारदा, वीणापाणि, भारती, ब्राह्मी, वागीशा, महाश्वेता ।
सरोवर—तालाब, सर, तड़ाग, झील ।
सिंह—मृगराज, मृगपति, मृगेन्द्र, व्याघ्र, केसरी, नाहर, शेर ।
सुधा—देखें 'अमृत' ।
सुरेन्द्र—देखें 'इन्द्र' ।
सूर्य—देखें 'भास्कर' ।
सेवक—अनुचर, दास, भृत्य, नौकर ।
सोना—कनक, सुवर्ण, कंचन, हेम ।
स्त्री—महिला, नारी, औरत, रमणी, कामिनी, वनिता, अंगना ।
स्मर—कामदेव, शिवरिपु, रतिप्रिय, रतिपति, कामचर, मदन ।
स्वर्ग—देवलोक, नाक, द्यौ, दिव ।
हरि—विष्णु, केशव, धनंजय, मुकुन्द, गोविन्द ।
हस्ती—हाथी, गज, गजराज, कुंजर, मतंग ।
हिरन—कुरंग, मृग, सारंग, सुरभी ।

विलोम शब्द (ANTONYMS)

इसे ही विपर्याय अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द ही विलोम शब्द कहलाते हैं। नीचे विलोम शब्दों की सूची दी जा रही है।

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
	(अ)		
अर्पण	ग्रहण	अभिज्ञ	अनभिज्ञ
अथ	इति	अनाथ	सनाथ
अवनति	उन्नति	अंतरंग	बहिरंग
अनुग्रह	विग्रह	अतिवृष्टि	अनावृष्टि
अधुनातन	पुरातन		
अदोष	सदोष	अल्पायु	दीर्घायु
अल्पज्ञ	बहुज्ञ	अनुराग	विराग
अवनि	अम्बर	अवनत	उन्नत
अनुकूल	प्रतिकूल	अर्थ	अनर्थ
अधः	उपरि	अज्ञ	विज्ञ
अधम	उत्तम	अमर	मर्त्य
अनुरक्ति	विरक्ति	अतल	वितल
अग्रज	अनुज	अनुलोम	प्रतिलोम
अत्यधिक	स्वल्प	अपेक्षा	उपेक्षा
अनन्त	शान्त	अस्त	उदय
अल्प	बहु	अर्पित	गृहीत
अधीत्यका	उपत्यका	अमावस्या	पूर्णिमा
अन्तर्मुखी	बहिर्मुखी	अंतर्द्वन्द्व	बहिर्द्वन्द्व
अन्त	आदि	अग्नि	जल
अंगीकार	अस्वीकार	अस्वस्थ	स्वस्थ
अग्र	पश्चात्	अगम	सुगम
अर्जन	वर्जन	अल्पसंख्यक	बहुसंख्यक
अकाल	सुकाल	अलभ्य	लभ्य
अरुचि	सुरुचि	अति	अल्प
अंधकार	प्रकाश	अमृत	विष
अभ्यस्त	अनभ्यस्त	अधिक	अल्प
अपमान	सम्मान	अघ	अनघ

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
अस्वस्थ	स्वस्थ	अराग	सुराग
अग्नि	जल		

(आ)

आगत	विगत	आयात	निर्यात
आतुर	अनातुर	आधुनिक	प्राचीन
आकृष्ट	विकृष्ट	आकंपित	निष्कंपित
आकाश	पाताल	आहार	अनाहार
आविर्भाव	तिरोभाव	आख्यात	अनाख्यात
आरोह	अवरोह	आगामी	विगत
आग्रह	दुराग्रह	आचार	अनाचार
आश्रित	अनाश्रित	आकीर्ण	विकीर्ण
आदत्त	प्रदत्त	आत्मा	परमात्मा
आदर	अनादर	आधार	आधेय, लंब
आदान	प्रदान		
आदि	अन्त	आमिष	निरामिष
आवाहन	विसर्जन	आरम्भ	अन्त
आवृत्त	अनावृत्त	आकर्षण	विकर्षण
आर्द्र	शुष्क	आद्य	अन्त्य
आकुंचन	प्रसारण	आच्छादित	अनाच्छादित
आशा	निराशा	आसक्त	अनासक्त
आस्तिक	नास्तिक	आय	व्यय
आभ्यन्तर	बाह्य	आतप	अनातप, छाया
आलोक	अंधकार	आवृत	अनादृत
आरूढ़	अनारूढ़	आत्मीय	अनात्मीय
आस्था	अनास्था	आजादी	गुलामी
आहूत	अनाहूत	आहत	अनाहत

(इ-ऊ)

ईश्वर	जीव	इष्ट	अनिष्ट
इहलोक	परलोक	ईद	मुहर्रम
ईश	अनीश	इच्छा	अनिच्छा
उपकार	अपकार	उपसर्ग	प्रत्यय
उदय	अस्त	उत्कर्ष	अपकर्ष
उन्मूलन	रोपण	उन्नति	अवनति
उदात्त	अनुदात्त	उदार	कृपण

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
उत्साह	अनुत्साह	उत्कृष्ट	निकृष्ट
उचित	अनुचित	उपस्थित	अनुपस्थित
उत्तम	अधम	उपयोग	दुरुपयोग
उद्यम	निरुद्यम	उन्मीलन	निमीलन
उपयुक्त	अनुपयुक्त	उच्च	निम्न
उत्थान	पतन	उन्मुख	विमुख
उधार	नकद	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
उपरि	अधः	उपचार	अपचार
उपचय	अपचय	उद्धत	विनीत
उपमेय	अनुपमेय	उदयाचल	अस्ताचल
उग्र	सौम्य	उत्तरायण	दक्षिणायन

(ए-ऋ)

एक	अनेक	एकतंत्र	बहुतंत्र
एकता	अनेकता	एकमुख	बहुमुख
एकत्र	विकीर्ण	एड़ी	चोटी
ऐक्य	अनैक्य	ऐश्वर्य	अनैश्वर्य
ऐतिहासिक	अनैतिहासिक	ऐहिक	पारलौकिक
ऋत	अनृत	ऋजु	वक्र

(क-ख-ग-घ)

कृपण	दाता	कुसुम	वज्र
कर्मण्य	अकर्मण्य	कर्कशा	सुशीला
कोप	कृपा	क्रोध	क्षमा
कुमार्ग	सुमार्ग	कलुष	निष्कलुष
कृत्रिम	प्रकृत	कुटिल	सरल
कृश	पुष्ट	क्रूर	अक्रूर
कपट	निष्कपट	कपूत	सपूत
क्रय	विक्रय	कटु	मधु
कृतज्ञ	कृतघ्न	कर्म	निष्कर्म
करुण	निष्ठुर	कायर	निडर
कृष्ण	श्वेत	कनिष्ठ	ज्येष्ठ
कुलदीप	कुलांगार	क्रम	अक्रम
कुरूप	सुरूप	कठोर	कोमल
कीर्ति	अपकीर्ति	खंडन	मंडन

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
खाद्य	अखाद्य	खीझना	रीझना
गंभीर	वाचाल	गरल	सुधा
गणतंत्र	राजतंत्र	गुरु	लघु
गौरव	लाघव	गुप्त	प्रकट
गृही	त्यागी	गृहस्थ	संन्यासी
ग्राम्य	नागर, वन्य	ग्रस्त	मुक्त
गत	आगत	गुण	दोष
गगन	पृथ्वी	गोचर	अगोचर
घर	बाहर	घरेलू	बाहरी

(च-छ, ज-झ)

चल	अचल	चोर	साधु
चर	अचर	चिरंतन	नश्वर
चिर	अचिर	छाँह	धूप
चाह	अनचाह	जन्म	मरण
ज्येष्ठ	कनिष्ठ	जय	पराजय
जड़	चेतन	जागरण	निद्रा
ज्योति	तम	जागरित	सुप्त
जेय	अजेय	जल	स्थल
जीवन	मरण	जीवित	मृत
जंगम	स्थावर	ज्वार	भाटा
जाति	विजाति	जटिल	सरल
झोपड़ी	महल		

(त-थ-द-ध-न)

तम	प्रकाश	तिमिर	प्रकाश
ताप	शीत	तामसिक	सात्विक
तीव्र	मन्द	तुकान्त	अतुकान्त
तुच्छ	महान्	तृष्णा	वितृष्णा
तृषा	तृप्ति	तरल	ठोस
तिक्त	मधुर	देव	दानव
दुष्ट, दुर्जन	सज्जन	दिवा	रात्रि
देय	अदेय	दूषित	स्वच्छ
दृढ़	अदृढ़	दुराचारी	सदाचारी
दुर्बल	सबल	दुर्दान्त	शान्त

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
दुःशील	सुशील	दक्षिण	वाम, उत्तर
धरा	गगन	धनी	निर्धन
ध्वंस	निर्माण	धृष्ट	विनीत
न्यून	अधिक	नश्वर	शाश्वत
नूतन	पुरातन	निन्दा	स्तुति
निर्दोष	सदोष	नैतिक	अनैतिक
निर्माण	विनाश	निर्दय	सदय
नख	शिख	नैसर्गिक	कृत्रिम
नमकहलाल	नमकहराम	निरर्थक	सार्थक
निर्मल	मलिन		
नित्य	अनित्य	निरक्षर	साक्षर
निष्काम	सकाम	निषिद्ध	विहित
निर्लज्ज	सलज्ज	नेकी	बदी
नया	पुराना ।		

(प-फ-ब-भ-म)

प्रख्यात	अविख्यात	बलवान्	बलहीन
पदार्थ	स्वार्थ	बन्धन	मुक्ति
पेय	अपेय	बहिरंग	अंतरंग
पवित्र	अपवित्र	बाह्य	अभ्यंतर
पाप	पुण्य	भूत	भविष्य
पात्र	अपात्र	भौतिक	आध्यात्मिक
प्रकृत	अप्रकृत	भ्रान्त	निर्भ्रान्त
प्रेम	घृणा	भूगोल	खगोल
प्राकृतिक	अप्राकृतिक	भेद	अभेद
प्रशंसा	निन्दा	भय	साहस
प्राची	प्रतीची	भद्र	अभद्र
प्रत्यक्ष	परोक्ष	भोगी	योगी
पाश्चात्य	पौर्वात्य	भूलोक	द्युलोक
प्राचीन	अर्वाचीन	मानव	दानव
प्रारंभिक	अन्तिम	महात्मा	दुरात्मा
प्रवृत्ति	निवृत्ति	मूक	वाचाल
प्रसारण	संकोचन	मसृण	रुक्ष
प्रसाद	विषाद	मंगल	अमंगल

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
प्रलय	सृष्टि	मुख	प्रतिमुख
परुष	कोमल	मनुज	दनुज
पंडित	मूर्ख	मालिक	नौकर
परकीय	स्वकीय	माता	पिता
परमार्थ	स्वार्थ	मिहनती	आलसी
पक्ष	विपक्ष	परतंत्र	स्वतंत्र
पाठ्य	अपाठ्य	बर्बर	सभ्य
पुरस्कार	तिरस्कार, दण्ड	बाढ़	सूखा
पालक	पीड़क	बद्ध	मुक्त
		मृत	जीवित

(य-र-ल-व)

योग	वियोग	विकीर्ण	संकीर्ण
योगी	वियोगी	वैमनस्य	सौमनस्य
यश	अपयश	व्यर्थ	अव्यर्थ
यौवन	वार्धक्य	व्यास	समास
यथार्थ	अयथार्थ	वृष्टि	अनावृष्टि
राम	रावण	बहिष्कार	अंगीकार
रूपवान्	कुरूप	विनत	उद्धत
राग	विराग	बसन्त	पतझर
राजतंत्र	जनतंत्र	व्यावहारिक	अव्यावहारिक
रक्षक	भक्षक	विष	अमृत
रचना	ध्वंस	विज्ञ	अज्ञ
राव	रंक	वन्य	पालित
राजा	प्रजा	व्यष्टि	समष्टि
लाभ	हानि	विस्तृत	संक्षिप्त
लिखित	अलिखित	विजय	पराजय
लघु	गुरु	विस्तार	संक्षेप
लौकिक	अलौकिक	वीर	कायर
वाद	प्रतिवाद	विपद	संपद्
विवाद	निर्विवाद	विधवा	सधवा
विपन्न	संपन्न	विश्लेषण	संश्लेषण
विस्मरण	स्मरण	विमुख	सम्मुख
वैतनिक	अवैतनिक	विशिष्ट	सामान्य

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
	(स-श-ह-क्ष)		
सफल	विफल	सम	विषम
सबल	दुर्बल	सर्द	गर्म
सजीव	निर्जीव	सनाथ	अनाथ
सगुण	निर्गुण	सच्चरित्र	दुश्चरित्र
सत्	असत्	ससीम	असीम
सुकर	दुष्कर	सान्त	अनन्त
सरल	कठिन	सापेक्ष	निरपेक्ष
सहयोगी	प्रतियोगी	साक्षर	निरक्षर
सजल	निर्जल	संश्लिष्ट	विश्लिष्ट
सवर्ण	असवर्ण	संघटन	विघटन
स्वदेश	विदेश	सरस	नीरस
स्वजाति	विजाति	स्वाधीन	पराधीन
स्थूल	सूक्ष्म	स्वार्थ	निःस्वार्थ
स्तुति	निन्दा	समष्टि	व्यष्टि
सुशील	दुःशील	स्वधर्म	परधर्म
सुपथ	कुपथ	सूक्ष्म	स्थूल
सुमार्ग	कुमार्ग	स्मरण	विस्मरण
सुख	दुख	सुयश	अपयश
सुगम	दुर्गम	संगत	असंगत
सुलभ	दुर्लभ	सशंक	निःशंक
सुपात्र	कुपात्र	स्थावर	जंगम
सुगन्ध	दुर्गन्ध	सुनाम	कुनाम
सुकर्म	कुकर्म	सुर	असुर
साकार	निराकार	सित	असित
संकोच	निःसंकोच	स्वामी	सेवक
सकाम	निष्काम	सुधा	गरल
सार्थक	निरर्थक	सृष्टि	प्रलय
सम्मान	अपमान	संकल्प	विकल्प
संयोग	वियोग	संपन्न	विपन्न
सदय	निर्दय	संधि	विग्रह
सुमति	कुमति	सामयिक	असामयिक
सत्य	असत्य	स्पृश्य	अस्पृश्य

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
सादर	निरादर	संन्यासी	गृहस्थ
समूल	निर्मूल	सक्षम	अक्षम
सदाचार	दुराचार	शुक्ल	कृष्ण
सौम्य	उग्र	श्वेत	श्याम
सुकाल	अकाल	शाम	सुबह
स्तुत्य	निन्द्य	श्लील	अश्लील
सौभाग्य	दुर्भाग्य	शुभ्र	कृष्ण
सामान्य	विशिष्ट	शिव	अशिव
स्वीकृति	अस्वीकृति	शासक	शासित
सुराज	कुराज	शोक	हर्ष
सुबह	शाम	शोषक	पोषक
सदाचारी	दुराचारी	शयन	जागरण
सार्थक	निरर्थक	श्रीगणेश	इतिश्री
संकीर्ण	विस्तीर्ण	श्रृंखला	विश्रृंखल
सुलभ	दुर्लभ	श्रद्धा	अश्रद्धा
सदाशय	दुराशय	श्रव्य	दृश्य
स्वप्न	जागरण	श्याम	गौर
सुकृति	दुष्कृति	हँसना	रोना
संकोच	प्रसार	ह्रास	वृद्धि
समास	व्यास	हास	रोदन
सभ्य	असभ्य	हार	जीत
स्वल्पायु	चिरायु	हर्ष	विषाद
सुदूर	सन्निकट	ह्रस्व	दीर्घ
सभय	अभय	हिंसा	अहिंसा
सात्विक	तामसिक	क्षर	अक्षर
शकुन	अपशकुन	क्षम्य	अक्षम्य
शत्रु	मित्र	क्षमा	दण्ड
शीत	उष्ण	क्षणिक	शाश्वत
शुभ	अशुभ	क्षुद्र	विराट्
शुष्क	तरल		

विशेषण शब्दों के साथ प्रयुक्त शब्द

प्रत्येक भाषा में बहुत बार ऐसा होता देखा जाता है कि कई शब्द विशेष शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते और भिन्न-भिन्न रूपों में रखे जाते हैं। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं होते। बोलचाल में रोज प्रयुक्त होने के कारण वैसा प्रयोग करने की चाल पड़ जाती है। जैसे, आठ-दस दिन में जाऊँगा। सात-आठ कमरे दे दो। इनमें आठ-दस तथा सात-आठ ऐसे ही प्रयोग हैं। इनके स्थान पर सात नौ या सात दस नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही चुगली खाना कहा जाता है। चुगली देना नहीं कहा जाता। विद्या में बृहस्पति के समान कहा जाता है, इन्द्र के समान नहीं कहा जाता। इनमें कुछ प्रयोग तो नित्य के व्यवहार में आने से और कुछ जातीय इतिहास की विशेष घटनाओं से बन जाते हैं। जैसे-

अन्धाधुन्ध, अटकल पच्चू, काट-छाँट, खींचातानी, जैसे-तैसे, जोड़-तोड़, दाना-पानी, धूमधाम, मुठभेड़, चमक-दमक, ऐसी तैसी, आगे पीछे आदि।

ये प्रयोग साहित्य के अध्ययन से ही जाने जा सकते हैं।

कुछ ऐतिहासिक प्रयोग नीचे दिये जाते हैं :—

हम्मीर हठ = अनूठी आन

धन-कुबेर = अत्यधिक धनवान्

राम राज्य = ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो

विभीषण = घर का भेदी

नारदमुनि = इधर-उधर की बातें कर कलह कराने वाला व्यक्ति

परशुराम का कोप = अत्यधिक क्रोध

दुर्वासा का शाप = उग्र शाप

कर्ण का दान = महादान

भगीरथ प्रयत्न = बहुत बड़ा प्रयत्न

भीष्म प्रतिज्ञा = कठोर प्रतिज्ञा

पाँचाली चीर = बड़ी लम्बी, समाप्त न होने वाली वस्तु

रामबाण = तुरन्त प्रभाव दिखाने या कभी न चूकने वाली वस्तु

कुम्भकर्णी नींद = बहुत गहरी, लापरवाही की नींद

चाणक्य नीति = कुटिल नीति

महाभारत
लंका काण्ड } = भयंकर युद्ध

कुछ शब्दयुग्म जिनके प्रयोग में प्रायः भूल होती है :

उदाहरण	दृष्टान्त
कविता	काव्य
उपहार	भेंट
अवस्था	दशा
उपकरण	साधन
अधिकारी	भागी
वैर	शत्रुता
विचार	धारणा
ठोकर	धक्का
त्रुटि	दोष
अनुग्रह	कृपा
क्रोध	रोष
शंका	संदेह
स्वतन्त्रता	स्वाधीनता
प्रयोग	व्यवहार
आदर	सम्मान
आसरा	भरोसा
कष्ट	दुःख
घुड़की	झिड़की
अनुराग	प्रेम
अड़चन	बाधा
प्रतिमा	मूर्ति
चिंतन	मनन
बल	शक्ति
सभ्यता	संस्कृति
साधारण	सामान्य
छुटकारा	मुक्ति
कीर्ति	यश
मिलाई	मिलन
नमूना	बानगी
किराया	भाड़ा
बुद्धि	समझ
तुलना	मिलान

उदाहरण	दृष्टान्त
पदार्थ	वस्तु
चेष्टा	प्रयत्न
अध्यक्ष	सभापति
तालिका	सूची
अन्तर	भेद
उपस्थिति	विद्यमानता
प्रयाण	प्रस्थान

अनेकार्थवाची शब्द (HOMONYMS)

इसे ही अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द अथवा अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके भिन्न प्रसंगों के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत है—

शब्द	अर्थ
अंक	गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, चिह्न, गोद, भाग्य, संख्या।
अर्थ	मतलब, कारण, लिए, धन, प्रयोजन।
अज	ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता, रघु के पुत्र, मेष राशि, शिव।
अर्क	अकवन, सूर्य, काढ़ा।
अब्ज	कमल, शंख, चन्द्रमा।
अंग	शरीर, भाग, भेद, पक्ष।
अम्बर	आकाश, कपड़ा।
अहि	सर्प, कष्ट, सूर्य।
अक्षर	ब्रह्मा, विष्णु, अकारादि वर्ण, धर्म, मोक्ष, गगन, शिव, सत्य, जल, तपस्या।
अपवाद	कलंक, वह प्रचलित प्रसंग जो नियम के विरुद्ध हो।
अतिथि	मेहमान, अपरिचित यात्री, साधु, यज्ञ में सोमलता लानेवाला, अग्नि, राम के पौत्र या कुश का बेटा।
अनंत	विष्णु, सर्पों का राजा, जिसका कोई अन्त न हो, आकाश।
अच्युत	विष्णु, स्थिर, कृष्ण, अविनाशी।
अग्र	मुख्य, अगुआ, श्रेष्ठ, सिरा, पल्ले, आगे।
अमृत	स्वर्ण, दूध, पारा, जल, अन्न।
अन्तर	व्यवधान, अवधि, अवसर, अन्तर्धान, आकाश, मध्य, क्षिद्र।

शब्द	अर्थ
अरुण	लाल, सूर्य का सारथी, सूर्य ।
आम	आम का फल, मामूली, सर्वसाधारण ।
अपेक्षा	आशा, आवश्यकता, इच्छा, बनिस्पत ।
आपत्ति	विपत्ति, ऐतराज ।
आन	टेक, शपथ, दूसरा ।
उत्तर	उत्तर, दिशा, हल, जवाब ।
कनक	सोना, धतूरा ।
कंद	मिश्री, वह जड़ जो गूदेदार और बिना रेशे की हो ।
काम	कामदेव, कार्य, इच्छा आदि ।
कसरत	अधिकता, व्यायाम ।
कषाय	गेरू के रंग का, कसैला ।
कटाक्ष	आक्षेप, व्यंग्य, तिरछी नजर ।
केतु	एक ग्रह, पुच्छल तारा, पताका ।
कृष्ण	काला, कृष्ण, भगवान् वेदव्यास ।
कर	हाथ, सूँड़, टैक्स, किरण ।
केवल	एकमात्र, विशुद्ध ज्ञान ।
कर्ण	कर्ण नाम का महाभारत का पात्र, कान ।
कोटि	कमर, करोड़, श्रेणी, धनुष का सिरा ।
कौरव	गीदड़, धृतराष्ट्र के पुत्र ।
कबंध	पेटी, राहु, धड़, राक्षस विशेष ।
कैरव	कुमुद, कमल ।
कुशल	चतुर, खैरियत ।
क्षमा	पृथ्वी, माफी ।
खल	धतूरा, दवा कूटने का खरल, दुष्ट ।
खर	गधा, दुष्ट, तिनका, एक राक्षस ।
खग	तारा, पक्षी, बाण, गन्धर्व ।
गण	मनुष्य समूह, शिव के गण, पिंगल के गण ।
गुण	रस्सी, शील, गुना, स्वभाव, कौशल, सत्, रज,
गो	गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, वज्र, आँख, बाण, सरस्वती, सूर्य, बैल ।
गुरु	ग्रह विशेष- बृहस्पति, श्रेष्ठ, भार, शिक्षक ।
गति	हालत, मोक्ष, चाल ।
घन	अधिक, घना, बादल, जिसमें लम्बाई-चौड़ाई और मोटाई बराबर हो ।
जलज	मोती, शंख, मछली, कमल, चन्द्रमा, सेवार ।

शब्द	अर्थ
जीवित	जीवित, जल, प्राण ।
जलधर	बादल, समुद्र ।
ताल	तालाब, ताड़, संगीत का ताल ।
ठाकुर	देवता, हज्जाम, ब्राह्मण, राजपूत ।
तत्त्व,	ब्रह्मा, पंचभूत, यथार्थ, मूल ।
दंड	सजा, डंडा ।
द्रोण	पत्तों का दोना, कौआ, ढोंगी, द्रोणाचार्य, एक माप ।
द्विज	ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (शूद्र को छोड़कर), चन्द्रमा, पक्षी ।
तारा	नक्षत्र, बालि की स्त्री, बृहस्पति की स्त्री, आँख की पुतली ।
धान्य	अनाज, धान ।
धर्म	प्रकृति, कर्त्तव्य, स्वभाव, संप्रदाय ।
धात्री	पृथ्वी, आँवला, माता, उपमाता ।
नाग	सर्प, हाथी ।
नग	पहाड़, रत्नविशेष ।
निशाचर	राक्षस, प्रेत, चोर, उल्लू ।
निराला	हिन्दी के एक महाकवि, विचित्र, एकान्त ।
पतंग	फतिंगा, पक्षी, सूर्य, गुड्डी, टिड्डी ।
पक्ष	पंख, बल, पार्टी, सहाय, पन्द्रह दिन का समय ।
पोत	बच्चा, वस्त्र, गुड़िया, जहाज ।
पत्र	चिट्ठी, पत्ता, पंख ।
पय	पानी, दूध ।
पद	दर्जा, शब्द, पैर, स्थान, ईश्वर-भक्ति-सम्बन्धी विनय गीत ।
पानी	जल, चमक, इज्जत ।
पृष्ठ	पीछे का भाग, पीठ, पन्ना ।
पारावार	हद, समुद्र ।
प्रभाव	असर, दबाव, महिमा, सामर्थ्य ।
पार्थिव	राजसी, पृथ्वी सम्बन्धी, मिट्टी का शिवलिंग ।
वाणी	सरस्वती, बोली ।
बहार	आनन्द, एकराग, रौनक, वसन्तु ऋतु ।
बल	शक्ति, सेना ।
बलि	बलिदान, राजा, बलि, उपहार, कर ।
महावीर	बहुत बलवान्, हनुमान जी ।
मधु	शराब, वसन्त ऋतु, शहद ।
मल	पाप, मैल ।

शब्द	अर्थ
मूक	चुप, विवश, गूँगा ।
फल	पेड़ का फल, परिणाम ।
भूत	प्राणी, प्रेत, बीता हुआ समय, पृथ्वी, पंचभूत ।
मित्र	सूर्य, प्रिय, दोस्त, सहयोगी ।
मान	अभिमान, इज्जत, नापतौल ।
रस	षड्रस, नवरस, सोने आदि का भस्म, सार, पारा, स्वाद, प्रेम, आनन्द ।
लक्ष्य	उद्देश्य, निशाना ।
लंघन	उपवास, लाँघने की क्रिया ।
राग	गाना, रंग, प्रेम, संगीत का राग ।
वर्ण	अक्षर, रंग, जाति ।
विधि	नियम, रीति, ब्रह्मा, भाग्य ।
वन	जल, जंगल ।
वार	आघात, प्रहार, सप्ताह का प्रत्येक दिन ।
विग्रह	शरीर, देवता की मूर्ति, लड़ाई ।
विरोध	वैर, विपरीत भाव ।
विषम	जो सम न हो, बहुत कठिन, भीषण ।
विषय	भोगविलास, देश, संपत्ति, जिसपर कुछ विचार किया जाय ।
सारंग	मोर, सर्प, मेघ, हरिण, पानी, पपीहा, रागविशेष, भूमि, हाथी, राजहंस, सिंह, कोयल, कामदेव, कमल, कपूर, भौंरा, वर्ण, धनुष, रात आदि ।
हरि	इन्द्र, सर्प, मेढक, विष्णु, सिंह, घोड़ा, सूर्य चाँद, वानर, तोता, यमराज, हवा, शिव, ब्रह्मा, आग, हंस, किरण, कोयल, कामदेव, हाथी आदि ।
शस्य	धान, अनाज ।
शिव	शंकर, मंगल, भाग्यशाली ।
शरीर	नटखट, देह ।
शेर	एक जंगली जानवर (मृगराज), उर्दू छन्दविशेष के दो चरण ।
सुधा	पानी, अमृत ।
सैन्धव	घोड़ा, नमक, सिन्धु का विशेषण ।
श्रुति	वेद, कान, किंवदन्ती ।
सर	सिर, तालाब, पराजित ।
सेहत	स्वास्थ्य, सुख, रोग से छुटकारा ।
हंस	एक पक्षी विशेष, प्राण ।
हस्ती	हाथी, अस्तित्व ।
हीन	दीन, रहित, निकृष्ट ।
हेम	सुवर्ण, बर्फ ।

अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

समास, तद्धित और कृदन्त द्वारा वाक्यांश या वाक्य एक शब्द अथवा पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। वस्तुतः वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द अथवा पद निर्माण होना चाहिए। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द होते हैं जो एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ देते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

अनेक शब्द	एक शब्द
जानने की इच्छा	जिज्ञासा
जिसके पार देखा न जा सके	अपारदर्शक
जिसके पार देखा जा सके	पारदर्शक
जिसके हृदय में ममता नहीं है	निर्मम
जिसके समान द्वितीय नहीं है	अद्वितीय
जिसके शेखर पर चन्द्र हो	चन्द्रशेखर
जिसके आने की तिथि मालूम न हो	अतिथि
जिसके दस आनन हैं	दशानन
जिसके पाणि में चक्र है	चक्रपाणि
जिसके पाणि में वज्र है	वज्रपाणि
जिसके पाणि में वीणा है	वीणापाणि
जिसके पाणि में शूल है	शूलपाणि
जिसे चार भुजाएँ हैं	चतुर्भुज
जिसकी ग्रीवा सुन्दर हो	सुग्रीव
जो भू को धारण करता है	भूधर
जिसके दो पद हैं	द्विपद
जिसके चार पद हैं	चतुष्पद
जिसका कोई नाथ (मालिक) न हो	अनाथ
जिसे वेद में विश्वास नहीं है	नास्तिक
जिसे वेद में विश्वास है	आस्तिक
जिसे भय नहीं है	निर्भय
सिर पर धारण करने योग्य	शिरोधार्य
दो बार जन्म लेने वाला	द्विज
जिसका कोई शत्रु नहीं जनमा है	अजातशत्रु
जिसका जन्म अन्त्य (ओछी) जाति में हुआ हो	अन्त्यज

जिसका (धव) मर गया है	विधवा
जिसका पति जीवित (साथ) है	सधवा
अन्डे से जन्म लेने वाला	अण्डज
जल में जन्म लेने वाला	जलज
जिसका जन्म अग्र (पहले) हुआ हो	अग्रज
जिसका जन्म अनु (पीछे) हुआ हो	अनुज
जिसका कारण पृथ्वी है अथवा जो पृथ्वी से संबद्ध है	पार्थिव
जिसका दूसरा उपाय नहीं है	अनन्योपाय
जो सब कुछ जानता है	सर्वज्ञ
जिसमें पाप नहीं है	निष्पाप
तेजवाला	तेजस्वी
जिसने बहुत कुछ देखा या सुना है	बहुदर्शी
जो कहा न जा सके	अकथनीय
अनुचित बात के लिए आग्रह	दुराग्रह
विशेष रूप से ख्यात	विख्यात
जिसकी उपमा न हो	अनुपम
जिसका निवारण नहीं किया जा सके	अनिवार्य
जिसका अनुभव किया गया है	अनुभूत
जो अल्प (कम) जानता है	अल्पज्ञ
जो बहुत जानता है	बहुज्ञ
जो कुछ नहीं जानता है	अज्ञ
जो अग्र (आगे) की बात सोचता है	अग्रसोची
जो नया आया हुआ हो	नवागन्तुक
जो भू के गर्भ (भीतर) का हाल जानता हो	भूगर्भवेत्ता
स्वेद से उत्पन्न होने वाला	स्वेदज
जो किये गये उपकारों को मानता है	कृतज्ञ
जो किये गए उपकारों को नहीं मानता है	कृतघ्न
नहीं मरने वाला	अमर
जो बहुत बोलता है	वाचाल
जो तीनों कालों को देखता है	त्रिकालदर्शी
जो किसी की ओर (प्रति) से है	प्रतिनिधि
सब कुछ खानेवाला	सर्वभक्षी
जो सबमें व्याप्त है	सर्वव्यापी
शिव का उपासक या शिव से संबद्ध	शैव
शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध	शाक्त

जो इन्द्रियों (गो) के ज्ञान के अतीत (बाहर) है	गोतीत, इन्द्रियातीत
विष्णु का उपासक या विष्णु से संबद्ध	वैष्णव
इन्द्रियों को जीतनेवाला	जितेन्द्रिय
जो तीनों कालों को जानता है	त्रिकालज्ञ
जन्म लेते ही मर या गिर जाना	आदण्डपात
अवश्य होने वाला	अवश्यम्भावी
जो स्त्री के वशीभूत है	स्त्रैण
जो युद्ध में स्थिर रहता है	युधिष्ठिर
जो कर्त्तव्य से च्युत होगया है	कर्त्तव्यच्युत
जो कठिनाई (गुरु) से पचता है	गुरुपाक
जो आसानी से पच जाता है	लघुपाक
जो शोक करने योग्य नहीं है	अशोच्य
कठिनाई से समझने योग्य	दुर्बोध
जो विषयों में आसक्त है	विषयासक्त
जो स्त्री सूर्य भी न देख सके	असूर्यम्पश्या
जो अत्यन्त कष्ट से निवारित किया जा सके	दुर्निवार
विदेश में वास करने वाला	प्रवासी
जो बात वर्णन के अतीत (बाहर) है	वर्णनातीत
प्रतिकूल पक्ष का	विपक्षी
जो देखा नहीं जा सकता	अदृश्य
जो दिन में एक बार भोजन करते हैं	एकाहारी
जो मृत्यु के समीप हो	मुमूर्षु
जो ठेंगे-सा नाटा हो	ठिंगना
जो कहा गया है	कथित
जो सरों में जन्म लेता है	सरसिज
जो पूर्व (पहले) में था, पर अब नहीं है	भूतपूर्व
अतिशय या अति (बढ़ा-चढ़ाकर) उक्ति कहना	अतिशयोक्ति, अत्युक्ति
मिष्ठ या मधुर भाषण करने वाला	मिष्टभाषी, मधुरभाषी
जो आमिष (मांस) नहीं खाता	निरामिष
जो स्वयं उत्पन्न हुआ है	स्वयंभू
जो पहरा देता है	प्रहरी
बुरा (दुर्) आग्रह	दुराग्रह
जो आग्रह सत्य हो	सत्याग्रह
जो उक्ति बार-बार कही जाय	पुनरुक्ति
जो हमेशा रहनेवाला है	शाश्वत

जो मुकदमा दायर करता	वादी, मुद्दई
जो अश्व (घोड़ा) का आरोही (सवार) है	अश्वारोही
मार्ग दिखाने वाला	पथप्रदर्शक
तीनों विधियों (शीतल, मंद, सुगन्धित) की वायु	त्रिविध वायु
जो दूसरे (पर) के अधीन है	पराधीन
जो देखने में प्रिय लगता है	प्रियदर्शी
आया हुआ	आगत
लौटकर आया हुआ	प्रत्यागत
जो पुरुष अभिनय करे	अभिनेता
जो स्त्री अभिनय करे	अभिनेत्री
आँखों से परे	परोक्ष
आँखों के सामने	प्रत्यक्ष
परलोक का	पारलौकिक
लोक से सम्बन्धित	लौकिक
जो चिरकाल तक ठहरे	चिरस्थायी
जो नष्ट होने वाला है	नश्वर
जो रथ पर सवार है	रथी
जो चक्र धारण करता है	चक्रधर
जो जन्म से अन्धा है	जन्मान्ध
जो हमेशा खड्ग (तलवार) हस्त (हाथ) में लिये तैयार है	खड्गहस्त
जो हाथ से मुक्त (खूब देने वाला) है	मुक्तहस्त
जो कष्ट सहन करके	कष्टसहिष्णु
जो दूसरे से ईर्ष्या करता है	ईर्ष्यालु
जो फल आहार करता है	फलाहारी
जो माँस आहार करता है	मांसाहारी
जो शाक आहार करता है	शाकाहारी
जो मत्स्य का आहार करता है	मत्स्याहारी
जो शत्रु की हत्या करता है	शत्रुघ्न
जो पिता की हत्या कर चुका	पितृहंता
जो आत्मा की हत्या करता है	आत्मघाती
जो नभ या ख (आकाश) में चलता है	नभचर, खेचर
गृह बसाकर रहने वाला	गृहस्थ
जो विज्ञान जानता है	वैज्ञानिक
जो प्रिय बोलता है	प्रियंवद
जो कोई वस्तु वहन करता है	वाहक

बिना वेतन के	अवैतनिक
बिना अंकुश का	निरंकुश
जो व्याकरण जानता है	वैयाकरण
हृदय को विदारण करने वाला	हृदयविदारक
समान वय (उम्र) वाला व्यक्ति	समवयस्क
पहले पहल मत को प्रवर्तित (जारी) करने वाला	आदि प्रवर्त्तक
बहुत-सी भाषाओं का बोलने वाला	बहुभाषाभाषी
बहुत-सी भाषाओं को जानने वाला	बहुभाषाविद्
प्राण देने वाली दवा	प्राणदा
धन देने वाला (व्यक्ति या देवता)	धनद, कुबेर
अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला	स्वयंसेवक
जानने की इच्छा रखने वाला	जिज्ञासु
लोम (रोंगटे) खड़े करने वाला	लोमहर्षक
जो बातें पुस्तक के आरम्भ में कही या लिखी जायें	भूमिका, प्राक्कथन
वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं है	विपत्नीक
वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है	सपत्नीक
वह स्त्री जिसका पति आने वाला है	आगमिष्यत्पतिका
वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे	परित्यक्ता
पाद (पैर) से मस्तक तक	आपादमस्तक
न बहुत शीत और न बहुत उष्ण	समशीतोष्ण
पीछे-पीछे गमन करने वाला	अनुगामी
जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो	लब्धप्रतिष्ठ
पर्वत की कन्या	पार्वती
कुन्ती का पुत्र	कौन्तेय
दशरथ का पुत्र	दाशरथि
गंगा का पुत्र	गांगेय
महल के अन्तः (अन्दर) का पुर	अन्तःपुर
वचन द्वारा जो कहा न जा सके	अनिर्वचनीय
जो उर (छाती) के बल गमन करता है	उरग
जानुओं तक जिसकी बाहुएँ हैं	आजानुबाहु
याचना करने वाला	याचक
करने योग्य	करणीय
पूजने योग्य	पूजनीय, पूज्य
पूछने योग्य	प्रष्टव्य
देखने योग्य	द्रष्टव्य

सुनने योग्य	श्रव्य, श्रवणीय
अपने उच्च आचारों से जो पूत (पवित्र) है	आचारपूत
जिसे जीता न जा सके	अजेय
चलने-फिरने वाली सम्पत्ति	चलसम्पत्ति
जो अनुकरण करने योग्य हो	अनुकरणीय
खून से रँगा या सना	रक्तरंजित
आदि से अन्त तक	आद्योपान्त
दाव (जंगल) का अनल (अग्नि)	दावानल
जठर (पेट) का अनल	जठरानल
वाडव (समुद्र) का अनल	वाडवानल
जो राजगद्दी का अधिकारी हो	युवराज
जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद (बचाव या काट) करे	प्रतिवादी
रात और संध्या के बीच की बेला	गोधूलि
नव (अभी-अभी) जन्म-हुआ	नवजात
जो सबसे आगे गिनने योग्य है	अग्रगण्य
जहाँ तक सध सके	यथासाध्य
वृष्टि का अभाव	अनावृष्टि
अत्यधिक वृष्टि	अतिवृष्टि
पुत्र का पुत्र	पौत्र
पुत्र की वधू	पुत्रवधू
उपकार के प्रति किया गया उपकार	प्रत्युपकार
एक-एक अक्षर तक	अक्षरशः
दिन पर दिन	दिनानुदिन
जिसका प्रतिद्वन्द्वी शासक न हो	अप्रतिशासन
जहाँ खाना सदा मुफ्त मिलता है	सदाव्रत
जहाँ औषध दान स्वरूप मिलती है	दातव्य औषधालय
अनिश्चित वृत्ति (जीविका)	आकाशवृत्ति
जो धर्माचरण करता है	धर्मात्मा
जिसका मन किसी अन्य (दूसरी) ओर हो	अन्यमनस्क
जो पांचाल देश की है	पांचाली
द्रुपद की पुत्री	द्रौपदी
किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु	थाती, धरोहर, अमानत
जो यान (सवारी) जल में चलता है	जलयान
युग निर्माण करने वाला	युगनिर्माता
जो पुरुष लोहे की तरह दृढ़ है	लौहपुरुष

जहाँ लोगों का मिलन हो	सम्मेलन
जहाँ नदियों का मिलन हो	संगम
जो पर्दे में रहे	पर्दानशीं
जिसका उदर लम्बा हो	लम्बोदर
जो सबसे आगे रहता है	अग्रणी
जिसका मूल नहीं है	निर्मूल
जो मोक्ष चाहता है	मुमुक्षु
जिसकी मति (बुद्धि) शीघ्र सोचने वाली है	प्रत्युत्पन्नमति
जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो	कुशाग्रबुद्धि
वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गयी है	विधुर
कम बोलने वाला	मितभाषी
जिसे तोड़ा न जा सके	अभेद्य
जो कठिनाई से तोड़ा जा सके	दुर्भेद्य
जिसकी आशा न की गई हो	अप्रत्याशित
जिसका अर्थ, कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो	कृतकृत्य, कृतकार्य
जिस पेड़ के पत्ते (पर्ण) झड़ गए हों	अपर्ण
जो मापा न जा सके	अपरिमित, अपरिमेय
देखने की इच्छा	दिदृक्षा
तैरने की इच्छा	तितीर्षा
लाभ की इच्छा	लिप्सा
जीतने की इच्छा	जिगीषा
खाने की इच्छा	बुभुक्षा
करने की इच्छा	चिकीर्षा
मरण तक	आमरण
जीवन भर	आजीवन
जन्म भर या जन्म से लेकर	आजन्म
कई में से एकमात्र	अन्यतम
उच्चवर्ग के पुरुष के साथ निम्नवर्ग की स्त्री का विवाह	अनुलोम विवाह
किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग	स्पर्द्धा
बिना पलक गिराए	निर्निमेष, अपलक
जो बाएँ (सव्य) हाथ से सधा हुआ है	सव्यसाची
मेघ की तरह नाद (आवाज) करने वाला	मेघनाद
जिस स्त्री को कोई सन्तान न हो	बाँझ, बन्ध्या
गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी	अन्तेवासी
जिसका ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा न हो	अगोचर, अतीन्द्रिय
एक ही उदर से जन्म लेने वाला	सहोदर ।

युग्मशब्द (PAROMYMS) या समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द

कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण एक समान होता है, लेकिन उनके अर्थ में भेद होता हैं। इन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द अथवा सोच्चारिप्राय भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनके उदाहरण—

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अंब	माता, आम	अवदान	निर्मल, सफेद
अंबु, अंभ	जल	उदात्त	ऊँचा
अंत्य	नीच, अंतिम	आवृत्ति	बेकारी
अंत	समाप्ति	आवृत्ति	दुहराना
अंश	हिस्सा	अपेक्षा	इच्छा, तुलना में
अंस	कंधा	उपेक्षा	निरादर
अँगना	आँगन	अपथ्य	जो बीमार के अनुकूल न हो
अंगना	स्त्री		
अंधकारि	शिव	अपत्य	संतान
अंधकारी	भैरव राग की एक स्त्री	अन्तराय	विघ्न
		अन्तराल	बीच की फाँक
अंबुज	कमल	अतुल	जिसकी तुलना न हो सके
अंबुधि	सागर	अतल	गहरा
अविराम	लगातार	अनिष्ठ	निष्ठाहीन
अभिराम	सुन्दर	अनिष्ट	बुराई
अनल	आग	अवलम्ब	सहारा
अनिल	हवा	अविलम्ब	शीघ्र
अणु	कण	अश्व	घोड़ा
अनु	पीछे	अश्म	पत्थर
अन्न	अनाज	अचर	न चलनेवाला
अन्य	दूसरा	अनुचर	नौकर
अशन	भोजन	अशक्त	असमर्थ
आसन	बैठने की वस्तु	असक्त	विरक्त
अवध्य	जो वध के योग्य न हो	अलीक	झूठ
अवंद्य	निन्दनीय	अलिक	ललाट

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अन्योन्य	परस्पर	अलक	बाल
अन्यान्य	दूसरा-दूसरा	अवदान	प्रशंसित कार्य या देन
अजर	जो बूढ़ा न हो	अवधान	मनोयोग
अजिर	आँगन	अरी	स्त्री के लिए संबोधन
		अरि	शत्रु
अचिर	जल्दी	अध्ययन	पढ़ना
अघ	पाप	अध्यापन	पढ़ाना
अग	अचल, सूर्य	अब्ज	कमल
अगम	अगम्य	अब्द	बादल
आगम	शास्त्र, प्राप्ति	अस्र	आँसू
अमित्र	शत्रु	अस्त्र	हथियार
अमात्य	मंत्री	असित	काला
अमित	अत्यधिक	अशित	भोथरा
उभय	दोनों	अर्घ	मूल्य
अभय	निर्भय	अर्घ्य	पूजन सामग्री
अवधूत	संन्यासी	अविहित	अनुचित
अधूत	निर्भय	अभिहित	उक्त
अवधी	एक भाषा	अथक	बिना थके हुए
अवधि	समय	अकथ	जो कहा नहीं जाय
अलि	भौंरा	(आ-इ+ई)	
अली	सखी		
यक्ष	एक देवजाति	आदि	आरम्भ, इत्यादि
अक्ष	धुरी	आदी	अभ्यस्त, अदरक
अधर्म	पाप	आधि	मानसिक रोग
अधम	नीच	आरति	विरक्ति, दुख
अभिज्ञ	जानने वाला	आराति	शत्रु
अनभिज्ञ	अनजान	आरती	धूप-दीप दिखाना
आयसु	आज्ञा	आस्तिक	ईश्वरवादी
अयस	लोहा	आस्तीक	एक ऋषि, जिन्होंने
अयश	अपकीर्ति		जन्मेजय के नागयज्ञ
			तक्षक के प्राण बचाये थे ।
आभास	झलक	उपरत	उदासीन
आवास	वासस्थान	उपरक्त	भोगविलास में लीन
आसन्न	निकट आया हुआ	उपल	पत्थर

शब्द	अर्थ
आसन	बैठने की वस्तु
आहुति	होम
आहूत	निमन्त्रित
आकर	खान
आकार	रूप
आभरण	गहना
आमरण	मरण तक
आहरण	हरना
आयत	लम्बा-चौड़ा
आयात	बाहर से आना
आर्द्र	गीला
आर्त्त	दुखी
आविल	गन्दा
अवलि	पंक्ति
इत्र	सुगन्ध
इतर	दूसरा
इति	अन्त
ईति	फसल में बाधा
इन्दु	चन्द्रमा
इन्दुर	चूहा
ईशा	ऐश्वर्य
ईषा	हलकी लंबी लकड़ी

(उ-ऊ-ऋ)

उपकार	भलाई
अपकार	बुराई
उद्धत	उद्दण्ड
उद्यत	तैयार
कृपण	कंजूस
कृपाण	तलवार
कर्ण	कान, एक नाम
करण	एक कारक
कदन	हिंसा
कदन्न	खराब अन्न

शब्द	अर्थ
उत्पल	कमल
उपला	गोइँठा
ऋत	सत्य
ऋतु	मौसम

(क-ख-ग-घ)

कंगाल	गरीब
कंकाल	ठठरी
कस	दबाव
कष	कसौटी
कश	चाबुक
कुल	वंश
कूल	किनारा
कर्म	कार्य
क्रम	सिलसिला
कृति	रचना
कृती	निपुण
कृत्ति	मृगचर्म
कीर्ति	यश
कृत	किया हुआ
क्रीत	खरीदा हुआ
कली	अधखिला फूल
कलि	कलियुग
कान्ति	चमक
क्लान्ति	थकावट
क्रान्ति	उलटफेर
कूजन	पक्षियों की ध्वनि
कुजन	दुर्जन
कपीश	हनुमान्, सुग्रीव
कपिश	मटमैला
कुंतल	सिर के बाल
कुण्डल	कान का आभूषण
कुच	स्तन
कूच	प्रस्थान

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
कहा	कहना का भूतकाल	कुट	किला
कहाँ	स्थान निर्देशक अव्यय	कूट	पहाड़ की चोटी
केन	एक उपनिषद्	कर्कट	केंकड़ा
केंद	एक जंगली पेड़	करकट	कूड़ा
कर्त्तन	कतरना	कटिबन्ध	कमरबन्द
कीर्त्तन	भजन	कटिबद्ध	तैयार
कटक	सेना	कटीली	तीक्ष्ण
कटुक	कड़वा	कँटीली	काँटेदार
कंजर	नीच पुरुष	कुनवा	खरीदने वाला
कुंजर	हाथी	कुनबा	घर, परिवार
काष्ठ	काठ	कृशानु	आग
काष्ठा	दिशा	कृषाण	किसान
काँटा	नुकीला अंकुर, तराजू	करीश	गजराज
काटा	काटना का भूतकाल	करीष	सूखा गोबर
कल्मष	पाप	काश	शायद
कल्माष	काला	कास	खाँसी, एक घास
कान्ता	सुन्दर स्त्री	क्षत्र	क्षत्रिय
कान्तार	वन	छत्र	छाता
कीला	गाड़ा या बाँधा	क्षात्र	क्षत्रिय सम्बन्धी
किला	गढ़	छात्र	विद्यार्थी
कलील	घोड़ा	कोश	डिक्शनरी
कलिल	मिश्रित	कोष	खजाना
कपि	बन्दर	खल	दुष्ट
कपी	घिरनी	खलु	ही, तो (अव्यय)
खोआ	दूध की बनी ठोस वस्तु	चपरास	चपरासियों का पट्टा
खोया	भूल गया	चपड़ा	लाह
गूढ़	गम्भीर	चक्रवाल	एक पर्वत
गुड़	शक्कर	चक्रवात	बवंडर
गण	समूह	चक्रवाक	चकवा पक्षी
गण्य	गिनने योग्य	छन्द	पद्यबन्ध
ग्रह	सूर्य-चन्द्र आदि	छिद्र	छेद
गृह	घर	छाक	तृप्ति
		छाग	बकरा

शब्द	अर्थ
(च से झ तक)	
चीर	कपड़ा
चिर पुराना	जरा
चीता	एक जानवर
चिता	शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर
चूर	कण, चूर्ण
चूड़	चोटी
चाष	नीलकण्ठ पक्षी
चास	खेती, जोताई
चषक	प्याला
चसक	आदत
चतुष्पद	जानवर
चतुष्पथ	चौराहा
चरि	पशु
चरी	हरा चारा
चार	चार संख्या
चारु	सुन्दर
चर	नौकर, दूत
च्युत	गिरा हुआ
चूत	आम का पेड़
(त-थ-द-ध-न)	
तनु	दुबला-पतला
तनू	पुत्र
तुंड	मुँह
तुंद	पेट
तर्क	बहस
तक्र	मट्ठा
तरि	नाव
तरी	गीलापन
तरंग	लहर

शब्द	अर्थ
जगत्	संसार
जगत	कुएँ का चौतरा
जरा	थोड़ा
जरा	बुढ़ापा
जलद	बादल
जलज	कमल
जाया	व्यर्थ
जाया	पत्नी
जिला	चमक
जिला	इलाका
जीन	वृद्ध
जिन	सूर्य
जघन्य	शूद्र
जघन	नितम्ब
(ट-ठ-ड-ढ)	
टोंटा	बन्दूक का कारतूस
टोटा	घाटा
टूक	टुकड़ा
टुक	थोड़ा
डीठ	दृष्टि
ढीह	निडर
दावा	बन की आग
दाबा	कलम तैयार करना
द्रौणि	दोण का पुत्र
द्रोणी	डोंगी, दोना
द्विप	हाथी
द्वीप	टापू
दमन	दबाना
दामन	अंचल, छोर
दाँत	मुँह का दाँत
दात	दिया हुआ
दाह	ज्वाला

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तुरंग	घोड़ा	दह	कुंड
तव	तुम्हारा	दाई	दासी
तब	इसके बाद	दायी	देने वाला
तप्त	गर्म	दंशन	दाँत से काटना
तृप्त	संतुष्ट	दशन	दाँत
तोष	सन्तोष	दिवा	दिन
तोश	हिंसा	दीवा	दीपक
तड़ाक	जल्दी से	देव	देवता
तड़ाग	तालाब	दैव	भाग्य
तरणि	सूर्य	द्रव	रस
तरणी	नाव	द्रव्य	पदार्थ
तरुणी	युवती	दंश	डंक
दार	स्त्री	दश	दस अंक
द्वार	दरवाजा	धुरा	अक्ष
दिन	दिवस	धूरा	धूल
दीन	गरीब	नीड़	घोंसला
दारु	लकड़ी	नीर	जल
दारू	शराब	निहित	छिपा हुआ
दूत	सन्देशवाहक	निहत	मरा हुआ
नित	हरदिन	निशाचर	राक्षस
नीत	लाया हुआ	निशाकर	चन्द्रमा
नत	झुका हुआ	नहर	कृत्रिम नदी
नियत	निश्चित	नाहर	सिंह
नियति	भाग्य	नाई	तरह, समान
नीयत	मंशा	नाई	हजाम
नगर	शहर	नारी	स्त्री
नागर	चतुर्थ व्यक्ति	नाड़ी	नब्ज
नशा	मद	निसान	झंडा
निशा	रात	निशान	चिह्न
निशित	तीक्ष्ण		
निशीथ	आधीरात	(प-फ-ब-भ-म)	
निवार	रोकना	प्रतीप	उलटा
निवार	जंगली थान	प्रदीप	दीपक

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
निश्चल	अटल	पुरुष	नर
निश्छल	छलरहित	परुष	कठोर
नियुक्त	बहाल किया हुआ	प्रधान	मुख्य
नियुत	लाख	परिधान	वस्त्र
निमित्त	हेतु	प्रसाद	कृपा
नांदी	नाटक का मंगलाचरण	प्रणय	प्रेम
नंदी	शिव का बैल	परिणय	विवाह
नीरद	बादल	प्रबल	शक्तिशाली
नीरज	कमल	प्रवर	श्रेष्ठ
नीत	प्राप्त	परिणाम	फल
नेति	न इति	परिमाण	मात्रा
नेती	मथानी की रस्सी	पास	निकट
निर्जर	देवता	पास	बंधन
निर्झर	झरना	पानी	जल
निर्वाद	निन्दा	पाणि	हाथ
निर्विवाद	विवादरहित		
प्रस्तार	फैलाव	परिहत	मरा हुआ
प्रस्तर	पत्थर	परिहित	पहना हुआ
परिताप	दुख	प्रतिषेध	निषेध
प्रताप	ऐश्वर्य	प्रतिशोध	बदला
पेय	पीने योग्य	परीक्षा	इम्तहान
प्रेय	प्रिय	परिक्षा	कीचड़
परिमिति	माप, तौल	प्रधर्षण	अपमान
परमिति	चरम सीमा	प्रदर्शन	दिखलाने का काम
पुष्कल	प्रभूत	परिहार	परित्याग निराकरण
पुष्कर	जलाशय	प्रहार	आघात
प्रमाण	सबूत	प्रद्वेष	शत्रुता
प्रणाम	नमस्कार	प्रदेश	प्रान्त
प्राकार	घेरा	पर्यंक	पलंग
प्रकार	किस्म	पर्यन्त	तक
प्राकृत	एक भाषा	पांशु	धूलि
प्रकृत	असली	पशु	जानवर
पीक	पान आदि की थूक	पत्र	पड़ा हुआ

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
पीक	कोयल	पन	संकल्प
पराग	पुष्पराज	पथ	रास्ता
पारग	पारंगत	पथ्य	रोगी का भोजन
प्रेषित	भेजा हुआ	परिच्छद	पोशाक ढाँकने की वस्तु
पत्ति	पैदल सिपाही	परिच्छेद	अध्याय
पत्ती	छोटा पत्ता	प्रवार	वस्त्र
पत	सम्मान	प्रवाल	मूँगा
पति	स्वामी	परबर्ता	पहाड़ी तोता
पवन	वायु	परवक्ता	दूसरे की कहने वाला
पावन	पवित्र		
पदत्राण	जूता	परिजन	नौकर-चाकर
परित्राण	रक्षा	परजन्य	बादल
पुर	नगर	बल	ताकत
पूर	बाढ़	वल	मेघ
पाश	बंधन	वहन	ढोना
पार्श्व	बगल	बहन	बहिन
पलटी	बदली	बाट	रास्ता
पलथी	बैठने का एक ढंग	बाँट	भाग
प्रहार	चोट	बाँस	एक वनस्पति
प्रहर	पहर (समय)	वास	निवास
पौत्र	पोता	बास	गंध
पोत	जहाज	बली	बीर
प्रण	प्रतिज्ञा	बलि	बलिदान
प्राण	जान	बायीं	'बायाँ' का स्त्रीलिंग
पाहन	पत्थर	बाई	वेश्या, बहन
पावन	पवित्र	बन्दी	चारण
पाहुन	मेहमान	बन्दी	कैदी
प्रतिहार	द्वारपाल	बंद	जो खुला न हो
प्रत्याहार	वर्णों का वर्ग	बद	बुरा
प्रवाह	बहाव	बारिश	वर्षा
परवाह	चिन्ता	बारीश	समुद्र
पट	कपड़ा	बात	वचन
पट्ट	तख्ता	वात	हवा

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
प्रकोट	परकोटा	बम्	शिवजी की आराधना का एक शब्द
प्रकोप	अत्यधिक क्रोध		
प्ररोचन	रुचि उत्पन्न करना	बम	विस्फोटक गोला
प्ररोधन	ऊपर रोकना, चढ़ाना	बुरा	खराब
प्रवाल	मूँगा	बूरा	शक्कर
प्रवास	विदेश में निवास	बन	बनना
फन	कला	वन	जंगल
फल	सर्प का फण	बहु	बहुत
फूट	खरबूजा जाति का फल	बहू	पुत्रवधू
फुट	अकेला		
वरण	चुनाव	मरिच	मिर्च
वर्ण	रंग	मरीची	सूर्य
व्रण	घाव	मरीचि	किरण
बाण	तीर	मूल	जड़
बान	आदत	मूल्य	कीमत
बुर्द	नफा	मेघ	बादल
बुर्ज	गुंबद	मेघ	यज्ञ
वीणा	तार का एक बाजा	मणि	रत्न
बिना	अभाव	मणी	सर्प
वार	चोट	मांस	गोश्त
बार	दफा	मास	महीन
बिद्ध	छिदा हुआ	मनुजात	मनु से उत्पन्न
बद्ध	बँधा हुआ	मनुजाद	नरभक्षक
भाट	चारण		
भीड़	जनसमूह	(य-र-ल-व-श-स-ह)	
भिड़	बर्रे	यान	सवारी
भंगी	मेहतर	जान	प्राण
भंगि	लहर	यश	कीर्ति
भित्ति	दीवार	जस	जैसा
भीत	डरा हुआ	राज	रहस्य
भवन	घर	राज	शासन
भुवन	संसार	राँड़	विधवा
भारती	सरस्वती	रार	झगड़ा

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
भारतीय	भारत के वासी	रति	कामदेव की स्त्री
मल	गंदगी	रत	लीन
मल्ल	पहलवान	राग	लय
मनोज	कामदेव	रग	नस
मनुज	मनुष्य	रंग	वर्ण
मद्य	शराब	रंक	दरिद्र
मद	अहंकार	रोचक	रुचने वाला
रोशन	प्रकट	रेचक	दस्तावर
रोषण	पारा, कसौटी	व्यंग	विकलांग
लक्ष्य	उद्देश्य	व्यंग्य	उपालम्भ, हास
लक्ष	लाख	वृन्त	डंठल
लवण	नमक	वृन्द	समूह
लवन	खेती की कटाई	शंकर	महादेव
लास्य	एक नृत्य विशेष	संकर	दोगला, मिश्रित
लाश	शव	सर	तालाब
लुटना	बरबाद होना	शर	बाण
लूटना	लूट लेना	शूर	वीर
विष	जहर	सुर	देवता
विस	कमल का डंठल	सूर	अन्धा, सूर्य
वसन	कपड़ा	सूत	सारथी, धागा
व्यसन	आदत	सुत	बेटा
विस्मृत	भूला हुआ	सूची	सूई, विषयक्रम
विस्मित	आश्चर्यित	सूचि	सूई, सूचना करने वाला
वित्त	धन	शुचि	पवित्र
वृत्त	गोलाकार	शची	इन्द्राणी
वाद	तर्क, विचार	सम	समान
वाद्य	बाजा	शम	संयम
वस्तु	चीज	सुअन	पुत्र
वास्तु	मकान	सुमन	फूल
विपिन	जंगल	सर्ग	अध्याय
विपन्न	विपत्तिग्रस्त	स्वर्ग	तीसरा लोक
वासना	कामना	सर्व	सब
बासना	सुगन्धित करना	शर्व	शिव

शब्द	अर्थ
विकट	कठिन
विकच	खिलना
विधायक	विधान बनाने वाला
विधेयक	विधान, नियम
संवार	आच्छादन
सँवार	सजाना
संकरी	दोगली
सँकरी	पतली
शाला	घर
साला	पत्नी का भाई
शहर	नगर
सहर	सवेरा
शबल	चितकबरा
सबल	ताकतवर
शप्ति	शाप
सप्ति	घोड़ा
शप्त	शाप पाया हुआ
सप्त	सात
सिर	मस्तक
सीर	हल
सुधि	स्मरण
सुधी	विद्वान्
सुकर	आसानी से होने वाला
शूकर	सुअर
सेव	बेसन का एक पकवान
सेब	एक फल
सवा	चौथाई
सबा	सुबह की हवा
सन्	साल
सन	पटुआ
सीता	जानकी
सिता	चीनी
सीसा	एक धातु

शब्द	अर्थ
सूक्ति	अच्छी उक्ति
शुक्ति	सीप
सखी	सहेली
सखी	दानी
सागर	समुद्र
समान	सदृश
सामान	सामग्री
साँस	मुँह से हवा लेना
सास	पति या पत्नी की माँ
स्याम	एक देश का नाम
श्याम	काला, श्रीकृष्ण
स्वेद	पसीना
श्वेत	सफेद
सलिल	पानी
सलील	लीला के साथ
सती	पतिव्रता स्त्री
शती	सैकड़ा
शारदा	सरस्वती
सारदा	सारभाग देनेवाली
सीकर	जलकण
सीकड़	जंजीर
संघ	समिति
संग	साथ
सदेह	देह के साथ
सन्देह	शक
स्वर	आवाज
स्वर्ण	सोना
सकल	सम्पूर्ण
शकल	टुकड़ा
शक्ल	चेहरा
सकृत्	एक बार
शकृत्	मैला
सुकृति	पुण्य

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
शीशा	काँच	सुकृती	पुण्यवान्
स्वपच	स्वयंपाकी	स्वच्छ	साफ
श्वपच	चाण्डाल	स्वक्ष	सुन्दर आँख
सागर	प्याला	शस्त्र	हथियार
स्वजन	अपना आदमी	शास्त्र	सैद्धान्तिक ग्रन्थ
स्वजन	कुत्ते	श्वश्रू	सास
सज्जा	सजावट	श्मश्रु	दाढ़ी-मूँछ
शय्या	बिछावन	श्रवण	सुनना
शराब	मदिरा	श्रमण	बौद्ध संन्यासी
शराव	मिट्टी का प्याला	स्रवण	टपकना
श्रम	परिश्रम	श्रोत्र	कान
शर्म्म	सुख, मकान	स्रोत	धारा
सान	बराबर	हुँकार	पुकार
शाण	धार तेज करने का पत्थर	हुंकार	ललकार
शान	इज्जत, तड़क-भड़क	हरि	विष्णु
शुल्क	फीस	हरी	हरे रंग की
शुक्ल	स्वच्छ, सफेद	हल्	शुद्ध व्यंजन
शव	लाश	हल	हल जोतने का औजार
शब	रात	हंसी	हंस की मादा
शित	दुर्बल	हँसी	हँसने की क्रिया
शशधर	चाँद		
शुक	सुग्गा		
शकट	बैलगाड़ी		
शील	चरित्र		
शेखर	भूषण		
शीत	ठंढा		
शशिधर	शंकर जी		
शूक	जौ		
शकठ	मचान		
सील	मुहर		
शिखर	चोटी		

एकार्थक शब्द और उनमें सूक्ष्म शब्द

इस प्रकार के शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। प्रायः हम इन एकार्थक शब्दों का प्रयोग, जिनके अर्थ में थोड़ी-बहुत समानता होती है, समानार्थी शब्दों के रूप में कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। एकार्थक शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

(1) **अनुभव**—इन्द्रियों के माध्यम से अनुभव होता है।

अनुभूति—अनुभव की तीव्रता अनुभूति है। अनुभव के बाद अनुभूति होती है।

(2) **अभिमान**—प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना अभिमान।

घमंड—सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना घमंड है।

अहंकार—मन का गर्व अथवा झूठे अपनेपन का बोध अहंकार है।

दर्प—नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमण्ड करना।

(3) **अनुकूल**—इससे उपादेयता और उपयोगिता का बोध होता है। जैसे—यहाँ की जलवायु अंग्रेजों के अनुकूल नहीं है।

अनुरूप—इससे योग्यता का बोध होता है। जैसे—दिनकर को उनकी रचना के अनुरूप इनाम मिला।

(4) **अज्ञ**—अनजान, किन्तु बताने पर जो जान जाय मूर्ख-बुद्धिहीन, किन्तु जो बताने पर भी न जाने।

(5) **अनुरोध**—बराबर वालों से अनुरोध किया जाता है।

प्रार्थना—भगवान् से अथवा अपने से बड़ों से प्रार्थना की जाती है।

(6) **अस्त्र**—वह हथियार जो फेंककर चलाया जाय, जैसे—तीर।

शस्त्र—वह हथियार जो हाथ में रख कर चलाया जाय, जैसे—तलवार।

(7) **अपराध**—सामाजिक कानून का उल्लंघन अपराध है। जैसे—हत्या करना आदि।

पाप—नैतिक नियमों को न मानना पाप है। जैसे—झूठ बोलना।

(8) **अवस्था**—जीवन के कुछ बीते हुए काल को अवस्था कहते हैं। जैसे—इस समय आपकी क्या अवस्था होगी ?

आयु—संपूर्ण जीवन की अवधि को 'आयु' कहते हैं। जैसे—आपकी आयु लम्बी हो।

(9) **अपवाद**—किसी पर झूठमूठ दोष लगाना।

निन्दा—किसी के अवगुणों का उल्लेख करना।

(10) **अपयश**—स्थायी रूप से दोषी होना।

कलंक—कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना।

(11) **अभिज्ञ**—जिसे अनेक विषयों की साधारण जानकारी हो।
विज्ञ—जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो।

(12) **अलौकिक**—जो संसार में दुर्लभ हो।
असाधारण—जो कार्य आदि साधारण से बहुत बढ़कर हो।

(13) **अधिक**—आवश्यकता से ज्यादा।
काफी—जरूरत से न ज्यादा और न कम।

(14) **अज्ञेय**—जो किसी भी प्रकार जाना न जा सके।
अगोचर—जो इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य न हो, परन्तु ज्ञान अथवा बुद्धि से समझ में आ जाय।

(15) **अद्वितीय**—जिसकी बराबर का दूसरा न हो।
अनुपम—जिसकी किसी से उपमा न की जा सके।

(16) **अनुराग**—किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन लगाना।
आसक्ति—मोहजनित प्रेम आसक्ति है।

(17) **अनबन**—दो व्यक्तियों में आपस में न बनना और उनका अलग रहना।
खटपट—दो व्यक्तियों में बहुत ही साधारण कहासुनी होना।

(18) **अन्वेषण**—(Exploration) अज्ञात वस्तु, स्थान आदि का पता लगाना।
अनुसन्धान—(Investigaton) प्रत्यक्ष तथ्यों में से कुछ प्रच्छन्न तथ्यों की सूक्ष्म छानबीन।
गवेषणा—(Research) किसी विषय की मूलस्थिति को जानने के लिए कुछ समय तक चलते रहने वाला विचारपूर्ण अध्ययन।

(19) **अंतःकरण**—शुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति।
आत्मा—एक अलौकिक और अतीन्द्रिय तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता।

(20) **अधिवेशन**—किसी लक्ष्य के लिए होने वाली प्रतिनिधियों की बड़ी, परन्तु अस्थायी सभा अधिवेशन है।
परिषद्—यह एक स्थायी समिति होती है जो किसी विशेष विषय पर विचार-विमर्श के लिए बुलायी जाती है।

(21) **अभिनन्दन**—किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को निमंत्रित करके स्वागत करना।
स्वागत—अपनी प्रथा एवं सभ्यता के अनुसार किसी को सम्मान देना।

(22) **अर्चना**—धूप, दीप आदि से देवता की पूजा करना।
पूजा—बिना किसी वस्तु के भी भक्तिपूर्ण प्रार्थना।

(23) **अत्यन्त**—जो चाहने या न भी चाहने पर जिम्मे आ पड़े।
अतिरिक्त—जो इच्छित मात्रा से अधिक हो।

(24) **अध्यक्ष (President)**—किसी गोष्ठी, समिति, संस्था आदि के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं।

सभापति—(Chairman) किसी आयोजित बड़ी अस्थायी सभा के प्रधान को सभापति कहते हैं।

(25) **आज्ञा**—आदरणीय व्यक्ति द्वारा किया गया कार्यनिर्देश।

आदेश—किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्यनिर्देश।

(26) **आतंक (Terror)**—जहाँ शरण पाने की संभावना न हो।

आशंका—भविष्य में अमंगल होने का भ्रम।

भय—(Fear) अनिष्ट का डर।

(27) **आधिदैविक**—देवताओं से संबंधित।

आधिभौतिक—पंचभूतों से संबंधित।

(28) **आगामी**—आगे आनेवाला जिसमें निश्चय का बोध हो।

भावी—भविष्य का बोध जिसमें अनिश्चय हो।

(29) **आधि**—मानसिक कष्ट, जैसे चिन्ता।

व्याधि—शारीरिक कष्ट, जैसे ज्वर।

(30) **आराधना**—किसी देवता के सामने की गयी दया की याचना।

उपासना—किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति कि लिए की गयी एकनिष्ठ साधना।

(31) **आदरणीय**—अपने से बड़ों के प्रति सम्मानसूचक शब्द।

पूजनीय—पिता, गुरु या महापुरुषों के प्रति सम्मानसूचक शब्द।

(32) **ईर्ष्या**—दूसरे की सफलता देखकर मन में जलना।

स्पर्धा—दूसरे को बढ़ते देखकर स्वयं बढ़ने की इच्छा करना।

द्वेष—दूसरे के प्रति घृणा या शत्रुता का स्थायी भाव।

(33) **इच्छा**—किसी भी वस्तु को पाने के लिए साधारण इच्छा।

अभिलाषा—किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा।

कामना—किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा।

(34) **उदाहरण**—(Example) किसी नियम के विवेचन में दिया गया तथ्य।

निदर्शन—(Illustration) साधारण रूप से किसी बात के समर्थन में दिया गया तथ्य।

दृष्टान्त—(Instance) किसी भी कथन के समर्थन में दिखलाया जानेवाला कथन, वस्तु या तथ्य।

(35) **उद्योग**—किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्साह से किया गया प्रयत्न।

प्रयास—साधारण प्रयत्न।

(36) **उपकरण**—ऐसी जुटायी गयी सामग्री जिससे कोई कार्य सिद्ध हो। जैसे, कपड़ा।

उपादान—किसी वस्तु को बनानेवाली सामग्री।

(37) **उपयोग**—किसी वस्तु को सुन्दर ढंग के काम में लाना।
प्रयोग—किसी वस्तु को सामान्य रूप से व्यवहार में लाना।

(38) **उपक्रमणिका**—विषय सूची जो ग्रंथ के शुरू में दी जाती है।
अनुक्रमणिका—वर्णानुक्रम-विषयसूची जो ग्रंथ के अंत में दी जाती है।

(39) **उत्साह**—काम करने की बढ़ती हुई रुचि।
साहस—साधन न रहते हुए भी काम करने की तीव्र इच्छा।

(40) **ऋषि**—ब्रह्मज्ञानी।
मुनि—धर्म और तत्व पर विचार करनेवाला पुरुष।

(41) **ओज**—(Vigour) वह आन्तरिक शक्ति जो मन और शरीर को चालित रखती है।
पौरुष—वीरतापूर्ण कार्य करने की अपूर्व क्षमता, जो ओज से प्राप्त होती है।

(42) **कृपा**—(Kindness) दूसरे का कष्ट दूर करने की साधारण चेष्टा।
दया—(Mercy) दूसरे के कष्ट को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा।

(43) **कंगाल**—जिसे भोजन के लिए भी भीख माँगनी पड़े।
दीन—गरीबी के कारण जिसका आत्मगौरव नष्ट हो चुका है।

(44) **क्रोध**—अपमानित होने पर क्रोध होता है।
अप्रसन्नता—इसमें क्रोध जैसी तेजी नहीं होती। वस्तुतः उचित आदर न मिलने से अप्रसन्नता होती है।

(45) **काल**—भूत, वर्तमान और भविष्यत् के तौर पर बँधा हुआ 'समय' का साधारण रूप।
समय—काल का किसी घटना से बँधा हुआ ऐतिहासिक रूप।

(46) **कर्त्तव्य**—(Duty) जिस कार्य में धार्मिक अथवा नैतिक बन्धन हो।
कार्य—(Action) कोई भी साधारण काम 'कार्य' है।

(47) **कष्ट**—(Distress) असमर्थता अथवा अभाव के कारण मानसिक एवं शारीरिक कष्ट होता है।
पीड़ा—(Pain) रोग-चोट आदि के कारण शारीरिक पीड़ा होती है।
क्लेश—(Agony) यह मानसिक अप्रिय अवस्था का सूचक होता है।

(48) **कल्पना**—(Imagination) मन की वह क्रिया विशेष जिससे मानसिक दृष्टि के समक्ष विचारों की मूर्ति खड़ी की जाती है।
भावना—(Conception) मन का मूर्त्त रूप।
चिन्तना—(Roflection) किसी विषय के सभी अंगों पर विधिवत् विचार करना।

(49) **करुणा**—(Compassion) दूसरे के कष्ट को देखकर समान वेदना का अनुभव करना।

(50) **दुख**—साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा।

क्षोभ—विफल होने पर अथवा असामाजिक स्थिति के कारण दुखी होना ।

खेद—किसी गलती पर दुखी होना ।

शोक—किसी की मृत्यु पर दुखी होना ।

(51) **गर्व**—अपने को बड़ा समझना और दूसरे को हीन दृष्टि से देखना ।

गौरव—अपनी महत्ता का यथार्थ ज्ञान होना ।

दंभ—झूठा अभिमान करना ।

(52) **ग्रंथ**—इससे पुस्तक के आकार की गुरुता और गम्भीरता का बोध होता है ।

पुस्तक—सामान्यतः सभी प्रकार की छपी रचना पुस्तक है ।

(53) **ग्लानि**—अपने कुकर्म पर एकान्त में दुख एवं पश्चात्ताप करना ।

लज्जा—अनुचित काम करने पर मुँह छिपाना ।

व्रीडा—दूसरे के सामने काम करने में संकोच ।

संकोच—किसी काम के करने में हिचक ।

(54) **चिन्तनीय**—चिन्तन से सम्बद्ध ।

चिंताजनक—चिन्ता से सम्बद्ध ।

चिन्त्य—साधारण सोच विचार ।

(55) **चेष्टा**—अच्छा काम करने के लिए शारीरिक श्रम करना ।

प्रयत्न—अच्छा या बुरा कोई भी कार्य करने के लिए क्रियाशील होना ।

उद्योग—किसी काम को पूरा करने की मानसिक दृढ़ता ।

(56) **टीका**—सामान्यतः साहित्यिक रचनाओं का अर्थ विश्लेषण और व्याख्या 'टीका' है ।

भाष्य—व्याकरण और दर्शन पर लिखी जाने वाली विशद व्याख्या एवं विवेचन भाष्य है ।

(57) **तट**—नदी, समुद्र अथवा सरोवर का किनारा ।

पुलिन—जल से निकली हुई जमीन ।

सैकत—किनारे फैली हुई बालूयुक्त जमीन ।

(58) **त्रास**—भय के अधिक तीव्र होने की स्थिति ।

भय—सम्भावित संकट के आने पर मन की चंचलता और विकलता ।

(59) **तन्द्रा**—मन-शरीर की शिथिलता के कारण आयी हलकी झँपकी ।

निद्रा—बाहरी चेतना एवं ज्ञान से रहित होकर चुपचाप सोना ।

सुषुप्ति—गहरी निद्रा ।

(60) **दक्ष**—(Adroit) हाथ से किया जानेवाला काम जो जल्दी और अच्छी तरह करता है, वह दक्ष कहलाता है । जैसे चित्र बनाने का काम ।

निपुण—(Adept) जो अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है ।

कुशल—(Skilful) जो प्रत्येक कार्य में मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का अच्छा प्रयोग करना जानता है ।

कर्मठ—जिस कार्य में लगाया जाय उसमें लगा रहने वाला ।

(61) **न**—एक निषेधार्थक अव्यय ।

नहीं—किसी वस्तु अथवा विचार का पूर्ण निषेध । जैसे ... मैं यह काम नहीं जानता।

मत—विधिक्रिया के निषेधार्थ 'मत' का प्रयोग होता है । जैसे असत्य मत बोलो ।

(62) **निबंध**—(Essay) यह ऐसी गद्य रचना होती है जिसमें विषय गौण होता है और लेखकीय व्यक्तित्व एवं शैली प्रधान होती है ।

लेख—(Article) ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय की प्रधानता रहती है ।

(63) **नायिका**—उपन्यास अथवा नाटक की प्रधान स्त्रीपात्र ।

अभिनेत्री—नाटक आदि में नारी की भूमिका में काम करने वाली कोई स्त्री ।

(64) **निधन**—(Demise) महान् एवं लोकप्रिय व्यक्तियों की मृत्यु को निधन कहा जाता है ।

मृत्यु—(Death) सामान्य शरीरान्त को मृत्यु कहते हैं ।

(65) **निकट**—सामीप्य का बोध, जैसे मेरे घर के निकट एक स्कूल है ।

पास—अधिकार के सामीप्य का बोध, राम के पास खूब पैसा है ।

(66) **प्रेम**—यह व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

स्नेह—अपने से छोटों के प्रति 'स्नेह' होता है । जैसे पुत्र से स्नेह ।

प्रणय—सख्य भाव वाला अनुराग, जैसे राधा और श्याम का प्रणय ।

(67) **प्रमाद**—जानबूझ कर किसी काम की परवाह नहीं करना ।

भ्रम—अनजान में कोई भूल कर बैठना ।

(68) **परामर्श**—आपस में समझबूझ कर सलाह करना ।

मंत्रणा—किसी गूढ़ विषय पर गुप्त रूप से की गयी सलाह ।

(69) **परिश्रम**—मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार का श्रम परिश्रम है ।

अभ्यास—इससे केवल मानसिक शक्ति अथवा श्रम का बोध होता है ।

(70) **पारंगत**—किसी विषय का पूर्ण पंडित ।

बहुदर्शी—जो विषय को सभी दृष्टियों से समझने की योग्यता रखता है ।

(71) **प्रणाम**—अपने से बड़ों को 'प्रणाम' किया जाता है ।

नमस्कार—अपनी समान अवस्था वाले को नमस्कार अथवा नमस्ते किया जाता है ।

(72) **प्रलाप**—महान् कष्ट अथवा मानसिक विकार के कारण प्रलाप होता है ।

विलाप—शोक अथवा वियोग में रोना-धोना ।

(73) **परिमल**—(Perfume) फूलों से निकलने वाली सुगन्ध जो कुछ ही दूर तक पहुँचती है ।

सौरभ—(Fragrance) वनस्पतियों और पेड़ों की फूल-पत्तियों से निकलने वाली वह सुगन्ध जो हवा के साथ फैलती है ।

(74) **पारितोषिक**—(Prize) पारितोषिक उस समय दिया जाता है जब कोई किसी प्रतियोगिता में विजयी हो ।

पुरस्कार—(Reward) किसी व्यक्ति की अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया जाता है ।

(75) **प्रशस्ति**—(Glorification) बढ़ाचढ़ाकर किसी व्यक्ति का वर्णन करना ।

स्तवन—(Extolment) किसी महान् व्यक्ति के यश का विस्तारपूर्वक वर्णन ।

स्तुति—(Panegyric) देवी-देवता का गुणानुवाद ।

(76) **प्रतिमान**—(Model) किसी बनाई जानेवाली वस्तु का वह आदर्श जिसकी सहायता से दूसरी वस्तु बनाई जाती है ।

मापदंड—(Yardstick) किसी वस्तु का माप जानने का साधन ।

(77) **पर्यटन**—(Travel) पर्यटन किसी विशेष उद्देश्य से होता है ।

भ्रमण—(Tour) भ्रमण सैर-सपाटा के लिए होता है ।

(78) **पत्नी**—किसी की विवाहिता स्त्री ।

स्त्री—कोई भी नारी ।

(79) **प्रतिकूल**—(Adverse) अनुकूल का विपर्यय ।

प्रतिलोम—(Reverse) अनुलोम का विपर्यय । इसमें विपरीत भाव होता है ।

(80) **पुत्र**—अपना बेटा ।

बालक—कोई भी लड़का ।

(81) **पुष्प**—इसके साथ गन्ध आवश्यक तत्व है ।

कुसुम—इसके साथ गन्ध आवश्यक तत्व नहीं है ।

(82) **बड़ा**—(Big) यह आकार का बोधक होता है ।

बहुत—(Much) यह परिमाण का बोधक होता है ।

(83) **बुद्धि**—इससे कर्त्तव्य का निश्चय होता है ।

ज्ञान—इन्द्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव ।

(84) **बहुमूल्य**—बहुत ही मूल्यवान वस्तु, पर जिसका मूल्य आँका जा सके ।

अमूल्य—जिसका मूल्य आँका न जा सके ।

(85) **भ्रान्ति**—(Confusion) उलझन में पड़ना ।

संशय—(Doubt) जहाँ वास्तविकता का कुछ भी निश्चय न हो ।

सन्देह—(Suspicion) जहाँ वास्तविकता आदि के संबंध में अनिश्चित भावना हो ।

(86) **मित्र**—वह पराया आदमी जिसके साथ आत्मीयता हो ।

बन्धु—आत्मीय मित्र, सम्बन्धी ।

(87) **मन्त्री**—(Minister) राज्य में मंत्रिमंडल का सदस्य सचिव- (Secretary) सभा-समिति अथवा किसी सचिवालय में किसी विभाग का प्रधान ।

(88) **महाशय**—सामान्य लोगों के लिए प्रयुक्त होता है ।

महोदय—अपने से बड़ों को 'महोदय' कहा जाता है ।

(89) **मन**—यहाँ संकल्प-विकल्प होता है ।

चित्त—यहाँ बातों का स्मरण-विस्मरण होता है ।

(90) **यंत्रणा**—दुख का अनुभव (मानसिक) ।

यातना—चोट से उत्पन्न कष्टों की अनुभूति (शारीरिक) ।

(91) **विश्वास**—सामने हुई बात पर भरोसा करना ।

श्रद्धा—वह पूज्यभाव जो महान् व्यक्तियों के प्रति होता है जिनसे प्रेरणा ग्रहण की जाय ।

भक्ति—देवता अथवा पूज्य व्यक्ति के प्रति अनन्य निष्ठा ।

(92) **विलयन**—(Strange) जो असामान्य स्थिति में होते हुए हमें चकित करे ।

विचित्र—(Peculior) जो सामान्य से भिन्न आचरण करे ।

(93) **वार्त्ता**—(Talk) किसी विषय से संबंधित कथन जो सामान्य ज्ञान प्रदान करे ।

वार्तालाप—(Conversation) किसी विषय पर दो या दो से अधिक लोगों की बातचीत ।

(94) **विषाद**—अधिक दुखी होने के कारण किंकर्त्तव्यविमूढ़ होना ।

व्यथा—किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट ।

(95) **विहीन**—अच्छी बातों का अभाव । पौरुष विहीन आदमी ।

रहित—बुरी बातों का अभाव । वह दोषरहित है ।

(96) **विरोध**—किसी विषय पर दो व्यक्तियों का मतभेद ।

वैमनस—मन में रहने वाली शत्रुता का भाव ।

(97) **सेवा**—गुरुजनों की टहल ।

शुश्रूषा—दीन-दुखियों की सेवा ।

(98) **सामान्य**—(Common) जो बात दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में समान रूप से पायी जाय, वह सामान्य है ।

साधारण—(Ordinary) जो वस्तु अथवा व्यक्ति एक ही आधार पर आश्रित हो ।

(99) **स्वतंत्रता**—(Freedom) स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है ।

स्वाधीनता—(Independence) यह राष्ट्र के लिए प्रयुक्त होता है ।

(100) **समीर**—(Breeze) शीतल और धीरे-धीरे बहने वाली वायु को 'समीर' कहते हैं।

पवन—(Wind) कभी मन्द और कभी तेज चलने वाली वायु 'पवन' है।

(101) **सखा**—जो आपस में एकमन किन्तु दो शरीर हों।

सुहृद—अच्छा हृदय रखने वाला।

(102) **साहस**—भय पर विजय पाना (मानसिक)।

वीरता—साहस के बाद वीरता की स्थिति होती है। (मानसिक भाव का प्रकट रूप)।

(103) **स्नेह**—छोटों के प्रति प्रेमभाव रखना।

सहानुभूति—दूसरे के दुःख को अपना समझना।

(104) **सम्राट**—राजाओं का राजा।

राजा—एक साधारण भूपति।

(105) **समिति**—(Committee) आकार में गोष्ठी से छोटी, किन्तु स्थायी होती है जिसमें कुछ चुने हुए लोग कार्यवश भाग लेते हैं।

सभा—(Meeting) आकार में बड़ी, किन्तु अस्थायी एवं सार्वजनिक होती है।

गोष्ठी—(Seminar) आकार में छोटी किन्तु अस्थायी होती है जिसमें कुछ विशिष्ट व्यक्ति भाग लेते हैं।

सांकेतिक शब्द- (गूढार्थ)

तीन	कर्म	संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण
	गुण	सत्, रज, तम
	दोष	वात, पित्त, कफ
	अग्नि	बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि
	काण्ड	कर्म, उपासना, ज्ञान
	ऋण	देव ऋण, ऋषि, ऋण, पितृ ऋण
	देव	ब्रह्मा, विष्णु, महेश
	लोक	स्वर्ग, मृत्यु, पाताल
	ताप	दैहिक, दैविक, भौतिक
	वायु	शीतल, मन्द, सुगन्ध
	श्रोता	मुक्त, मुमुक्षु, विषयी
चार	आश्रम	ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास
	रिपु	काम, क्रोध, मोह, लोभ
	प्रमाण	प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान

	युग	सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग
	भक्त	आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी
	अवस्था	जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि
	पदार्थ	धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
	योनियाँ,	अंडज, पिण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज
	सेना	(चतुरंगिणी) घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल
पाँच	गव्य	दूध, दही, घृत, गोबर, गोमूत्र
	तत्व	पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश
	ज्ञानेन्द्रियाँ	आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा
	कर्मेन्द्रियाँ	हाथ, पाँव, मुख, मल, मूत्र के स्थान
	यम	अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय निग्रह
	प्राण	प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान
छः	रस	मीठा, खारा, चरपरा, कसैला, कड़ुआ, खट्टा
	ईतियाँ	अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, टिड्डी, तोते, राजा की चढ़ाई
	दर्शन	न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग, वेदान्त, मीमांसा
	ऋतु	बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर ।
	वेदाङ्ग	ज्योतिष्, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, कल्प, शिक्षा ।
सात	द्वीप	जम्बू, शाक, कुश, कौंच, शाल्मली, गोमेद, पुष्कर
	तल	अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल
	अंग	(राज्य के) हाथी, घोड़ा, मंत्री, कोश, शस्त्र, देश, किला
	रंग	हरा, नीला, पीला, लाल, आसमानी, बैगनी, नारंगी
	सागर	लवण, दधि, क्षीर, मधु, इक्षु, मदिरा, घृत
आठ	सिद्धियाँ	अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व,
	अंग	वशित्व (योग के) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ।
	पहर	पूर्वान्ह, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, निशीथ, त्रियामा, ऊषा
	नाग	अनंत, तक्षक, कर्कोटक, वासुकि, पद्म, कुलिक, महोयन, शेष
	वसु	सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कुबेर
	दिग्पाल	इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान ।
नव	रस	करुण, शान्त, वीर, वीभत्स, रौद्र, हास्य, भयानक, श्रृंगार, अद्भुत ।
	निधि	महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्व ।
	नवधाभक्ति	श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, दास्य, अर्चन, वन्दना, सख्त, आत्मनिवेदन ।

दश	लक्षण	(धर्म के) धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय, निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध ।
	अवतार	कच्छप, वराह, मत्स्य, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि ।
	दिशाएँ	उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, नैऋत्य, ईशान, वायव्य, आग्नेय, आकाश, पाताल ।
ग्यारह	उपनिषद्	केन, कठ, ईश, मुण्डक, प्रश्न, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, छान्दोग्य ।
बारह	राशि	सिंह, धनु, मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ, मीन, कर्क, मकर ।
चौदह	रत्न	श्री, रम्भा, वारुणी, अमृत, शंख, ऐरावत, धनुष, धन्वन्तरि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, उच्चैःश्रवा, स्यमन्तक मणि ।
सोलह	संस्कार	गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुण्डन, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अन्त्येष्टि ।
अठारह	पुराण	ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, अग्नि, मार्कण्डेय, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, ब्रह्माण्ड ।
तैंतीस	देवता	8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इन्द्र, प्रजापति ।

एक शब्द और विभिन्न प्रयोग

विषय या प्रसंग के बदल जाने पर कुछ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं । इससे शब्दों का रूप नहीं बदलता । ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रायः मुहावरों के रूप में होता है । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

(1) **धर्म**

नियम—सहृदय व्यक्ति को प्रभावित करना कविता का मूल धर्म है ।

कर्त्तव्य—सबकी सेवा करना मनुष्य का धर्म है ।

संस्कार—मनुष्यों का धर्म नष्ट होता जा रहा है ।

(2) **चाल**

चालाकी—उसने शतरंज की चाल चली ।

गति—इस सायकिल की चाल बड़ी तेज है ।

धोखा—वह उस व्यक्ति की चाल में आ गया ।

चरित्र—इस लड़की की चाल ठीक नहीं है । चाल चलो, सादा निभे बाप-दादा ।

(3) **ताक**

घात—लगता है, आज तुम किसी घात में बैठे हो ।

टकटकी लगाकर देखना—वह मेरी ओर ताक रहा है।

खोजना—हम बड़ी देर से ताक रहे हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं आया ।

(4) **चलना**

निबहना—इससे मेरा काम चल जाता है ।

वर्तमान—चलता जमाना, समय ।

विस्मरण—बात चलती है ।

गमन—वह चलता है ।

प्रयुक्त होना—यह चवत्री चल जायगी ।

कार्य होना—आजकल आपके यहाँ क्या चल रहा है ?

प्रचलित होना—उनकी कविता खूब चली ।

(5) **वृत्ति**

व्यापार—इस वृत्ति में लाभ नहीं है ।

जीविका—खिलौने बनाकर बेचना उनकी वृत्ति है ।

योग्य एवं निर्धन छात्रों की सहायता—मोहन को 200 रुपयों की छात्रवृत्ति मिलती है ।

स्वभाव—इन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती ।

(6) **पता**

ठिकाना [Address]—आपके घर का पता क्या है ?

सूचना—मुझे पता चल गया था कि आप आ रहे हैं ।

मालूम होना—आपको कुछ पता रहता है कि कालेज में क्या हो रहा है ?

भेद—बहुत दिनों के बाद उनकी मृत्यु का पता चल गया ।

(7) **खराब**

गंदा—उसने मेरा शर्ट खराब कर दिया

बुरा—श्याम बहुत खराब आदमी है ।

नष्ट—मेरा समय खराब मत कीजिए ।

दूषित—यहाँ का हवा-पानी बहुत खराब है ।

बरबाद—आज मेरा खाना खराब हो गया ।

(8) **गजब**

बड़ा भारी—आज तो लड़कों का गजब का जुलूस निकला था ।

सुन्दर—उसके नेत्र गजब के थे ।

जुल्म—तुम गजब क्यों ढा रहे हो ?

विपरीत—खुदा की कसम, गजब हो गया ।

अजीब—आप गजब के आदमी हैं ।

(9) **संसार**

विश्व—यह संसार बहुत ही विशाल है ।

परिवार—मेरा तो संसार ही लुट गया ।

विवाह—राम ने अपना संसार बसा लिया ।

वातावरण—सबका अपना-अपना संसार होता है ।

(10) **लहर**

तरंग—गंगा की लहरें देखते ही बनती हैं ।

झोंका—जाड़े में हवा की लहर से शरीर काँप उठता है ।

उमंग, जोश—बंगलादेश पर आक्रमण के समय देश में एक उमंग आयी थी ।

जलन—पैर का घाव लहर रहा है ।

मौज में झूमना—धान के पौधे लहर रहे हैं ।

(11) **फूटना**

छेद होना—मेरा लोटा फूट गया है ।

मवाद निकलना—उनका फोड़ा फूट गया ।

प्रकट होना—बोली फूटे तो कोयल, नहीं तो कौआ ।

बहुत अधिक—राम फूट-फूट कर रो रहा है ।

बिगड़ जाना—उसका तो भाग्य ही फूट गया ।

(12) **विचार**

सलाह—आप से कुछ विचार करना है ।

निर्णय—आपने विचार कर लिया ?

धारणा—आप के विचार सही हैं ?

मान्यता—आपके ग्रंथ के सभी विचारों से मैं सहमत हूँ ।

सगुन—आज यात्रा के लिए विचार कराना है ।

(13) **बनाना**

गलत रूप से अर्जन—यह अधिकारी पैसे बनाता है ।

रचना—मैं भी कविता बनाता हूँ ।

सुधारना—आपने मेरी जिन्दगी बना दी ।

निर्माण करना—वह घर बनाता है ।

(14) **पानी**

इज्जत—उनका पानी उतर गया ।

जल—मैं पानी पीता हूँ।

लावण्य—उसके मुख का पानी उतर गया है।

व्यर्थ—राम पानी की तरह पैसे खर्च करता है।

शाण—अभी तलवार पर पानी चढ़ाया गया है।

बहुत सस्ता—आज चावल पानी के मोल बिका।

लालच होना—मिठाई देखकर उसके मुँह में पानी भर आया।

लज्जित होना—आज वह पानी-पानी हो गया।

(15) **डूबना**

समाप्त होना—दिन डूब रहा है।

अस्त होना—सूर्य डूब गया।

डूब जाना—वह पानी में डूब गया।

निरर्थक नाश—व्यापार में उनकी पूँजी डूब गयी।

(16) **बढ़ना**

झंझट करना—बात मत बढ़ाओ।

बुझाना—दीपक बढ़ा दो।

उन्नत होना—फसल बढ़ रही है।

(17) **परिवर्तन**

सुधार—इस स्थिति में परिवर्तन की संभावना नहीं है।

बदलना—इस पुस्तक की रूप-सज्जा में परिवर्तन लाइए।

चक्कर—यह भाग्य का परिवर्तन है।

एक शब्द का विभिन्न शब्द-भेदों में प्रयोग

कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो विभिन्न शब्दभेदों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे 'और' शब्द है; इसका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण सहित प्रयोग नीचे दिये जा रहे हैं—

शब्द	विभिन्न शब्दभेदों में प्रयोग
[1] **और**	**संज्ञा**—औरों को भी आने दो।
	सर्वनाम—श्याम तो आया, पर और कहाँ चले गये ?
	विशेषण—और लड़कियाँ कहाँ गयीं ?

अव्यय—महेश और कृष्ण गये ।

[2] **ऐसा**
संज्ञा—क्या उसने ऐसा कभी देखा है ?
विशेषण—आज से ऐसा काम मत करना ।
क्रियाविशेषण—राम ऐसा दौड़ा कि सभी लड़के पीछे रह गये ।

[3] **एक**
संज्ञा—यहाँ तो एक आता है तो एक जाता है ।
सर्वनाम—सभी लड़के आ गये, पर एक नहीं आया ।
विशेषण—मेरी एक बात तो सुन लो ।

[4] **अच्छा**
संज्ञा—अच्छों के साथ ही रहना चाहिए ।
विशेषण—राम अच्छा लड़का है ।
क्रियाविशेषण—वह अच्छा गाती है ।
अव्यय—अच्छा, कल देखा जायगा ।

[5] **आज**
संज्ञा—'आज' एक दैनिक अखबार है ।
विशेषण—राम आज सोमवार को आयेगा ।
अव्यय—आज आप का काम होगा ।

[6] **ऊपर**
संज्ञा—ऊपर से नीचे उतरो ।
विशेषण—वह ऊपर क्लास में पढ़ता है ।
अव्यय—मैंने उसे ऊपर-ऊपर तीन रुपये दिये ।

[7] **आगे**
संज्ञा—आगे की बात सोचो ।
अव्यय—आगे मत जाओ ।

[8] **कुछ**
संज्ञा—कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं ।
सर्वनाम—इन लड़कों में कुछ अच्छे हैं ।
विशेषण—कुछ लड़कियाँ नाच रही हैं ।
अव्यय—कुछ न कुछ लिखना होगा ।

[9] **केवल**
विशेषण—केवल मोहन यहाँ का नेता है ।
क्रियाविशेषण—वह केवल पढ़ती है ।

[10] **कोई**
सर्वनाम—उनमें से कोई आ रहा है ।
विशेषण—कोई गाना गाओ ।

[11] **क्या**
विशेषण—तुम क्या काम करना चाहते हो ?
क्रियाविशेषण—बकबक क्या करते हो, शान्त रहो ।

[12] **जो**
सर्वनाम—जो श्रम करेगा, सो खाएगा ।
विशेषण—जो चीज पसन्द हो, ले लो ।

अव्यय—जो राम आ जाय तो ठीक हो ।

[13] **थोड़ा** संज्ञा—थोड़ा और दे दीजिए ।

विशेषण—थोड़े सामान से काम चल जायगा ।

अव्यय—उसने थोड़ा किया, पर अच्छा किया ।

[14] **बड़ा** संज्ञा—बड़ों की बातें माननी चाहिए ।

विशेषण—यह बड़ा कालेज है ।

[15] **सीधा** संज्ञा—सीधे का मुँह कुत्ता चाटे ।

विशेषण—राम सीधा लड़का है ।

अव्यय—वह सीधा लिखता है ।

[16] **सुन्दर** विशेषण—यह सुन्दर लड़का है ।

क्रियाविशेषण—वह सुन्दर लिखता है ।

[17] **भला** संज्ञा—अब किसका भला नहीं होगा ?

विशेषण—वह भला आदमी है ।

अव्यय—भला मैं क्या करूँ ?

[18] **यह** सर्वनाम—यह कब जायगा ?

विशेषण—यह लड़की सुन्दर है ।

[19] **बुरा** संज्ञा—बुरों का साथ मत करो ।

विशेषण—यह बुरा लड़का है ।

क्रियाविशेषण—आपने बुरा किया ।

सम्मानसूचक शब्द

शिष्टाचार के नाते सम्मान प्रकट करने के लिए समाज में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें सम्मानसूचक शब्द अथवा पदवीवाचक शब्द कहते हैं जैसे—

उस्ताद	किसी कला अथवा विद्या में चतुर पुरुष के लिए आता है ।
कुँवर	क्षत्रियों, जमींदारों तथा राजपूतों के नाम के पहले आता है ।
कुमारी	अविवाहित स्त्रियों के नाम के पहले आता है ।
ठाकुर	क्षत्रियों के नाम के पहले आता है ।
पंडित	ब्राह्मणों अथवा जैनधर्म के पुरोहितों के नाम के पहले आता है ।
प्रजापति	कुम्हारों के पहले आता है ।

बाबा	पितामह अथवा साधुओं के लिए आता है ।
बौहरे	ब्याज पर रुपये देने वालों के लिए आता है ।
महन्त	धनी साधुओं अथवा उनके अखाड़ों के प्रधानों के लिए आता है ।
महरा	कहारों के लिए आता है ।
महामहिम	गवर्नरों तथा राजदूतों के नाम से पहले आता है ।
मास्टर	किसी कला के ज्ञाता अथवा शिक्षक के लिए आता है ।
मिर्जा	मुगलों के नाम से पहले आता है ।
मुंशी	ब्राह्मणेतर शिक्षकों, कायस्थों अथवा मुहर्रिरों के लिए आता है ।
मौलवी	मुसलमान अध्यापकों के लिए आता है ।
रैदास	चमारों के लिए आता है ।
लाला	व्यापारी वैश्यों अथवा सेठों के नाम से पहले आता है ।
वर्मा	क्षत्रियों के नाम से पहले आता है । आज कायस्थ लोग भी अपने नाम के आगे इसका प्रयोग करते हैं ।
वाल्मीकि	मेहतर के लिए आता है ।
शर्मा	ब्राह्मणों के लिए आता है । आजकल बढ़ई भी इसका प्रयोग करते हैं ।
शाह	व्यापारियों के नाम से पहले आता है ।
श्रद्धेय	आदरणीय व्यक्तियों के पहले आता है ।
श्री	अपराधी तथा कुत्सित व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी प्रकार के व्यक्तियों के पहले आता है ।
सुश्री	अविवाहित स्त्रियों के लिए ।
श्रीमती	विवाहित स्त्रियों के नाम से पहले आता है ।
श्रीमान् श्रीयुक्त	आदरणीय पुरुषों के नाम से पहले आता है ।
सरदार	सिक्खों के लिए आता है ।
स्वामी	साधुओं के लिए आता है । स्त्रियाँ अपने पति के लिए तथा नौकर अपने मालिकों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं ।
हरिजन	प्राचीन काल में इसका प्रयोग भगवान् के भक्तों के लिए होता था, किन्तु आधुनिक काल में यह अछूतों के लिए प्रयोग किया जाता है ।
हाजीजी	हज करके लौटे हुए मुसलमानों के लिए आता है ।
हाफिजजी	कुरान को कंठस्थ करने वाले मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होता है ।
रायबहादुर	रायसाहब ये पद विशिष्ट हिन्दुओं के लिए अंग्रेजों ने प्रदान किये थे ।
खान बहादुर	यह पद विशिष्ट मुसलमानों के लिए अंग्रेजों ने प्रदान किया ।
भारतरत्न	पद्म विभूषण, पद्मश्री—कांग्रेस सरकार ने ये पद विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किये ।
परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र	वीरता के लिए सैनिकों तथा पुलिस वालों को ये पद प्रदान किये जाते हैं ।

पशु-पक्षियों की बोलियों के द्योतक शब्द

चिड़िया—चहचहाना, कोयल—कू कू करना, कूकना, कौवा—काँव काँव करना । गाय—रँभाना, सिंह—गरजना, घोड़ा—हिनहिनाना, गधा—रेंकना । मुर्गा—बाँग देना, मोर—कूकना, कबूतर—गुटरगूँ करना, कुत्ता—भौंकना । बैल—हुँकारना, बिल्ली—म्याऊँ-म्याऊँ, बकरी—मिमियाना, शेर—दहाड़ना ।

कुछ ध्वनियाँ

दाँत—कटकटाना, पंख-फड़फड़ाना, बर्तन-खड़खड़ाना, दरवाजा-खटखटाना, रुपया-खनखनाना, शस्त्र-झनझनाना, हृदय-धड़कना, मेघ-गरजना, पानी-सरसराना, बिजली-कड़कड़ाना, आग-चटचटाना, वायु-साँय साँय करना, गीत-गूँजना ।

समूहवाचक शब्द

यात्रियों का	समूह	लकड़ी का	ढेर
लोगों की	भीड़	पर्वतों की	श्रेणी
फूलों की	माला	तारों का	मंडल
पक्षियों की	डार	वृक्षों का	झुण्ड
पशुओं का	झुण्ड	लताओं का	कुंज
सिपाहियों की	सेना	चाबियों का	गुच्छा
वस्तुओं का	भंडार	विचारों की	समिति
धन का	कोष	पंडितों की	सभा
ध्वनियों का	कोलाहल	बातों का	जाल
अंगूरों का	गुच्छा	गायकों की	मंडली
राज्यों का	संघ	मेघों की	माला
विरोधियों का	जत्था, दल	धन की	राशि
राजनीतिज्ञों का	दल		

व्याकरण के अंतर्गत वाक्य का अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता । सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित रूप ही वाक्य कहलाता है । वस्तुतः उस पदसमूह को वाक्य कहते हैं जो हमारे विचारों को अच्छी तरह प्रकट करे । वाक्य रचना की कई विशेषताएँ होती हैं—(1) स्पष्टता, (2) विचारों को जागरित करने की सामर्थ्य, (3) पदों अथवा शब्दों का तारतम्य, (4) संक्षिप्तता अर्थात् वाक्य में व्यर्थ के पदों या शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, (5) माधुर्य भी वाक्यरचना की एक विशेषता होनी चाहिए ।

वर्णसमूह को शब्द कहते हैं । वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द ही पद कहलाता है, अर्थात् जबतक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, तब तक वह शब्द ही रहता है । वाक्य को पदसमूह भी कहते हैं । पदसमूह के 5 भेद होते हैं—(1) संज्ञापद, (2) सर्वनाम-पद, (3) विशेषण-पद, (4) क्रियापद, (5) अव्ययपद ।

वाक्यांश (Phrase) और वाक्यखंड (Clause)

दो या उससे अधिक पदों का आकांक्षायुक्त सार्थक योग वाक्यांश है, यथा—'रोटी खाने के बाद मैंने केला खाया' में 'रोटी खाने के बाद' वाक्यांश है । वाक्यखंड पदों का वह समूह है जिससे मात्र आंशिक भाव प्रकट होता है । वाक्यखंड का दूसरा नाम उपवाक्य है । वाक्यांश में क्रिया नहीं होती है, जबकि वाक्यखंड में क्रिया होती है जैसे—ज्योंही राम आया त्योंही मोहन चला गया ।' इस वाक्य में 'ज्योंही राम आया' वाक्यखंड है, जिससे पूरा अर्थ नहीं निकलता ।

तृतीय खण्ड

वाक्य के भेद

(क) रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं—(1) सरल वाक्य, (2) मिश्र वाक्य, (3) संयुक्त वाक्य, (ख) अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आठ भेद होते हैं—(1) विधिवाचक, (2) निषेधवाचक, (3) आज्ञावाचक, (4) प्रश्नवाचक, (5) विस्मयवाचक, (6) सन्देहवाचक, (7) इच्छावाचक, (8) संकेतवाचक, (ग) क्रिया की दृष्टि से भी वाक्य के भेद किए जाते हैं।

रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद

(1) सरल वाक्य (Simple sentence)—सरल वाक्य वह जिसमें एक ही क्रिया होती है। इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। जैसे-बादल बरसता है। राम खाता है। इनमें एक-एक उद्देश्य अर्थात् कर्त्ता और विधेय अर्थात् क्रिया होती है। इसीलिए इन्हें सरल वाक्य कहा जाता है।

(2) मिश्र वाक्य (Complex sentence)—मिश्र वाक्य उसे कहते जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अन्य अंग वाक्य हो। जैसे- वह कौन-सा भारतीय है जिसने महात्मा गाँधी का नाम न सुना हो। इस वाक्य में 'वह कौन-सा भारतीय है' मुख्य वाक्य है दूसरा अंग वाक्य है जो मुख्य वाक्य पर आश्रित है।

(3) संयुक्त वाक्य (Compound sentence)—संयुक्त वाक्य वह है जिसमें सरल या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता हो। वस्तुतः इसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। जैसे—मैं स्कूल जा रहा था कि पानी बरसने लगा और पानी इतना तेज बरसा कि मुझे एक पेड़ के पास रुकना पड़ा। राम आया और श्याम चला गया। इनमें पहला मिश्र वाक्यों तथा दूसरा सरल वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बना है। वस्तुतः संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य की अपनी स्वतन्त्र सत्ता रहती है।

अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद

(1) विधिवाचक वाक्य (Affirmative sentence)—इससे किसी बात के होने का बोध होता है। जैसे—राम खा चुका। मैंने कहानी पढ़ी और सो गया।

(2) निषेधवाचक वाक्य (Negative sentence)—इससे किसी बात के न होने का बोध होता है। जैसे—मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी। राम बैंक नहीं गया और उसे रुपया नहीं मिला।

(3) आज्ञावाचक वाक्य (Imperative sentence)—जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे—तुम काम करो ? तुम लिखो।

(4) **प्रश्नवाचक वाक्य** (Interrogative sentence)—जिस वाक्य से प्रश्न किया जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे-तुम कहाँ जा रहे हो ? तुम क्या कर रहे हो ?

(5) **विस्मयवाचक वाक्य** (Exclamatory sentence)—इससे आश्चर्य, दुख अथवा सुख का बोध होता है। जैसे- हाय ! मैं लुट गया !

(6) **सन्देहवाचक वाक्य**—इस वाक्य से किसी बात के सन्देह का बोध होता है। जैसे—उसने देखा होगा। मैंने कहा होगा।

(7) **इच्छावाचक वाक्य**—इससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है। जैसे—तुम्हारा मंगल हो।

(8) **संकेतवाचक वाक्य**—इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। जैसे—यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। डाक्टर न आता तो वह मर जाता।

वाक्य रचना के सामान्य नियम

शुद्ध और सुन्दर वाक्य लिखने के लिए क्रम, अन्वय, और प्रयोग से सम्बन्धित नियमों की जानकारी आवश्यक है।

(क) क्रम (Order)

क्रम अथवा पदक्रम के अन्तर्गत किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को यथास्थान रखा जाता है। इसके सामान्य नियम नीचे प्रस्तुत हैं—

(1) वाक्य के शुरू, मध्य और अंत में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होनी चाहिए। जैसे—'राम ने रोटी खाई' में कर्त्ता, 'राम', 'कर्म 'रोटी' और अंत में क्रिया 'खाई' है।

(2) उद्देश्य अर्थात् कर्त्ता के विस्तार को कर्त्ता के पहले और विधेय या क्रिया के विस्तार को क्रिया के पहले रखना चाहिए। जैसे—परिश्रमी एवं मेधावी लड़के धीरे-धीरे पर अच्छी तरह से पढ़ते हैं।

(3) कर्त्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, सम्प्रदान एवं करण कारक क्रमशः आते हैं। जैसे—मैंने स्कूल में (अधिकरण) आलमारी से (अपादान) उस के लिए (सम्प्रदान) हाथ से (करण) पत्रिका निकाली।

(4) वाक्य के प्रारम्भ में सम्बोधन आता है। जैसे—हे ईश्वर, उस गरीब की रक्षा करो।

(5) वाक्य में विशेषण संज्ञा (विशेष्य) के पहले आता है। जैसे—उसकी सुन्दर कलम मेरे ही पास है।

(6) क्रियाविशेषण का प्रयोग क्रिया के पहले होता है। जैसे—रामसिंह तेज दौड़ता है।

(7) उसी संज्ञा के पहले प्रश्नवाचक पद रखा जाता है , जिसके बारे में कुछ पूछा जाय। जैसे—क्या राम पढ़ रहा है ?

(ख) अन्वय (मेल) (Co-ordination)

अन्वय में लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार वाक्य के पदों का एक दूसरे से मेल अथवा सम्बन्ध दिखाया जाता है। वस्तुतः यह सम्बन्ध कर्त्ता-क्रिया का, कर्म-क्रिया का एवं संज्ञा-सर्वनाम का होता है।

कर्त्ता और क्रिया का मेल

(1) यदि वाक्य में कर्त्ता विभक्तिरहित है तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे—राम पुस्तक पढ़ता है। सोहन मिठाई खाता है। सीता स्कूल जाती है।

(2) यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्तिरहित कर्त्ता हों और अन्तिम कर्ता के पहले 'और' संयोजक आया हो तो इन कर्त्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे—राम, श्याम और उर्मिला स्कूल जाती हैं।

(3) यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के कर्त्ता हों और दोनों द्वन्द्व समास के अनुसार प्रयुक्त हों तो उनकी क्रिया पुल्लिग बहुवचन में होगी। जैसे—माता-पिता गए। राजा-रानी सो गए। स्त्री-पुरुष आ रहे हैं।

(4) यदि वाक्य में अनेक कर्त्ताओं के बीच विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय 'या' अथवा 'वा' रहे तो क्रिया अन्तिम कर्त्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे—मोहन की दस गायें या एक बैल बिकेगा। श्याम की एक तौलिया या पाँच कंबल बिकेंगे।

(5) यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग विभक्ति रहित एकवचन कर्त्ता हों और दोनों के बीच 'और' संयोजक आए तो उनकी क्रिया पुल्लिग और बहुवचन में होगी। जैसे—राम और सीता लीला करते हैं। बकरी और बाघ पानी पीते हैं।

(6) यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्त्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होगी एवं उसका लिंग अन्तिम कर्त्ता के अनुसार होगा। जैसे—एक लड़की, दो लड़के तथा अनेक बूढ़े पुरुष आ रहे हैं। एक भैंस, दो बैल तथा अनेक गायें चर रही हैं।

कर्म और क्रिया का मेल

(1) यदि कर्त्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिह्नों से युक्त हों तो क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे—लड़कियों ने लड़कों को ध्यान से देखा। तुमने उसे देखा। मैंने राधा को बुलाया।

(2) यदि कर्त्ता 'को' प्रत्यय से युक्त हो और कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आये तो क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे—उसे (उसको) पुस्तक पढ़ना नहीं आता। तुम्हें (तुमको) बात करना नहीं आता। सीता को रसोई बनाना नहीं आता।

(3) यदि वाक्य में कर्त्ता 'ने' विभक्ति से युक्त हो और कर्म की 'को' विभक्ति न हो तो उसकी

क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी । जैसे—विमला ने किताब पढ़ी । मैंने लड़ाई जीती । राम ने रोटी खाई । उसने क्षमा माँगी ।

(4) यदि एक ही लिंगवचन के अनेक प्राणि-अप्राणिवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ एकवचन में आयें तो क्रिया भी एकवचन में होगी । जैसे—उसने एक बैल और एक गाय खरीदी । राम ने एक किताब और एक पेन खरीदी ।

(5) यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक प्राणिवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ आयें तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी । जैसे—राम ने गाय और भैंस मोल ली ।

(6) यदि वाक्य में भिन्न-भिन्न लिंग के अनेक अप्रत्यय कर्म आयें और वे 'और' से जुड़े हों तो क्रिया अन्तिम कर्म के लिंग और वचन में होगी । जैसे—उसने पापड़ और रोटी खायी । सीता ने रोटी और आम खाया ।

संज्ञा और सर्वनाम का मेल

(1) वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है जिसके बदले उसका प्रयोग होता है । जैसे—महिलायें वे ही हैं । गायें भी ये ही थीं ।

(2) यदि अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए, तो वह पुल्लिग बहुवचन में होगा। जैसे—राम, श्याम और मोहन यहाँ आ गए हैं, लेकिन वे कल ही चले जायेंगे ।

(ग) वाक्यगत प्रयोग (Use)

वाक्यगत प्रयोग सम्बन्धी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं :—

(1) एक वाक्य से ही भाव प्रकट होना चाहिए ।

(2) शब्दों के प्रयोग में व्याकरण के नियमों का पालन होना चाहिए ।

(3) वाक्य की योजना स्पष्ट हो तथा शैली के अनुकूल शब्दों का प्रयोग हो ।

(4) अधूरे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

(5) वाक्य में सभी शब्दों का प्रयोग एक काल, एक स्थान एवं एक ही साथ करना चाहिए ।

(6) व्यर्थ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

(7) वाक्य में यत्र-तत्र मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग अच्छा होता है ।

(8) ध्वनि और अर्थ की संगति पर ध्यान देना चाहिए ।

(9) वाक्य में एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए कहीं 'यह' एवं कहीं 'वह', कहीं 'आप' और कहीं 'तुम', कहीं 'इसे' और कहीं 'इन्हें', कहीं 'उसे' और कहीं 'उन्हें', कहीं 'उसका' और कहीं 'उनका' आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

(10) अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

(11) पुनरुक्तिदोष से वाक्य को मुक्त रखना चाहिए ।

(12) हिन्दी में परोक्ष कथन (Indirect narration) का प्रयोग नहीं होता है । जैसे—उसने

कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह उदाहरण हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं। अतः इसका रूप इस प्रकार होगा—'उसने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है।'

कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं :—

(1) **'बाद' और 'पीछे' का प्रयोग**—काल का अन्तर बतलाने के लिए 'बाद' का प्रयोग होता है तथा स्थान का अन्तर सूचित करने के लिए 'पीछे' का प्रयोग होता है। जैसे—राम के बाद श्याम आया-काल का अन्तर। राम के बाद मेरा नम्बर है—काल का अन्तर। श्याम का घर पीछे छूट गया-स्थान का अन्तर।

(2) **'पर' और 'ऊपर' का प्रयोग**—दोनों का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु के लिए होता है। लेकिन सामान्य ऊँचाई के लिए 'पर' और विशेष ऊँचाई के लिए 'ऊपर' का प्रयोग होता है। यों हिन्दी में 'ऊपर' की अपेक्षा 'पर' का प्रयोग ही अधिक होता है। जैसे—इस पहाड़ के ऊपर एक मन्दिर है। टेबुल पर पुस्तक रखी हुई है। सभी लोग छत पर सोये हुए हैं।

(3) **'सब' और 'लोग' का प्रयोग**—प्रायः दोनों का बहुवचन में प्रयोग होता है। कभी-कभी 'सब' का समुच्चय-रूप में और एकवचन में प्रयोग होता है। जैसे—आपका 'सब' काम गलत होता है। हिन्दी में 'सब' समुच्चय और संख्या दोनों का बोध कराता है, जब कि 'लोग' सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे—लोग आ रहे हैं। लोग ठीक ही कहते हैं। कभी-कभी 'सब लोग' का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे—'सब लोग' उनका आदेश मानते हैं।

(4) **'प्रत्येक', 'कोई', 'किसी' का प्रयोग**—इनका प्रयोग सर्वदा एकवचन में होता है, बहुवचन में प्रयोग करना अशुद्ध है। जैसे- प्रत्येक आदमी पहले रोटी चाहता है। मेरा कोई काम रुकता नहीं। यहाँ किसी का वश नहीं चलता। किसी ने कहा था। कोई आ रहा है।

ध्यान देने की बात है कि 'कोई' और 'किसी' के साथ 'भी' का प्रयोग नहीं होता है।

(5) **द्वारा का प्रयोग**—जब किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई काम होता है तो संज्ञा के बाद 'द्वारा' का प्रयोग होता है, लेकिन वस्तु (संज्ञा) के बाद 'से' लगता है। जैसे—राम द्वारा यह कार्य पूर्ण हुआ। युद्ध से देश बर्बाद हो जाता है।

(6) **व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल**—यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्त्ता है तो उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होंगे। जैसे—काशी हमारी संस्कृति का केन्द्र मानी जाती है। (कर्त्ता स्त्रीलिंग है)।

पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था-यहाँ कर्त्ता पुल्लिंग है।

(7) **समयसूचक समुच्चय का प्रयोग**—ये वाक्य शुद्ध हैं—'चार बजा है', 'दस बजा है'। इनमें चार और दस बजने का बोध समुच्चय में हुआ है। अतः ये वाक्य अशुद्ध हैं—चार बजे हैं। दस बजे हैं।

(8) **नए, नये, नई, नयी का शुद्ध प्रयोग**—जिस मूल शब्द का अन्तिम वर्ण 'या' है। उसका बहुवचन 'ये' होगा। अतः 'नया' का बहुवचन 'नये' और स्त्रीलिंग 'नयी' होगा। नए और नई अशुद्ध हैं।

(9) **गए, गई, गये का शुद्ध प्रयोग**—यहाँ भी गए, गई अशुद्ध शब्द है । वस्तुतः 'नया' के समान 'गया' मूल शब्द है । इसका बहुवचन 'गये' और स्त्रीलिंग 'गयी' होंगे ।

(10) **हुए, हुये, हुयी, हुई का शुद्ध प्रयोग**—एकवचन में मूल शब्द 'हुआ' है । इसका बहुवचन हुए, होगा, 'हुये' नहीं । 'हुए' का स्त्रीलिंग 'हुई' होगा, 'हुयी' नहीं । अतः शुद्ध रूप 'हुए' और 'हुई' है ।

(11) **किए, किये का शुद्ध प्रयोग**—यहाँ 'क्रिया' मूल शब्द है जिसका बहुवचन 'किये' होगा, 'किए' नहीं ।

(12) **चाहिए, चाहिये का प्रयोग**—अव्यय विकृत नहीं होता और 'चाहिए' अव्यय है । अतः 'चाहिए' शुद्ध रूप है ।

(13) **इसलिए, इसलिये**—'इसलिए' भी अव्यय है । अतः यही शुद्ध रूप है—'इसलिए' । 'इसलिये' अशुद्ध है ।

(14) **लिए, लिये का शुद्ध प्रयोग**—ये दोनों शुद्ध रूप हैं । जहाँ अव्यय के रूप में प्रयोग होगा वहाँ 'लिए' आयेगा, जैसे—उसने मेरे लिए कठिन परिश्रम किया । लेकिन क्रिया के अर्थ में 'लिये' ही आयेगा, क्योंकि इसका मूल शुद्ध 'लिया' है ।

(15) **'न', 'नहीं', 'मत' का प्रयोग**—जब दो या दो से अधिक बातों, वस्तुओं या व्यक्तियों में निषेध करना हो तो 'न' का प्रयोग होता है । उदाहरण—मेरे पास न लोटा है, न थाली, वहाँ न राम था, न रहीम, न कुछ कहा, न सुना, न खाया, न पिया, यों ही चला गया ।

'न' का प्रयोग प्रश्नवाचक अव्यय, विधि क्रिया और संभाव्य भविष्य में भी होता है । जैसे—तुम कल आये थे न ? तुमने पैसा दे दिया न ? - प्रश्नवाचक अव्यय ।

दूसरे का धन न लो, न लो; न दो- विधि क्रिया । ऐसा न हो कि वह चला जाय- संभाव्य भविष्य ।

'न' सामान्य निषेध का सूचक है, जबकि 'नहीं' निश्चित निषेध को सूचित करता है । जैसे—वह नहीं आयेगा । मैं नहीं जाऊँगा ।

सामान्य रूप में 'नहीं' का प्रयोग सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, आसन्न-भूत और किसी प्रश्न के उत्तर में होता है ।

वह नहीं जाता । राम नहीं आ रहा है । उसने इस वर्ष होली नहीं मनायी । मैंने रुपये नहीं दिये ।

'मत' का प्रयोग विधि, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि के अर्थ में होता है । जैसे—झूठ मत बोलो । यहाँ मत आना । उस तरह का काम मत करो । यहाँ मत आओ ।

वाक्य-विग्रह (ANALYSIS)

वाक्य-विग्रह के अन्तर्गत किसी वाक्य के सभी अंगों को अलग-अलग कर उनके पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाये जाते हैं। हिन्दी में वाक्यविग्रह को ही 'वाक्यविश्लेषण', 'वाक्यपृथक्करण' और 'वाक्य विभाजन' कहते हैं।

वाक्यविग्रह के अन्तर्गत तीन तरह की क्रियाएँ सम्पादित होती हैं—(1) वाक्य के उपवाक्यों को अलग किया जाता है (2) उपवाक्यों का नामकरण होता है। (3) अन्त में पूरे वाक्य का नामकरण होता है। किसी वाक्य का एक अंश उपवाक्य कहलाता है जिसमें कर्त्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे—श्याम कल कालेज नहीं गया, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसमें दो उपवाक्य हैं—(क) श्याम कल कालेज नहीं गया, और (ख) क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।

रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। (1) सरल वाक्य, (2) मिश्र वाक्य, (3) संयुक्त वाक्य। इन तीनों का विग्रह तीन तरह से किया जाता है। सरल वाक्य में उद्देश्य और उसका विस्तार तथा विधेय और उसका विस्तार बतलाया जाता है। मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य (Principal clause) एवं उसके उपवाक्यों को बताकर सरल वाक्य की तरह ही सबका विग्रह किया जाता है। संयुक्त वाक्य में भी वाक्य को अलग-अलग करके सरल वाक्य के समान ही विग्रह किया जाता है।

सरल वाक्य का विग्रह :

सरल वाक्य के विग्रह में वाक्य का उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार, विधेय और उसका विस्तार दिखलाये जाते हैं। विधेय के सकर्मक होने पर उसका कर्म और उसका विस्तार भी दिखलाया जाता है। तालिका बनाकर एक सरल वाक्य का विग्रह इस प्रकार है—

सरल वाक्य—श्याम की बहन उसकी किताब धीरे-धीरे पढ़ती है।

उद्देश्य		विधेय			
उद्देश्य (कर्त्ता)	उद्देश्य का विस्तार	क्रिया	विधेय का विस्तार		
			कर्म	कर्म का विस्तार	क्रिया का पूरक या अन्य विस्तार
बहन	श्याम की	पढ़ती है	किताब	उसकी	धीरे-धीरे

अन्य प्रकार से भी इस सरल वाक्य का विग्रह किया जा सकता है—

बहन—उद्देश्य (कर्त्ता)

श्याम की—उद्देश्य का विस्तार

पढ़ती है—क्रिया

किताब—कर्म

उसकी—कर्म का विस्तार

धीरे-धीरे—क्रिया का विस्तार

सरल वाक्यों में उद्देश्य (कर्त्ता) अनेक रूपों में आता है—जैसे—

संज्ञा—राम खेलता है। सर्वनाम—वह खेलता है। विशेषण—धनी सुख पाता है। क्रियार्थक संज्ञा—खेलना स्वास्थ्यकर होता है। वाक्यांश—गरीब को सताना अनुचित कार्य है। वाक्य—क्रांति अमर हो, यह यही हमारा नारा है।

उद्देश्य का विस्तार भी विभिन्न रूपों में मिलता है। जैसे—

विशेषण—सुन्दर लड़की नाचती है।

सार्वनामिक विशेषण—वह लड़की नाचती है।

सम्बन्ध कारक—माँ की लड़की कहाँ गयी ?

वाक्यांश—प्रकृति की गोद में खेलता बालक अच्छा लगता है।

विधेय का विस्तार निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

कारक से—डंडा से मारा।

क्रिया विशेषण से—धीरे-धीरे चलती है।

वाक्यांश से—आठ बजने के बाद ही आता है।

पूर्वकालिक क्रिया से—राम हँसकर विदा हुआ।

क्रियाद्योतक से—कार पों-पों करती हुई चली गयी।

मिश्र वाक्य का विग्रह

जिस वाक्यरचना में एक से अधिक सरल वाक्य हों और उनमें एक प्रधान हो और शेष उसके आश्रित हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अतः मिश्र वाक्य में एक 'प्रधान उपवाक्य' रहता है और शेष वाक्यांश उस पर आश्रित रहते हैं जिन्हें 'आश्रित उपवाक्य' कहते हैं। प्रधान उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग अर्थ को खंडित किये बिना लिखा जाता है। आश्रित उपवाक्य को पूरे वाक्य से अलग नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। आश्रित उपवाक्यों का आरम्भ 'कि, ताकि, जिससे, जो जितना, ज्योंही, ज्यों-ज्यों, चूँकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ' आदि से होता है।

मिश्र वाक्य—जो लोग धनी हैं, जीवन की क्रियाओं और रहन-सहन से ज्ञात होता है कि उनका जीवन बाह्याडंबरों से पूर्ण होता है। यहाँ निम्न उपवाक्य हैं—

(1) प्रधान उपवाक्य (Pricnipal clause)—उनके जीवन की क्रियाओं और रहन-सहन से ज्ञात होता है।

(2) आश्रित उपवाक्य—'जो लोग धनी हैं'।

(3) **आश्रित उपवाक्य**—'कि उनका जीवन बाह्याडंबरों से पूर्ण होता है । इन उपवाक्यों का सरल वाक्य की तरह विग्रह किया जा सकता है ।'

संयुक्त वाक्य का विग्रह

जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्यय के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य (Compound Sentence) कहते हैं । उदाहरण—

(1) सूर्योदय हुआ और तारे छिप गये ।

इसमें संयोजक अव्यय 'और' है जिससे दो सरल वाक्यों का मेल हुआ है । अतः इनका सरल वाक्यों की तरह विग्रह करना चाहिए ।

(2) मैंने इस बार अधिक पढ़ा है, इसलिए पास होने की अधिक आशा है, परन्तु इसका निर्णय ईश्वर के अधीन है ।

(क) मैंने इस बार अधिक पढ़ा है—प्रधान उपवाक्य ।

(ख) इसलिए पास होने की अधिक आशा है—संयोजक 'इसलिए' ।

(ग) परन्तु इसका निर्णय ईश्वर के अधीन है—संयोजक 'परन्तु' ।

यहाँ तीन सरल वाक्य हैं । सरल वाक्यों की तरह इनका विग्रह किया जा सकता है ।

वाक्य परिवर्तन
(TRANSFORMATION OF SENTENCE)

वाक्य परिवर्तन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में, बिना अर्थ बदले, परिवर्त्तित किया जाता है । हम किसी भी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल सकते हैं। लेकिन वाक्य परिवर्तन करते समय यह ध्यान में रहना चाहिए कि वाक्य का मूल अर्थ किसी भी दशा में विकृत न हो । कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं—

(1) सरल वाक्य से मिश्र वाक्य—

सरल वाक्य—सभी लोग लोकप्रिय कवि का सम्मान करते हैं ।

मिश्र वाक्य—जो लोकप्रिय कवि होता है, उसका सभी सम्मान करते हैं ।

सरल वाक्य—सुन्दर लड़कियाँ अच्छी लगती हैं ।

मिश्र वाक्य—जो लड़कियाँ सुन्दर होती हैं, वे अच्छी लगती हैं ।

(2) सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य—

सरल वाक्य—बीमार होने के कारण श्याम परीक्षा में फेल हो गया ।

संयुक्त वाक्य—श्याम बीमार था और इसीलिए परीक्षा में फेल हो गया ।

(3) मिश्र वाक्य से सरल वाक्य—

मिश्र वाक्य—जो छात्र परिश्रम करते हैं उन्हें अवश्य सफलता मिलती है ।

सरल वाक्य—परिश्रमी छात्र को अवश्य सफलता मिलती है ।

(4) विधिवाचक वाक्य से निषेधवाचक वाक्य-

विधिवाचक वाक्य—राम मुझसे बड़ा है ।

निषेधवाचक वाक्य—मैं राम से बड़ा नहीं हूँ ।

(5) कर्तृवाचक वाक्य से कर्मवाचक वाक्य—

कर्तृवाचक वाक्य—मैं रोटी खाता हूँ ।

कर्मवाचक वाक्य—मुझसे रोटी खायी जाती है ।

पदान्वय (PARSING)

शब्द और पद—वस्तुतः जब शब्द वाक्य से अलग रहता है तभी उसे 'शब्द' कहते हैं । वाक्य में प्रयुक्त शब्द तो 'पद' कहलाता है । 'पद' अर्थ-संकेत करता है, जब कि 'शब्द' सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकता है ।

पदान्वय

पदों का अन्वय अर्थात् विश्लेषण पदान्वय कहलाता है । इसे 'पदपरिचय', 'पदनिर्देश', 'पदनिर्णय', 'पदविन्यास', 'पदच्छेद' आदि नामों से भी जाना जाता है । पदान्वय के अन्तर्गत वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों (अर्थात् पदों) की व्याकरण से सम्बन्धित विशेषताएँ बतायी जाती हैं अर्थात् वाक्य के प्रत्येक पद को अलग-अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से सम्बन्ध बतलाना 'पदान्वय' कहलाता है । प्रमुख पदों के अन्वय का सामान्य परिचय नीचे दिया जा रहा है—

(1) संज्ञा का पदान्वय—संज्ञापदों का पदान्वय करते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, कारक और अन्य पदों का परिचय दिया जाता है । इसके साथ ही अन्य पदों के साथ उनका सम्बन्ध भी दिखलाया जाता है ।

उदाहरण—श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ । इस उदाहरण में 'श्याम', 'राम' और 'किताब' तीन संज्ञापद हैं' जिनका पदान्वय इस प्रकार होता है —

श्याम—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ताकारक, 'कहता है' क्रिया का कर्त्ता ।

राम—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिग, एकवचन, सम्बन्धकारक, इसका सम्बन्ध 'किताब' से है ।

किताब—संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'पढ़ सकता हूँ' क्रिया का कर्म ।

(2) सर्वनाम का पदान्वय—इसमें सर्वनाम, सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक एवं उसका सम्बन्ध बतलाया जाता है ।

उदाहरण—मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ ।

इस वाक्य में 'मैं' और 'अपनी' सर्वनाम हैं । इनका पदान्वय इस प्रकार होगा—

मैं—पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तमपुरुष, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ताकारक, 'पढ़ता हूँ' क्रिया का कर्त्ता ।

अपनी—निजवाचक सर्वनाम, उत्तमपुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन, संबंधकारक, 'किताब' संज्ञा का विशेषण ।

(3) **विशेषण का पदान्वय**—विशेषण के पदान्वय में उसका प्रकार, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बतलाये जाते हैं ।

उदाहरण—मैं तुम्हें नेहरूजी के अमूल्य गुणों की थोड़ी-बहुत जानकारी कराऊँगा । यहाँ 'अमूल्य' और 'थोड़ी-बहुत' विशेषण हैं जिनका पदान्वय निम्नलिखित है—

अमूल्य—विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिग, बहुवचन, अन्यपुरुष, संबंधसूचक, 'गुणों' इसका विशेष्य है ।

थोड़ी-बहुत—विशेषण, अनिश्चित परिमाण वाचक, स्त्रीलिंग, अन्यपुरुष, कर्मवाचक, 'जानकारी' इसका विशेष्य है ।

(4) **क्रिया का पदान्वय**—इसमें क्रिया के प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, आदि बातें बतलायी जाती हैं ।

उदाहरण—मैं जाता हूँ । यहाँ 'जाता हूँ' क्रिया है जिसका पदान्वय होगा—

जाता हूँ—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान, उत्तमपुरुष, पुल्लिग, एकवचन, 'मैं' इसका कर्त्ता ।

(5) **अव्यय का पदान्वय**—अव्यय के पदान्वय में अव्यय, अव्यय के भेद और उससे संबंध रखनेवाले पद के उल्लेख किये जाते हैं ।

उदाहरण—राम अभी गया है ।

'अभी' अव्यय है जिसका पदान्वय होगा- अभी- कालवाचक अव्यय, 'जाना' क्रिया का काल सूचित करता है,—अतः 'जाना' क्रिया का विशेषण ।

(6) **क्रियाविशेषण का पदान्वय**—इसमें क्रिया विशेषण के प्रकार और जिस क्रिया की विशेषता प्रकट करे, उस पद का उल्लेख होना चाहिए ।

उदाहरण—राम अपनी कक्षा में शान्तिपूर्वक बैठता है ।

'शान्तिपूर्वक' क्रियाविशेषण है जिसका पदान्वय होगा- शान्तिपूर्वक- रीतिवाचक क्रियाविशेषण, 'बैठता है' क्रिया की विशेषता बतलाता है । पूरे वाक्य का पदान्वय उदाहरण नीचे देखा जा सकता है—

उदाहरण—अच्छा लड़का कक्षा में शान्तिपूर्वक बैठता है—

अच्छा—गुणवाचक विशेषण, पुल्लिग, एकवचन, इसका विशेष्य 'लड़का' है ।

लड़का—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, अन्यपुरुष, कर्त्ताकारक, 'बैठता है'

क्रिया का कर्त्ता ।

कक्षा में—जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक ।

शान्तिपूर्वक—रीतिवाचक क्रियाविशेषण, 'बैठता है' क्रिया का विशेषण ।

बैठता है—अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान काल, पुल्लिग, एकवचन, अन्यपुरुष, इसका कर्त्ता 'लड़का' है ।

इसी प्रकार अन्य वाक्यों का भी पदान्वय किया जा सकता है ।

विराम-चिह्न

लेखक के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग वाक्य अथवा वाक्यों में किया जाता है, उन्हें विरामचिह्न कहते हैं ।

'विराम' का शाब्दिक अर्थ होता है—ठहराव । लेखनकार्य में इसी 'ठहराव' के लिए चिह्नों का प्रयोग होता है । लेखनकार्य के अन्तर्गत भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिह्नों का प्रयोग होता है । इन विराम चिह्नों का प्रयोग न करने से भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ती है तथा वाक्य एक दूसरे से उलझ जाते हैं एवं साथ ही पाठक को भी माथापच्ची करनी पड़ती है । अतः यह कहा जा सकता है कि वाक्य के सुन्दर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विरामचिह्नों की आवश्यकता एवं उपयोगिता मानी जाती है । प्रत्येक विराम चिह्न लेखक की विशेष मनोदशा का एक-एक ठहराव है अथवा विराम का संकेत स्थान है ।

विरामचिह्नों का प्रयोग पश्चिमी साहित्य अथवा अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय भाषाओं में शुरू हुआ है । इस दृष्टि से हम पश्चिम के ऋणी हैं । 19वीं शती के पूर्वार्द्ध तक भारतीय भाषाओं में विरामचिन्हों का प्रयोग नहीं होता था । संस्कृत भाषा में केवल पूर्णविराम का प्रयोग हुआ है । कारण यह है कि इस भाषा का स्वरूप संश्लिष्ट अथवा सामासिक है एवं गठन अन्वय सापेक्ष । हिन्दी भाषा चूँकि विश्लेषणात्मक है । इसलिए इसमें विरामचिह्नों की आवश्यकता रहती है । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमने अंग्रेजी से केवल विराम चिह्न लिये हैं । अंग्रेजी भाषा और व्याकरण को हमने ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि हिन्दी की वाक्य रचना अंग्रेजी से भिन्न है ।

हिन्दी में प्रयुक्त विरामचिह्न

हिन्दी में मुख्य रूप से निम्नलिखित विरामचिह्नों का प्रयोग होता है.....

(1) **अर्द्धविराम** (Semicolon)— ;

(2) **पूर्णविराम** (Full stop)— .

(3) **अल्पविराम** (Comma)— ,

(4) **योजकचिह्न** (Hyphen)— -

(5) **प्रश्नवाचक चिह्न** (Sign of Interrogation)—?

(6) विस्मयादिबोधक चिह्न (Sign of Exclamation)—!

(7) उद्धरण चिह्न (Inverted Comma)—" "

(8) कोष्ठक चिह्न (Bracket)—( ), { }, [ ]

(9) विवरण चिह्न (Colon)—:

(10) निर्देशन चिह्न (Dash)— -

(1) अर्द्धविराम (;)

(क) एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे का दूर का सम्बन्ध बतलाने के लिए अर्द्धविराम का प्रयोग होता है । जैसे——यह कलम अधिक दिनों तक नहीं चलेगी; यह बहुत सस्ती है ।

(ख) प्रधान वाक्य से सम्बद्ध यदि अन्य सहायक वाक्यांशों का प्रयोग किया जाय तो अर्द्धविराम लगाकर सहायक वाक्यांशों को अलग किया जा सकता है । जैसे——छोटे-छोटे लड़के कम गहरे सरोवर में घुस जाते हैं; पानी उछालते हैं; तरंगों से क्रीड़ा करते हैं ।

(ग) सभी तरह की उपाधियों के लेखन में अर्द्धविराम का प्रयोग किया जा सकता है । जैसे—— एम० ए०; एल-एल० बी० । प्रायः अर्द्धविराम के प्रयोग में कभी-कभी उलझन की स्थिति भी आ जाती है । कहीं-कहीं तो लोग अल्पविराम के स्थान पर अर्द्धविराम का प्रयोग कर बैठते हैं तथा अर्द्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का ।

(2) पूर्णविराम (।)

(क) पूर्णविराम का अर्थ पूर्ण ठहराव । जहाँ विचार की गति एकदम रुक जाय, वहाँ पूर्णविराम का प्रयोग होता है । वस्तुतः वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है । जैसे——यह लाल घोड़ा है । वह सुन्दर लड़की है ।

(ख) कभी-कभी वाक्यांशों के अन्त में भी पूर्णविराम का प्रयोग होता है । जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के सजीव वर्णन में । जैसे——श्याम वर्ण । गोल चेहरा । लम्बा कद । बड़ी-बड़ी आँखें । चौड़ा माथा । सफेद पाजामा कुर्ता पहने हुए ..... ।

(3) अल्पविराम (,)

अल्पविराम का अर्थ है थोड़े समय के लिए ठहरना । अपनी मनोदशा के अनुसार लेखक अपने विचारों में अल्प ठहराव ले आता है । ऐसे ठहराव के लिए ही अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है ।

(क) जब वाक्य में दो से अधिक समान पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय 'और' की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे——युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आ रहे हैं । वाक्यों में - मोहन सुबह आता है, झाड़ू लगाता है, पानी भरता है और चला जाता है ।

(ख) जहाँ बार-बार शब्द आ रहे हैं और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाय, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे——नहीं, नहीं, मुझसे यह काम नहीं होगा ।

(ग) वाक्य में यदि कोई वाक्य खंड अथवा अन्तर्वर्ती पद्यांश आ जाय तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग करना चाहिए । जैसे—क्रोध, चाहें जैसा भी हो, मनुष्य को नष्ट कर देता है ।

(घ) यदि वाक्य के बीच कुछ अव्यय (जैसे- पर, इसी से, इसलिए, किन्तु, परन्तु, अतः क्यों, जिससे, तथापि) प्रयुक्त होते हैं तो उनके पहले अल्पविराम का प्रयोग हो सकता है । जैसे—राम पढ़ने में तेज है, इसीलिए सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं । मैं कल गोष्ठी में जाता, किन्तु एक आवश्यक कार्य आ पड़ा है ।

(च) किसी व्यक्ति को सम्बोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है । जैसे—प्रिय महोदय, मैं आपका ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ।

(छ) जिस वाक्य में 'वह', 'यह', 'तब', 'तो', 'या', 'अब' आदि लुप्त हों वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है । जैसे-तुम जो कहते हो, ठीक नहीं है ('वह' लुप्त है) । जब जाना ही है चले जाओ । ('तब' लुप्त है) ।

(ज) किसी आदमी के कथन के पहले अल्पविराम लगाया जा सकता है । जैसे—राम ने कहा,"मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ" ।

(झ) हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा, अतः, वस्तुतः जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे—अच्छा, तो चला जाय । नहीं, ऐसा नहीं होगा । बस, इतने से काम चल जायगा ।

(4) योजक चिह्न (-)

हिन्दी भाषा की प्रकृति विश्लेषणात्मक है । इस कारण इसमें योजक चिह्नों की जरूरत पड़ती है । वस्तुतः योजक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थ को स्पष्ट करते हैं । इससे किसी शब्द के उच्चारण अथवा बर्तनी में स्पष्टता आती है । कहीं-कहीं तो योजक चिह्नों का ठीक प्रयोग न करने से उच्चारण और अर्थ से सम्बन्धित अनेक गलतियाँ हो सकती हैं । जैसे—'उपमाता' के दो अर्थ हैं- उपमा देनेवाला, सौतेली माँ । लेकिन यदि दूसरे अर्थ में उक्त शब्द का प्रयोग करना है तो 'उप' और 'माता' के बीच योजक चिह्न लगाना (उप-माता) जरूरी होगा ।

इसी प्रकार 'कुशासन' के भी दो अर्थ हैं- बुरा शासन और कुश से बना हुआ आसन । यदि पहले अर्थ में उक्त शब्द का प्रयोग करना है तो 'कु' के बाद योजक चिह्न (कु-शासन) लगाना जरूरी होगा ।

निम्नलिखित रूप में योजक चिह्नों का प्रयोग किया जा सकता है ।

(1) दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिह्न लगाये जा सकते हैं । जैसे—रात-दिन, पाप-पुण्य, माता-पिता, लेन-देन, आदान-प्रदान आदि ।

(2) जिन पदों के दोनों खण्ड प्रधान हों और जिनमें 'और' लुप्त हो वहाँ योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे—लोटा-डोरी, माता-पिता, लड़का-लड़की, भात-दाल आदि ।

(3) 'एकार्थबोधक सहचर' शब्दों (अर्थात् ऐसे शब्दों में जिनके अर्थ समान होते हैं) के बीच योजक चिह्न लगाए जाते हैं । जैसे—समझ-बूझ, दीन-दुखी, सेठ-साहूकार, हँसी-खुशी, नपा-तुला, चाल-चलन, जी-जान ।

(4) जब दो संयुक्त क्रियाएँ एक साथ प्रयुक्त हों तो दोनों के बीच योजक चिह्न का प्रयोग होता है । जैसे—पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, उठना-बैठना, कहना-सुनना, मारना-पीटना, आना-जाना आदि ।

(5) यदि दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो, तो वहाँ योजक चिह्न का प्रयोग हो सकता है । जैसे—अन्धा-बहरा, भूखा-प्यासा, लूला-लँगड़ा ।

(6) दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच भी योजक चिह्न का प्रयोग होता है । जैसे—चलाना-चलवाना, जिताना-जितवाना, कटाना-कटवाना ।

(7) यदि एक ही संख्या दो बार प्रयुक्त हो तो उनके बीच योजक चिह्न लगाया जा सकता है । जैसे—राम-राम, बच्चा-बच्चा, बूँद-बूँद, नगर-नगर, गली-गली आदि ।

(8) निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हों तो दोनों के बीच योजक-चिह्न प्रयुक्त हो सकता है । जैसे—बहुत-सा धन, बहुत-सी बातें, एक-से बढ़कर एक, कम-से-कम ।

(10) जब दो शब्दों के बीच सम्बन्धकारक के चिह्न- का, के, की- लुप्त हों तो दोनों के बीच योजक चिह्न लगाया जा सकता है । जैसे—शब्द-सागर, रावण-वध, प्रकाश-स्तम्भ, राम-नाम, मानव-शरीर, कृष्ण-लीला, मानव-जीवन इत्यादि ।

(11) लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अन्त में पूरा न हो तो उक्त शब्द के आधे खण्ड के बाद योजक चिह्न लगाया जा सकता है । जैसे—

उसका व्यवहार वस्तुतः आपत्ति जनक है ।

(5) प्रश्नवाचक चिह्न (?)

निम्न अवस्थाओं में प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग होता है—

(क) जहाँ प्रश्न पूछा या किया जाय, जैसे—तुम क्या कर रहे हो ?

(ख) व्यंग्योक्तियों के प्रयोग में, जैसे—यही आपका कर्त्तव्य है न ?

(ग) जहाँ स्थिति निश्चित न हो, जैसे—शायद आप लखनऊ के रहनेवाले हैं ?

(6) विस्मयादिबोधक चिह्न (!)

करुणा, भय, हर्ष, विषाद, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने लिए निम्नलिखित स्थितियों से विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग होता है ।

(क) अपने से छोटों के प्रति सद्भावना अथवा शुभकामना व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे—तुम चिरंजीवी हो ! भगवान् तुम्हारा भला करें ।

(ख) आह्लादसूचक शब्दों, पदों एवं वाक्यों के अन्त में विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग होता है । जैसे—वाह ! तुम धन्य हो !

(ग) मन की प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है । जैसे—वाह ! वाह ! वाह ! कितना सुन्दर नृत्य किया तुमने !

(घ) अपने से बड़े लोगों के प्रति आदर का सम्बोधन देने के लिए भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे—हे राम ! तेरी जय हो ।

(7) उद्धरण चिह्न (" ")

इसके दो रूप हैं—(1) इकहरा उद्धरण चिन्ह (Singl inverted Comma); (2) दुहरा उद्धरण चिह्न (Double Comma).

(क) किसी ग्रंथ से जब कोई वाक्य अथवा अवतरण उद्धृत किया जाता है, उस समय दुहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग होता है । जब कोई विशेष पद, वाक्य खण्ड उद्धृत किये जायँ उस समय इकहरा उद्धरण चिह्न लगता है । जैसे—

'दिवस का अवसान समीप था,
गगन था कुछ लोहित हो चला ।
तरु शिखा पर थी अब राजती,
कमलिनी, कुलवल्लभ की प्रभा ।' —हरिऔध

'कामायनी' एक महाकाव्य है ।

(ख) लेखक या कवि का उपनाम, लेख का शीर्षक, पुस्तक का नाम, समाचारपत्र का नाम उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरणचिह्न का प्रयोग होता है । जैसे—

'निराला' छायावादी कवि थे । 'आज' एक हिन्दी दैनिक पत्र है । 'श्रीमद्भगवद्गीता' एक प्रसिद्ध धार्मिक रचना है ।

(ग) महत्वपूर्ण कथन, सन्धि, कहावत इत्यादि को उद्धृत करते समय दुहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग करना चाहिए । जैसे—'कविता हृदय की मुक्तदशा का शाब्दिक विधान है'—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।

(8) कोष्ठक चिह्न ( )

वाक्य में प्रयुक्त पदविशेष को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिह्नों का प्रयोग किया जाता है । जैसे—श्रीकृष्ण के भाई (बलराम) शस्त्र के रूप में हल धारण करते थे । धर्मराज (युधिष्ठिर) पाण्डवों के अग्रज थे ।

(9) विवरण चिह्न (:—)

किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से कुछ कहने के लिए विवरण चिह्न का प्रयोग होता है । जैसे—

समास :— कई पदों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है । इसके छः भेद होते हैं ।.....

सामान्य अशुद्धियाँ

हिन्दी एक सरल भाषा है। लेकिन उसे सीखने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग सीखने से ही हम हिन्दी बोल अथवा लिख सकते हैं। भ्रमवश हमारी भाषा में सामान्य अशुद्धियाँ पायी जाती हैं। लिंग, वचन, ह्रस्व एवं दीर्घ मात्राओं, बिन्दु आदि का सही प्रयोग न जानने के कारण हम सामान्य गलतियाँ कर बैठते हैं। नीचे वाक्यों के प्रयोग में होने वाली गलतियों की ओर संकेत किया गया है—

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(1) छात्रों ने पं० नेहरू को अभिनन्दन-पत्र प्रदान किया।	छात्रों ने पं० नेहरू को अभिनन्दन पत्र अर्पित किया। **नोट**- जब बड़ों की ओर से छोटों को कुछ दिया जाता है वहाँ 'प्रदान' का प्रयोग होता है। जब छोटों की ओर से कुछ दिया जाता है वहाँ 'अर्पण' का प्रयोग होता है।
(2) भारत सरकार ने डा० श्रीमाली को 'पद्मविभूषण' की पदवी अर्पित की।	भारत सरकार ने डा० श्रीमाली को 'पद्मविभूषण' की पदवी प्रदान की। **नोट**- पहले वाक्य के समान यहाँ 'प्रदान' का प्रयोग उपयुक्त है।
(3) वह गाने की कसरत कर रहा है।	वह गाने का अभ्यास या रियाज कर रहा है।
(4) उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा।	उनकी आयुष्मती अथवा सौभाग्यकांक्षिणी कन्या का विवाह कल होगा। **नोट**- विवाह के पूर्व कन्या को सौभाग्यवती नहीं कहते।
(5) शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया।	खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। **नोट**- सामान्य कष्ट के लिए शोक का प्रयोग नहीं होता।
(6) जीवन और साहित्य का घोर सम्बन्ध है।	जीवन और साहित्य का अभिन्न सम्बन्ध है।
(7) मैदान में भारी-भरकम भीड़ जमा थी।	मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
(8) वे ऋषि धन्य हैं कि जिन्होंने ये ग्रंथ बनाये।	वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने ये ग्रंथ बनाये।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(9) मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं ।	मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं ।
नोट- यहाँ 'कि' का प्रयोग ठीक नहीं है ।	
(10) आपका पत्र सधन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला ।	आपका पत्र मिला । धन्यवाद ।
(11) लड़ाई के द्वारा लोगों ने खूब धन कमाया।	लड़ाई के समय लोगों ने खूब धन कमाया।
(12) उनका बहुत भारी सम्मान हुआ ।	उनका बहुत सम्मान हुआ ।
(13) पति-पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है ।	पति-पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है।
	नोट- 'हेतु' विशिष्ट अर्थ में तथा 'कारण' सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है ।
(14) दो दिन की बदली के पीछे आज सूरज निकला है ।	दो दिन की बदली के बाद या उपरान्त आज सूरज निकला है ।
(15) शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ ।	शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ ।
(16) लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया ।	लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया।
	नोट- भय के कारण 'भागने' का प्रयोग होता है तथा 'दौड़ने' का सामान्य अर्थ में ।
(17) इस समय आपकी आयु चालीस वर्ष की है ।	इस समय आपकी अवस्था चालीस वर्ष की है ।
	नोट- साधारण उम्र को 'अवस्था' तथा समस्त जीवन-काल को 'आयु' कहते हैं ।
(18) शत्रुओं ने प्रत्येक क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया ।	शत्रुओं ने प्रत्येक क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया ।
(19) राम ने मोहन पर कठोर कुठाराघात किया।	राम ने मोहन पर कुठाराघात किया ।
(20) पुलिस ने राम में आरोप लगाया ।	पुलिस ने राम पर आरोप लगाया ।
(21) मेरा नाम श्री रामचन्द्र जी है ।	मेरा नाम रामचन्द्र है ।
	नोट- अपने नाम के साथ 'श्री' और 'जी' नहीं लगाया जाता है ।
(22) मैं तुम्हें अच्छी-अच्छी बात बताऊँगा ।	मैं तुम्हें अच्छी-अच्छी बातें बताऊँगा ।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(23) इस दूकान पर अनार, संतरे और अंगूर का शरबत मिलता है ।	इस दूकान में अनार, संतरे और अंगूर के शरबत मिलते हैं ।
(24) वह दंड देने के योग्य है ।	वह दंडनीय है अथवा वह दंड पाने के योग्य है।
(25) राम ने श्याम के गले में एक गेंदे की माला डाल दी ।	राम ने श्याम के गले में गेंदे की एक माला डाल दी ।
(26) कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई ।	रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई ।
(27) बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं।	बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं ।
(28) एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं ।	एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है ।
(29) उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की ।	उन्होंने इस बात पर आपत्ति की ।
(30) कवियों को काव्य के करते समय ही यह आनन्द मिलता है ।	कवियों को काव्य करते समय ही यह आनन्द मिलता है ।
(31) वहाँ बहुत-से लोग बेहाल दशा में पड़े थे।	वहाँ बहुत-से लोग बेहाल पड़े थे । वहाँ बहुत-से लोग दुर्दशा में पड़े थे ।
(32) उस जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था ।	उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था ।
(33) दो वर्षों के बीच राम और श्याम के बीच कटुता उत्पन्न हो गयी ।	दो वर्षों के बीच राम और श्याम में कटुता उत्पन्न हो गयी ।
(34) पाकिस्तान की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है ।	पाकिस्तान की वर्तमान (या मौजूदा) अवस्था ठीक नहीं है ।
(35) कृपया आप ही यह बतलाने का अनुग्रह करें ।	कृपया आप ही यह बतलायें ।
(36) वह भी सोती नींद से जाग पड़ा ।	वह भी नींद से जाग पड़ा ।
(37) तमाम देशभर में यह बात फैल गयी।	देशभर में यह बात फैल गयी ।
(38) भाषण सुनने के बाद राम वापस लौट आया ।	भाषण सुनने के बाद राम लौट आया ।
(39) वे सब कालचक्र के पहिये के नीचे पिस गये ।	वे सब कालचक्र से पिस गये ।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(40) शौनकादि प्रभृति शास्त्रकारों का कहना है।	शौनकादि शास्त्रकारों का कहना है। अथवा- शौनक प्रभृति शास्त्रकारों का कहना है।
(41) उनकी आँखों की दृष्टि शून्य आकाश में लगी।	उनकी आँखें शून्य आकाश में लगी हैं।
(42) वे लोग परस्पर एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं।	वे एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं।
(43) आपका भवदीय।	आपका अथवा भवदीय।
	नोट- कोई एक ही लिखना चाहिए।
(44) इस कार्य को करते हुए मुझे कई महीने हो गये।	यह कार्य करते मुझे कई महीने हो गये।
नोट- यहाँ 'को' का प्रयोग व्यर्थ है।	
(45) प्रस्तुत कविता अनेक भावों को प्रकट करती है।	प्रस्तुत कविता अनेक भाव प्रकट करती है।
(46) बाजार में झुण्ड-के-झुण्ड जानवर खड़े हैं।	बाजार में झुण्ड-के-झुण्ड जानवर हैं।
(47) उन्होंने हाथ जोड़ा।	उन्होंने हाथ जोड़े।
(48) कै बजे ? चार बजे।	क्या बजा ? चार बजा।
(49) उसे सौ रुपये जुर्माने हुए।	उसे सौ रुपया जुर्माना हुआ।
(50) सभा में सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे।	सभा में हर वर्ग के लोग उपस्थित थे।
(51) मैं नावों पर सवार था।	मैं नाव पर सवार था।
(52) शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया।	शेर को देखकर उसके प्राण सूख गये।
(53) सबके आँख से आँसू बहता है।	सबकी आँखों से आँसू बहते हैं।
(54) वह आपका दर्शन करने आया है।	वह आपके दर्शन करने आया है।
नोट- लोग, दाम, आँसु, होश, हिज्जे, भाग्य, दर्शन, प्राण, समाचार का हिन्दी में बहुवचन में प्रयोग होता है।	
(55) उसके एक-एक शब्द तुले हुए थे।	उसका एक-एक शब्द तुला हुआ था।
(56) स्वस्ति श्री पिताजी, प्रणाम।	सिद्धिश्री पिता जी, प्रणाम।
	नोट- अपने से बड़ों के लिए 'सिद्धिश्री' तथा छोटों एवं बराबर वालों के लिए 'स्वस्तिश्री' लिखा जाता है।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(57) सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी ।	सारा राज्य उसके लिए थाती था ।
(58) उसने मुझे बम्बई बुलायी ।	उसने मुझे बम्बई बुलाया ।
(59) अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया ।	अदालत ने गोडसे पर अभियोग लगाया ।
(60) वह भाँग ढालता है ।	वह भाँग छानता है ।
(61) वह शराब छानता है ।	वह शराब ढालता है ।
(62) कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी रहीं ।	कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी रहीं ।
(63) राम से लड़ना तलवार की नोक पर चलना है ।	राम से लड़ना तलवार की धार पर चलना है ।
(64) भारत को आजाद करने का बीड़ा कौन चबाता है ?	भारत को आजाद करने का बीड़ा कौन उठाता है ।
(65) उसने तरह-तरह का रूप धारण किया ।	उसने तरह-तरह के रूप धारण किये ।
(66) दस हजार का टिकट गायब हो गया ।	दस हजार के टिकट गायब हो गये ।
(67) ऐसी एकाध त्रुटियाँ और देखने में आयेंगी ।	ऐसी एकाध त्रुटि और देखने में आयेगी ।
	नोट- एकाध के साथ एकवचन का प्रयोग होता है ।
(68) प्रत्येक छोटी-मोटी विशेषताओं को देखना चाहिए ।	प्रत्येक छोटी-मोटी विशेषता को देखना चाहिए ।
(69) कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं ।	कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश करते हैं ।
(70) उसने एक वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा देखी !	उसने एक वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा की ।
	नोट- प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती है ।
(71) गुरुजी प्रश्न पूछते हैं ।	गुरुजी प्रश्न करते हैं ।
	नोट- 'प्रश्न' के साथ 'करना' क्रिया का प्रयोग होता है ।
(72) मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ ।	मैं आप पर श्रद्धा (या भक्ति) रखता हूँ ।
	नोट- श्रद्धा, भक्ति के साथ 'करना' क्रिया का प्रयोग अच्छा नहीं लगता ।
(73) यह काम आप पर निर्भर करता है ।	यह काम आप पर निर्भर है ।
नोट- 'निर्भर' के साथ 'करना' क्रिया का प्रयोग नहीं होता है ।	

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(74) आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है ।	आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई देती है ।
नोट- 'सरगर्मी' के साथ 'दृष्टिगोचर' का प्रयोग अच्छा नहीं लगता ।	
(75) वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया ।	वकीलों ने कागजात की जाँच की ।
(76) वहाँ बहुत-से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिये ।	वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुये दिखाई दिये ।
(77) भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बतायें कि भारत उनका है ।	भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बतायें कि भारत हमारा है ।
(78) मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ ।	मैं अपने बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ ।
नोट- यहाँ दो-दो क्रियावाचक पदों ('करण, करने') का प्रयोग दोषपूर्ण है ।	
(79) पुस्तक को जहाँ से ली थी, वहीं रख दी।	पुस्तक जहाँ से ली थी, वहीं रख दी ।
(80) विद्यार्थियों को इस रचना का अध्ययन उपयोगी होगा ।	विद्यार्थियों के लिए इस रचना का अध्ययन उपयोगी है ।
(81) वहाँ घमासान की लड़ाई हो रही है ।	वहाँ घमासान लड़ाई हो रही है ।
(82) इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा ।	यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा ।
(83) उसके चाचा को लड़की हुई है ।	उसके चाचा के लड़की हुई है ।
	नोट- संबंध, स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में सम्बन्धकारक का सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है और उसकी 'के' विभक्ति आती है ।
(84) इन दोनों में केवल यही अन्तर है ।	इन दोनों में यही अन्तर है ।
	नोट- वाक्यों में प्रयुक्त 'यही = यह + ही' का 'ही' और 'केवल' पर्यायवाची हैं ।
(85) मैंने उससे वार्ता की ।	मैंने उससे बात की ।
(86) हम तो अवश्य ही जायँगे ।	हम तो अवश्य जायँगे ।
	नोट- 'अवश्य' और 'ही' का प्रयोग एक साथ नहीं होता ।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(87) पिता का उत्तरदायित्व पुत्र के ऊपर होता है।	पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है।
(88) बहुत-से लोग इस धारणा के बन गये हैं।	बहुत-से लोगों की यह (या ऐसी) धारणा हो गयी है।
(89) किसी भी आदमी को भेज दो।	किसी आदमी को भेज दो। **नोट-** 'किस + ही = किसी' के 'ही' से ही काम चल जाता है। अतः उसके स्थान पर 'भी' का प्रयोग भद्दा लगता है।
(90) यह अभियोग उनके ऊपर लगाया गया है।	यह अभियोग उनपर लगाया गया है।
(91) मैं अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता हूँ।	मैं अपने गुरु पर श्रद्धा रखता हूँ।
(92) तुम्हारा सब काम गलत होता है।	तुम्हारे सब काम गलत हैं।
(93) गाँव पर सर्पों की अधिकता है।	गाँव में सर्पों की अधिकता है।
(94) वह बिलकुल भी बात करना नहीं चाहती थी।	वह बिलकुल बात करना नहीं चाहती थी।
(95) कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है।	कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है।
(96) वह निज में वहाँ जाना नहीं चाहता।	वह स्वयं वहाँ जाना नहीं चाहता।
(97) चाहे जैसे भी हो, तुम वहाँ जाओ।	चाहे जैसे हो, तुम वहाँ जाओ।
(98) सड़क में भारी भीड़ लगी है।	सड़क पर भारी भीड़ लगी है।
(99) शब्द केवल संकेतमात्र है।	शब्द केवल संकेत है। **नोट-** किसी एक पद पर बल देने के लिए 'पर', 'केवल', 'मात्र', 'ही' में से किसी एक अव्यय का ही प्रयोग होता है।
(100) मैंने सूई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिये।	मैंने सूई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लीं। **नोट-** 'ने' चिह्न वाले कर्त्ता और 'को' चिह्न से रहित कर्म की स्थिति में अन्तिम कर्म के वचन, लिंग के अनुसार क्रिया होगी।
(101) यह तो केवल आप ही पर निर्भर है।	यह तो केवल आप पर निर्भर है।
(102) कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें।	कृपया आप ही यह बतायें।
(103) उन्हें मृत्युदंड की सजा मिली है।	उन्हें मृत्युदंड मिला है।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(104) हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध है ।	हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध है ।
(105) मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता ।	मुझसे यह काम संभव नहीं । **नोट-** 'संभव' और 'हो' सकना समान अर्थ देते हैं ।
(106) एक-एक करके सभी मर गये ।	एक-एक कर सभी मर गये ।
(107) उसने इधर देखा और बोला ।	उसने इधर देखा और कहा ।
(108) वह आरोग्य हो गया ।	वह नीरोग हो गया ।
(109) तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी ।	तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा । **नोट-** 'कहना' कर्त्ता है । उसी के अनुसार क्रिया होनी चाहिए ।
(110) निरपराधी को दंड देना उचित नहीं ।	निरपराध को दंड देना उचित नहीं ।
(111) ऐक्यता उन्नति लाती है ।	एकता से उन्नति होती है ।
(112) यह कहना आपकी भूल है ।	यह कहना आपकी गलती है ।
(113) हम लोग कुशलपूर्वक से हैं ।	हम लोग सकुशल या कुशलपूर्वक हैं ।
(114) मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।	मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।
(115) राम ने श्याम को सहयोग दिया ।	राम ने श्याम का सहयोग किया ।
(116) नेहरू जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ ।	नेहरू जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुःख हुआ । **नोट-** नितान्त हानि की स्थिति में 'दुःख' होता है ।
(117) वे लोग परस्पर एक-दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते थे ।	वे लोग एक-दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते थे ।
(118) आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया ।	आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया ।
(119) वह विलाप करके रोने लगा ।	वह विलाप करने लगा ।
(120) हिमालय में ठंढी बर्फ जमी रहती है ।	हिमालय पर बर्फ जमी रहती है । **नोट-** बर्फ ठंढी होती है ।
(121) वहाँ अभी भी गर्म आग है ।	वहाँ अभी भी आग है । **नोट-** आग गर्म होती ही है ।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(122) पशुओं के झुण्ड पानी की चाह में घूम रहे थे। **नोट-** 'चाह' में नहीं, 'तलाश' या 'खोज' में घूमा-फिरा जाता है।	पशुओं के झुण्ड पानी की खोज (या तलाश) में घूम रहे थे।
(123) प्रायः ऐसे अवसर आते हैं, जिनमें लोगों को कभी-कभी अपना मत बदलना पड़ता है। **नोट-** 'प्रायः' और 'कभी-कभी का एक वाक्य में प्रयोग नहीं होता।	प्रायः ऐसे अवसर आते हैं, जब कि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है।
(124) उन्होंने अपनी कविता आप पढ़कर सुनायी।	उन्होंने अपनी कविता पढ़कर सुनायी।
(125) तब शायद यह काम जरूर हो जायगा। **नोट-** 'तब' और 'शायद' **का प्रयोग** एक साथ नहीं होता।	तब यह काम जरूर हो जायगा।
(126) इस समस्या की **बहुत अच्छी** दवा उनके पास है।	इस समस्या का बहुत अच्छा समाधान उनके पास है। **नोट-** 'समस्या' का 'समाधान' होता है, 'दवा' नहीं।
(127) उसके बाद फिर यह हुआ।	उसके बाद यह हुआ।
(128) लेकिन फिर भी मैं आपकी बात मान लूँगा। **नोट-** 'लेकिन' और 'फिर भी' समानार्थक हैं।	लेकिन मैं आपकी बात मान लूँगा।
(129) राम अपनी चतुराई और चालाकी से सबको प्रसन्न रखता है।	राम अपनी चतुराई से सबको प्रसन्न रखता है।
(130) सिवा तुमको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहता।	तुमको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहता। सिवा तुम्हारे कोई ऐसी बात नहीं कहता।
(131) चरखा कातना चाहिए ! **नोट-** चरखा चलाया जाता है, उस पर धागे काते जाते हैं।	चरखा चलाना चाहिए।
(132) उसने मुक्तकंठ से प्रशंसा की।	उसने मुक्तकंठ प्रशंसा की। **नोट-** 'मुक्तकंठ' के साथ 'से' नहीं जोड़ना चाहिए।
(133) उसने मुक्तहस्त से धन लुटाया। **नोट-** 'मुक्तहस्त' के साथ 'से' नहीं जोड़ना चाहिए।	उसने मुक्तहस्त धन लुटाया।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
(134) निम्न शब्दों पर ध्यान दें ।	निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दें ।
नोट- 'निम्न' का अर्थ है 'नीच' । इसका अर्थ 'नीचे लिखे' नहीं है ।	निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दें ।
(135) उसने पूरी शक्तिभर काम किया ।	उसने शक्तिभर काम किया ।
(136) सारे विश्व-भर में उसका नाम प्रसिद्ध है ।	विश्वभर में उसका नाम प्रसिद्ध है ।
(137) किसी और दूसरे आदमी को बुलाओ ।	किसी दूसरे को बुलाओ या किसी और को बुलाओ ।
(138) समस्त प्राणिमात्र का कल्याण करो ।	प्राणिमात्र का कल्याण करो ।
(139) यह सबसे सुंदरतम स्त्री है ।	यह सबसे सुन्दर स्त्री है ।
(140) बाजी खेलना चाहिए ।	बाजी लगाना चाहिए ।
(141) सौभाग्यवती मीरा का विवाह हो गया ।	सुश्री मीरा का विवाह हो गया ।
(142) मोती की कड़ियाँ ।	मोती लड़ियाँ ।
(143) गीतों की लड़ियाँ ।	गीतों की कड़ियाँ ।
(144) हाथों में बेड़ियाँ ।	हाथों में हथकड़ियाँ ।
(145) पैरों में हथकड़ियाँ ।	पैरों में बेड़ियाँ ।
(146) मेरी स्त्री आ रही है ।	मेरी पत्नी आ रही है ।
(147) बेफजूल बात मत करो ।	फजूल बात मत करो ।
(148) इस समय आपकी आयु क्या है ?	इस समय आपकी अवस्था क्या है ?
(149) उसके रहन-सहन का दर्जा कैसा है ?	उसके रहन-सहन का स्तर कैसा है ?

नीचे शब्दों की अशुद्धियाँ दी जा रही हैं

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अर्थात	अर्थात्	उन्मीलीत	उन्मीलित
अमावश्या	अमावस्या	उँचाई	ऊँचाई
	अमावास्या	उपलक्ष्य	उपलक्ष
अवन्नति	अवनति	उश्रृंखल	उच्छृंखल
अन्तर्ध्यान	अन्तर्धान	उत्पात्	उत्पात

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अन्ताक्षरी	अन्त्याभरी	औद्योगीकरण	उद्योगीकरण
अद्वितिय	अद्वितीय	कलस	कलश
अहिल्या	अहल्या	कवियित्री	कवयित्री
अगामी	आगामी	कालीदास	कालिदास
अर्च्यना	अर्चना	कृतघ्नी	कृतघ्न
अनुग्रहीत	अनुगृहीत	कुम्भार	कुम्हार
अनाधिकार	अनधिकार	कनिष्ट	कनिष्ठ
अनुशरण	अनुसरण	कैलाश	कैलास
अनिष्ठ	अनिष्ट		
अभ्यस्थ	अभ्यस्त	कुशाशन	कुशासन
अपन्हुति	अपह्नुति	कंकन	कंकण
आधीन	अधीन	कियारी	क्यारी
आहवान	आह्वान	केन्द्रीयकरण	केन्द्रीकरण
आकांछा	आकांक्षा	कौतुहल	कौतूहल
आजीवका	आजिविका		कुतूहल
आर्द	आर्द्र	क्षात्र	छात्र
आमिश	आमिष	क्षत्र	छत्र
आल्हाद	आह्लाद	ग्रहीत	गृहीत
ईर्षा	ईर्ष्या	गृहीता	ग्रहीता
इकट्ठा	इकट्ठा	गिरस्ती	गृहस्थी
उचित्	उचित	गरिष्ट	गरिष्ठ
उर्मी	उर्मि, उर्मि	गर्द्धव	गर्दभ
उन्नती	उन्नति	गडुर	गरुड़
गोप्यनीय	गोपनीय	प्रज्ज्वलित	प्रज्वलित
गृहस्थ्य	गृहस्थ	पृष्ट	पृष्ठ
घनिष्ट	घनिष्ठ	प्रनाम	प्रणाम
चारदीवारी	चहारदीवारी	पुर्व	पूर्व
चिन्ह	चिह्न	पिचास	पिशाच
च्युत्	च्युत	पृथक	पृथक्
चर्मोत्कर्ष	चरमोत्कर्ष	पृष्ठपेशण	पिष्टपेषण
छमा	क्षमा	प्रर्याप्त	पर्याप्त
जागृत	जागरित	प्रत्युत्	प्रत्युत
जमाता	जामाता	फाल्गुण	फाल्गुन

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
जेष्ट	ज्येष्ठ	ब्रत	व्रत
ज्योत्सना	ज्योत्स्ना	ब्रम्ह	ब्रह्म
त्याज	त्याज्य	विराट	विराट्
तड़ित	तड़ित्	भगीरथी	भागीरथी
तत्व	तत्त्व	भाग्यवान	भाग्यवान्
तिलांजली	तिलांजलि	मुमुर्षू	मुमूर्षु
तलाव	तालाब	मुहुर्त	मुहूर्त्त
दधिची	दधीचि	महत्व	महत्त्व
द्वन्द	द्वन्द्व	महत्वाकांछा	महत्त्वाकांक्षा
द्वारिका	द्वारका		
दिपिका	दीपिका	महात्म	माहात्म्य
नरायन	नारायण	यथेष्ठ	यथेष्ट
निरिह	निरीह	याज्ञवल्क	याज्ञवल्क्य
नबाब	नवाब	रसायण	रसायन
नछत्र	नक्षत्र	ललायित	लालायित
निमिलित	निमीलित	वाहनी	वाहिनी
नुपुर	नूपुर	व्योहार	व्यवहार
प्रन्तु	परन्तु	विरहणी	विरहिणी
पुष्कर्नी	पुष्करिणी	वाल्मिकी	वाल्मीकि
प्रत्यूस	प्रत्यूष	वांक्षनीय	वांछनीय
संग्रहित	संगृहीत	सुलोचनी	सुलोचना
सुर्पनखा	शूर्पणखा	श्वेतांगिनी	श्वेतांगी
सत्व	सत्त्व	सृजन	सर्जन

प्रत्यय - सम्बन्धी अशुद्धियाँ

स्मसान	श्मशान	अनुसंगिक	आनुषंगिक
समीति	समिति	अभ्यन्तरिक	आभ्यन्तरिक
स्वास्थ	स्वास्थ्य	असहनीय	असह्य
स्थायीत्व	स्थायित्व	अधीनस्थ	अधीन
सुश्रुषा	शुश्रूषा	आलस्यता	आलस्य
सुसुप्ति	सुषुप्ति	इतिहासिक	ऐतिहासिक

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
सुसमा	सुषमा	एकत्रित	एकत्र / ऐक्य, एकता
सस्यस्यामला	शस्यश्यामला	ऐक्यता	
श्रंखला	श्रृंखला		
श्रृंगार	श्रृंगार	कौशलता	कौशल / कुशलता
श्राप	शाप	चरुताई	चारुता
श्रीयुत्	श्रीयुत	ज्ञानमान्	ज्ञानवान्
शत्रुघन	शत्रुघ्न	तत्कालिक	तात्कालिक
शुद्धिकरण	शुद्धीकरण	त्रिवार्षिक	त्रैवार्षिक
हिरण्यकश्यपु	हिरण्यकशिपु	दारिद्रता	दारिद्रय / दरिद्रता

लिंगप्रत्यय-सम्बन्धी अशुद्धियाँ

		द्वैवार्षिक	द्विवार्षिक
अनाथिनी	अनाथा	निरपराधी	निरपराध
कोमलांगिनी	कोमलांगी	पौर्वात्य	प्राच्य / पौर्विक
गायकी	गायिका		
चातकिनी	चातकी	पूज्यनीय	पूज्य, पूजनीय
त्रिनयनी	त्रिनयना		
पिशाचिनी	पिशाची	प्रफुल्लित	प्रफुल्ल
भुजंगिनी	भुजंगी	प्रदेशिक	प्रादेशिक
विहंगिनी	विहंगी	प्रतिनिधिक	प्रातिनिधिक
प्रमाणिक	प्रामाणिक	छत्रछाया	छत्रच्छाया
बाहुल्यता	बाहुल्य / बहुलता	जाग्रतावस्था	जाग्रदवस्था
		तदोपरान्त	तदुपरान्त
महत्व	महत्त्व	दुरावस्था	दुरवस्था
मान्यनीय	मान्य / माननीय	नभमंडल	नभोमंडल
		निरोग	नीरोग
राजनैतिक	राजनीतिक	निर्शेष	निश्शेष
लब्धप्रतिष्ठित	लब्धप्रतिष्ठ	निर्पेक्ष	निरपेक्ष
वैमनस्यता	वैमनस्य	पुनर्रचना	पुनररचना
श्रीमान	श्रीमन् श्रीमान्	सन्मुख	सम्मुख

समास - सम्बन्धी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
षष्ठम्	षष्ठ		
सन्यास	संन्यास	अहोरात्रि	अहोरात्र
सर्वजनीन	सार्वजनीन	एकतारा	इकतारा
सौजन्यता	सौजन्य	एकलौता	इकलौता
साम्यता	साम्य / समता	एकट्ठा	इकट्ठा
		दिवारात्रि	दिवारात्र
सप्ताहिक	साप्ताहिक	पक्षीगण	पक्षिगण
समुद्रिक	सामुद्रिक / समुद्री	पक्षीराज	पक्षिराज
		भ्राताद्वय	भ्रातृद्वय
संसारिक	सांसारिक	भ्रातागण	भ्रातृगण
		मातदेव	मातृदेव

सन्धि - सम्बन्धी अशुद्धियाँ

		मंत्रीवर	मंत्रिवर
अनाधिकारी	अनधिकारी	मंत्रीमंडल	मंत्रिमंडल
अधगति	अधोगति	योगीराज	योगिराज
आष्पद	आस्पद	बक्तागण	वक्तृगण
		विद्यार्थीगण	विद्यार्थिगण
उज्वल	उज्ज्वल	स्वामीभक्त	स्वामिभक्त
उपरोक्त	उपर्युक्त		
चक्षुरोग	चक्षूरोग		

हलन्त - सम्बन्धी अशुद्धियाँ

प्रत्युत्	प्रत्युत
बुद्धिवान	बुद्धिमान्
भाग्यवान	भाग्यवान्
भविष्यत	भविष्यत्
विधिवत	विधिवत्

चन्द्रबिन्दु एवं अनुस्वार सम्बन्धी अशुद्धियाँ

आंख	आँख
ऊंचा	ऊँचा
उंगली	उँगली
जहां	जहाँ
दांत	दाँत
मुंह	मुँह

चतुर्थ खण्ड

शुद्ध वर्तनी, वर्तनी विश्लेषण और शब्दकोष शब्दक्रम का ज्ञान (Correct Spelling, Spelling Analysis.)

वर्तनी

वर्तनी का दूसरा नाम वर्ण-विन्यास है। सार्थक ध्वनियों का समूह ही शब्द कहलाता है। शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम से उच्चरित किया जाता है, लिखने में भी उसी क्रम से विन्यस्त करने का नाम वर्तनी या वर्ण-विन्यास है। तात्पर्य यह है कि वर्तनी के अन्तर्गत शब्दग ध्वनियों को जिस क्रम से और जिस रूप में उच्चारित किया जाता है उसी क्रम से और उसी रूप में उन्हें लिखा भी जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी के लिए पहली शर्त है शुद्ध उच्चारण करना। जैसे—यदि हम 'अक्षर' का उच्चारण 'अच्छर' करेंगे तो 'अक्षर' की वर्तनी शुद्ध नहीं लिख सकते।

शुद्ध वर्तनी के लिए निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए—

(1) हिन्दी में कुछ वर्ण ऐसे हैं, जिनके दो रूप प्रचलित हैं, जिससे वर्तनी की एकरूपता में कमी आती है। ये वर्ण हैं—अ-अ, क्ष-क्ष, ख-ष, ण-ण, ल-ल। इन वर्णों में दोनों रूप प्रचलित नहीं हैं। वस्तुतः इनमें अ, क्ष, ख, ण, ल ही अधिक प्रचलित हैं। अतः इन्हें ही मानिक मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए।

(2) जो शब्द संस्कृत से लिये गए हैं उनकी वर्तनी भी वही होनी चाहिए जो संस्कृत में मान्य है। आज हिन्दी ऋ और ष का उच्चारण रि और श की तरह होता है। लेकिन वर्तनी में ऋ और ष ही रखा जायगा। वस्तुतः ऐसे शब्दों को स्मरण रखना चाहिए—ऋतु, ऋषि, ऋत, वृष्टि, सृष्टि, दृष्टि, पृष्ठ, कृष्ण, उत्कृष्ट, कृषि, तृषा, ऋग्वेद, ऋचा।

(3) हिन्दी शब्दों का अन्तिम 'अ' उच्चरित नहीं होता, लेकिन लिखने में ऐसे शब्दों को हलन्त नहीं किया जाता। संस्कृत में ऐसा सम्भव नहीं है। संस्कृत में यदि कोई शब्द स्वरांत है तो उसका उच्चारण किया जाता है और यदि वह व्यञ्जनांत है, तो उसे हलन्त लिखा जाता है। इसी प्रकार संस्कृत के जो शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, यदि वे हलन्त हैं तो उन्हें हलन्त लिखना जरूरी है। ऐसा न करने से नाना प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। कुछ हलन्त शब्द स्मरणीय हैं—महान्, श्रीमान्, आयुष्मान्, विद्यावान्, श्रद्धावान्, विद्वान्, जगत्, विधिवत्, पूर्ववत्, वृहत्, मनस्, पृथक् आदि।

(4) संस्कृत में आ और ई स्वर का संयोग नहीं होता। तात्पर्य यह है कि संस्कृत के किसी शब्द के अन्त में आई नहीं होता है। स्पष्ट है कि जो शब्द संस्कृत से लिये गये हैं उनके

अन्त में- आई नहीं लगेगा । जैसे—अनुयाई, स्थाई आदि । इस प्रकार के शब्दों के शुद्ध रूप नीचे दिये जा रहे हैं—

स्थायी, अनुयायी, उत्तरदायी । इनमें यदि त्व प्रत्यय लगेगा तो रूप होगा स्थायित्व, उत्तरदायित्व ।

(5) हिन्दी के देशज और तद्भव शब्दों के अन्त में लगने वाला 'आई' प्रत्यय शुद्ध है । जैसे—भलाई, चढ़ाई, ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई, लड़ाई आदि ।

(6) संस्कृत के इन शब्दों में विसर्ग लगाए जाते हैं । जैसे—अतः, पुनः, मनःस्थिति, दुःख, अन्तःस्थ, अधःपतन, छन्दःशास्त्र आदि ।

(7) सप्तम्, नवम्, प्रणाम् आदि शब्दों में अन्तिम 'म' हलन्त नहीं है । अतः इनके शुद्ध रूप हैं- सप्तम, नवम, प्रणाम ।

(8) महत्व, तत्व, सत्व अशुद्ध शब्द हैं । ये यौगिक शब्द इस प्रकार बने हैं—

तत् + त्व = तत्त्व

सत् + त्व = सत्त्व

महत् + त्व = महत्त्व

अतः इन शब्दों के शुद्ध रूप हैं—महत्त्व, तत्त्व, सत्त्व । इसी प्रकार महत्ता, महत्तम, सत्ता शुद्ध रूप हैं, लेकिन महत्तम के सादृश्य पर लघुत्तम अशुद्ध है । इसका शुद्ध रूप है- लघु + तम = लघुतम ।

(9) संस्कृत में ये दोनों रूप हैं—कर्ता-कर्त्ता, कार्य-कार्य्य, कर्तव्य-कर्त्तव्य, वर्धमान-वर्द्धमान । लेकिन हिन्दी में प्रायः पहले रूप का ही प्रयोग होता है ।

(10) जिन संस्कृत के शब्दों में ङ, ञ, ण, न, म, का संयोग हो उनके स्थान पर हिन्दी में प्रायः अनुस्वार (ं) का प्रयोग किया जा सकता है । यों संस्कृत में य, र, ल, व, श, ष, स, ह से पहले अनुस्वार (ं) का ही प्रयोग हो सकता है, पंचमाक्षर का नहीं । जैसे—संलग्न, संवत्, संवाद, अंश, संरक्षक, संयम, संयत, संयुक्त, संशय, संस्कृति, हंस, संसार, संस्था आदि ।

(11) अपने-अपने वर्ण के वर्णों के साथ ही पंचमाक्षरों का प्रयोग होता है । जैसे- क, ख, ग, घ से पहले ङ, च, छ, ज, झ से पहले ञ, ट-ठ-ड-ढ से पहले ण, त-थ-द-ध से पहले न् तथा प-फ-ब-भ से पहले म् जुड़ सकता है, लेकिन हिन्दी को सरल बनाने के लिए पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार (ं) का प्रयोग होता है । यों सर्वत्र ऐसा करना सम्भव नहीं है । हिन्दी में जो पंचमाक्षर न, म, य, व से पहले न आए हों वे अनुस्वार के रूप में लिखे जा सकते हैं । लेकिन यदि पंचमाक्षर न, म, य, व से पहले आते हैं तो वे अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेंगे । जैसे—अन्य, जन्म, अन्न, पुण्य, सन्मार्ग, कण्व को अंय, जंम, अंन, पुंय, संमार्ग, कंव नहीं लिखा जा सकता । ऐसे ही अन्य शब्द हैं जिनके पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदल सकते जैसे—धान्य, अरण्य, अम्ल, दिङ्मण्डल, काम्य, हिरण्य, वाङ्मय, दिङ्नाग ।

कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें पंचमाक्षर का अनुस्वार होता है और नहीं भी होता है । जैसे—पंडित-पण्डित, अंत-अन्त, दंत-दन्त, गंभीर-गम्भीर, हिंदी-हिन्दी, संबंध-सम्बन्ध, संपादक-सम्पादक, कंप-कम्प, संत-सन्त, सुंदर-सुन्दर, अंग-अङ्ग, बंधन-बन्धन ।

(12) अनुस्वार (ं) का ह्रस्व रूप अर्द्ध अनुस्वार अथवा अनुनासिक (ँ) है । हिन्दी में ये दो ध्वनियाँ हैं। अतः इनके प्रयोग से शब्द के उच्चारण और अर्थ दोनों में अन्तर आ सकता है । कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं- अंगना = स्त्री, अँगना = आँगन, हँसी = हँसने की क्रिया, हंसी = हंस का स्त्रीलिंग । स्पष्ट है कि इनके प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए । एक बात और है—जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी हैं उनमें चन्द्रबिन्दु लगाना सरल है, जैसे—मुँह, गाँव । लेकिन जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी है उसमें चन्द्रबिन्दु लगाना श्रमसाध्य लगता है । अतः मुद्रण की ऋऋऋसुविधा एवं लिखने में सरलता के लिए ऐसे शब्दों में चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार (ं) का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे—मैं, हैं, सिंचाई । यों इनके शुद्ध रूप हैं—मैं, हैं, सिँचाई । किन्तु सरलता के लिए 'मैं' के स्थान पर 'मैं' का प्रयोग हो रहा है ।

(13) कारक चिह्नों (परसर्गों) को संज्ञा पदों से कटकर लिखना चाहिए तथा साथ ही उन्हें सर्वनाम पदों से सटाकर लिखना चाहिए । जैसे—मैं गाँव से आ रहा हूँ । उसने कहा ।

(14) अंग्रेजी के Ball, Call, Hall, Doctor, Form, Office आदि शब्दों को बाल, काल, हाल, डाक्टर, फार्म, आफिस रूप में लिखा एवं उच्चरित करना अशुद्ध है । वस्तुतः इनके शुद्ध उच्चारण के लिए इन शब्दों के ऊपर अर्द्धचन्द्र की आकृति बनानी चाहिए । जैसे—बॉल, कॉल, हॉल, डॉक्टर, फॉर्म, ऑफिस ।

(15) कुछ विदेशी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनके नीचे नुक्ता लगाना आवश्यक है । परन्तु इसके लिए अँग्रेजी, अरबी, फारसी भाषा की जानकारी आवश्यक है । जैसे—सागर में नुक्ता लगाने से अर्थ बदल जाता है । सागर = प्याला, सागर = समुद्र ।

(16) कभी-कभी शब्द के अज्ञान के कारण एक शब्द के अनुकरण पर दूसरा शब्द लिखा जाता है । जैसे- स्वर्ग के अनुकरण पर नर्क (शुद्धरूप नरक), निर्धन के अनुकरण पर निरोग (शुद्ध रूप नीरोग); वस्त्र, शस्त्र आदि के अनुकरण पर सहस्त्र, अजस्त्र (क्रमशः शुद्ध रूप-सहस्र, अजस्र), बालोपयोगी के सादृश्य पर स्त्रियोपयोगी (शुद्ध रूप- स्त्र्युपयोगी); आर्द्र, दयार्द्र के अनुकरण पर सौहार्द्र (शुद्ध रूप सौहार्द), महत्तम के सादृश्य पर लघुत्तम (शुद्ध रूप लघुतम), आम्र, नम्र के अनुकरण पर घूम्र (शुद्ध रूप धूम) । ध्यान देने की बात है कि एक शब्द के अनुकरण पर लिखा जाने वाला दूसरा शब्द प्रायः अशुद्ध होता है । जैसा ऊपर के उदाहरणों में हैं ।

(17) अँग्रेजी के प्रभाव के कारण कुछ लोग अंग्रेजी के लहजे में हिन्दी शब्दों को भी बोलने लगते हैं । इससे हिन्दी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं । जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
मिश्रा	मिश्र	बौंबे	बम्बई, मुंबई
श्रीवास्तवा	श्रीवास्तव		
टाटा	ताता	शुक्ला	शुक्ल
कैलकटा	कलकत्ता		

वर्तनी—विश्लेषण

वर्तनी-विश्लेषण से तात्पर्य है शब्दगत वर्णों को उनके स्वाभाविक क्रम में अलग-अलग करना। जैसे-मक्खन शब्द का वर्तनी-विश्लेषण इस प्रकार होगा- म् अ क् ख् अ न् अ ।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि हिन्दी पंचमाक्षरों (ङ्, ञ्, ण्, न्, म्) का स्थान अनुस्वार ने ले रखा है । सरलीकरण के कारण हिन्दी में ऐसा किया जाता है । अतः जिन शब्दों पंचमाक्षर का स्थान अनुस्वार ने ले रखा हो वहाँ वर्तनी-विश्लेषण करते समय उक्त पंचमाक्षर को ही दिखाना चाहिए । उदाहरण के लिए पंचम शब्द द्रष्टव्य हैं- पंचम = पञ्चम = प् अ ञ् च् अ म् अ । कुछ अन्य उदाहरण—

संचय = स् + अ + ञ + च् + अ + य् + अ ।
बंधन = ब् + अ + न् + ध + अ + न् + अ ।
कंप = क् + अ + म् + प् + अ ।

वर्तनी विश्लेषण के और उदाहरण इस प्रकार हैं—

झन्झर = झ् + अ + ञ् + झ् + अ + र् + अ ।
धर्म = ध् + अ + र् + म् + अ ।
ज्ञान = ज्ञ् + ञ् + आ + न् + अ ।
नक्षत्र = न् + अ + क् + ष + अ + त् + र् + अ ।
शृंग = श् + ऋ + ङ् + ग + म् + अ ।
हृदय = ह् + ऋ + द् + आ + य् + अ ।
द्वार = द् + व् + आ +र् + अ ।
पंक्ति = प् + अ + ङ् + क् + त् + इ ।
स्त्री = स् + त् + र् + ई ।
राष्ट्र = र् + आ + ष् + ट् + र् + अ ।
ईर्ष्या = ई + र् + ष् + ट् + य् + आ ।
ज्योत्स्ना = ज् + य् + ओ + त् + स् + न् + आ ।
संहिता = स् + अ + ं + ह् + इ + त् + आ ।
संसार = स् + अ + ं + स् + आ + र् + अ ।
सच्चा = स् + अ + च् + च् + आ ।
ब्रह्म = ब् + र् + अ + ह् + म् + अ ।
ह्रस्व = ह् + र् + अ + स् + व् + अ ।
भक्त = भ् + अ + क् + त् + अ ।
बुद्ध = ब् = उ + द् + ध् + अ ।
कृतघ्न = क् + ऋ + त् + अ + घ् + न् + अ ।
उच्छृंखल =उ + च् + छ् + ऋ + ङ् + ख् + अ + ल् + अ ।

शब्दकोश- शब्दक्रम का ज्ञान

शब्दकोश

उस ग्रंथ को शब्दकोष कहते हैं जिसमें शब्दों को यों ही अथवा अर्थसहित किसी क्रमविशेष में सुनियोजित कर दिया गया हो। वैदिक काल में शब्दकोश के स्थान पर 'निघण्टु' नाम चलता था। उस समय का केवल एक निघण्टु प्राप्त है जिस पर यास्क ने निरुक्त लिखा है। निघण्टु को वैदिक शब्दकोश कहते हैं। वैदिककाल से अब तक भारत में अनेक कोशों का निर्माण हुआ। अंग्रेजी में कोश-निर्माण का प्रारम्भ 16वीं शदी के उत्तरार्ध से हुआ। अब तो कोश विज्ञान (Lexicology) नाम से भाषाविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा का विकास हो गया है।

कोशों के प्रकार

वर्ण्य विषय के आधार पर कोश पाँच प्रकार के होते हैं—

(1) व्यक्तिकोश,

(2) पुस्तककोश,

(3) विषय-कोश,

(4) विश्व-कोश,

(5) भाषा-कोश,

(1) व्यक्तिकोश—किसी एक साहित्यकार द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त सम्पूर्ण शब्दों का कोश व्यक्तिकोश कहलाता है। जैसे—जायसीकोश, केशव-कोश।

(2) पुस्तक कोश—जिस कोश में किसी पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ सहित संग्रह किया गया हो उसे पुस्तक-कोश कहते हैं। जैसे—कामायनी कोश, मानस कोश आदि।

(3) विषयकोश—इसमें एक विषय से सम्बन्धित सामग्री अकारादि क्रम से सजायी जाती है। जैसे—भाषा विज्ञानकोश, पुराणकोश आदि।

(4) विश्वकोश—इस कोश के अन्तर्गत ज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं पर सारगर्भित जानकारी दी जाती है। विश्वकोश का ही अँग्रेजी रूपान्तर 'इन्साइक्लोपीडिया' है। जैसे—हिन्दी विश्वकोश, इन्साइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका, इन्साइक्लोपीडिया अमेरिकाना आदि।

(5) भाषाकोश—जिस कोश में किसी एक भाषा के शब्दों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों को अकारादि क्रम से रखते हुए विभिन्न अर्थ दिये रहते हैं, उन्हें भाषाकोश कहते हैं। जैसे—हिन्दी शब्द सागर, हिन्दी-अँग्रेजी कोश आदि।

भाषा-कोश-रचना की पद्धतियाँ

कोश बनाने की तीन पद्धतियाँ हैं—

(1) वर्णनात्मक पद्धति ।

(2) ऐतिहासिक पद्धति ।

(3) तुलनात्मक पद्धति ।

(1) **वर्णनात्मक पद्धति**—इसमें किसी भाषा के एक काल में प्रयुक्त सम्पूर्ण शब्दों का संकलन कर उन्हें अकारादिक्रम से रखा जाता है । साथ ही प्रत्येक शब्द के सामने उसके कई अर्थ दे दिये जाते हैं । इस पद्धति पर बने हुए कोश इस प्रकार हैं- रामचन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित 'मानक-हिन्दी-कोश' और 'प्रामाणिक-हिन्दी-कोश' आदि । वस्तुतः इस पद्धति के अन्तर्गत प्रचलन के आधार पर शब्दों के अर्थ दिये जाते हैं अर्थात् सबसे पहले अधिक प्रचलित अर्थ, फिर कम प्रचलित अर्थ दिये जाते हैं ।

(2) **ऐतिहासिक पद्धति**—इस पद्धति के अन्तर्गत सभी कालों में प्रचलित शब्दों को अकारादि क्रम से संकलित किया जाता है । शब्दों के अर्थ कालक्रम से किये जाते हैं, प्रचलन के आधार पर नहीं ।

(3) **तुलनात्मक पद्धति**—इसमें भी किसी भाषा के शब्दों को अकारादि क्रम से रखा जाता है । कालक्रमानुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया जाता है तथा साथ ही उसी अर्थ में प्रचलित अन्य सगोत्र भाषाओं के शब्दरूप भी दे दिये जाते हैं । गोविन्ददास कृत 'मराठी व्युत्पत्ति कोश' उसी पद्धति पर तैयार किया गया है ।

शब्दकोश निर्माण की विधि

इसके लिए महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं—

(1) **शब्द संग्रह**—किसी भाषा का शब्द कोश बनाने के लिए सबसे पहले उसके सम्पूर्ण शब्दों को एकत्र किया जाता है । किसी जीवित भाषा का कोश बनाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा लोगों से सुनकर शब्द एकत्र किये जाते हैं ।

(2) **वर्तनी**—कोश का निर्माण करते समय शब्दों की मानक वर्तनी का ही प्रयोग होना चाहिए। यदि एक शब्द की अनेक वर्तनियाँ प्रचलित हैं तो उनमें से किसी एक को सर्वशुद्ध मानकर कोश में स्थान देना चाहिए ।

(3) **शब्द निर्णय**—इसमें कई समस्याएँ खड़ी होती हैं । जैसे—एक मूल शब्द से अनेक शब्द बने हैं । ऐसे शब्दों को मूल शब्द के साथ रखा जाय अथवा अलग रूप से । ऐसे ही बहुत से श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द हैं जिनके अलग-अलग अथवा एक साथ लिखने की समस्या खड़ी होती है । जैसे—आम के दो अर्थ हैं—(1) एक फल-विशेष अर्थात् रसाल, (2) सामान्य । इसका क्रम इस प्रकार रहेगा—

आम[1]—(सं० आम्र), रसाल, फल विशेष । (सं०=संस्कृत)

आम[2]—(अ०), सामान्य । (अ० अरबी)

(4) **शब्द क्रम**—शब्दकोश में शब्दों को एक क्रम से रखा जाता है । इससे शब्द आसानी से ढूँढ़े जा सकते हैं । शब्दक्रम के कई प्रकार हैं—

(क) वर्णानुक्रम, (ख) अक्षरक्रम, (ग) विषयक्रम, (घ) व्युत्पत्तिक्रम । वर्णानुक्रम सर्वाधिक प्रचलित है । किसी भाषा की वर्णमाला के क्रम के आधार पर शब्दकोश में शब्दों का स्थान निर्धारित करना

वर्णानुक्रम या अकारादिक्रम कहलाता है। अक्षरक्रम में शब्दों का क्रम अक्षर संख्या के आधार पर रखा जाता है। जैसे—पहले एक अक्षर के शब्द, फिर दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर के शब्द और आगे भी इसी क्रम से शब्द रखे जाते हैं। विषयक्रम के अन्तर्गत विषयवार शब्द रखे जाते हैं। जैसे- भाषाविज्ञान के पारिभाषिक शब्द एक स्थान पर, तो दर्शनसम्बन्धी शब्द दूसरे स्थान पर और साहित्य शास्त्र-सम्बन्धी शब्द तीसरे स्थान पर आदि। अरबी में शब्दकोश व्युत्पत्ति-क्रम के आधार पर निर्मित होता है अर्थात् शब्दों की व्यत्पुत्ति के आधार पर शब्दों का क्रम निर्धारित किया जाता है।

(5) शब्द-व्युत्पत्ति, शब्दों के भेद (संज्ञा, सर्वनाम आदि), प्रचलन के आधार पर शब्दों के विविध अर्थ तथा स्पष्ट शब्दों एवं मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य-प्रयोग देना आदि शब्दकोश के लिए लाभदायक होता है।

शब्दकोश में शब्दक्रम का ज्ञान

वर्ण, व्युत्पत्ति, या विषय के आधार पर किसी भी शब्दकोश में शब्दक्रम रखा जाता है। हिन्दी के सभी कोशों में देवनागरी वर्णमाला के अनुसार शब्दक्रम रखा जाता है। अतः स्पष्ट है कि अपेक्षित शब्द ढूँढ़ने के लिए देवनागरी वर्णमाला का क्रम भली-भाँति ज्ञात होना चाहिए। देवनागरी के 49 वर्णों के क्रम इस प्रकार हैं—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अँ अं अः
क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ड़ ढ ढ़ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह

अँग्रेजी की 'ऑ' ध्वनि का हिन्दी में अने-शः प्रयोग होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि अर्धानुस्वार (ॅ), अनुस्वार (ं) से पृथक् ध्वनि है तथा इसी तरह ड़, ढ़, उत्क्षिप्त व्यंजन हैं जो ड, ढ से भिन्न हैं। ऑ ध्वनि को 'औ' के बाद रखना चाहिए। अर्ध अनुस्वार (ॅ) ध्वनि अनुस्वार (ं) का ह्रस्व-रूप है। अतः शब्दकोश में अँगना के बाद अंगना आएगा। ट वर्गीय व्यंजनों में ड के बाद ड़ तथा ढ के बाद ढ़ को स्थान देना चाहिए।

हिन्दी में जो कोश सम्पादित किये गये हैं उनमें देवनागरी के 46 वर्णों के क्रम को आधार बनाया गया है—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः। क ख ग घ ङ; च छ ज झ ञ; ट ठ ड ढ ण; त थ द ध न; प फ ब भ म; य र ल व श ष स ह। इससे पता चलता है कि ऑ, अँ, ड़, ढ़, ध्वनियों की पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं की गयी है।

शब्दक्रम निश्चित करने का सिद्धान्त

हिन्दी में देवनागरी के वर्णों के क्रम अनुसार ही कोश में शब्द भी संकलित किये जाते हैं। देवनागरी वर्णमाला में 'अ' पहला वर्ण है। इससे शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं सबको अकारादि क्रम से रखा जायगा। जैसे- यदि अमित, अमिय, अमल, आशय, अली, अलीक आदि शब्द हैं तो

इनका क्रम इस प्रकार होगा- अमल, अमात्य, अमित, अमिय, अली, अलीक । किसी वर्ण के अ से औ तक मात्रायुक्त शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले सभी शब्दों को अकारादि क्रम से दे चुकने के बाद ऑ ध्वनियुक्त अँग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम से रखना चाहिए । अंत में उस वर्ण से संयुक्त हुए व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों को भी अकारादि क्रम में रखना चाहिए । जैसे--- 'डौल' के बाद 'डॉक्टर' लिखना चाहिए और उसके बाद ड्योढ़ा । क्ष, त्र, ज्ञ, संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे---क्ष = क् + ष, त्र = त् + र, ज्ञ = ज् + ञ । क वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों के अन्त में क्व से शुरू होने वाले शब्दों की समाप्ति के बाद क्ष अथवा उससे बने शब्दों को अकारादि क्रम से रखना चाहिए । इसी प्रकार त्य से शुरू होने वाले शब्दों की समाप्ति के बाद त्र, तथा ज से शुरू शब्दों की समाप्ति के बाद ज्ञ से आरंभ होने वाले शब्द होंगे ।

हिन्दी शब्दकोशों में शब्दक्रम-सम्बन्धी दोष

हिन्दी कोशकारों द्वारा सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण अनेक गलतियाँ हुई हैं । पंचमाक्षरों---ङ्, ञ्, ण्, न्, म्,---के स्थान पर अनुस्वार को स्थान दिया गया है । यों सरलता की दृष्टि से तो यह ठीक है, परन्तु इससे संबद्ध शब्द का वर्णविन्यास ही परिवर्तित हो जाता है । जैसे---लिखने के लिए अङ्क को अंक रूप में लिखें; फिर भी इसकी वर्तनी में 'अ + ं + क् + अ' वर्ण न होकर 'अ + ङ् + क् + अ' वर्ण ही होंगे । लेखन में अङ्क के स्थान पर सरलता के लिए अंक लिखा जा सकता है, परन्तु कोश में शब्द का स्थान उसकी वास्तविक वर्तनी के आधार पर निर्धारित होना चाहिए ।

ङ्, ञ्, ण्, न्, म् नासिक्य व्यंजनों के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । यदि इन व्यंजनों के बाद न, म, य, व, ह में से कोई व्यंजन आये तो इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकता । जैसे---वाङ्मय, पुण्य, उन्हें, तुम्हें, अन्न, तन्मय, सन्मार्ग, मृण्मय, दिङ्मण्डल आदि शब्दों को क्रमशः वांमय, पुंय, उंहें, अंन, तंमय, संमार्ग, मृंमय, दिंमंडल रूपों में नहीं लिख सकते।

अनुस्वार का ही एक ह्रस्वरूप है अर्ध-अनुस्वार जिसके लिए चंद्रबिंदु (ँ) का चिह्न निर्धारित है । संस्कृत में चन्द्रबिन्दु का स्थान नहीं के बराबर है । परन्तु हिन्दी में इसका खूब प्रयोग होता है । कुछ लोग अर्धअनुस्वार (ँ) के स्थान पर (ं) का प्रयोग करते हैं, परन्तु ऐसा करने से उच्चारण, वर्तनी एवं अर्थ को क्षति पहुँचती है । अर्ध अनुस्वार एक स्वतंत्र ध्वनि है । अतः अँगना को अंगना लिखने से अर्थभेद उपस्थित हो जाता है---अँगना = आँगन, अंगना = स्त्री । 'हिन्दी-शब्दसागर' में अनुस्वार वाले शब्दों के समाप्त होने के बाद अर्धअनुस्वार वाले शब्द शुरू किये गये हैं । 'मानक- हिन्दी कोश' के अनुस्वार और अर्धअनुस्वार वाले शब्द साथ-साथ रखे गये हैं । वस्तुतः जिन शब्दों में केवल अनुस्वार और अर्ध-अनुस्वार का भेद है उनमें अर्धअनुस्वार वाला शब्द पहले और अनुस्वार वाला शब्द बाद में आता है, जैसे---अँगना के बाद अंगना लिखना चाहिए ।

हिन्दी कोशों में एक और बड़ी गलती देखने को मिलती है । प्रायः इनमें ब---व का अंतर नहीं किया गया । बन-वन, बलि-वलि आदि दो-दो रूप अलग-अलग स्थानों पर मिलते हैं । यों संस्कृत की व ध्वनि हिन्दी में ब उच्चारित होती है । लेकिन वर्तनी तो वास्तविक ही रखनी चाहिए । इससे शब्दों को ढूँढ़ने में आसानी होगी अर्थात् व वर्ण के सभी शब्द एक ही स्थान पर मिल जायेंगे तथा ब वर्ण के दूसरे स्थान पर ।

पंचम खण्ड

मुहावरे (Idioms)

'मुहावरा' शब्द का अर्थ है 'अभ्यास या बातचीत' । हिन्दी का यह मुहावरा शब्द अरबी भाषा के 'मुहावर' शब्द का परिवर्तित रूप है । मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराता है ।

मुहावरे की विशेषताएँ इस प्रकार हैं

(1) वाक्य के प्रसंग में ही मुहावरे का प्रयोग होता है, अलग नहीं । जैसे- उसने पेट काटकर अपने बेटे को विदेश भेजा है ।

(2) मुहावरे को पर्यायवाची शब्दों के रूप में अनूदित नहीं किया जा सकता ।

(3) मुहावरे का शब्दार्थ नहीं अपितु उसका भावार्थ ही ग्रहण किया जाता है ।

(4) मुहावरे समाज के विकास तथा भाषा की समृद्धि के द्योतक हैं ।

मुहावरा और कहावत में अन्तर

कुछ लोग मुहावरा और कहावत में अन्तर नहीं मानते हैं । लेकिन उनका ऐसा मानना भ्रम है । वस्तुतः दोनों में अन्तर है । मुहावरे तो शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग हैं । कहावत एक पूरे वाक्य के रूप में होती है जिसका आधार कोई कहानी अथवा चिरसत्य अथवा घटना विशेष होता है । किसी विषय को मात्र स्पष्ट करने के लिए कहावतों का प्रयोग होता है तथा साथ ही कहावतों का प्रयोग बिलकुल स्वतन्त्र रूप में होता है । मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अन्तर्गत ही सम्भव है । मुहावरा वाक्य का अंश होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । कहावत एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है जो अपना स्वतन्त्र अर्थ भी रखती है । किसी कथन की पुष्टि के लिए अलग से उदाहरण के तौर पर कहावत का प्रयोग होता है ।

हिन्दी के प्रचलित मुहावरे, अर्थ एवं उनके प्रयोग

(1) **अँगूठे चूमना**—*(चापलूसी करना)*—इस समय विद्वान् पुरुष भी मंत्रियों के अँगूठे चूमते हैं ।

(2) **अँगूठा दिखाना**—*(समय पर धोखा देना)*—उसने अपना काम निकाल लिया, परन्तु जब मुझे जरूरत पड़ी तो अँगूठा दिखा दिया ।

(3) **अँगूठा नचाना**—*(चिढ़ाना)*—अपने गुरु के सामने अँगूठा नचाना ठीक नहीं ।

(4) **अँगूठी का नगीना**—*(जोड़ा मिलना)*—सीताजी राम की अँगूठी का नगीना ही थीं ।

(5) **अँचरा पसारना**—*(याचना करना)*—माताएँ अपने बेटे की रक्षा के लिए भगवती दुर्गा के सामने अँचरा पसारती हैं ।

(6) **अँधेरे मुँह**—*(प्रातःकाल)*—वह अँधेरे मुँह ही मेरे घर आ पहुँचा ।

(7) **अंक भरना**—*(स्नेह से लिपटा लेना)*—धनिया ने अपने बेटे को देखते ही अंक भर लिया ।

(8) **अंकुश देना**—*(नियन्त्रण करना)*—अपनी जुबान पर अंकुश दिया करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा ।

(9) **अंग में अंग चुराना**—*(शरमाकर सिकुड़ जाना)*—अंग में अंग चुराकर बैठना स्त्रियों का सहज स्वभाव है ।

(10) **अंगारों पर पैर रखना**—*(जानबूझकर हानिकारक कार्य करना)* अपने माता-पिता की तुम अकेली सन्तान हो; इसलिए तुम्हें ऐसे अंगारों पर पैर नहीं रखना चाहिए ।

(11) **अंगारों पर लोटना**—*(दुख सहना, डाह होना)*—वह बचपन से ही अंगारों पर लोटता रहा है । दूसरे की उन्नति देखकर अंगारों पर लोटना ठीक नहीं ।

(12) **अंटाचित होना**—*(हतप्रभ होना)*—उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था, पर जब उसने बिलकुल कन्नी काट ली तो मैं अंटाचित हो गया ।

(13) **अंटी मारना**—*(चाल चलना)*—ऐसी अंटी मारो कि कोई जान न पाये ।

(14) **अंड-बंड कहना**—*(बुरा-भला कहना)*—अंड-बंड कहोगे तो मारकर मुँह तोड़ दूँगा ।

(15) **अंडा सेना**—*(बेकार पड़े रहना)*—आओ मेरे साथ चलो, घर में अंडा सेना ठीक नहीं ।

(16) **अन्धा बनना**—*(धोखा देना)*—माया सबको अन्धा बनाती है, इसलिए माया के पीछे यदि तुम अन्धे बन गये तो क्या हुआ ।

(17) **अन्धा होना**—*(विवेकभ्रष्ट होना)*—लगता है तुम अन्धे हो गये हो, इसीलिए सबके सामने अंड-बंड बक रहे हो ।

(18) **अन्धे की लकड़ी**—*(एकमात्र सहारा)*—वह अपने माँ-बाप के लिए अन्धे की लकड़ी है ।

(19) **अन्धेर खाता**—*(अन्याय)*—इस कार्यालय में चपरासी भी बिना पैसा लिये बात नहीं सुनता, यह कैसा अन्धेर खाता है ।

(20) **अन्धेर नगरी**—*(जहाँ धाँधली का बोलबाला हो)*—अरे भाई यही मिट्टी का तेल पहले एक रुपया लिटर था, बीच में एक रुपया चालीस पैसा लिटर हुआ और आज ढाई रुपया लिटर हो गया, लगता है दुकान नहीं अन्धेर नगरी ही है ।

(21) **अँकवार भरना**—*(लिपटकर मिलना)*—भरत ने राम की वह अँकवार भरी, मानों वे दोनों अभिन्न हों ।

(22) **अक्ल का दुश्मन**—*(बेवकूफ)*—उसने इतना समझाया, फिर भी वह समझता नहीं, क्योंकि वह तो अक्ल का दुश्मन है ।

(23) **अड़ियल टट्टू**—*(अटक-अटककर अथवा मुँह जोहकर काम करनेवाला)*—वह तो ऐसा अड़ियल टट्टू नौकर है कि बिना कहे कुछ करता ही नहीं, यों ही बैठा रहता है ।

(24) **अगर-मगर करना**—*(टालमटोल या बहाना करना)*—यदि तुम्हें अगर-मगर ही करना था तो काम करना क्यों स्वीकार किया।

(25) **अक्ल पर पत्थर पड़ना**—*(बुद्धिभ्रष्ट होना)*—लगता है तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, तभी तुम उस हत्यारे से उलझ रहे हो।

(26) **अक्ल की दुम**—*(अपने को बुद्धिमान् समझने वाला)*—साधारण गुणा-भाग तो आता नहीं, लेकिन अक्ल की दुम मोहन साइन्स पढ़ना चाहता है।

(27) **अपना उल्लू सीधा करना**—*(अपना काम निकालना)*—मोहन अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधे को भी बाप कह सकता है।

(28) **अपना किया पाना**—*(कर्म का फल भोगना)*—वह अपना किया पा रहा है।

(29) **अपना-सा मुँह लेकर रह जाना**—*(शर्मिन्दा होना)*—आज वे बढ़-बढ़कर बोल रहे थे, अतः मैंने ऐसी चुभती बात सुनायी कि वे अपना सा मुँह लिये रह गये।

(30) **अपनी खिचड़ी अलग पकाना**—*(स्वार्थी होना)*—यदि सभी लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाएँ तो देश का उत्थान कैसे होगा।

(31) **अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना**—*(संकट मोल लेना)*—राम से झगड़ा कर श्याम ने अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मार ली।

(32) **अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना**—*(अपनी प्रशंसा आप करना)*—महान् पुरुष अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते।

(33) **अब तब करना**—*(बहाना करना)*—मैं जब भी उससे किताब माँगने जाता हूँ, वह अब तब करना शुरू कर देता है।

(34) **अपने पैरों खड़ा होना**—*(स्वावलम्बी होना)*—आज के नवयुवकों को अपने पैरों खड़ा होना सीखना चाहिए।

(35) **आँच न आने देना**—*(जरा भी कष्ट या दोष न आने देना)*—तुम निश्चिन्त रहो, मैं तुम पर आँच न आने दूँगा।

(36) **आस्तीन का साँप**—*(कपटी मित्र)*—मोहन आस्तीन का साँप है, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए।

(37) **आठ-आठ आँसू रोना**—*(बुरी तरह पछताना)*—यदि इस समय तुमने अपनी जिन्दगी नहीं सुधार ली, तो बाद में आठ-आठ आँसू रोना पड़ेगा।

(38) **आसमान टूट पड़ना**—*(संकट पड़ना)*—दो चार लोगों को खिला देने से ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि पश्चात्ताप कर रहे हो ?

(39) **इधर की दुनियाँ उधर होना**—*(अनहोनी होना)*—भले ही इधर की दुनियाँ उधर हो जाय, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा जरूर।

(40) **इधर उधर की हाँकना**—*(व्यर्थ गप्पें मारना)*—श्याम का अधिकांश समय इधर उधर की हाँकने में ही व्यतीत होता है, फिर वह कब काम करता है ?

(41) **ईट का जवाब पत्थर से देना**—*(किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना)*—दुष्टों की ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए ।

(42) **ईद का चाँद होना**—*(बहुत दिनों पर दीखना)*—आजकल राम ईद का चाँद हो गया है ।

(43) **उलटी गंगा बहाना**—*(प्रतिकूल कार्य करना)*—पुरुष का साड़ी पहनकर रहना उलटी गंगा बहाना है ।

(44) **उन्नीस-बीस होना**—*(एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना)*—दोनों लड़कियाँ बस उन्नीस-बीस हैं ।

(45) **एक आँख से देखना**—*(बराबर मानना)*—ईश्वर राजा और रंक सबको एक आँख से देखता है ।

(46) **एक का तीन बनाना**—*(नाजायज नफा लूटना)*—सामान का कन्ट्रोल होने पर व्यापारी एक का तीन बनाते हैं ।

(47) **एक लाठी से सबको हाँकना**—*(उचित-अनुचित का विचार किये बिना व्यवहार करना)*—एक लाठी से सबको हाँकना उचित नहीं है ।

(48) **करवटें बदलना**—*(बेचैन रहना)*—प्रियतम के वियोग में वह रात भर करवटें बदलती रही ।

(49) **किस मर्ज की दवा**—*(किस काम के)*—तुम चपरासी होकर ऑफिस का काम नहीं करते हो, आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो ।

(50) **कलेजे पर साँप लोटना**—*(डाह करना)*—दूसरे की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पर साँप क्यों लोटता है ?

(51) **कुत्ते की मौत मरना**—*(बुरी तरह मरना)*—वह कुत्ते की मौत मरा ।

(52) **कलेजा ठंडा होना**—*(संतोष होना)*—अपने दुश्मन को मरते देखकर उसका कलेजा ठंडा हुआ ।

(53) **किताब का कीड़ा होना**—*(पढ़ने के सिवा कुछ न करना)*—स्कूल में पढ़ने का मतलब केवल किताब का कीड़ा होना नहीं है, बल्कि खेलना-कूदना भी है ।

(54) **कागजी घोड़े दौड़ाना**—*(केवल लिखा पढ़ी करना, पर कुछ काम की बात न होना)*—आजकल सरकारी कार्यालयों में केवल कागजी घोड़े दौड़ते हैं ।

(55) **कलम तोड़ना**—*(बढ़िया लिखना)*—क्या खूब लिखा है ! तुमने तो कलम तोड़ दी ।

(56) **किस खेत की मूली**—*(अधिकारहीन)*—सभी मेरे आदेश का पालन करते हैं, तुम किस खेत की मूली हो ?

(57) **कौड़ी को न पूछना**—*(निकम्मा समझना)*—कोई उसे कौड़ी को भी नहीं पूछता ।

(58) **खरी खोटी सुनाना**—*(भला-बुरा कहना)*—मैंने उसे कितनी बार खरी-खोटी सुनायी, लेकिन वह बेकहा मेरी बात नहीं मानता ।

(59) **खेत आना**—*(वीरगति पाना)*—कुरुक्षेत्र के महासमर में असंख्य महाबली योद्धा खेत आये ।

(60) **खून पसीना एक करना**—*(कठिन परिश्रम)*—मैंने खून पसीना एक कर इतना धन अर्जित किया है ।

(61) **खटाई में पड़ना**—*(झमेले में पड़ना)*—वहाँ जाने का निर्णय हो चुका था, परन्तु जाने के समय गाड़ी के खराब हो जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया ।

(62) **खाक छानना**—*(भटकना)*—पढ़-लिखकर भी नौकरी के लिए वह खाक छानता रहा ।

(63) **गाल बजाना**—*(डींग हाँकना)*—जो काम करना है वह करो, गाल बजाने से कोई काम नहीं होता है ।

(64) **गिन-गिनकर पैर रखना**—*(हद से ज्यादा सावधानी बरतना)*—विपत्ति आने पर गिन-गिनकर पैर रखना चाहिए ।

(65) **गिरगिट की तरह रंग बदलना**—*(एक रंग-ढंग पर न रहना)*—श्याम का क्या ठिकाना ! वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ।

(66) **गूलर का फूल होना**—*(लापता होना)*—आप तो गूलर के फूल हो गये थे कि दिखाई ही नहीं देते थे ।

(67) **गड़े मुर्दे उखाड़ना**—*(दबी हुई बात फिर से उभारना)*—अरे भाई, जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुरदे उखाड़ने से क्या लाभ ?

(68) **गाँठ का पूरा**—*(मालदार)*—धूर्त नौकर गाँठ का पूरा मालिक पाकर प्रसन्न रहता है ।

(69) **गुदड़ी में लाल**—*(गरीब के घर में गुणवान् का पैदा होना)*—अपने परिवार में डा० राजेन्द्र प्रसाद सचमुच ही गुदड़ी के लाल थे ।

(70) **घड़ों पानी पड़ जाना**—*(अत्यन्त लज्जित होना)*—वह परीक्षा में नकल करके प्रथम श्रेणी प्राप्त करता था, लेकिन इस बार जब नकल करते समय पकड़ा गया तो बच्चू पर घड़ों पानी पड़ गया ।

(71) **घर का न घाट का**—*(कहीं का नहीं)*—वह न तो पढ़ना-लिखना जानता है और न उसे कोई काम ही करने आता है, ऐसा घर का न घाट का आदमी रखकर क्या होगा ।

(72) **घोड़े बेचकर सोना**—*(बेफिक्र होना)*—जब घर का सब काम हो गया, तो अब क्या ! घोड़े बेचकर सोओ ।

(73) **घर बसाना**—*(विवाह करना)*—नौकरी लग गयी, तो अब घर भी बसा लो ।

(74) **घर में गंगा**—*(बिना परिश्रम की प्राप्ति)*—वह न तो पढ़ने में तेज है और न उसने कोई दौड़-धूप ही की, फिर भी उसने ऐसी नौकरी पायी कि घर में गंगा ही कहो ।

(75) **घास छीलना**—*(व्यर्थ काम करना)*—तुम तो रात-दिन पढ़ते थे, फिर भी फेल हो गये, क्या घास छीलते थे ?

(76) **चल बसना**—*(मरना)*—वह भरी जवानी में ही चल बसी ।

(77) **चार दिन की चाँदनी**—*(थोड़े दिन का सुख)*—संसार का भौतिक सुख चार दिन की चाँदनी ही है।

(78) **चींटी के पर जमना**—*(विनाश के लक्षण प्रकट होना)*—इसे चींटी के पर जमना ही कहेंगे कि शिशुपाल श्रीकृष्ण को गालियाँ देता रहा।

(79) **चूँ न करना**—*(सह जाना)*—उसकी इतनी पिटाई हुई, फिर भी उसने चूँ तक न की।

(80) **चंडूखाने की गप**—*(बेतुकी बातें करना)*—तुम लोगों की बातचीत चंडूखाने की गप के सिवा कुछ भी नहीं है।

(81) **चाँदी का जूता**—*(घूस)*—आजकल तो सरकारी कार्यालयों में चाँदी के जूते के बिना काम नहीं चलता।

(82) **चाँद पर थूकना**—*(सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करना)*—महात्मा गाँधी की निन्दा करना चाँद पर थूकना है।

(83) **चादर बाहर पैर पसारना**—*(आय से अधिक खर्च करना)*—जितना कमाते हो, उतना ही खर्च करो, चादर से बाहर पैर पसारना ठीक नहीं।

(84) **चिराग तले अँधेरा**—*(अच्छाई में बुराई)*—वे तो स्वयं बहुत बड़े विद्वान् हैं, किन्तु उनका लड़का चिराग तले अँधेरा ही है।

(85) **चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना**—*(घबराना)*—अचानक भेड़िया को देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं।

(86) **छप्पर फाड़कर देना**—*(बिना परिश्रम के सम्पन्न करना)*—जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह छप्पर फाड़कर देता है।

(87) **छक्के छूटना**—*(बुरी तरह पराजित होना)*—कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के सामने पाण्डवों की सेना के छक्के छूटने लगते थे।

(88) **जलती आग में घी डालना**—*(झगड़ा बढ़ाना या क्रोध बढ़ाना)*—रावण के आगे राम की प्रशंसा कर अंगद ने जलती आग में घी डाल दिया।

(89) **जलभुनकर खाक हो जाना**—*(क्रोध से पागल हो जाना)*—अरे भाई, तुम तो एक छोटी सी बात पर जल-भुनकर खाक हुए जा रहे हो।

(90) **जीती मक्खी निगलना**—*(जान बूझकर अशोभन काम करना)*—उस सज्जन पुरुष के खिलाफ मैं गवाही दूँ ? मुझसे यह जीती मक्खी नहीं निगली जायगी।

(91) **जूते चाटना**—*(चापलूसी करना)*—अपनी उन्नति के लिए उसे ऑफिसरों के जूते तक चाटने पड़े।

(92) **जमीन पर पैर न पड़ना**—*(अधिक घमंड करना)*—एक साधारण आदमी जब किसी ऊँचे पद पर पहुँच जाता है तो जमीन पर उसके पैर नहीं पड़ते।

(93) **टका-सा मुँह लेकर रहना**—*(शर्मिन्दा होना)*—जब उसकी कलई खुल गयी तो वह टका-सा मुँह लेकर रह गया।

(94) **टट्टी की ओट में शिकार खेलना**—*(छिपे तौर पर किसी के विरुद्ध कुछ करना)*—लड़ना हो तो सामने आकर लड़ो, टट्टी की ओट में क्या शिकार खेलते हो ?

(95) **टाँग अड़ाना**—*(अड़चन डालना)*—तुम हमारे काम में टाँग मत अड़ाओ ।

(96) **टोपी उछालना**—*(निरादर करना)*—अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की टोपी नहीं उछालनी चाहिए ।

(97) **ढेर करना**—*(मारकर गिरा देना)*—युद्ध भूमि में उसने शत्रु की सेना को ढेर कर दिया।

(98) **तूती बोलना**—*(प्रभाव जमाना)*—आजकल तो गाँवभर में उसी की तूती बोल रही है ।

(99) **तोते की तरह आँखें फेरना**—*(बेमुरव्वत होना)*—अपना काम हो जाने वह तोते की तरह आँखें फेर लेता है ।

(100) **तिल का ताड़ करना**—*(बात को तूल देना)*—मैंने उसे केवल एक चाँटा मारा था, लेकिन राम ने यह तिल का ताड़ कर दिया कि मैंने उसे खूब मारा है ।

(101) **दो कौड़ी का आदमी**—*(अविश्वसनीय आदमी)*—वह तो एकदम दो कौड़ी का आदमी है, उसकी बात क्या करते हो ?

(102) **दिन दूना रात चौगुना**—*(खूब उन्नति)*—परिश्रम के कारण ही उस गाँव का विकास दिन दूना रात चौगुना हुआ ।

(103) **दो टूक बात कहना**—*(स्पष्ट कह देना)*—उसने मुझसे दो टूक बात कह दी ।

(104) **दो दिन का मेहमान**—*(जल्द मरने वाला)*—अब उस आदमी से क्या झगड़ते हो, वह तो केवल दो दिन का मेहमान है ।

(105) **दिल में फफोले पड़ना**—*(बहुत दुख)*—पत्नी बीमार है, बरसात में घर भी गिर गया, दिल में इतने फफोले पड़े हैं कि क्या कहूँ ?

(106) **दूध के दाँत न टूटना**—*(अनुभवहीन)*—उससे काम नहीं संभलेगा उसके तो दूध के दाँत भी नहीं टूटे हैं ।

(107) **दो नावों पर पैर रखना**—*(दो विरोधी पक्षों से मेल रखना)*—दो नावों पर पैर रखकर आगे बढ़ना अच्छा नहीं होता ।

(108) **दाई से पेट छिपाना**—*(रहस्य जानने वालों से बात छिपाना)*—मैं सारी बातें जानता हूँ, तुम दाई से पेट छिपा रहे हो ?

(109) **धता बताना**—*(बहाने कर टालना)*—वह तो धता बताकर घर चला गया, अब मेरा काम कैसे होगा ?

(110) **धज्जियाँ उड़ाना**—*(किसी के दोषों को चुन-चुनकर गिनाना)*—मैंने उन लोगों की ऐसी धज्जियाँ उड़ायीं कि वे भाग खड़े हुए ।

(111) **धोती ढीली होना**—*(डर जाना)*—डाकुओं को देखते ही मकान मालिक की धोती ढीली होने लगी ।

(112) **नौ-दो ग्यारह होना**—*(चंपत होना)*—पुलिस को देखते ही चोर नौ-दो ग्यारह हो गये ।

(113) **निन्नानवे का फेर**—*(धन जोड़ने की बुरी लालच)*—वह निन्नानवे के फेर में एक समय ही भोजन करता है ।

(114) **न इधर का, न उधर का**—*(कहीं का नहीं)*—वह न तो पढ़ा और न पिता की दस्तकारी ही सीखी, न इधर का रहा, न उधर का ।

(115) **नानी याद आना**—*(होश ठिकाने आना)*—आज इतना परिश्रम करना पड़ा कि नानी याद आ गयी ।

(116) **नाम उठ जाना**—*(चिह्न मिट जाना)*—उनका तो दुनिया से नाम ही उठ गया ।

(117) **पेट फूलना**—*(रहस्य को छिपा न सकना)*—उससे सभी बातें मत कहो, क्योंकि उसका पेट फूलता है ।

(118) **पेट में चूहे कूदना**—*(जोर की भूख)*—पेट में चूहे कूद रहे थे क्या कि आते ही खाने बैठ गये ?

(119) **पट्टी पढ़ाना**—*(बुरी राय देना)*—तुमने उसे ऐसी पट्टी पढ़ायी कि वह काम ही नहीं करता ।

(120) **पत्थर की लकीर**—*(पक्का)*—महात्मा गाँधी ने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है ।

(121) **पहाड़ टूट पड़ना**—*(भारी विपत्ति आना)*—पिता की मृत्यु के बाद उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा ।

(122) **पुल बाँधना**—*(बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना)*—तुमने तो मंत्री की प्रशंसा के पुल बाँध दिये ।

(123) **पाँचों उँगलियाँ घी में**—*(पूरे लाभ में)*—कन्ट्रोल के समय में व्यापारियों की पाँचों उँगलियाँ घी में रहती हैं ।

(124) **पौ बारह होना**—*(खूब लाभ होना)*—आजकल तो आपके कामधन्धे में पौ बारह है ।

(125) **पगड़ी रखना**—*(इज्जत रखना)*—भरे बाजार में उसने मेरी पगड़ी रख ली ।

(126) **फूल झड़ना**—*(मीठी बातें बोलना)*—श्यामा ऐसा बोलती है, मानों फूल झड़ते हैं ।

(127) **बरस पड़ना**—*(क्रोध में आना)*—गलती तो मेरी थी, लेकिन पिता जी छोटे भाई पर बरस पड़े ।

(128) **बराबर करना**—*(चौपट करना)*—इस मूर्ख लड़के ने सारा परिश्रम बराबर कर दिया ।

(129) **बाँसों उछलना**—*(बहुत खुशी)*—प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का समाचार पाकर श्याम बाँसों उछल पड़ा ।

(130) **बछिया का ताऊ**—*(वज्रमूर्ख)*—वह परीक्षा तो दे रहा है, लेकिन बछिया के ताऊ को कुछ भी मालूम नहीं है ।

(131) **बाजार गर्म होना**—*(बोलबाला, काम में तेजी)*—आजकल जातिवाद का बाजार इतना गर्म है कि प्रत्येक पार्टी उसी के आधार पर अपने उम्मीदवार खड़ा करती है ।

(132) **बाछें खिलना**—*(अत्यन्त प्रसन्न होना)*—इस बार वह प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, उसकी बाँछें खिली हुई हैं।

(133) **भीगी बिल्ली बनना**—*(डर से दबना)*—झगड़े का नाम सुनते ही वह भीगी बिल्ली बन जाता है।

(134) **भाड़ झोंकना**—*(व्यर्थ समय बिताना)*—बनारस रहकर अब तक तुम भाड़ झोंकते रहे?

(135) **भाड़े का टट्टू**—*(पैसे का गुलाम)*—ये भाड़े के टट्टू हमारे साथ लड़ सकते हैं?

(136) **मरने की फुरसत न मिलना**—*(बहुत व्यस्त रहना)*—आजकल इतना काम बढ़ गया है कि मरने की भी फुरसत नहीं मिलती।

(137) **मिट्टी पलीद करना**—*(दुर्गति करना)*—सभी लोगों के बीच उसने मेरी मिट्टी पलीद कर दी।

(138) **मैदान मारना**—*(बाजी जीतना)*—दौड़ प्रतियोगिता में राम ने मैदान मार लिया।

(139) **मक्खियाँ मारना**—*(बेकार बैठे रहना)*—तुम तो पढ़े-लिखे होकर भी घर पर मक्खियाँ मार रहे हो।

(140) **मिट्टी के मोल**—*(बहुत सस्ता)*—उसका सारा घर-द्वार मिट्टी के मोल बिक गया।

(141) **मुट्ठी गरम करना**—*(घूस देना)*—बड़े बाबू की मुट्ठी गरम करिए तब काम होगा।

(142) **रोंगटे खड़े होना**—*(भयभीत होना, चकित होना)*—चोर की पिटाई देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गये।

(143) **रंग बदलना**—*(परिवर्तन होना)*—अब तो इस संस्था का रंग ही बदल गया।

(144) **रंग उतरना**—*(फीका होना)*—फाँसी की सजा सुनते ही मोहन के चेहरे का रंग उतर गया।

(145) **रास्ता नापना**—*(जाना)*—तुम्हें पैसा दे दिया न, अब रास्ता नापो।

(146) **लकीर का फकीर होना**—*(पुरानी प्रथा पर चलना)*—वह अभी भी चमड़े का जूता नहीं पहनता, लकीर का फकीर बना हुआ है।

(147) **लेने के देने पड़ना**—*(लाभ के बदले हानि)*—सोच समझकर काम करना कहीं लेने के बदले देने न पड़ जायँ।

(148) **लुटिया डुबोना**—*(काम बिगाड़ना)*—उसने तो मेरी लुटिया ही डुबो दी।

(149) **लोहा बजाना**—*(युद्ध करना)*—दोनों ओर की सेनाओं ने लोहा बजाना बन्द कर दिया।

(150) **लोहा मानना**—*(श्रेष्ठ समझना)*—आज भी लोग राजपूत वीरों का लोहा मानते हैं।

(151) **श्रीगणेश करना**—*(शुभारंभ करना)*—वृक्ष लगाने का श्रीगणेश उन्होंने ही किया है।

(152) **सर्द हो जाना**—*(डर जाना, मरना)*—डाकुओं के आने की सूचना सुनते ही वह सर्द हो गया।

(153) **साँप-छछूँदर की हालत**—*(दुविधा)*—माँ अलग नाराज हैं और बीबी अलग नाराज है, मैं किसे मनाऊँ और किसे नहीं ? मेरी तो साँप छछूँदर की हालत हो गयी है ।

(154) **सितारा चमकना अथवा बुलंद होना**—*(भाग्योदय)*—अरे भाई, इनका तो सितारा बुलंद है, जिस काम में हाथ लगाते हैं उसी में सफल हो जाते हैं ।

(155) **समझ (अक्ल) पर पत्थर पड़ना**—*(बुद्धिभ्रष्ट होना)*—रावण की समझ पर पत्थर पड़ा था कि विभीषण जैसे भाई को भी उसने लात मारी ।

(156) **सवा सोलह आने सही**—*(पूरे तौर पर ठीक)*—हनुमान् जी राम जी के प्रत्येक काम में सवा सोलह आने सही उतरते थे ।

(157) **हाथ मलना**—*(पछताना)*—समय के बीत जाने पर हाथ मलना ठीक नहीं ।

(158) **हाथ के तोते उड़ना**—*(स्तब्ध होना)*—डाकुओं को देखते ही सभी के हाथ के तोते उड़ गये ।

(159) **हाथ-पैर मारना**—*(काफी प्रयत्न करना)*—उन्होंने नौकरी के लिए खूब हाथ-पैर मारा, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली ।

(160) **हथियार डाल देना**—*(हार मान लेना)*—अंत में उसने हथियार डाल दिया ।

मुँह पर मुहावरे

(1) **मुँह की खाना**—*(बुरी तरह हारना)*—अंत में उसे मुँह की खानी पड़ी ।

(2) **मुँह पकड़ना**—*(बोलने से रोकना)*—आजकल कोई किसी का मुँह नहीं पकड़ता ।

(3) **मुँह छिपाना**—*(लज्जित होना)*—तुम कबतक मुँझसे मुँह छिपाते रहोगे ।

(4) **मुँह धोना**—*(आशा न करना)*—गड्ढे में मुँह धो लो, वह वस्तु तो मिलने से रही ।

(5) **मुँह में खून लगना**—*(बुरी चाट पड़ना)*—घूस लेते-लेते तुम्हारे मुँह में खून लग गया है ।

(6) **मुँह दिखाना**—*(प्रत्यक्ष होना)*—तुमने ऐसा क्या किया है कि मुँह दिखाने में शर्म लगती है ।

(7) **मुँह बन्द करना**—*(निरुत्तर कर देना)*—तुम घूस देकर मेरा मुँह बन्द करना चाहते हो ?

(8) **मुँह उतरना**—*(उदास होना)*—परीक्षा में फेल होने पर उनका मुँह उतर गया ।

(9) **मुँह ताकना**—*(सहायता के लिए आशा करना)*—किसी काम के लिए दूसरे का मुँह ताकना अच्छा नहीं ।

दाँत पर मुहावरे

(1) **दाँत से दाँत बजना**—*(बहुत जाड़ा पड़ना)*—ऐसी ठंढ पड़ रही है कि दाँत से दाँत बज रहे हैं ।

(2) **दाँत काटी रोटी**—*(गहरी दोस्ती)*—राम से उनकी दाँत काटी रोटी है।

(3) **दाँत गिनना**—*(उम्र का पता लगाना)*—ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि उनके दाँत गिनने लगे।

(4) **दाँत दिखाना**—*(खीस काढ़ना)*—यदि मेरे आने में देर हो जाय तो दाँत मत दिखाना।

(5) **दाँत गड़ाना**—*(किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह करना)*—वह आदमी कई दिनों से मेरी घड़ी पर दाँत गड़ाये था।

(6) **दाँत तले उँगली दबाना**—*(चकित होना)*—जापान की उन्नति देखकर लोग दाँतों तले उँगली दबाते हैं।

कान पर मुहावरे

(1) **कान देना**—*(ध्यान देना)*—बड़ों की बातों पर कान देना चाहिए।

(2) **कान में तेल डालना**—*(कुछ न सुनना)*—मैंने उन्हें कई पत्र दिये, पर एक का भी उत्तर न आया। लगता है, कान में तेल डाले बैठे हैं।

(3) **कान पर जूँ न रेंगना**—*(ध्यान न देना)*—मैंने प्राचार्य महोदय को कई स्मरण-पत्र दिये, लेकिन उनके कान पर जूँ भी नहीं रेंगती।

(4) **कान पकना**—*(ऊब जाना)*—उस दुष्ट की बातें सुनते-सुनते मेरे कान पक गये।

(5) **कान में पड़ना**—*(सुनने में आना)*—मेरे कान में यह बात पड़ी है कि छात्र हड़ताल करने वाले हैं।

(6) **कान खोलना**—*(सावधान करना)*—राम ने मेरा कान खोल दिया अब मैं किसी के चक्कर में नहीं आऊँगा।

(7) **कान खड़ा होना**—*(होशियार होना)*—बदमाशों के रंगढंग देखकर मेरे कान खड़े हो गये।

(8) **कान फूँकना**—*(बहका देना, दीक्षा देना)*—लगता है, किसी ने तुम्हारा कान फूँक दिया है, तभी तुम मेरी बात नहीं सुनते।

(9) **कान खाना**—*(तंग करना)*—देखो जी, तुम मेरा कान मत खाओ।

(10) **कान पकड़ना**—*(कोई काम फिर न करने की प्रतिज्ञा करना)*—अब तो वह चोरी न करने के लिए कान पकड़ता है।

(11) **कान भरना**—*(पीठ-पीछे शिकायत करना)*—तुम बार-बार मेरे खिलाफ प्राचार्य महोदय के कान भरते हो।

(12) **कान काटना**—*(बढ़कर काम करना)*—वह तो अपने उस्ताद के भी कान काटने लगा है।

नाक पर मुहावरे

(1) **नाकों चने चबाना**—*(तंग करना)*—मराठों ने मुगलों को नाकों चने चबवा दिये ।

(2) **नाक पर मक्खी न बैठने देना**—*(निर्दोष बचे रहना)*—प्राचार्य महोदय ने कभी नाक पर मक्खी बैठने ही न दी ।

(3) **नाक कट जाना**—*(प्रतिष्ठा नष्ट होना)*—तुम्हारे कारण मेरी नाक कट गयी ।

(4) **नाक काटना**—*(बदनाम करना)*—सभी लोगों के बीच उसने मेरी नाक काट ली ।

(5) **नाक-भौं चढ़ाना**—*(क्रोध अथवा घृणा करना)*—तुम उसे देखकर नाक-भौं क्यों चढ़ाने लगते हो ।

(6) **नाक पर गुस्सा**—*(तुरंत क्रोध हो जाना)*—तुम्हारी नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है ।

(7) **नाक रगड़ना**—*(दीनतापूर्वक प्रार्थना)*—उसने बहुत नाक रगड़ी, फिर भी मालिक ने उसे कारखाने से निकाल दिया ।

(8) **नाक का बाल होना**—*(अधिक प्यारा होना)*—पुत्र अपने पिता की नाक का बाल होता है ।

(9) **नाक में दम करना**—*(परेशान करना)*—उस लड़के ने मेरी नाक में दम कर रखा है ।

आँख पर मुहावरे

(1) **आँखें चुराना**—*(नजर बचाना अर्थात् अपने को छिपाना)*—मुझे देखकर तुम कबतक आँखें चुराते रहोगे ।

(2) **आँखों में खून उतरना**—*(अधिक क्रोध करना)*—लड़के की बदमाशी देखकर उनकी आँखों में खून उतर आया ।

(3) **आँखें मूँदना**—*(मर जाना)*—आज सुबह उसने आँखें मूँद लीं ।

(4) **आँखें पथरा जाना**—*(मर जाना)*—देखते ही देखते आज सुबह उसकी आँखें पथरा गयीं ।

(5) **आँखों में गड़ना**—*(किसी चीज को पाने की बलवती इच्छा)*—वह लड़की मेरी आँखों में गड़ गयी है ।

(6) **आखें फेर लेना**—*(उदासीन हो जाना)*—अपना काम हो जाने पर उसने मेरी ओर से आँखें फेर ली हैं ।

(7) **आँखों का काँटा होना**—*(शत्रु होना)*—आजकल राम मेरी आँखों का काँटा हो रहा है ।

(8) **आँख बचाना**—*(छिपना)*—वह रोज आँख बचाकर निकल जा रहा है ।

(9) **आँखें फाड़कर देखना**—*(चकित होकर देखना)*—उधर कौन सी दुर्घटना हो गयी है कि तुम आँखें फाड़कर देख रहे हो।

(10) **आँखें बिछाना**—*(प्रेम से स्वागत करना)*—उनके आने पर मैंने अपनी आँखें बिछा दीं।

(11) **आँख लगाना**—*(अनिष्ट सोचना)*—बालक को आँख लगाना बुरी बात है।

(12) **आँखों में धूल झोंकना**—*(धोखा देना)*—कल वह श्याम की आँखों में धूल झोंककर भाग गया।

(13) **आँखों का उजाला**—*(अत्यन्त प्रिय)*—वह अपनी माँ की आँखों का उजाला है।

(14) **आँख मारना**—*(इशारा करना)*—वह आँख मारकर उस लड़की को बुला रहा था।

(15) **आँखें जाना**—*(आँखों का नष्ट होना)*—उनकी आँखें जाती रहीं।

(16) **आँखें उठाना**—*(देखने की हिम्मत करना)*—वह लड़कियों की ओर आँखें उठाकर नहीं देखता।

(17) **आँखें खुलना**—*(सावधान होना)*—सन् 1977 ई० के लोकसभा चुनाव से काँग्रेस की आँखें खुल गयीं।

(18) **आँखें चार होना**—*(आमने-सामने होना)*—आज उन दोनों की आँखें चार हो गयीं।

बात पर मुहावरे

(1) **बात चलाना**—*(चर्चा चलाना)*—यदि आचार्य जी मिलें तो मेरी नियुक्ति की बात जरूर चलाइएगा।

(2) **बात की बात में**—*(अतिशीघ्र)*—बात की बात में वह मारकर भाग गया।

(3) **बात का धनी**—*(वायदे का पक्का)*—वह बात का धनी है, इसलिए जरूर तुम्हारा काम करेगा।

(4) **बात बनाना**—*(बहाना करना)*—तुम्हें खूब बात बनाने आती है।

(5) **बात पर न जाना**—*(विश्वास न करना)*—तुम्हारी बदमाशी के कारण ही मैं तुम्हारी बात पर नहीं जाता।

(6) **बात बढ़ाना**—*(बहस छिड़ जाना)*—अरे भाई, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है।

(7) **बात तक न पूछना**—*(निरादर करना)*—मैं राम के घर गया, पर उसने बात तक न पूछी।

सिर पर मुहावरे

(1) **सिर चढ़ाना**—*(शोख करना)*—जब आपने छात्रों को सिर चढ़ाया है तो भोगिए।

(2) **सिर फिर जाना**—*(पागल हो जाना)*—प्रचुर संपत्ति पाकर श्याम का सिर फिर गया है।

(3) **सिर मारना या खपाना**—*(बहुत प्रयत्न करना)*—उसने बहुत सिर मारा, लेकिन उसे नौकरी नहीं ही मिली ।

(4) **सिर से पैर तक**—*(आदि से अंत तक)*—सिर से पैर तक तुम्हारा सारा काम दोषपूर्ण है ।

(5) **सिर खुजलाना**—*(बहाना करना)*—अरे भाई, सिर खुजलाने से काम नहीं चलेगा ।

(6) **सिर गंजा कर देना**—*(खूब पीटना)*—चोर भाग गया, नहीं तो उसका सिर गंजा कर दिया गया होता ।

(7) **सिर पर भूत सवार होना**—*(धुन सवार होना)*—मालूम होता है कि तुम्हारे सिर पर भूत सवार हो गया है ।

(8) **सिर उठाना**—*(विरोध में खड़ा होना)*—तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने सिर उठाओ ।

(9) **सिर भारी होना**—*(शामत सवार होना अथवा सिर में दर्द होना)*—तुम्हारा सिर भारी हो रहा है जो मेरी बात करते हो ? आपका सिर भारी हो रहा है ?

(10) **सिर पर सवार होना**—*(पीछे पड़ना)*—तुम क्यों मेरे सिर पर सवार हुए जा रहे हो ?

(11) **सिर पर आ जाना**—*(बहुत निकट होना)*—अब तो परीक्षा सिर पर आ गयी है ।

(12) **सिर मढ़ना**—*(जबर्दस्ती जिम्मेदार बनाना)*—तुम अपना दोष क्यों मेरे सिर पर मढ़ रहे हो ?

गर्दन पर मुहावरे

(1) **गर्दन पर छुरी फेरना**—*(अत्याचार करना)*—तुम क्यों उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहे हो ?

(2) **गर्दन पर सवार होना**—*(पीछा न छोड़ना)*—वह अपने काम के लिए हमेशा मेरी गर्दन पर सवार रहता है ।

(3) **गर्दन उठाना**—*(प्रतिवाद करना)*—राजाओं के विरोध में गर्दन उठाना आसान नहीं था ।

(4) **गर्दन काटना**—*(हानि पहुँचाना, जान से मारना)*—उसकी शिकायत मत करो, नहीं तो उसकी गर्दन कट जायगी । मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूँगा ।

कहावतें (PROVERBS)

वस्तुतः कहावतों के मूल में कोई कहानी अथवा घटना ही होती है। बाद में जब लोगों की जबान पर उस घटना अथवा कहानी से निकली बात चल पड़ती है तो वही 'कहावत' बन जाती है। एक रूप में यह भी कहा जा सकता है कि कहावतों के मूल में नीतिमूलक सूत्र रहते हैं, जिनका प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होता है। इस प्रकार एक-एक कहावत जीवन की सधी हुई अनुभूति होती है। नीचे कुछ प्रचलित कहावतें और उनके अर्थ दिये जा रहे हैं—

(1) **अधजल गगरी झलकत जाय**—थोड़ी विद्या अथवा धन पाकर इतराना, घमंड करना।

(2) **अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना**—जो अत्याचारी और निर्दयी होते हैं उनके आगे अपना दुखड़ा सुनाना व्यर्थ होता है।

(3) **अंधों में काना राजा**—यदि बहुत-से मूर्ख हों तो उनमें से किसी एक को पंडित मानना।

(4) **अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता**—अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता।

(5) **अनदेखा चोर राजा बराबर**—जब तक किसी का पाप छिपा रहता है तब तक वह पापी भी धर्मात्मा माना जाता है।

(6) **अपनी डफली, अपना राग**—जिसकी जैसे इच्छा हो वैसा करे अर्थात् संगठन का अभाव।

(7) **अशर्फी की लूट और कोयले पर छाप**—कीमती सामान को नष्ट होने देना और तुच्छ एवं सस्ती वस्तु की रक्षा करना।

(8) **आप भला तो जग भला**—आदमी यदि स्वयं भला हो अर्थात् सज्जन हो तो दूसरे आदमी की भी भलाई कर सकता है।

(9) **आधा तीतर आधा बटेर**—खिचड़ी अर्थात् जितनी वस्तुएँ हैं वे सभी एक दूसरे के मेल में न हों।

(10) **आगे नाथ न पीछे पगहा**—बिलकुल निःसंग।

(11) **आम का आम गुठली का दाम**—किसी भी काम में दूना लाभ उठाना।

(12) **आप डूबे तो जग डूबा**—जो आदमी गलत होता है वह सबको वैसा ही समझता है।

(13) **आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास**—कोई आदमी कुछ काम करने चले और करने लगे कुछ दूसरा काम।

(14) **ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया**—ईश्वर की सृष्टि में कहीं सुख और कहीं दुख।

(15) **इस हाथ दे, उस हाथ ले**—अपने किये कर्मों का फल शीघ्र ही मिलता है।

(16) **उँगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना**—धीरे-धीरे हिम्मत बढ़ना।

(17) **ऊँची दूकान, फीका पकवान**—जिसमें सिर्फ तड़क-भड़क हो और वास्तविकता न हो ।

(18) **ऊँट किस करवट बैठता**—किसका कैसा लाभ होता है ।

(19) **ऊँट के मुँह में जीरा**—जितनी जरूरत हो उससे बहुत कम ।

(20) **उलटे चोर कोतवाल को डाँटे**—अपराध करनेवाला अपराध पकड़ने वाले को डाँटे ।

(21) **एक पंथ दो काज**—एक साथ दो इच्छित लाभ होना ।

(22) **एक तो चोरी, दूसरे सीनाजोरी**—खुद गलती कर उसे स्वीकार न करना और उलटे ही रोब गाँठना ।

(23) **एक म्यान में दो तलवार**—एक जगह पर दो समान अहंकारी व्यक्ति नहीं रह सकते ।

(24) **एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा**—बुरे आदमी को बुरे का संग मिलना ।

(25) **ओस चाटे प्यास नहीं बुझती**—अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता ।

(26) **ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर**—विपत्ति के समय धैर्य से काम लेना ।

(27) **कहाँ राजा भोज और कहाँ गँगुआ तेली**—छोटे और निर्धन आदमी का मिलन बड़ों से नहीं होता ।

(28) **कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव**—स्थिति सर्वदा एक समान नहीं रहती है।

(29) **कबीरदास की उलटी बानी, बरसे कम्बल, भीजे पानी**—बिलकुल उलटा काम ।

(30) **कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा**—इधर-उधर से वस्तुएँ लेकर कोई चीज बनाना अर्थात् कोई नवीनता नहीं ।

(31) **काला अक्षर भैंस बराबर**—बिलकुल अनपढ़ का लक्षण ।

(32) **का बरसा जब कृषी सुखाने**—अवसर के बीत जाने पर काम पूरा नहीं होता ।

(33) **काबुल में क्या गदहे नहीं होते**—अच्छे-बुरे लोग हर स्थान पर होते हैं ।

(34) **खग जाने खग ही की भाषा**—जो जिसके साथ रहता है वही उसकी बात जानता है ।

(35) **खरी मजूरी, चोखा काम**—पूरा पैसा देने से अच्छा और पूरा काम होता है ।

(36) **खेत खाये गदहा और मार खाये जुलहा**—कसूर कोई करे और सजा किसी और को मिले ।

(37) **खोदा पहाड़, निकली चुहिया**—कठिन परिश्रम करने पर भी तुच्छ परिणाम निकलना ।

(38) **गाँव का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध**—यदि कोई परिचित योग्य व्यक्ति है तो उसकी कोई कद्र नहीं करना और अपरिचित को सम्मान देना ।

(39) **गरजे सो बरसे नहीं**—जो अधिक बोलता है अथवा डींग हाँकता है वह कुछ नहीं कर सकता ।

(40) **गुरु गुड़ रहा चेला चीनी हुआ**—शिष्य गुरु से आगे निकला ।

(41) **गये थे रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज**—सुख के लिए जाय, पर मिले दुख ।

(42) **गुरु कीजै जान, पानी पीजै छान**—अच्छी तरह सोच-समझकर और जाँचकर ही कोई काम करना चाहिए ।

(43) **गोद में लड़का, नगर में ढिंढोरा**—सहज ही मिलने वाली वस्तु के लिए व्यर्थ परेशान होना ।

(44) **घर पर फूस नहीं, नाम धनपत**—किसी के पास कोई गुण न हो, फिर भी वह गुणवान् कहलाने की इच्छा रखे ।

(45) **घर का भेदी, लंकादाह**—आपसी फूट से हानि होती है ।

(46) **घर की मुर्गी दाल बराबर**—घर की कीमती वस्तु का कोई मूल्य नहीं आँकता ।

(47) **घी का लड्डू टेढ़ा भला**—लाभदायक वस्तु किसी भी रूप में लाभदायक ही होती है ।

(48) **चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय**—बड़ी एवं कीमती वस्तु को खोकर छोटी वस्तु को बचाने की चेष्टा करना ।

(49) **चोर की दाढ़ी में तिनका**—अपराध करने वाला व्यक्ति स्वयं चिन्तित एवं डरता रहता है ।

(50) **चोर-चोर मौसेरे भाई**—एक समान पेशेवाले व्यक्ति आसानी से आपस में मिल जाते हैं ।

(51) **चौबे गये छब्बे होने, दूबे बनके आये**—लाभ के लिए जाय और बदले में मिल जाय हानि ।

(52) **छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच**—छोटे आदमी का बड़प्पन दिखाना अर्थात् आडंबर ।

(53) **छठी का दूध याद आना**—बुरा हाल होना ।

(54) **छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह**—छोटे से अधिक बड़े व्यक्ति में बुराई होना ।

(55) **छोटे मुँह बड़ी बात**—बढ़-बढ़कर बातें करना ।

(56) **जबतक साँस, तबतक आस**—अन्तिम समय तक आशा करना ।

(57) **जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ**—अथक और कठोर परिश्रम करनेवाले को अवश्य सफलता मिलती है ।

(58) **जस दूलह तस बनी बाराता**—अपने ही सभी साथी-संगी ।

(59) **जैसे मुर्दे पर सौ मन वैसे हजार मन**—दुखी व्यक्ति पर और अधिक दुख का पड़ना ।

(60) **जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना**—किये गये उपकार को न मानना ।

(61) **जान बची लाखों पाये**—अपना प्राण बहुत प्यारा होता है ।

(62) **जिसकी लाठी उसकी भैंस**—शक्तिशाली सब कुछ कर सकता है ।

(63) **जहाँ न जाये रवि, तहाँ जाये कवि**—दूरदर्शी अर्थात् पैनी दृष्टिवाला ।

(64) **जान है तो जहान है**—प्राण सबसे अधिक मूल्यवान् होता है ।

(65) **जैसा देश वैसा वेश**—देश के अनुसार कार्य करना ।

(66) **जिसे पिया माने वही सुहागिन**—जिसे जो रुच जाय वही उत्तम ।

(67) **जैसा राजा वैसी प्रजा**—बड़े व्यक्ति के आचरण का प्रभाव छोटे व्यक्ति पर पड़ता है ।

(68) **जैसी करनी वैसी भरनी**—जैसा किया जाता है वैसा फल मिलता है ।

(69) **जल में रहे, मगर से बैर**—जिसके अधीन रहे उसी से बैर ।

(70) **जो बोले सो किवाड़ खोले**—नेतृत्व करने वाले को अधिक श्रम करना पड़ता है ।

(71) **जो बोले सो घी को जाय**—नेतृत्व करने वाले को अधिक श्रम करना पड़ता है ।

(72) **जैसी बहै बयार पीठ तब तैसी दीजै**—समयानुसार काम करना ।

(73) **जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जानै पीर पराई**—बिना दुख भोगे दूसरे के दुख का अनुभव नहीं हो सकता ।

(74) **झोपड़ी में रहना और महल का सपना देखना**—असंभव बातें सोचना ।

(75) **डूबते को तिनका सहारा**—असहाय आदमी के लिये थोड़ा-सा भी सहारा बहुत होता है।

(76) **तसलवा तोर कि मोर**—एक वस्तु पर दो आदमी के दावे का झगड़ा ।

(77) **तन पर नहीं लत्ता, पान खाये अलबत्ता**—झूठा घमंड दिखलाना ।

(78) **तीन बुलाये, तेरह आये**—बिना बुलाये ही बहुत लोगों का आ जाना ।

(79) **तीन लोक से मथुरा न्यारी**—एक प्रकार का विचित्र तरीका ।

(80) **तीन कनौजिया, तेरह चूल्हा**—ढकोसला दिखाना अंथवा व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा करना ।

(81) **तू डाल-डाल, मैं पात-पात**—किसी की चाल को अच्छी तरह पहचान लेना ।

(82) **दालभात में मूसलचन्द**—किसी के काम में बेकार ही दखल देना ।

(83) **दुधार गाय की लताड़ भली**—जिससे लाभ हो उसकी झिड़कियाँ भी अच्छी लगती हैं ।

(84) **दमड़ी की हँड़िया गयी, कुत्ते की जात पहचानी**—थोड़ी-सी वस्तु में ही बेइमानी का पता लगना ।

(85) **दस की लाठी एक का बोझ**—कई लोगों के सहयोग से कार्य अच्छी तरह से हो जाता है, जबकि एक आदमी के लिए वह कठिन हो जाता है ।

(86) **दूध का जला मट्ठा भी फूँक-फूँककर पीता है**—एक बार धोखा खा लेने पर आदमी सावधान होकर कार्य करता है ।

(87) **दूर का ढोल सुहावन**—कोई भी वस्तु दूर से अच्छी लगती है ।

(88) **देशी मुर्गी बिलायती बोल**—बेमेल एवं बेढंगा काम करना ।

(89) **दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम**—एक साथ दो काम नहीं हो पाता अर्थात् कोई लाभ नहीं होता ।

(90) **धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का**—कहीं का न रहना, निरर्थक सिद्ध होना ।

(91) **न ऊधो का लेना, न माधो का देना**—कोई लटपट नहीं ।

(92) **न नौ मन तेल होगा, और न राधा नाचेगी**—किसी साधन के अभाव में बहाना करना ।

(93) **न रहे बाँस, न बाजे बाँसुरी**—किसी काम की जड़ को ही नष्ट कर देना, निर्मूल करना ।

(94) **नक्कारखाने में तूती की आवाज**—कोई सुनवाई न होना ।

(95) **नेकी और पूछ-पूछ**—बिना कहे ही भलाई करना ।

(96) **नौ की लकड़ी नब्बे खर्च**—थोड़े-से लाभ के लिए अधिक खर्च करना ।

(97) **नौ जानते हैं, छः नहीं**—ढोंगी आदमी; सीधा, सरल आदमी भी ।

(98) **नौ नगद, न तेरह उधार**—थोड़ा-सा नकद आये वह अच्छा है, पर अधिक उधार देना ठीक नहीं ।

(99) **नाम बड़े, दर्शन थोड़े**—किसी के गुण से अधिक प्रशंसा एवं प्रचार का होना ।

(100) **नाचे न जाने, अँगनवे टेढ़**—काम करने का ढंग मालूम न होने पर कुछ दूसरा बहाना करना ।

(101) **नीम हकीम खतरे जान**—अयोग्य व्यक्ति से लाभ के बदले हानि ही मिलती है ।

(102) **पानी पी कर जात पूछना**—काम करके परिणाम के बारे में सोचना ।

(103) **प्रथमे ग्रासे मक्षिकापातः**—काम के शुरू में ही विघ्न पड़ना ।

(104) **बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा**—कष्ट सहनेवाला व्यक्ति ही दूसरे के कष्ट को समझ सकता है ।

(105) **बन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद**—मूर्ख आदमी गुण का आदर करना नहीं जानता ।

(106) **बीबी महल में, गला बाजार में**—लाज-लिहाज छोड़ देना ।

(107) **बिल्ली के भाग से छींका टूटा**—संयोग से काम का हो जाना ।

(108) **बैल न कूदे, कूदे तंगी**—मालिक के बल पर नौकर की हिम्मत बढ़ना ।

(109) **बिन माँगे मोती मिलै, माँगे मिले न भीख**—लालची बनने से कोई काम नहीं बनता ।

(110) **भई गति साँप-छछुन्दर केरी**—दुविधा में पड़ना ।

(111) **भरी जवानी, माझा ढीला**—यौवन में ही स्वास्थ्य का बिगड़ जाना ।

(112) **भागते भूत की लँगोटी भली**—बचे हुए धन को अधिक समझना ।

(113) **भैंस के आगे बीन बजाये, भैंस खड़ी पगुराय**—मूर्ख के आगे गुणों की प्रशंसा करना बेकार है ।

(114) **मन चंगा तो कठौती में गंगा**—यदि मन शुद्ध है तो सब कुछ ठीक ।

(115) **दान के बैल के दाँत नहीं देखे जाते**—मुफ्त मिले हुए सामान पर टीका-टिप्पणी करना अनुचित है ।

(116) **मुँह में राम, बगल में छुरी**—कपटी आदमी ।

(117) **मानो तो देव नहीं तो पत्थर**—विश्वास करने से ही फल मिलता है ।

(118) **मान न मान मैं तेरा मेहमान**—किसी पर जबरदस्ती बोझ डालना ।

(119) **मेढकी को जुकाम होना**—योग्यता न होने पर भी योग्यता का ढोंग करना ।

(120) **मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त**—किसी काम के लिए जिसे गर्ज है वह निश्चिन्त रहे और दूसरा उसके लिए चिन्ता करे ।

(121) **रस्सी जल गयी, पर ऐंठन न गयी**—बुरी हालत हो जाने पर भी घमंड करना ।

(122) **रुपया परखे बार-बार, आदमी परखे एक बार**—भले-बुरे आदमी की पहचान एक बार में ही हो जाती है ।

(123) **रोग का घर खाँसी, झगड़े का घर हाँसी**—अधिक मजाक करना ठीक नहीं होता ।

(124) **लूट में चरखा नफा**—किसी विशेष लाभ का न होना ।

(125) **शौकीन बुढ़िया, चटाई का लहँगा**—बुरी तरह का शौक ।

(126) **सावन के अन्धे को हरा ही हरा सूझता है**—स्वार्थी आदमी को प्रत्येक ओर अपना स्वार्थ ही दीखता है ।

(127) **सब धान बाईस पसेरी**—अच्छे-बुरे सबको एक समान समझना ।

(128) **सत्तर चूहे खाके, बिल्ली चली हज को**—जिन्दगी भर पाप कर अन्त में धर्मात्मा बनने का ढोंग करना ।

(129) **साँप भी मरे और लाठी भी न टूटे**—किसी नुकसान के बिना ही काम का पूरा होना ।

(130) **सौ सयाने एक मत**—भले ही बुद्धिमान् आदमी अनेक हों, पर उनका निर्णय एक समान होगा ।

(131) **होनहार बिरवान के होत चीकने पात**—होनहार के लक्षण शुरू से ही दिखाई देने लगते हैं ।

(132) **हाथ कंगन को आरसी क्या**—प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती ।

षष्ठ खंड

आशय, भावार्थ और व्याख्या

आशय या अर्थ (Meaning)

किसी अवतरण के मूल भावों को अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की विधि को 'अर्थ' अथवा 'आशय' कहते हैं। आशय या अर्थ के लिए यह आवश्यक होता है कि अवतरण के भावों और विचारों को ध्यान में रखा जाय। अर्थ वस्तुतः किसी अवतरण की व्याख्या, सारांश और भावार्थ से भिन्न है।

आशय या अर्थ लिखने के लिए निम्नांकित विचार बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए—

(1) सर्वप्रथम मूल अवतरण को खूब ध्यान से पढ़ना चाहिए जिससे प्रत्येक पंक्ति और वाक्य समझ में आ जाय और यह भी पता चल जाय कि किस प्रसंग और किस विषय में क्या कहा गया है।

(2) अवतरण के मूल अर्थ को समझने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अवतरण में मूल रूप से क्या कहा गया है, उस पर ध्यान देना चाहिए।

(3) मूल अवतरण के प्रत्येक तथ्य या विचार का विभाजन कर लेने के बाद प्रत्येक विचार को एक-एक अनुच्छेद (पैरा) में अपनी भाषा में लिखना चाहिए।

(4) अर्थ की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद उसे सावधानी से पढ़ लेना चाहिए। इस प्रकार पढ़ने से यह स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि मूल अवतरण का कोई भाव या विचार छूटा नहीं है।

(5) यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अर्थ या आशय की भाषा सरल एवं अपनी होनी चाहिए। आलंकारिक भाषा एवं कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(6) अर्थ के विस्तार अथवा संक्षेप में कोई निश्चित नियम नहीं है। आशय या अर्थ मूल अवतरण से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि सभी विचार स्पष्ट होने चाहिए। फिर भी परीक्षा में पूछे गये इस अर्थ के अंक पर इसका विस्तार निर्भर करता है। यदि इस प्रश्न का पूर्णांक 10 है तो उसी के अनुसार अर्थ या आशय का विस्तार करना चाहिए। अवतरण का जो विषय है उसकी लम्बी-चौड़ी भूमिका बाँधने अथवा विस्तार के साथ प्रसंग निर्देश करने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही विस्तार से व्याख्या करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल पदान्वय (Paraphrasing) से भी काम नहीं चलता है। अतः आवश्यकतानुसार अवतरण का आशय या अर्थ लिखना चाहिए।

(7) दिया गया अवतरण यदि बड़ा अथवा लम्बा हो तो उसका आशय या अर्थ संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए अर्थात् आशय को कम से कम मूल का आधा होना चाहिए। यदि मूल

अवतरण छोटा हो तो उसका अर्थ या आशय थोड़ा विस्तार से लिखना चाहिए अर्थात् उसे मूल का दुगुना होना चाहिए ।

उदाहरण के लिए कुछ अवतरणों का आशय नीचे दिया जा रहा है—

(क) निम्नलिखित पद्यांश का आशय लिखिए—

ऊँच-नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है ।
दया-धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है ।

आशय—इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि कौन व्यक्ति 'श्रेष्ठ-ज्ञानी' है और कौन 'पूज्य-प्राणी'है । वस्तुतः समानता की दृष्टि से सबको देखने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है । जिस ज्ञान द्वारा मानव समाज में ऊँच-नीच का भाव जागे, वह उत्तम ज्ञान नहीं है । उत्तम ज्ञान वही है जिसे प्राप्त कर हम सभी मनुष्यों को एक समान देखें । समाज में दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति की ही पूजा होनी चाहिए । वही सर्वाधिक पूजनीय व्यक्ति है जो दूसरों पर दया करता है और धर्म के अनुसार आचरण करता है । जो दया का पात्र है उस पर दया करना मानव का धर्म है और इस धर्म से युक्त प्राणी ही समाज में सबसे अधिक पूजा जाता है ।

(ख) निम्नांकित गद्यावतरण का आशय या अर्थ लिखिये—

मनुष्य के व्यक्तित्व का जहाँ पूर्ण विकास होता है, उसके दिव्य गुणों का चरम प्रकाश होता है वहीं हम मनुष्यत्व में ईश्वरत्व की, नर में नारायण की कल्पना कर सकते हैं ।

आशय का अर्थ—इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि मनुष्य यदि अपने गुणों का विकास कर ले तो वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है । मनुष्य में अनेक गुण हैं । इन गुणों के विकास के अभाव में मनुष्य का व्यक्तित्व अधूरा रहता है । अपने छिपे हुए गुणों को मनुष्य जब प्रकाशित करता है तभी वह मनुष्यत्व से देवत्व की ओर अग्रसर होता है । तात्पर्य यह है कि दिव्य और अलौकिक गुणों से युक्त हो कर मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है । देवत्व के इस धरातल पर पहुँचने के बाद मनुष्य साधारण नर से नारायण बन जाता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व का निर्माण जब पूर्ण होता है तब मनुष्यत्व की उपलब्धि होती है और इस मनुष्यत्व की चरम उपलब्धि में देवत्व के दर्शन होते हैं।

द्रष्टव्य—यहाँ मूल अवतरण छोटा है । इसलिए आशय बड़ा लिखा गया है । यदि अवतरण बड़ा हो तो आशय छोटा लिखा जायगा ।

भावार्थ (Substance)

भावार्थ संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए । उसका स्वरूप व्याख्या की तरह भी नहीं होना चाहिए। पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मूल अवतरण का अन्वयार्थ भी भावार्थ नहीं है । तात्पर्य यह है कि भावार्थ मूल अवतरण से छोटा होता है एवं उसकी शैली सामाजिक होती है । मूल अवतरण के मुख्य विचारों को सारगर्भित रूप में लिखना चाहिए । वस्तुतः भावार्थ संक्षिप्त होता है, मूल अवतरण का लगभग आधा । परन्तु यह संक्षेपण से भिन्न है । भावार्थ लिखने के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए—

(1) मूल अवतरण को कई बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद मूल एवं गौण भावों और विचारों को रेखांकित करना चाहिए।

(2) जो व्यर्थ के शब्द हैं उन्हें हटा देना चाहिए। साथ ही व्यर्थ के वर्णनों को भी हटा देना चाहिए।

(3) अब रेखांकित वाक्यों एवं शब्दों को मिलाकर सार्थक वाक्य बना लेना चाहिए। रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिए दूसरे शब्द भी लिये जा सकते हैं। इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि मूल विचार और भाव छूटने न पायें।

(4) प्रत्येक वाक्य की लम्बी-चौड़ी व्याख्या अथवा टीका-टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

(5) मूल अवतरण का कोई भी भाव या विचार छूटना नहीं चाहिए।

(6) भावार्थ की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। शब्दावली आलंकारिक नहीं होनी चाहिए।

(7) भावार्थ को मूल अवतरण से बड़ा नहीं होना चाहिए। वस्तुतः व्याख्या में विस्तार से लिखा जाता है। व्याख्या में भावों एवं विचारों का विश्लेषण होता है, जबकि भावार्थ में उनका संकोच होता है।

उदाहरण के लिए नीचे एक अवतरण और उसका भावार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है—

कुछ लोगों में संपूर्णता तो दुनिया के किसी देश में किसी भी सभ्यता के अन्दर नहीं आयी; लेकिन यह तथ्य है कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता के विकास की ओर है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को प्रोत्साहन देती है और इसलिए मैंने उसे असभ्यता कहा है। पश्चिमी सभ्यता नास्तिक है, भारतीय सभ्यता आस्तिक। हिन्दुस्तान के हितैषियों को चाहिए कि इस बात को समझ कर उसी श्रद्धा के साथ भारतीय सभ्यता से चिपटे रहें जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है।

भावार्थ—भारतीय सभ्यता में आस्तिक प्रवृत्तियाँ हैं और पश्चिमी सभ्यता में नास्तिक प्रवृत्तियाँ। इसलिए भारतीय सभ्यता का रुख नैतिकता के विकास की ओर है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिक आचरण को प्रश्रय देती है। अतः हम भारतीय लोगों को इस तथ्य को समझकर भारतीय सभ्यता से चिपका रहना चाहिए, क्योंकि इसी से भारत का हित संभव है।

व्याख्या (Explanation)

व्याख्या में किसी भाव या विचार का विस्तार से विवेचन किया जाता है। वस्तुतः व्याख्या आशय और भावार्थ से भिन्न है। इसमें हम अपने अध्ययन, मनन एवं चिन्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं।

व्याख्या में प्रसंग का निर्देश करना अनिवार्य होता है। प्रसंग निर्देश संक्षिप्त एवं विषय के अनुकूल होना चाहिए। बेकार की बातों को प्रसंग निर्देश में शामिल नहीं करना चाहिए।

एक अच्छी व्याख्या में मूल अवतरण के भावों एवं विचारों का समुचित एवं सन्तुलित विवेचन करना चाहिए। वस्तुतः विषय के गुण-दोष दोनों की समीक्षा यहाँ करनी चाहिएं। यदि हम उसके पक्ष से सहमत हैं तो तर्कपुष्ट प्रमाणों से उसका विवेचन कर सकते हैं। यों अच्छी व्याख्या में विषय का खंडन-मंडन सप्रमाण करना चाहिए।

व्याख्या के अन्तर्गत प्रारम्भ में मूल भावों अथवा विचारों का सामान्य अर्थ प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद ही विषय का विवेचन शुरू करना चाहिए ।

यदि मूल अवतरण बड़ा है तो बड़ी सावधानी से व्याख्या करनी चाहिए । ऐसे बड़े अवतरणों में अनेक तरह के विचार हो सकते हैं । अतः अवतरण के मूल एवं गौण विचारों को पहले ढूँढ़ लेना चाहिए । इसके बाद इन मूल एवं गौण विचारों को क्रमशः विवेचित करना चाहिए । यदि अवतरण दो-ढाई पंक्तियों का है तो उस अवतरण के उन्हीं शब्दों का विवेचन करना चाहिए जिनसे मूल भाव एवं विचार स्पष्ट हो जायँ । प्रायः ऐसे छोटे अवतरणों में दार्शनिक तथ्य सन्निहित रहते हैं ।

व्याख्या के अंत में टिप्पणी के रूप में कठिन शब्दों का अर्थ दे देना चाहिये । साथ ही व्याख्या में यदि कोई विशेष अर्थ या अलंकार अथवा भाषा का चमत्कार हो तो उसे भी टिप्पणी में दिया जा सकता है ।

एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि मूल अवतरण के भावों या विचारों की समुचित विवेचना हुई है अथवा नहीं । अतः स्पष्ट है कि अवतरण से व्याख्या बड़ी होनी चाहिए । व्याख्या कितनी बड़ी हो, इसके लिए कोई खास नियम नहीं है ।

व्याख्या के लिए निम्नांकित बातों को स्मृति में रखना चाहिए—

(1) व्याख्या में प्रसंग निर्देश अनिवार्य है ।

(2) प्रसंग निर्देश संक्षिप्त, आकर्षक और विषय के अनुकूल होना चाहिए ।

(3) मूल भाव या विचार का विधिवत् विवेचन करना चाहिए ।

(4) अवतरण के मूल विचारों का खंडन-मंडन करना चाहिए अथवा केवल खंडन या केवल मंडन भी किया जा सकता है ।

(5) यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उसे टिप्पणी में लिखा जा सकता है ।

उदाहरण के लिए नीचे एक व्याख्या दी जा रही है—

मूल अवतरण—

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूँ पाँय ।
बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविन्द दियो बताय ॥

व्याख्या :—

प्रसंग—ये पंक्तियाँ संत कबीरदास द्वारा रचित 'बीजक' के 'साख' नामक अंश से उद्धृत हैं। यहाँ कबीरदास ने गुरु की महिमा का उद्घाटन किया है । गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है, इसीलिए गुरु सर्वप्रथम वन्दनीय है ।

अर्थविश्लेषण—गुरु और गोविन्द दोनों ही वन्दनीय हैं, पूज्य हैं । मनुष्य के लिए दोनों का समान महत्व है । हमें दोनों की पूजा करनी चाहिए । लेकिन यदि संयोग से गुरु और गोविन्द दोनों एक साथ उपस्थित हों तो सर्वप्रथम गुरु की वन्दना करनी चाहिए और उसके बाद ईश्वर की । ईश्वर के दर्शन कराने का श्रेय गुरु को ही है । वही भगवान् के पास जाने का मार्ग दिखाता है । वह मार्गदर्शक

है, अन्यथा हम गोविन्द के दर्शन नहीं कर सकते । अतः गुरु धन्य है, वन्दनीय है, क्योंकि उसी की सहायता से हम संसार की बाधाओं के रहते हुए भी ईश्वर के दर्शन करते हैं ।

विवेचन—यहाँ यह द्रष्टव्य है कि कबीरदास ने गुरु की इतनी वन्दना क्यों की है अथवा गुरु क्यों श्रेष्ठ है ? वस्तुतः यह संसार माया से आबद्ध है, सर्वत्र माया का प्रबल आकर्षण विद्यमान है जिसके कारण हम मार्ग से भटक जाते हैं । ईश्वर को पाना तो दूर, उसकी पूजा भी विधिवत् संभव नहीं हो पाती है । मात्र एक गुरु हीं है जिसके निर्देश से हम ईश्वर की साधना की ओर बढ़ते हैं । वह हमें सांसारिक बाधाओं से बचाकर ईश्वर के दर्शन कराने में सहायक होता है । यदि गुरु की सहायता न मिले तो गोविन्द के दर्शन करना असंभव है । इसीलिए संत कबीर ने सर्वप्रथम गुरु की वन्दना करने के लिए कहा है ।

टिप्पणी—(1) लागू पाँय—प्रणाम करूँ अर्थात् वन्दना करूँ ।

(2) गुरु को महत्वपूर्ण बताया गया है ।

अभ्यास के लिए कुछ अवतरण दिये जा रहे हैं—

(क) आशय या अर्थ लिखिए—

(1) मनुष्यत्व का सच्चा द्योतक चरित्र है । प्रतिभा की सतेज दीप्ति भी शील और चरित्र के सौम्य प्रकाश के सामने धुँधली है ।

(2) भाषा के विषय में भी पं० नेहरू के विचार सर्वथा निर्भ्रान्त थे और वे चाहते थे कि हिन्दी का विकास सभी प्रकारके साम्प्रदायिक प्रभावों से मुक्त रहे । हिन्दू के साथ हिन्दी के गठबन्धन का संकेत मात्र भी उन्हें असह्य था और कदाचित् इसीलिए वे अपनी पूरी शक्ति से संस्कृत के वर्धमान प्रभाव का अवरोध करते रहे । स्वतंत्रता के बाद हिन्दी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की प्रवृत्ति अत्यन्त बलवती हो उठी थी और इसके मूल में एकदम शास्त्रीय तथा राष्ट्रीय प्रेरणा ही थी—जिसमें साम्प्रदायिक भावना का लेशमात्र नहीं था ।

(3) **तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के ।**
पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखला के ॥

(ख) निम्नांकित अवतरण का भावार्थ लिखिए—

(1) ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ नहीं कि मैं किसी भी स्त्री को न छुऊँ, अपनी बहन को न छुऊँ; परन्तु ब्रह्मचारी होने का अर्थ यह है कि एक कागज को छूने से मुझमें विकार पैदा नहीं होता, वैसे ही किसी स्त्री को छूने से मुझमें विकार पैदा नहीं होना चाहिए । मेरी बहन बीमार हो और ब्रह्मचर्य के कारण मुझे उसकी सेवा करने से, उसे छूने से परहेज करना पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य धूल के बराबर है । किसी मुर्दा शरीर को छूने से हमारा मन नहीं बिगड़ता, वैसे ही किसी सुन्दर से सुन्दर स्त्री को छूने से हमारा मन न बिगड़े तो हम ब्रह्मचारी हैं ।

(ग) निम्नलिखित अवतरणों की व्याख्या करिये ।

(1) **मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि सोय ।**
जा तन की झाँई परै, स्याम हरित दुति होय ॥

(2) **यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है,**
रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है ।
किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं ?
गिरने से उसको सँभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं ।

(3) जो केवल बाह्य सौन्दर्य पर मुग्ध होकर अपूर्व शक्ति पर चकित रह गया, शील की ओर आकर्षित होकर उसकी साधना में तत्पर न हुआ, वह भक्ति का अधिकारी न हुआ ।

भाव-पल्लवन या भाव-विस्तारण

जब किसी सुगठित और गुंफित विचार अथवा भाव को विस्तार दे दिया जाता है, उसे भाव-पल्लवन या भाव-विस्तारण कहते हैं । सघन रूप में कम से कम शब्दों के माध्यम से जब लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, वैसी स्थिति में सामान्य पाठक आसानी से इन विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता। जो वाक्य 'गागर में सागर' की तरह होते हैं वे साधारण लोगों की समझ में नहीं आते । ऐसे वाक्यों में सन्निहित विचारों या भावों के तार-तार को अलग कर उनकी व्याख्या करनी पड़ती है; उनकी गुत्थी को सुलझाना पड़ता है । भावविस्तार या भावपल्लवन में मूलवाक्य में आये विचार सूत्रों को सही अर्थ में समझने की चेष्टा की जाती है और उन्हें विस्तार से समझाया जाता है ।

भावपल्लवन भावसंक्षेपण का ठीक उलटा होता है । भावपल्लवन भावार्थ व्याख्या से भिन्न होता है । व्याख्या और भावपल्लवन दोनों में मूल अवतरण के भाव अथवा विचार को विस्तार दिया जाता है । लेकिन व्याख्या में प्रसंगनिर्देश अनिवार्य होता है, साथ ही इसमें विचारों की आलोचना एवं टीका-टिप्पणी भी की जाती है । यह छूट भावपल्लवन में नहीं है । भावपल्लवन में केवल निहित भाव अथवा विचार का विस्तार होता है । भावार्थ और भावपल्लवन दोनों में मूलभाव को स्पष्ट किया जाता है, लेकिन भावार्थ में मूल भाव का विस्तार एक सीमा तक ही होता है, जबकि भावपल्लवन के लिए ऐसी किसी सीमा का बन्धन नहीं है । भावपल्लवन में यह प्रयत्न किया जाता है कि मूल लेखक के मनोभाव व्यक्त हो जायँ अर्थात् समस्त मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कई अनुच्छेदों में लिखा जाता है । भावार्थ में तो मूल अवतरण के केन्द्रीय भाव को ग्रहण किया जाता है, जिसे कई अनुच्छेदों में लिखना आवश्यक नहीं है । भावपल्लवन में तो केन्द्रीय भाव के साथ गौण भाव को भी ग्रहण कर विस्तार से उनका विश्लेषण किया जाता है । इस प्रकार भावपल्लवन व्याख्या और भावार्थ से भिन्न है।

भावपल्लवन अथवा भावविस्तारण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है—

(1) भावपल्लवन के लिए मूल अवतरण के रूप में कोई प्रसिद्ध वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत दे दी जाती है । वस्तुतः इन्हें बार-बार पढ़ना चाहिए जिससे पूरा का पूरा भाव या विचार समझ में आ जाय ।

(2) मूल भाव या विचार के साथ चिपके हुए अन्य सहायक भावों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए ।

(3) सभी मूल एवं गौण भावों या विचारों को समझ लेने के पश्चात् उनका क्रम निर्धारित कर लेना चाहिये । इसके बाद प्रत्येक विचार को अलग-अलग एक-एक अनुच्छेद में लिखना

(4) विचारों का विस्तार करते समय उनकी पुष्टि के लिए यत्र-तत्र ऊपर से कुछ तथ्य अथवा उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

(5) भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए । अलंकृत भाषा नहीं लिखनी चाहिए । छोटे-छोटे वाक्यों के माध्यम से भावों, विचारों को व्यक्त करना चाहिए ।

(6) भावपल्लवन में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए ।

(7) इसमें मूल लेखक के भावों, विचारों का ही विस्तार एवं विश्लेषण करना चाहिए, उनकी टीका-टिप्पणी अथवा आलोचना नहीं करनी चाहिए ।

(8) भावपल्लवन अन्य पुरुष में लिखना चाहिए ।

(9) इसमें समास शैली को न ग्रहण कर व्यास शैली ग्रहण की जाती है ।

(10) यदि हम उक्ति या मूल लेखक के कथन से सहमत नहीं हैं तो भी उसका खंडन हम नहीं कर सकते । भावपल्लवन में तो उक्ति अथवा कथन को विस्तार के साथ स्पष्ट किया जाता है ।

उदाहरण के लिए एक भावपल्लवन नीचे दिया जा रहा है—

सागर के समान कामना-नदियों को पचाते हुए सीमा से बाहर न जाना यही तो ब्राह्मण का आदर्श है ।

भावपल्लवन—

पावस ऋतु में नदियाँ उन्मत्त होकर छलछलाती हुई प्रवाहित होती हैं और ग्रीष्म के आने पर शांत हो जाती हैं । परन्तु समुद्र का जल-तल प्रत्येक ऋतु एवं समय में एक समान रहता है । इसीलिए उसे 'सम+उद्र' 'सदैव समान जलवाला' कहा गया है । पावस ऋतु में न तो उसमें जलप्लावन ही आता है और न तो ग्रीष्म ऋतु में जल कम होता है । यदि अनेकानेक उमड़ती हुई वेगवती नदियाँ भी एक समुद्र में प्रवेश करें, तो भी उसके गांभीर्य में कोई ह्रास नहीं होता । सच्चे ब्राह्मण का व्यक्तित्व भी समुद्रवत् होता है । बड़े-बड़े प्रलोभन के आने पर भी ब्राह्मण अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता । श्री जयशंकर 'प्रसाद' द्वारा लिखित 'चन्द्रगुप्त' नाटक के चाणक्य नामक पात्र के व्यक्तित्व में यह आदर्श द्रष्टव्य है । चाणक्य अपनी कामनाओं को अपने वश में रखते हुए सम्राट् चन्द्रगुप्त का सहायक होता है । अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बाल्यकाल की प्रिया सुवासिनी के परिणय-सूत्र में आबद्ध हो सकता था अथवा सम्राट् भी बन सकता था । लेकिन नहीं, उसका गरिमामय व्यक्तित्व तो ब्राह्मणत्व की इच्छाओं को समुद्र की तरह आत्मसात् कर लेता है । वर्षाकालीन उमड़ती हुई नदियों के जल को ग्रहण कर सागर जिस प्रकार निश्चिंत, स्थिर, शान्त और गंभीर बना रहता है, उसी प्रकार अनेक कामनाएँ ब्राह्मणत्व की महिमा से पूर्ण चाणक्य को अपने मार्ग से विचलित नहीं करती हैं । यही ब्राह्मण का आदर्श है ।

भावपल्लवन के अभ्यास के लिए कुछ प्रसिद्ध वाक्य या अवतरण दिये जा रहे हैं :—

(1) बुद्धिमान लोग गुरु का ऋण बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि और ऋण तो आसानी से लौटाये जा सकते हैं—ज्ञानदान का ऋण सबके लिये लौटाना संभव नहीं है ।

—महात्मा गांधी

(2) जब तक माला गूँथी जाती है तब तक फूल मुरझा जाते हैं ।

(3) आशा जीवन का लंगर है, उसका सहारा छोड़ने से मनुष्य भवसागर में डूब जाता है । बिना हाथ-पाँव फैलाए केवल आशा करने से काम नहीं चलता ।

भावसंक्षेपण (Precis Writing)

संक्षेपण का सामान्य अर्थ है 'संक्षेप में कहना ।' किसी विस्तृत और अवतरण से अप्रासंगिक एवं अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग एक तिहाई शब्दों में उसकी आवश्यक एवं प्रधान बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है । किसी भी विस्तृत, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र-व्यवहार, लेख के तथ्यों एवं निर्देशों का संक्षेपण हो सकता है अर्थात् इनका संक्षेपण अर्थात् भाव संक्षेपण करते समय अनावश्यक बातें छाँटकर निकाल दी जाती हैं और मूल बातें रख ली जाती हैं ।

संक्षेपण का अंग्रेजी रूपान्तर प्रेसी (Precis) है । संक्षेपण, अन्वय, सारांश, भावार्थ, आशय, मुख्यार्थ, रूपरेखा आदि शब्द एक दूसरे के लिए समानार्थी प्रतीत होते हैं; लेकिन वस्तुतः इनके स्वरूप में सूक्ष्म अंतर है ।

संक्षेपण और आशय (Precis and Purport)—आशय में सम्पूर्ण कथन या गूढ़ वाक्यों या पदों का स्पष्टीकरण किया जाता है । संक्षेपण में स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ती ।

संक्षेपण और सारांश (Precis and Summary)—सारांश में केवल मुख्य तथ्य को अत्यन्त संक्षेप में लिखा जाता है । संक्षेपण में प्रायः मूल की सभी बातें क्रमबद्ध रूप में लिखी जाती हैं। संक्षेपण और सारांश का अनुपात क्रमशः 3-1 और 10-1 का होता है ।

संक्षेपण और अन्वय (Precis and Paraphrasing)—अन्वय में मूल अवतरण के मुख्य और गौण भावों को लिखा जाता है जबकि संक्षेपण में गौण भावों को छाँट दिया जाता है केवल मुख्य भाव ही ग्रहण किये जाते हैं ।

संक्षेपण और भावार्थ (Precis and Substance)— दोनों में ही मूल अवतरण के भावों अथवा विचारों को संक्षिप्त रूप में ग्रहण किया जाता है । लेकिन भावार्थ में लेखन की कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती, जबकि संक्षेपण में यह आवश्यक है कि वह सामान्यतया मूल का एक-तिहाई हो । साथ ही भावार्थ में मूल अवतरण के मूल एवं गौण भावों को स्थान दिया जाता है, लेकिन संक्षेपण में केवल मुख्य भाव ही ग्रहण किया जाता है ।

संक्षेपण के गुण—

(1) **पूर्णता**—संक्षेपण को स्वयं में पूर्ण होना चाहिए । यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई आवश्यक विचार छूट न जाय । आवश्यक-अनावश्यक विचारों की पहचान निरंतर अभ्यास से ही संभव है ।

(2) **संक्षिप्तता**—संक्षेपण का यह एक प्रधान गुण है । सामान्यतया संक्षेपण मूल का एक तिहाई होता है । संक्षेपण में व्यर्थ के शब्द, दृष्टांत, उद्धरण, विशेषण, व्याख्या, वर्णन आदि को स्थान नहीं देना चाहिए ।

(3) **स्पष्टता**—इसमें लिखे गये विचार और भाव स्पष्ट होने चाहिए । संक्षेपण ऐसा करना चाहिए जिसमें मूल भाव संक्षिप्त करते समय स्पष्टता बनी रहे ।

(4) **शुद्धता**—संक्षेपण के भाव और भाषा शुद्ध होनी चाहिए ।

(5) **भाषा की सरलता**—संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए । इसमें क्लिष्ट एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

(6) **प्रवाह और क्रमबद्धता**—संक्षेपण में भाव और भाषा का एक प्रवाह होना चाहिए । भावों एवं विचारों को एक क्रम में रखना चाहिए । इन्हें एक क्रम में रखते समय भाषा का प्रवाह बना रहना चाहिए ।

संक्षेपण के विषयगत नियम—

(1) मूल अवतरण को कम से कम तीन-चार बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिससे उसका सम्पूर्ण भावार्थ (Substance) समझ में आ जाय ।

(2) भावार्थ को समझ लेने के बाद महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित कर लेना चाहिए । इन रेखांकित अंशों का संबंध मूल भावों अथवा विचारों से होना चाहिए ।

(3) संक्षेपण के अन्तर्गत मूल अवतरण को संक्षिप्त किया जाता है । इसलिए उसमें अपनी ओर से टीका-टिप्पणी अथवा खंडन-मंडन करने की जरूरत नहीं होती है ।

(4) रेखांकित वाक्यों, शब्दों, अंशों के आधार पर संक्षेपण की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए । जरूरत के अनुसार उसमें जोड़-घटाव भी किया जा सकता है ।

(5) संक्षेपण मूल अवतरण का एक-तिहाई होना चाहिए । यदि शब्दों की संख्या पहले से निर्धारित कर दी गयी है, तो उसी के अनुसार संक्षेपण करना चाहिए ।

(6) सब कुछ हो जाने के बाद संक्षेपण का एक शीर्षक दे देना चाहिए । शीर्षक संक्षिप्त एवं सभी तथ्यों का बोध कराने वाला होना चाहिए ।

संक्षेपण के शैलीगत नियम—

(1) संक्षेपण की शैली सरल होनी चाहिए । संक्षेपण में विशेषण, क्रिया-विशेषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए । भाषा अलंकृत नहीं होनी चाहिए ।

(2) संक्षेपण करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि मूल के वे शब्द लिये जायँ जो अर्थव्यंजना में सहायक हों, लेकिन कोशिश यह करनी चाहिए कि मूल शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द प्रयुक्त हों जो मूल के विचारों में अर्थ का अनर्थ न करें ।

(3) मूल अवतरण के वाक्य खंडों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए जैसे—

वाक्य खंड	एक शब्द
किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला	विशेषज्ञ
जिसका मन अपने काम में नहीं लगता	अन्यमनस्क

(4) मुहावरों एवं कहावतों का यदि प्रयोग हुआ हो तो उनका अर्थ कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए ।

(5) संक्षेपण में अलंकारयुक्त शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए अर्थात् उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों, अन्य अप्रासंगिक उद्धरणों, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । शैली सरल एवं सुगम होनी चाहिए ।

(6) व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखा जाना चाहिए ।

(7) संक्षेपण में परोक्ष कथन (Indirect narration) सर्वत्र अन्य-पुरुष में होना चाहिए।

(8) संक्षेपण करते समय छोटे-छोटे एवं सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए । लम्बे वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

(9) मूल के उन्हीं शब्दों को ग्रहण करना चाहिए जो भावव्यंजना में सहायक हों । बेकार शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

(10) संक्षेपण की भाषाशैली में काव्यात्मक चमत्कार लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए । साथ ही लिखते समय हवाई महल बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

(11) पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए । यदि समानार्थी शब्द बार-बार आ रहे हैं तो उन्हें हटाकर एक सटीक शब्द प्रयुक्त होना चाहिए । इसी तरह भाव और विचार भी यदि दुहराये जा रहे हैं तो उनके स्थान पर भी एक सटीक भाव एवं विचार का प्रयोग करना चाहिए ।

(12) संक्षेपण के अन्त में प्रयुक्त शब्दों को लिख देना चाहिए ।

(13) पत्र व्यवहार के संदर्भ में यदि किसी अधिकारी के नाम और पद दोनों का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ केवल पद का ही उपयोग करना चाहिए ।

(14) सामान्यतः संक्षेपण भूतकाल एवं परोक्ष कथन में लिखना चाहिए ।

संक्षेपण के भेद :—

(1) पत्राचार मूलक संक्षेपण

(2) स्वतंत्र विषय मूलक संक्षेपण

पत्राचार मूलक संक्षेपण दो प्रकार के होते हैं—

(क) प्रवाह संक्षेपण (Running precies)

(ख) तालिका सारांश (Tabular precies)

प्रवाह संक्षेपण में सभी पत्रों का संक्षेप क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है, जबकि तालिका संक्षेपण के अन्तर्गत छह खानों की एक तालिका बनायी जाती है । इस तालिका में क्रमशः क्रमसंख्या, पत्रसंख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती, विषयसंक्षेप होते हैं । जैसे—

1	2	3	4	5	6
क्रम सं०	पत्र संख्या	दिनांक	प्रेषक	प्रेषिती	विषयसंक्षेप

तालिका संक्षेपण (Tabular precis) का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है—

सरस्वती पुस्तक भंडार

5, सरदार पटेल मार्ग,
इलाहाबाद—1
दिनांक—1-1-77

सेवा में,

व्यवस्थापक,
विश्वविद्यालय प्रकाशन,
चौक, वाराणसी-1

प्रिय महोदय,

आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित जो भी पुस्तकें प्रकाशित की हों, उन पर 25 प्रतिशत कमीशन देंगे तो प्रत्येक पुस्तक की सौ-सौ प्रतियाँ अविलम्ब भेज दें।

धन्यवाद।

भवदीय
श्रीराम प्रसाद
व्यवस्थापक

विश्वविद्यालय प्रकाशन

विशालाक्षी भवन, चौक,
वाराणसी—1
दिनांक—7-1-77

सेवा में,

व्यवस्थापक,
सरस्वती पुस्तक भंडार,
सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद—1

प्रिय महोदय,

आपका 1-1-77 का पत्र मिला। हमें यह विदित नहीं है कि मेरे द्वारा प्रकाशित कौन-कौन पुस्तकें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अनुमोदित हुई हैं। यदि आप पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पुस्तकों के नाम भेज दें, तो हम आपको 20 प्रतिशत कमीशन देकर पुस्तकें भेज देंगे।

सधन्यवाद !

भवदीय,
पुरुषोत्तमदास मोदी
व्यवस्थापक

तालिका संक्षेपण

क्रम सं०	पत्र सं०	दिनांक	प्रेषक	प्रेषिती	विषय संक्षेप
1	.....	1-1-77	सरस्वती पुस्तक भंडार, 5 सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद	व्यवस्थापक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी	25% कमीशन दें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित प्रत्येक पुस्तक की सौ-सौ प्रतियाँ भेज दें ।
2	.....	7-1-77	व्यवस्थापक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी	सरस्वती पुस्तक भंडार, 5 सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद- 1	वांछित पुस्तकों की सूची भेज दें । 20% कमीशन पर पुस्तकें भेज दी जायेंगी ।

उपर्युक्त दोनों पत्रों का प्रवाह संक्षेपण

सरस्वती पुस्तक भंडार, इलाहाबाद ने विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी को 25 प्रतिशत कमीशन पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रत्येक पुस्तक की सौ-सौ प्रतियों का आदेश भेजा । प्रकाशक ने उत्तर दिया कि वांछित पुस्तकों की सूची भेजें । 20 प्रतिशत कमीशन मिलेगा ।

स्वतंत्र विषयमूलक संक्षेपण—

इसके अंतर्गत किसी लेख; वक्तव्य, भाषण, पत्र आदि स्वतंत्र विषयों का संक्षेपण किया जाता है। यह पत्र व्यवहार के संक्षेपण से भिन्न होता है । उदाहरण के लिए नीचे एक स्वतंत्र विषयमूलक संक्षेपण प्रस्तुत किया जा रहा है—

मूल अवतरण

"चाहे विद्यार्थियों से किसी अंश का अर्थ करने के लिए कहा जाय, चाहे व्याख्या करने के लिए, चाहे सारांश लिखने के लिए, चाहे स्पष्टीकरण करने के लिए और चाहे इसी प्रकार के कुछ और कामों के लिए; परन्तु उन सबका उत्तर बिल्कुल एक-सा होता है । वे अर्थ, आशय, व्याख्या, सारांश, स्पष्टीकरण सरीखे शब्दों में कोई अन्तर ही नहीं समझते—सबको एक ही लाठी से हाँकते चलते हैं । मैं क्षमायाचनापूर्वक और बहुत ही नम्र भाव से इतना और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि भाषा की इस दुर्दशा के लिए बेचारे विद्यार्थी ही उत्तरदायी नहीं हैं । मैं अच्छे-अच्छे लेखकों और वक्ताओं की भाषा में ही नहीं; हिन्दी की उच्च कक्षाओं के अध्यापकों तथा प्राध्यापकों की भाषा में भी प्रायः नित्य ऐसी त्रुटियाँ और दोष देखता हूँ जो यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी की प्रकृति से परिचित होना तो दूर रहा, वे हिन्दी व्याकरण के साधारण नियमों तक से या तो परिचित ही नहीं होते या अपने अज्ञान, अभ्यास आदि के कारण बहुत बुरी तरह से उनकी उपेक्षा करते हैं । और तो और, अनेक अवसरों पर उच्चारण भी प्रायः बहुत अशुद्ध होते हैं । हमारे विश्वविद्यालयों में 'डॉक्टर' गढ़ने की होड़-सी लगी

है; और हिन्दी की ऐसी शिक्षा से पारंगत होने वाले 'डॉक्टरों' में से ही विश्वविद्यालयों के लिए अध्यापक तथा प्राध्यापक चुने जाते हैं।

शीर्षक—'भाषा के शुद्ध प्रयोग की आवश्यकता' संक्षेपण—

हिन्दी के अधिकाधिक छात्र 'अर्थ', 'व्याख्या', 'सारांश', 'स्पष्टीकरण' जैसे परस्पर भिन्नार्थक शब्दों में कोई भेद नहीं करते। प्रतिष्ठित लेखक, वक्ता और उच्च कक्षाओं के अध्यापक भी हिन्दी की वर्तनी एवं उच्चारण की अशुद्धियाँ करते हैं। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त अध्यापक स्वयं भी भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं जानते। अतः हिन्दी की दुर्दशा के लिए अकेले छात्र ही नहीं, अपितु अयोग्य शिक्षक भी उत्तरदायी हैं।

संक्षेपण के अभ्यास के लिए कुछ अवतरण—

(1) अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े-लिखे सज्जन अपने देश की प्रत्येक चीज को असम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मानहानि समझते हैं। पर्व को ही लीजिए। पढ़े-लिखे लोग कहते हैं यह स्त्रियों का ढोंग है, यह पंडितों की पोंगापंथी है। वे कहते हैं, ये फिजूलखर्ची के साधन हैं।

(2) कवि का काम है कि वह प्रकृति-विकास को खूब ध्यान से देखे। प्रकृति की लीला का कोई ओर-छोर नहीं, वह अनन्त है। प्रकृति अद्‌भुत खेल खेला करती है। एक छोटे-से फूल में वह अजीब कौशल दिखलाती है। वे साधारण आदमियों के ध्यान में नहीं आते। ये उनको समझ नहीं सकते, पर कवि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति के कौशल अच्छी तरह देख लेता है, उनका वर्णन भी वह करता है। उनसे नाना प्रकार की शिक्षाएँ भी वह ग्रहण करता और संसार को लाभ भी पहुँचाता है। जिस कवि में प्राकृतिक दृष्टि और प्रकृति के कौशल देखने और समझने की जितनी ही अधिक शक्ति होती है, वह उतना ही महान् कवि होता है।

अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर (Comprehension)

ऐसे गद्यांश जो पाठ्यग्रंथों से सम्बद्ध नहीं होते हैं, उन्हें अपठित गद्यांश माना जाता है। इससे छात्र की बौद्धिक पकड़ का पता चलता है। अपठित गद्यांश प्रायः छात्रों की आँखों के सामने से गुजरे नहीं होते हैं, इसीलिए इससे छात्रों के सामान्य ज्ञान एवं स्वतंत्र अध्ययन की परीक्षा हो जाती है। अपठित गद्यांश से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए—

(1) मूल अवतरण को अनेक बार अर्थात् तीन-चार बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए जिससे मूल भाव समझ में आ जाय।

(2) मूल विचारों, भावों एवं शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए।

(3) प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मूल अवतरण में ही ढूँढ़ना चाहिए। बाहर से अथवा अपने मन से उसका उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

(4) जहाँ तक हो सके, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय मूल अवतरण में दिये गये शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए ।

(5) सभी प्रश्नों के उत्तर सरल एवं संक्षिप्त होने चाहिए ।

(6) उत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा-चढ़ाकर या उदाहरण देकर नहीं लिखना चाहिए।

(7) प्रश्न में जितना पूछा जाय, उतना ही उत्तर देना चाहिए । उत्तर प्रसंग के अनुरूप हो ।

(8) यदि अपठित गद्यांश का भावार्थ या सारांश पूछा गया है तो उसे अपनी सरल भाषा में लिखना चाहिए जो मूल का तिहाई या आधा हो ।

(9) रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखने के लिए पूछा गया है तो उसका अर्थ लिखते समय प्रसंग का ख्याल करना चाहिए ।

(10) कभी-कभी गद्यांश का शीर्षक देने के लिए कहा जाता है । इसके लिए मूल गद्यांश के मूल भाव को ढूँढ़ना चाहिए । प्रायः गद्यांश के शुरू या अंत में शीर्षक छिपा रहता है । यह शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए । इसके लिए गद्यांश के मूल शब्दों को ज्यों का ज्यों लेना चाहिए ।

(11) प्रश्नकर्त्ता के निर्देश के अनुसार ही अपने उत्तर देने चाहिए ।

उदाहरण—

अपठित गद्यांश—वसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही । पश्चिम के पवन ने वृक्षों के जीर्ण-शीर्ण पत्ते गिरा दिये । वृक्षों और लताओं में नये पत्ते और रंग-बिरंगे फूल निकल आये। उनकी सुगन्धि से दिशाएँ गमक उठीं । सुनहले बालों से युक्त गेहूँ के पौधे खेतों में हवा से झूमने लगे। प्राणियों की नस-नस में उमंग की नयी चेतना छा गयी । आम की मंजरियों से मीठी सुगन्ध आने लगी, कोयल कूकने लगी, फूलों पर भौंरे मँडराने लगे और कलियाँ खिलने लगीं । प्रकृति में सर्वत्र नवजीवन का संचार हो उठा ।

ऊपर लिखे गद्यांश के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

(1) रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखिए ।

(2) वसंत ऋतु के आते ही क्या हो जाता है ?

(3) वसंत ऋतु के आगमन से प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

(4) दिशाएँ क्यों सुगन्धित हो उठीं ?

उत्तर—

(1) कठोरता=उग्रता, जीर्ण-शीर्ण=सूखे और मुरझाये हुए ।

(2) वसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता समाप्त हो जाती है और प्रकृति में सर्वत्र नवजीवन का संचार होने लगता है ।

(3) वसन्त ऋतु के आगमन से प्राणियों की नस-नस में उमंग की नयी चेतना छा गयी जिसके फलस्वरूप कोयल कूकने लगी और भौंरे फूलों पर मँडराने लगे ।

(4) वसन्त ऋतु के आने के साथ ही वृक्षों एवं लताओं में नये-नये पत्ते निकल आये और रंग-बिरंगे फूल खिल उठे । इन फूलों की सुगन्धि से दिशाएँ सुगन्धित हो उठीं ।

पत्र - लेखन

दूर स्थित अपने परिचित लोगों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अथवा विचार-विमर्श करने के लिए पत्राचार एक महत्वपूर्ण साधन है। दूर रहने वाले अपने परिचितों, सगे-सम्बन्धियों, व्यापारियों, समाचार-पत्र के सम्पादकों, सरकारी-गैरसरकारी कार्यालयों के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने अथवा सूचना प्राप्त करने के लिए पत्राचार का विशेष महत्व है। पत्र विविध प्रकार के होते हैं और उनके लिखने का स्वरूप भी अनेक प्रकार का होता है। अतः सभी प्रकार के पत्रों को लिखने का सम्यक् तरीका जानना आवश्यक होता है। इन सबका परिचय और नमूना नीचे दिया जायगा।

मोटे रूप में पत्रों के दो भेद होते हैं—

(क) सामान्य पत्र

(ख) कार्यालयीय पत्र

(क) सामान्य पत्र

इस प्रकार के पत्रों के अन्तर्गत अपने सगे-सम्बन्धियों को लिखे गये पत्र, विवाह में उपस्थित होने के लिए आमंत्रण, किसी शुभ कार्य में उपस्थित होने के लिए पत्र, बधाई संदेश आदि आते हैं।

(1) पारिवारिक या घरेलू पत्र, (2) सामाजिक पत्र।

(1) पारिवारिक या घरेलू पत्र—

ऐसे पत्रों के माध्यम से हम दूर स्थित अपने सगे-सम्बन्धियों, परिवार के सदस्यों से निकट का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। पारिवारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए :—

(1) पत्र लिखते समय शुरू में कागज के ऊपरी सिरे के दाहिनी ओर प्रेषक पूरा पता और पत्र भेजने का दिनांक लिखना चाहिए।

(2) जहाँ पर दिनांक दिया गया है उसकी सीध में बाएँ हाथ की ओर हाशिया (कागज का चौथाई भाग) छोड़ने के बाद सम्बोधन शब्द लिखना चाहिए और उसके बाद अल्पविराम का चिह्न लगाना चाहिए।

(3) अल्पविराम (कॉमा) के ठीक नीचे अभिवादन शब्द (नमस्कार, प्रणाम आदि) लिखकर पूर्ण विराम लगाना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे से पत्र का वर्ण्य-विषय लिखना शुरू करना चाहिए।

विविध सम्बन्धों के अनुसार यथायोग्य सम्बोधन-शब्द, अभिवादन-शब्द एवं समापन शब्द लिखना चाहिए। इससे सम्बन्धित एक तालिका नीचे दी जा रही है—

सम्बन्ध	सम्बोधन-शब्द	अभिवादन-शब्द	समापन-शब्द
(1) माता-पुत्र	प्रिय राजेन्द्र,	सुखी रहो, प्रसन्न रहो	तुम्हारी शुभाकांक्षिणी
(2) पिता-पुत्र	प्रिय मोहन,	स्नेहाशीष या प्रसन्न रहो या शुभाशीष	तुम्हारा शुभाकांक्षी या तुम्हारी
(3) माँ-पुत्री	प्रिय प्रभा,	सुखी रहो या प्रसन्न रहो	शुभाकांक्षिणी
(4) पिता-पुत्री	प्रिय विभा,	सुखी रहो	शुभाकांक्षी
(5) पुत्र-पिता	पूज्य पिता जी,	सादर प्रणाम	आपका स्नेहाकांक्षी
(6) पुत्री-पिता	पूज्य पिता जी,	सादर प्रणाम	आपकी स्नेहाकांक्षिणी
(7) पुत्र-माता	पूज्यनीय माता जी	सादर प्रणाम	आपका स्नेहाकांक्षी
(8) पुत्री-माता	पूज्यनीय माता जी,	सादर प्रणाम	आपकी स्नेहाकांक्षिणी
(9) बड़ा-भाई	प्रिय प्रदीप,	स्नेहाशीष	तुम्हारा शुभाकांक्षी
(10) छोटा भाई—बड़ा भाई	पूज्य भाई साहब,	सादर प्रणाम	आपका स्नेहाकांक्षी
(11) छोटी बहन—बड़ी बहन	पूजनीय दीदी,	सादर प्रणाम	आपकी स्नेहाकांक्षिणी
(12) पति-पत्नी	प्रिय, प्रिये	शुभ आशीष या मधुर प्यार	तुम्हारा सत्यैषी
(13) पत्नी-पति	मेरे प्राणधन या प्रियतम,	सादर प्रणाम या मधुर स्मृति	तुम्हारी स्नेहाकांक्षिणी
(14) गुरु-शिष्य	प्रिय रामनाथ,	शुभाशीष	तुम्हारा शुभेच्छु
(15) शिष्य-गुरु	श्रद्धेव गुरुदेव,	सादर प्रणाम	आपका स्नेहाकांक्षी
(16) मित्र-मित्र	बन्धुवर वीरेन्द्र, प्रिय भाई	नमस्कार	तुम्हारा, आपका
(17) अपरिचित—अपरचित	प्रिय महोदय,	नमस्कार	भवदीय

(4) अभिवादन शब्द के पश्चात् पत्र लिखना शुरू किया जाता है। पत्र कई प्रकार से शुरू किये जाते हैं; जैसे—'आपने लिखा है कि . . . . ', 'आज ही आपका पत्र मिला है . . . . ', 'आपका पत्र मिला', 'कई महीनों से तुम्हारे समाचार नहीं मिले आदि। ऐसे वाक्यों के बिना भी पत्र लिखना शुरू किया जा सकता है। अलग-अलग बातों को सुविधानुसार अलग-अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए।

(5) अंतिम अनुच्छेद में प्रेषिती के साथ रहने वाले अन्य खास लोगों के नाम का उल्लेख किया

जा सकता है, तथा साथ ही उनके प्रति अभिवादन-शब्द भी लिखना चाहिए। अंत में समापनपरक वाक्य लिखने की भी प्रथा है—जैसे—'आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द होंगे', 'आशा है तुम अच्छी तरह से हो' आदि।

(6) अंत में समापन-शब्द लिखना चाहिए और उसके नीचे हस्ताक्षर करना चाहिए।

(7) प्रेषिती का पता कार्ड अथवा लिफाफे पर इस प्रकार लिखना चाहिए—

प्रति;

श्री अलख निरंजन त्रिपाठी
बी० 21/109 ए, मातृ-मन्दिर,
कमच्छा,
वाराणसी- 1
(उ० प्र०)

पारिवारिक पत्रों के नमूने

(1) पिता का पत्र पुत्र को—

54, गुरुधाम कॉलोनी
वाराणसी
दिनांक 5-5-77

प्रिय राजू,

स्नेहाशीष !

तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी वार्षिक लिखित परीक्षा समाप्त हो गयी और तुमने परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह लिखा है। शीघ्र ही तुम्हारी प्रयोगात्मक परीक्षा भी हो जायगी। इसके बाद तुम लखनऊ होते हुए घर चले आओ।

यहाँ इस समय गर्मी अधिक पड़ रही है। तुम्हारी माँ की ओर से शुभाशीर्वाद एवं अर्चना का सादर प्रणाम।

आशा है तुम प्रसन्न और स्वस्थ हो।

तुम्हारा
परमेश्वर दयाल

(2) छोटे भाई का पत्र बड़े भाई को—

25, विजयग्राम कालनी,
नयी बस्ती, वाराणसी
दिनांक 15-5-77

पूज्य भाई साहब,

सादर प्रणाम !

आपका पत्र मिला। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। यदि आप किसी पर्वतीय स्थान पर

चलने का कार्यक्रम बनाएँ तो बड़ा ही सुन्दर होगा। मेरी वार्षिक परीक्षा भी समाप्त हो गयी है। गर्मी से मन ऊब गया है। आशा है, आप शीघ्र ही उत्तर देंगे।

भाभी जी को सादर प्रणाम एवं बबलू को स्नेहाशीष।

आशा है आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं।

आपका स्नेहाकांक्षी,
प्रदीप

(3) मित्र का पत्र मित्र को—

उप-जिलाधिकारी,
न्यायालय, पटना
दिनांक 2-12-77

बन्धुवर सुरेश,

नमस्कार !

आपका पत्र विलम्ब से मिला, क्योंकि विगत सप्ताह मैं बाहर चला गया था। आपने मेरा वह काम नहीं किया; कोई बात नहीं। आपका काम तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था, जिसकी सूचना शीघ्र ही आपके पास आती होगी।

मेरे पास अर्थशास्त्र की कुछ अच्छी पुस्तकें पड़ी हैं। यदि राममोहन चाहे तो उन्हें मुझसे ले सकता है।

आशा है आप प्रसन्न हैं ।

आपका,
त्रिभुवन त्रिवेदी

(4) अपरिचित का पत्र अपरिचित को—

हिन्दी-विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी-5
दिनांक 7-7-77

प्रिय महोदय,

नमस्कार !

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हमारे विश्वविद्यालय के 'हिन्दी-विभाग ने हिन्दी भाषा की समस्याएँ एवं समाधान' पर विद्वानों के लेख आमंत्रित कर प्रकाशित करने का निश्चय किया है। आशा है, आप भी अपना विद्वत्तापूर्ण निबन्ध भेजकर हमें अनुगृहीत करेंगे। आपका लेख यदि 30 अगस्त 1977 ई० तक सुलभ हो सकेगा तो हमें सुविधा रहेगी।

आशा है आप सानन्द होंगे।

भवदीय
विजयपाल सिंह

सामाजिक पत्र

सामाजिक पत्राचार के अन्तर्गत निमंत्रण पत्र; बधाई पत्र, शोक-पत्र आदि की गणना होती है। विवाह के अवसर पर निमंत्रण, किसी सफलता की प्राप्ति पर बधाई और किसी अनिष्ट पर शोक-संवेदना व्यक्त की जाती है। सामाजिक पत्राचार में प्रेषक का नाम पत्र में या तो सबसे ऊपर रहता है या अंत में सामाजिक पत्राचार की अनेक विधियाँ हैं जिनके नमूने नीचे दिए जा रहे हैं—

नमूना 1

मान्यवर,

परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से मेरे कनिष्ठ चि० रामचन्द्र का शुभ विवाह पटना निवासी श्री बालानन्द शर्मा की कनिष्ठ पुत्री सौभाग्यकांक्षिणी सुनीता के साथ सम्पन्न होना निश्चित हुआ है।

आपसे साग्रह अनुरोध है कि शनिवार 17 दिसम्बर, 1977 ई० को सायं 5 बजे मेरे निवास स्थान (15, गुरुधाम कालोनी, वाराणसी) पर पधारें एवं वर-वधू को आशीर्वाद देकर हमें अनुगृहीत करें।

विनीत,

शिवप्रसाद

नमूना 2

श्री /श्रीमती . . . . . .

परमपिता परमात्मा की महती कृपा से मेरी पुत्री स्वस्तिमती अर्चना का शुभ पाणिग्रहण संस्कार शुभ मिति माघ शुक्ल पंचमी, रविवार, सं० 2034 तदनुसार 12 फरवरी, 1978 ई० को पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय डॉ० मनोरंजन झा के ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीवी श्री रजनी रंजन झा, लैक्चरर, मनोविज्ञान विभाग, राजेन्द्र कालेज, छपरा (बिहार) के साथ सम्पन्न होना निश्चित हुआ। सभी मांगलिक कृत्य मेरे निवास-स्थान (आचार्य पुरी, लालकोठी, गया, बिहार) पर सम्पन्न होंगे। आपसे नम्र निवेदन है कि उक्त शुभ अवसर पर उपस्थित होकर हमें गौरव प्रदान करें।

विनीत,

जयशंकर झा

कार्ड का नमूना—3

श्री एवं श्रीमती राजपति सहाय

अपने पुत्र

के

जन्म-दिन

के शुभ अवसर पर 5 नवम्बर, 1977 ई० को अपराह्न 5 बजे अपने निवास-स्थान : सहाय भवन, कमच्छा, वाराणसी पर आपको सादर आमंत्रित करते हैं।

विनीत,

राजपति सहाय

किसी संस्था के समारोह में संभ्रान्त जनों को निम्नांकित ढंग से आमंत्रण-पत्र प्रेषित किया जाता है :—

नमूना—1

उदर प्रताप महाविद्यालय, वाराणसी
दीक्षांत-समारोह
प्रो० डॉ० रामलोचन सिंह
द्वारा
दीक्षांत-भाषण
रविवार, दिनांक 10 अप्रैल, 1977 ई०, 4 बजे
अपराह्न, महाविद्यालय-प्रांगण ।
दीक्षांत-समारोह का सभापतित्व
डॉ० डी० शर्मा

कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय, करेंगे । कृपया इस समारोह में सम्मिलित होकर हमें अनुगृहीत करें ।

राजनाथ सिंह

टिप्पणी—कृपया यह पत्र अपने साथ लाएँ तथा 3-45 अपराह्न तक स्थान ग्रहण कर लें । बच्चों को साथ न लाएँ ।

नमूना—2

साहित्य परिषद्
हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी—5
तुलसी-जयन्ती समारोह

महोदय,

प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी साहित्य-परिषद् के तत्वावधान में दिनांक 23-7-77 को हिन्दी-भवन में 1 बजे अपराह्न 'तुलसी-जयन्ती समारोह का आयोजन सुसम्पन्न होगा । हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

उक्त समारोह में आपकी उपस्थिति साग्रह प्रार्थित है ।

विनीत,
विजयपाल सिंह
हिन्दी विभागाध्यक्ष,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

बधाई पत्र

25, रवीन्द्रपुरी,
वाराणसी
दिनांक 7-10-1977 ई०

प्रिय बन्धु शर्मा जी,

नमस्कार !

मुझे यह जानकर हार्दिक हर्ष हुआ कि तुमने भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) की 1976 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। इस सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई। आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि आगे भी तुम अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं कर्त्तव्यनिष्ठा से जीवन में निरन्तर उन्नति करोगे।

आशा है स्वस्थ एवं सानन्द हो !

तुम्हारा अभिन्न,
अनुराग द्विवेदी

शोक-पत्र

42, अशोक रोड,
नयी दिल्ली,
दिनांक 15-3-77

प्रिय गोविन्दजी,

आपकी ज्येष्ठ पुत्रबधू के असामयिक निधन की सूचना पाकर मुझे हार्दिक शोक हुआ। इसे तो वज्रपात होना ही कहेंगे। मृत्यु अपने वश की नहीं है। अतः ऐसे दुःखद समय में धैर्य धारण करना चाहिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को शोक सहन करने की अपूर्व शक्ति दे।

भवदीय
सुधा पाण्डेय

शोक समाचार की सूचना

ओऽम् हरिस्मरणम्

554, ममफोर्ड गंज,
इलाहाबाद,
7-1-77

श्री द्विवेदी जी,

दुख के साथ लिख रहा हूँ कि दिनांक 3-1-77 को 3 बजे रात हृदय-गति रुक जाने के कारण मेरी श्रीमती जी का निधन हो गया।

—रामचन्द्र शर्मा

कार्यालयीय पत्र

प्रत्येक संस्था का अपना एक कार्यालय होता है, जिसे उक्त संस्था का प्रशासन-केन्द्र कहा जा सकता है। जो पत्र कार्यालयों को अथवा कार्यालयों से भेजे जाते हैं उन्हें कार्यालयीय पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों का प्रयोग दो सरकारों के बीच, सचिवालय के अन्तर्गत दो कार्यालयों के बीच, दो संस्थाओं के बीच अथवा एक संस्था और उसके कर्मचारियों के बीच होता है। नौकरी के लिए आवेदन-पत्र, अन्याय के प्रति प्रतिवेदन, किसी विषय से सम्बन्धित प्रतिवेदन, किसी समस्या के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया जन-जन तक पहुँचाने के लिए सम्पादक के नाम पत्र आदि-आदि भी कार्यालयी पत्रों के ही रूप हैं, क्योंकि ये किसी न किसी कार्यालय से सम्बन्धित होते हैं। पत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय प्रायः ही काल्पनिक नाम, पते प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार कार्यालयीय पत्र अनेक प्रकार के होते हैं—

(1) आवेदन पत्र (प्रार्थना-पत्र)

(2) प्रतिवेदन (रिपोर्ट)।

(3) प्रत्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन),

(4) संपादक के नाम पत्र,

(5) व्यावसायिक पत्र,

(6) शासकीय पत्र (सरकारी पत्र),

(7) टिप्पणी लेखन।

(1) आवेदन पत्र

नौकरी के सम्बन्ध में अथवा किसी संस्था के प्रधान को अवकाश आदि के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र या प्रार्थना-पत्र लिखे जाते हैं। आवेदन-पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

(1) कागज के बायीं ओर 'सेवा में' लिखने के बाद उसके ठीक नीचे प्रेषिती का पद और सम्बद्ध विभागीय पता लिखना चाहिए।

(2) उपर्युक्त बात लिखने के बाद बायीं ओर ही सम्बोधन-शब्द 'महोदय' (स्त्री० के लिए 'महोदया') लिखना चाहिए तथा उसके उपरान्त उसके नीचे नयी पंक्ति से अपनी बात लिखना प्रारम्भ करना चाहिए।

(3) अन्त में वर्ण्य विषय (अपनी बात) लिख लेने के बाद कागज के दाहिनी ओर समापन-शब्द 'भवदीय' (यदि अभ्यर्थी स्त्री० हो तो 'भवदीया') लिखना चाहिए। इसके नीचे अपना स्पष्ट हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे स्थायी पता देना चाहिए।

(4) समापन-शब्द और स्थायी पता के बायीं ओर आवेदन-पत्र का दिनांक अंकित करना चाहिए।

(5) यह ध्यान देने की बात है कि वर्ण्य-विषय में अनावश्यक बातें न लिखी जायँ। भाषा सरल, स्पष्ट हो तथा जो भी लिखना हो उसे संक्षेप में लिखना चाहिए।

अवकाश के लिए आवेदन-पत्र का नमूना

सेवा में,

श्रीमान् प्रधानाचार्य,

डी० ए० वी० डिग्री कालेज, वाराणसी ।

महोदय,

निवेदन है कि एक आवश्यक कार्यवश मैं पटना जा रहा हूँ । फलतः 5-1-77 से 9-1-77 तक महाविद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा । अतः मुझे पाँच दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें ।

भवदीय

दिनांक 5-1-77 **राजेन्द्र सिंह**

लेक्चरर, हिन्दी विभाग

डी० ए० वी० डिग्री कालेज, वाराणसी ।

नौकरी के लिए आवेदन-पत्र

नमूना—1

सेवा में,

शिक्षा—निदेशक (उच्च)

शिक्षा—निदेशालय, उ० प्र०

इलाहाबाद

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल के हिन्दी-विभाग में लेक्चरर का एक स्थान रिक्त है । उक्त पद पर नियुक्ति के लिए मैं अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ । मेरी योग्यता का विवरण निम्नांकित है—

(1) हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, बी० ए० की परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण ।

(2) एम० ए० (हिन्दी)—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त ।

(3) पाठ्येतर कार्यक्रमों में मैं भाग लेता रहा हूँ, जैसे हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिन्दी की परिचर्चा गोष्ठियों में बोलना, एन० सी० सी० की ट्रेनिंग-'बी' सर्ट पास ।

(4) रचनात्मक क्षेत्र में भी अभिरुचि—मेरे निबन्ध विश्वविद्यालय की शोध-पत्रिका 'प्रज्ञा' एवं 'निकाय' पत्रिका में निकलते रहे हैं । 'धर्मयुग' में भी मेरे लेख प्रकाशित हुए हैं ।

(5) हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन में मेरी विशेष अभिरुचि है ।

महोदय; यदि मुझे उक्त पद पर सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया तो मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कर्त्तव्यपालन करूँगा ।

भवदीय,

कन्हैया लाल शर्मा

दिनांक 6-9-77 21, गुरुधाम कालोनी

वाराणसी ।

संलग्न पत्र :

(1) चरित्र प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति;

(2) हाईस्कूल ,, ,, ,, ,, ,, ;

(3) इण्टर ,, ,, ,, ,, ,, ;

(4) बी० ए० उपाधि पत्र की सत्यापित प्रति;

(5) एम० ए० के अंकपत्र की सत्यापित प्रति;

(6) पाठ्येतर क्रियाकलापों के प्रमाणपत्र ।

नमूना—2

नोट—प्रायः आवेदन-पत्र के अंत में अभ्यर्थी का पता दायीं ओर लिखा जाता है, लेकिन कागज के सबसे ऊपर बायीं ओर भी अभ्यर्थी अपना पता लिख सकता है, जैसे—

प्रेषक,

जीवन उपाध्याय

455, ममफोर्डगंज

इलाहाबाद, उ० प्र०

दिनांक 7-1-77

सेवा में,

व्यवस्थापक;

जुनेज़ा कृषि फार्म

किच्छा, (नैनीताल)

महोदय,

मैंने आज के 'नार्दर्न इण्डिया पत्रिका' में आपका विज्ञापन पढ़ा कि आपको एक एकाउण्टेण्ट (लेखाकार) की जरूरत है । उक्त पद के लिए मैं अपनी सेवाएँ अर्पित करना चाहता हूँ । मेरी योग्यता का विवरण निम्नांकित है—

मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एम० काम० हूँ । सन् 1976 ई० से मैं लोक भारती प्रकाशन के कार्यालय में लेखा-सम्बन्धी कार्य कर रहा हूँ । इस समय मुझे 325/- प्रतिमास मिलता है । शुरू में आप इतना वेतन दे सकते हैं, लेकिन बाद में मेरी कार्यक्षमता देखकर 400/- प्रतिमाह दें, तो बहुत ही अच्छा होगा । यदि निवास की व्यवस्था आपकी ओर से हो सकेगी तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा ।

विनम्र निवेदन है कि उक्त पद पर नियुक्ति की सूचना यथाशीघ्र देने की कृपा करें, जिससे अपने वर्तमान पद से मुक्ति के लिए आवेदन कर सकूँ ।

भवदीय,

जीवन उपाध्याय

अनुलग्नक :

प्रमाण-पत्र—5

(2) प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट (Report) शब्द का हिन्दी रूपान्तर हैं। शिकायत के अर्थ में 'रिपोर्ट' का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति के नियम-विरुद्ध कार्य की शिकायत जब सम्बन्धित अधिकारी से की जाती हैं, तो उसे रिपोर्ट की संज्ञा दी जाती है। इधर रिपोर्ट (प्रतिवेदन) शब्द का विस्तार हो गया है। अतः प्रतिवेदन दो प्रकार के हो सकते हैं—

(1) शिकायती प्रतिवेदन—इसके अन्तर्गत किसी नियम-विरुद्ध कार्य के करने वाले व्यक्ति की शिकायत संबद्ध विभाग के अधिकारी से की जाती है। जैसे—नियमित समय पर डाक सेवा उपलब्ध न होने की शिकायत स्टेशन-प्रभारी के पास, डाक-वितरण में असावधानी बरतने वाले डाकिए के विरुद्ध डाकपाल के पास शिकायत, निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे लेने वाले दुकानदार के खिलाफ जिलाधिकारी के पास शिकायत, शरारती छात्र की शिकायत प्रिंसिपल के पास आदि।

(2) विवरणात्मक प्रतिवेदन—वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत सरकारी कर्मचारियों की वेतन-सम्बन्धी सिफारिशों का विवरण, किसी परिषद् के क्रियाकलापों का विवरण, किसी संस्था की वार्षिक उपलब्धियों का विवरण, किसी शिविर की विस्तृत रिपोर्ट आदि को भी प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं।

शिकायती प्रतिवेदन

नमूना—1

प्रेषक,

रामसुरेश प्रसाद,
आचार्यपुरी,
लालकोठी, गया।

दिनांक 5-1-77

सेवा में,

मुख्य डाकपाल,
प्रधान पोस्ट ऑफिस,
गया (बिहार)

विषय—डाक-वितरण में विलम्ब

महोदय,

हमारा निवासस्थान लालकोठी मुहल्ला है जो गया शहर के मध्य में स्थित है। यहाँ नित्य ह डाक बँटती है। दुख की बात है कि डाकिया नित्य दिखायी नहीं देता। आज मुझे एक रजिस्टर्ड प मिला जिस पर 3-1-77 की मोहर अंकित है। वितरण प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया होता त यह पत्र मुझे निश्चित 4-1-77 तक मिल गया होता। इस पत्र के अनुसार आज ही 5-1-77 व वाराणसी में मेरा एक साक्षात्कार था, जिसका समय दिन में दस बजे था। विलम्ब से पत्र मिलने

कारण मैं साक्षात्कार में उपस्थित न हो सका । इसी प्रकार न जाने कितने लोग साक्षात्कार से वंचित हो जाते होंगे ।

आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त अवधि में जिस डाकिये पर पत्र-वितरण का कर्त्तव्यभार था, उसके विरुद्ध अविलम्ब कार्रवाई की जाय, अन्यथा मैं उच्चतर अधिकारियों के पास अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो जाऊँगा । कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें तथा कृत कार्रवाई से भी अवगत करायें ।

भवदीय,
रामसुरेश प्रसाद

नमूना—2

प्रेषक,

अविनाश द्विवेदी

21/109, कमच्छा, वाराणसी ।

सेवा में,

नगर प्रशासक,
नगर महापालिका, वाराणसी

विषय—जल-पूर्ति करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विगत दो दिनों से कमच्छा क्षेत्र में जल की एक बूँद भी नहीं मिली । ऐसा ज्ञात हुआ था कि सम्बन्धित नल में खराबी के कारण पानी सुलभ नहीं हो रहा है, परन्तु ऐसी बात है नहीं । यह तो एक बहाना प्रतीत होता है । यहाँ की समस्त जनता की ओर से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वस्तुस्थिति का अच्छी तरह पता लगाकर इस क्षेत्र में जल-पूर्ति की समस्या का समाधान करने की कृपा करें ।

भवदीय,
अविनाश द्विवेदी

विवरणात्मक प्रतिवेदन

नीचे विवरणात्मक प्रतिवेदन की रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें बहुत सारे तथ्य, नाम आदि काल्पनिक हैं । परीक्षार्थी इसके आधार पर सही रूपरेखा तैयार कर सकते हैं ।

नमूना—1

वार्षिक विवरण, 1974-75

साहित्य-परिषद्, डी० ए० वी० कालेज, वाराणसी

यह कालेज नगर की प्रतिष्ठित शिक्षा-संस्थाओं में से एक है । अगस्त 1974 को साहित्य-परिषद् की स्थापना हुई । कालेज की अन्य विभागीय परिषदों की तुलना में यह साहित्य-परिषद् अत्यन्त महत्वपूर्ण है । प्रधानाचार्य जी ने इस वर्ष कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए स्वस्थ पद्धति अपनाने का आदेश दिया, जिसमें 5 पदाधिकारी होंगे—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष ।

बी० ए० तृतीय खण्ड से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव, बी० ए० द्वितीय खण्ड से उपाध्यक्ष एवं उप सचिव का निर्वाचन किया जायगा। इन पदों के प्रत्याशियों को बताया गया कि 1974 की परीक्षा में जिन प्रत्याशियों को हिन्दी में सर्वाधिक अंक मिले हों, उन्हें ही क्रमशः इन पदों के लिए निर्वाचित किया जायगा। इस पद्धति के अनुसार निम्नलिखित छात्र पदाधिकारी (1974-75 के लिए) चुने गये—

अध्यक्ष—श्रीकृष्ण तिवारी, बी० ए० भाग 3

उपाध्यक्ष—श्री खेमराज सिंह, बी० ए० भाग 2

कोषाध्यक्ष—श्री अनुराग मेहरा, बी० ए० भाग 3

सचिव—श्री अविनाश द्विवेदी, बी० ए० भाग 3

उपसचिव—श्री दीपक मलिक, बी० ए० भाग 2.

14 सितम्बर 1974 को हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० शितिकण्ठ मिश्र के सभापतित्व में कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में पूरे सत्र के लिए परिषद् की गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गयी। बैठक में कई निर्णय लिये गये; जैसे—परिषद् का उद्घाटन समारोह मनाया जाय, प्रति सप्ताह सामान्य ज्ञान की एक प्रतियोगिता की जाय एवं सर्वाधिक अंक पानेवाले प्रतियोगी को पुरस्कार दिया जाय, साथ ही कहानी प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय तथा अन्य परिषदों के साथ नाटक भी खेले जायँ।

उद्घाटन समारोह—साहित्य परिषद् का उद्घाटन 25 सितम्बर 1974 को 2 बजे कालेज के भव्य हॉल में सम्पन्न हुआ। परिषद् का उद्घाटन करते हुए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० कालूलाल श्रीमाली ने कहा कि परिषद् के गठन से छात्रों का विविध दिशाओं में विकास होगा। उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुअवसर मिलेगा। माननीय मुख्य अतिथि के अतिरिक्त समारोह में नगर के प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं विद्वान् उपस्थित थे। माननीय मुख्य अतिथि के अभिभाषण के पूर्व कालेज के प्राचार्य ने सभी अन्यान्यागतजनों का स्वागत किया। समारोह में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। समारोहक के धन्यवाद ज्ञापन द्वारा कार्यक्रम का समापन हुआ।

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता—पूरे सत्रभर में पाँच बार सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रति बार सौ से भी ऊपर छात्रों ने भाग लिया जिनमें चार बार अनुराग द्विवेदी, बी० ए० तृतीय खण्ड तथा एक बार अविनाश पाठक, बी० ए० द्वितीय खण्ड को सर्वप्रथम स्थान मिले।

निबन्ध प्रतियोगिता—सत्रभर में पाँच बार 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई' विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पैंतीस छात्रों ने भाग लिया। अविनाश द्विवेदी, बी० ए० भाग 2 को प्रथम पुरस्कार मिला।

वाद-विवाद प्रतियोगिता—26 जनवरी 1975 को वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई जिसमें विषय था—'प्रजातंत्र में जनता सुखी रहती है!' 11 छात्रों ने पक्ष में तथा सात छात्रों ने विपक्ष में भाषण दिया। पवन दीवान बी० ए० अन्तिम वर्ष को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

नाटक प्रदर्शन—बसन्तपंचमी के दिन छात्रों ने साहित्य परिषद् के तत्वावधान में 'पर्दे के पीछे' शीर्षक एकांकी का सफल मंचन किया। प्रमुख कलाकार थे बी० ए० भाग 3 के केशवमणि, पवन

दीवान, अरुण चटर्जी, श्रीकृष्ण लाल तथा बी० ए० भाग 2 के रामप्रसाद, राधेश्याम तिवारी, चतुर्भुज लाल आदि। अन्त में प्रधानाचार्य जी ने कलाकारों को बधाई दी।

पिकनिक—इस सत्र में एक पिकनिक का भी आयोजन किया गया था। 13 फरवरी 1975 को साहित्य परिषद के सभी सदस्य और विभागीय अध्यापक वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गये। सभी छात्रों ने मिलकर भोजन बनाया। सबने सामूहिक रूप से भोजन किया। तदुपरान्त एक काव्यगोष्ठी हुई जिसमें छात्रों ने स्वरचित कविताएँ सुनायीं।

30 अप्रैल 1975 को साहित्य परिषद् का 1974-75 का समापन समारोह मनावा गया। उक्त अवसर पर प्राचार्य जी ने सभी छात्रों को अनुशासनबद्ध होकर कार्य करने के उपलक्ष्य में बधाई दी। अन्त में हिन्दी-विभागाध्यक्ष ने परिषद् के पदाधिकारियों तथा छात्रों को धन्यवाद दिया।

अविनाश द्विवेदी
सचिव

(3) प्रत्यावेदन (Representation)

जब किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी का प्राप्य किसी दूसरे कर्मचारी अथवा अधिकारी को मिल जाता है, तब न्यायोचित माँग के लिए सम्बन्धित अधिकारी के पास वस्तुस्थिति का पूर्ण विवरण देने वाला आवेदन-पत्र दिया जाता है। ऐसा आवेदन पत्र 'प्रत्यावेदन' (Representation) कहलाता है। नौकरी करते समय जीवन में प्रायः ऐसी स्थिति आती है जब किसी कर्माचारी पर निराधार दोषारोपण किया जाता है अथवा किसी वरिष्ठ कर्मचारी या अधिकारी की उपेक्षा कर कनिष्ठ कर्मचारी या अधिकारी की प्रोन्नति कर दी जाती है। कभी-कभी निर्दोष होने पर भी न्यायालय से अथवा सम्बद्ध विभाग से दण्ड की घोषणा हो जाती है जिसके विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है। इन सबके लिए वस्तुस्थिति का सांगोपांग विवरण देने वाला जो आवेदन-पत्र सम्बन्धित उच्च अधिकारी को दिया जाता है उसे 'प्रत्यावेदन' कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम किसी राजकीय कालेज में हिन्दी के वरिष्ठ लेक्चरर हैं और विभागाध्यक्ष के पद पर किसी कनिष्ठ लेक्चरर की प्रोन्नति कर दी जाय, तो हम अपना प्रत्यावेदन निम्नांकित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

द्वारा,

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
रानीखेत (अल्मोड़ा)

विषय—हिन्दी विभाग में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति में असंगति के सम्बन्ध में।

महोदय,

(1) मैं विगत 9 वर्षों से राजकीय महाविद्यालय, रानीखेत (उत्तर प्रदेशीय सरकार से शासित)

में हिन्दी विभाग के लेक्चरर पद पर लगातार कार्य करता आ रहा हूँ। निदेशालय की यह नीति रही है कि वरिष्ठता सूची में जिसका नाम शीर्ष पर रहता है, प्रोन्नति का अवसर आने पर सर्वप्रथम उसे ही प्रोन्नत किया जाता है।

(2) प्रदेश में जितने भी राजकीय कालेज हैं, उनके हिन्दी विभागों के सभी लेक्चररों में मेरा नाम वरिष्ठताक्रम में शीर्ष पर है। जब प्रोन्नति का अवसर आया, तब मेरी उपेक्षा कर दी गयी और मेरे तीन दिन बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले डॉ० भीम सिंह, लेक्चरर, राजकीय कालेज, चन्दौली को प्रस्तुत कालेज का हिन्दी विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार के निर्णय से निदेशालय की गरिमामयी परम्परा की अवमानना होती है।

(3) विनम्र निवेदन है कि वरिष्ठता सूची का पुनः अवलोकन करने की कृपा करें तथा न्यायोचित कार्रवाई कर मुझे अनुगृहीत करें।

भवदीय

23 जनवरी, 1977 ई०

सीतारांम प्रसाद

लेक्चरर, हिन्दी विभाग,

राजकीय कालेज,

रानीखेत

(4) सम्पादक के नाम पत्र

'सम्पादक के नाम पत्र' में पाठक या लेखक अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते हैं। किसी घटना, सामाजिक समस्या, पत्र-पत्रिका में प्रकाशित सूचना, लेख आदि के बारे में पाठकों या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रिया-स्वरूप सम्पादक के नाम लिखे गये पत्र को 'सम्पादक के नाम पत्र' कहते हैं। इसमें 'पत्रकला' के साथ-साथ 'निबन्धकला' की भी परीक्षा हो जाती है। इसी कारण इसे 'निबन्धात्मक पत्र' भी कह सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित बातें ध्यान में रखनी चाहिए—

(1) 'सम्पादक के नाम पत्र' को प्रकाशानार्थ किसी पत्र-पत्रिका के सम्पादक के पास सहपत्र (Covering letter) से संलग्न कर भेजना चाहिए; जैसे—कागज के दायीं ओर सबसे ऊपर प्रेषक का पता एवं दिनांक लिखना चाहिए। उससे थोड़ा नीचे बायीं ओर सम्बन्धित पत्र या पत्रिका का नाम और पता लिखना चाहिए। इसी के नीचे 'महोदय' सम्बोधन के बाद कॉमा (,) लगाना चाहिए। इसके बाद नये अनुच्छेद से प्रकाशित होने वाले पत्र को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। अन्त में समापन शब्द दायीं ओर लिखकर कामा (,) लगाना चाहिए और उसके नीचे हस्ताक्षर कर पता लिख देना चाहिए—

शंकर-भवन, लंका,

वाराणसी (उ० प्र०)

5-1-77

सेवा में,

सम्पादक,

दैनिक 'आज'

महोदय,

आपके दैनिक पत्र में 'जल-आपूर्ति में अव्यवस्था' पर अपने विचार प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। आशा है, आप इन्हें प्रकाशित कर हमें अनुगृहीत करेंगे।

भवदीय;

रंजना बनर्जी

(2) एक ही कागज पर सहपत्र समाप्त कर प्रकाश्य सामग्री लिखी जा सकती है। लेकिन सम्पादक की सुविधा के लिए अलग-अलग कागज पर लिखना चाहिए। प्रकाश्य सामग्री के शीर्षक को रेखांकित कर देना चाहिए।

(3) प्रकाश्य सामग्री लिखने के बाद अन्त में दाहिनी ओर नयी पंक्ति पर रेखिका(—) के बाद अपना नाम और संक्षिप्त पता लिख देना चाहिए।

शंकर-भवन,

लंका, वाराणसी

5-1-77

नमूना—1

सेवा में,

सम्पादक,

दैनिक 'आज'

कबीरचौरा, वाराणसी

महोदय,

मैं आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र में गाँवों में खोले गये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की दयनीय स्थिति पर अपने विचार प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। आशा है इन्हें प्रकाशित कर अनुगृहीत करेंगे।

भवदीय,

रंजना बनर्जी

गाँवों के प्राथमिक चिकित्सा-केन्द्र

गाँवों में रहनेवाली सामान्य जनता की सुख-सुविधा के लिए सरकार ने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले हैं। इनमें कई प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ एम० बी० बी० एस० डॉक्टर भी नियुक्त हैं। बाहर से देखने पर अस्पताल का स्वरूप अच्छा दिखाई पड़ता है अर्थात् सुन्दर भवन, सुशिक्षित कर्मचारी, योग्य डाक्टर तथा डाक्टर साहब के लिए जीप, ड्राइवर आदि। यह सब कुछ साधनहीन एवं गरीब जनता की सुविधा के लिए है। लेकिन चिकित्सा केन्द्र पर जाने से पता लगता है कि यहाँ की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। गाँवों में शहरों से भी अधिक बीमारियों का प्रकोप होता है। इस प्रकोप से बचाव के लिए केन्द्र में पर्याप्त दवाएँ नहीं रहती हैं। दवाएँ नाममात्र की रहती हैं जो सभी रोगियों को सुलभ

नहीं हो पाती हैं। कभी-कभी एक ही दवा अनेक बीमारियों के लिए दी जाती है। अपढ़ जनता अज्ञानवश ठगी जाती है। सुदूर देहातों में जो केन्द्र हैं उनके कर्मचारी दवाओं को बाजार में बेच देते हैं, सूई लगाने के लिए पैसा लेते हैं। कभी-कभी रोगी तो इन सब कारणों से तंग आकर सरकार को दोषी ठहराने लगते हैं। कभी-कभी डॉक्टर भी प्रमादवश गाँवों में विलम्ब से पहुँचते हैं, जिससे रोगी का इलाज नहीं हो पाता, अथवा उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सरकार को ऐसे केन्द्रों पर सदा ध्यान देना चाहिए।

रंजना बनर्जी,
लंका, वाराणसी।

नमूना—2

नीचे दिये गये नमूने के अनुसार भी सम्पादक के नाम पत्र लिखा जा सकता है—

हिन्दी विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी—5
दि० 7-3-77

सेवा में,
सम्पादक : दैनिक 'नवभारत टाइम्स'
नयी दिल्ली—110001

क्या कुमारी/श्रीमती विशेषण आवश्यक है ?

महोदय,

व्यक्तिगत परीक्षार्थिनी के रूप में मैंने एम० ए० (हिन्दी) की परीक्षा उत्तीर्ण की है और अब शोध छात्रा हूँ। शोध छात्रा के रूप में पंजीयन के लिए जब मैं आवेदन-पत्र में आवश्यक प्रविष्टियाँ भरने लगी, तो अचानक मेरा ध्यान इस वाक्य पर चला गया—'महिलाएँ अपने नाम से पूर्व कुमारी या श्रीमती, जो भी हों अवश्य लिखें। किसी भी परीक्षा अथवा नौकरी के लिए फार्म भरिए, किसी से अपना परिचय दीजिए अथवा बैंक में खाता खोलवाइए—सर्वत्र महिलावर्ग से यह पूछा जाता है कि आप कुमारी/श्रीमती अथवा मिस/मिसेज में से क्या हैं। आखिर नारी से ही ऐसा प्रश्न क्यों किया जाता है ? पुरुषों से ऐसा प्रश्न क्यों नहीं किया जाता ? यदि नहीं किया जाता है तो यह पुरुष वर्ग के प्रति पक्षपात है। नारी और पुरुष को समान अधिकार मिले हैं तो दोनों से यह प्रश्न पूछना चाहिए। क्या ऐसा लगता है कि कुमारी या श्रीमती के अभाव में नारी का नाम अधूरा है अथवा नारी अग्राह्य है ? ऐसा बन्धन मात्र नारी के लिए ही क्यों है ? मैं बार-बार यही सोचती हूँ कि महिलावर्ग से क्यों पूछा जाता है यह प्रश्न ? पाठकों से उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी।

मंजुरानी श्रीवास्तव,
हिन्दी विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी—5

(5) व्यावसायिक पत्र

दो व्यापारिक संस्थानों के बीच अथवा व्यावसायिक संस्थान और ग्राहक के बीच व्यावसायिक पत्रों का आदान-प्रदान होता है। यदि दो व्यावसायिक संस्थानों के बीच पत्राचार होता है तो निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए—कागज के ऊपर प्रेषक का पता और दायीं ओर दिनांक अंकित करना चाहिए। बायीं ओर प्रेषिती का पता लिखकर उसके नीचे सम्बोधन शब्द 'महोदय' लिखकर पत्र लिखना शुरू करना चाहिए। सबसे नीचे समापन शब्द 'भवदीय' या 'आपका' लिखकर हस्ताक्षर करना चाहिए तथा पत्र लिख देना चाहिए। उदाहरण के लिए दो व्यावसायिक संस्थाओं के बीच पत्राचार का नमूना—

नमूना—1

भारतीय भण्डार
स्टेशन रोड, सीवान (बिहार)

दिनांक 10-7-77

सहायक मंत्री,
नागरी प्रचारिणी सभा,
वाराणसी—1

प्रिय महोदय,

बिहार विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से पता चला है कि सभा ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं—

(1) हिन्दी साहित्य का इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल।
(2) त्रिवेणी—रामचन्द्र शुक्ल।
(3) तुलसीदास—रामचन्द्र शुक्ल।
(4) सूरदास—रामचन्द्र शुक्ल।
(5) जायसी ग्रंथावली—सं० पा० रामचन्द्र शुक्ल।

कृपया लौटती डाक से यह बताने का कष्ट करें कि आप 25% कमीशन काटकर पुस्तकें भेजने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। पत्रोत्तर मिलने पर उपर्युक्त पुस्तकों का आर्डर भेज दिया जायगा।

भवदीय,
राधेश्याम सिंह
स्वत्वाधिकारी

नमूना—2

नागरी प्रचारिणी सभा
वाराणसी—1

दिनांक 17-7-77

श्री राधेश्याम सिंह,
स्वत्वाधिकारी
भारतीय भण्डार, स्टेशन रोड,
सीवान (बिहार)

प्रिय महोदय,

आपका 10-7-77 का पत्र मिला। हम 25% कमीशन दे सकते हैं। कृपया यह आदेश भेजें कि किन-किन पुस्तकों की कितनी प्रतियाँ चाहिए। सभा का सूचीपत्र संलग्न है। सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की हैं। यदि आप अन्य पुस्तकों का भी आदेश दें तो सभी पुस्तकें एक साथ भेज दी जायँगी।

भवदीय,
शम्भुनाथ वाजपेयी
सहायक मंत्री

यदि ग्राहक की ओर से व्यावसायिक संस्था को पत्र लिखना है तो उसे निम्नांकित ढंग से लिखा जाता है—

प्रदीप श्रीवास्तव
मु० पो० मैरवा,
सीवान (बिहार)
15-7-76

सहायक मंत्री,
नागरी प्रचारिणी सभा,
वाराणसी—1

प्रिय महोदय,

उचित कमीशन काटकर निम्नलिखित पुस्तकें वी० पी० पी० द्वारा अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।

(1)	हिन्दी शब्द सागर	1 सेट
(2)	हिन्दी साहित्य का इतिहास—शुक्ल	1 प्रति
(3)	तुलसी ग्रंथावली	1 सेट
(4)	त्रिवेणी-आचार्य शुक्ल	1 प्रति
(5)	हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास—सोलहवाँ खण्ड—	1 प्रति

यदि कोई पुस्तक अनुपलब्ध है तो उसकी सूचना दें।

भवदीय,
प्रदीप श्रीवास्तव

(6) सरकारी पत्र या शासकीय पत्र

सरकारी या गैरसरकारी कार्यालयों के प्रशासन से सम्बन्धित पत्र शासकीय पत्र कहलाते हैं। लेकिन अब शासकीय या सरकारी पत्र केवल सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्राचार के अर्थ में रूढ़ हो गये हैं। व्यक्तिगत कार्यालयों का प्रशासन-सम्बन्धी पत्र भी सरकारी पत्र की तरह ही लिखा जाता है। प्रत्येक कार्यालय से जो पत्र दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है। साथ ही दूसरे कार्यालय से आने वाले पत्र भी एक दूसरे रजिस्टर में अंकित किये जाते हैं। कार्यालय में हर एक विषय से संबद्ध फाइलें होती हैं जिन पर उनका संकेतांक अंकित रहता है। पत्रों पर पत्रांक के साथ संकेतांक एवं संबद्ध वर्ष का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद दिनांक लिखा जाता है। ये शासकीय पत्र एक निश्चित पद्धति के अनुसार लिखे जाते हैं जिसमें सरलता, शुद्धता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, शिष्टता आदि का ध्यान रखा जाता है। इन पत्रों में व्यक्तिगत सम्बन्धों की चर्चा नहीं की जाती है।

वस्तुतः शासकीय पत्र लिखते समय क्रमशः निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए—

(1) कागज के शीर्ष पर पत्रांक और दिनांक देना चाहिए। कभी-कभी प्रेषिती के पता के बाद भी पत्रांक और दिनांक लिखा जाता है।

(2) पत्र के बाएँ हाथ प्रेषक का पद और कार्यालयीय पता अंकित करना चाहिए।

(3) इसके नीचे प्रेषिती का पद और पता लिखा जाता है।

(4) इसके बाद पत्र का विषय अत्यन्त संक्षेप में लिख दिया जाता है।

(5) सम्बोधन के लिए 'महोदय' लिखने के बाद उसके नीचे से पत्र का मुख्य प्रतिपाद्य लिखा जाता है।

(6) अन्त में समापनसूचक शब्द 'भवदीय' लिखकर प्रेषक हस्ताक्षर करता है।

(7) पृष्ठांकन—प्रतिलिपि निम्नांकित को—

(1) . . . . को सूचनार्थ

(2) . . . . को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रेषक के हस्ताक्षर . . . . . .

पद . . . . . .

सरकारी पत्र का नमूना

पत्रांक 433 (1)/13, (ख)/ 74-75 दिनांक 3-1-75

प्रेषक,

सचिव, शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),

उ० प्रदेश, इलाहाबाद ।

विषय—अनुमोदित अध्यापकों के स्थायीकरण के विषय में ।

महोदय,

मुझे यह आपसे कहने का निर्देश मिला है कि राज्य लोक-सेवा-आयोग द्वारा अनुमोदित होने के बाद विभिन्न राजकीय कालेजों में अस्थायी रूप से अध्यापन करते हुए जिन प्राध्यापकों को तीन वर्ष से अधिक हो गये हों, उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्रवाई करें । जिन लेक्चररों अथवा प्राध्यापकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है, उनके स्थायीकरण की कार्रवाई अभी स्थगित रखी जाय ।

भवदीय,

अ ब स

शिक्षा सचिव

पृष्ठांकन सं० 433 (1) 13 (ख)/74-75 दिनांक 3-1-75

प्रतिलिपि राजकीय कालेजों के सभी प्राचार्यों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत एवं लोकसेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अध्यापकों की सूची शिक्षा निदेशालय को अविलंब भेजें; उन्हीं अध्यापकों की सूची भेजें जिन्हें कार्य करते हुए तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं, परन्तु अभी तक उनके स्थायीकरण के आदेश नहीं हुए हैं ।

अ ब स

शिक्षा सचिव

सरकारी पत्र अनेक रूपों में विभक्त हो सकते हैं—उदाहरणार्थ

(1) शासनादेश (Government orders)

(2) अर्धशासकीय पत्र (Demi official letters),

(3) गैर सरकारी पत्र (Un-official letters),

(4) परिपत्र (Circular);

(5) अनुस्मरण-पत्र (Reminder)

(6) कार्यालयीय ज्ञापन (Office order),

(7) कार्यालयीय आदेश (Office memorandum),

(8) पृष्ठांकन (Endorsement),

(9) अधिसूचना (Notification),

(10) प्रेस-विज्ञप्ति (Press-note या Communique)

(1) शासनादेश (G. O.)

सचिवालय द्वारा जारी किये गये पत्र शासनादेश कहे जाते हैं जिसके द्वारा शासन के निर्णय से

अधीनस्थ कार्यालयों को सूचना दी जाती है । ऐसे सभी पत्र उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं जिसकी शुरुआत इस प्रकार की जाती है—'मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि ।'

शासनादेश का नमूना

शा० सं० 3453/शि०/(ख) दिनांक 15 फरवरी 1974

प्रेषक,

सचिव,

शिक्षा विभाग,

उ० प्र० सरकार, लखनऊ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

महोदय,

मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि शिक्षा निदेशालय और सभी राजकीय कालेजों के कार्यालय इस सचिवालय से हिन्दी में ही पत्राचार करें । जो अधिकारी हिन्दी से भिन्न भाषा में पत्राचार करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है ।

भवदीय,

अ ब स

शिक्षा सचिव

पृष्ठांकन सं० 3453/शि०/(ख) दिनांक 15 फरवरी 1974

प्रतिलिपि राजकीय कालेजों के सभी प्राचार्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

अ ब स

शिक्षा सचिव

(2) अर्धशासकीय पत्र (D. O.)

अर्धशासकीय पत्र प्रेषिती के व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं । जब कोई अधिकारी अर्धशासकीय पत्र प्रेषिती के व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं । जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष बात की ओर आकृष्ट करना चाहता है तो वह अर्धशासकीय पत्र लिखता है । ऐसे पत्र में सबसे ऊपर पत्रांक एवं दिनांक अंकित रहता है । संबोधन शब्द के रूप में 'महोदय' का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि "प्रिय डा० शर्मा जी' आदि रूप में लिखा जाता है । प्रेषक का नाम और पता पत्र के शीर्ष पर रहता है और प्रेषिती का नाम-पता पत्र के अंत में बायीं ओर लिखा जाता है । समापन सूचक शब्द के रूप में "भवन्निष्ठ' अथवा 'आपका सद्भावी' लिखा जाता है जिसके नीचे प्रेषक का हस्ताक्षर होता है, लेकिन हस्ताक्षर के नीचे पद का उल्लेख नहीं होता है ।

अर्धशासकीय पत्र का नमूना

अ० शा० पत्रांक 201/(शि०)/74 दिनांक 5-10-74

डा० भारतभूषण स्वरूप रायजादा
प्रधानाचार्य

राजकीय कालेज,
रानीखेत (अलमोड़ा)

प्रिय डॉ० शर्माजी,

इस कार्यालय के पत्रांक 341/(शि०)/74 दिनांक 30 जुलाई 1974 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ; जिसमें मैंने निवेदन किया था कि हिन्दी विभाग में प्रति सप्ताह 32 घंटी (Period) एक ही लेक्चरर को पढ़ाना पड़ता है। अध्यापन का यह कार्यभार निर्धारित सीमा से बहुत ज्यादा है। इससे छात्रों के साथ न्याय नहीं हो पाता है यदि पाँच या छह घंटी (पीरिएड) एक लेक्चरर प्रति दिन पढ़ाता है तो स्पष्ट है कि वह बी० ए० के छात्रों के साथ न्याय नहीं कर सकता। साथ ही उक्त हिन्दी अध्यापक के प्रति यह अन्याय है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर मुझे अनुगृहीत करें।

परम आदर सहित।

प्रति,

डॉ० रमेश चन्द्र शर्मा,
शिक्षा निदेशक (उ० शिक्षा),
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०
इलाहाबाद।

(3) गैरसरकारी पत्र (U. O.)

गैरसरकारी पत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब सचिवालय के एक विभाग को दूसरे विभाग से पूछताछ करनी होती है अथवा निर्देश लेना या देना होता है। पत्र के शीर्ष पर पत्रांक और दिनांक लिखा जाता है। सम्बोधन के स्थान पर सम्बद्ध विभाग का नाम लिख दिया जाता है। समापन शब्द 'भवदीय' का प्रयोग नहीं होता है; उसके स्थान पर प्रेषक का हस्ताक्षर, पद और विभाग का नाम लिख दिया जाता है।

गैरसरकारी पत्र का नमूना—

गैरसरकारी पत्रांक 401/सा० प्र०/ दिनांक 5 फरवरी, 1975

शिक्षा (ख) अनुभाग

कृपया इस विभाग के अनुस्मारक पत्र सं० 335/17 दिनांक 1 जनवरी, 1975 का अवलोकन करें। उ० प्र० सरकार के अधीन कालेजों में तदर्थ रूप में नियुक्त लेक्चररों की सूची शीघ्र भेजें।

राम प्रसाद
सहायक सचिव,
प्रशासन विभाग

(4) परिपत्र

परिपत्र उसे कहते हैं जिसमें कोई आदेश या सूचना बहुत से कर्मचारियों या अधिकारियों में समान रूप से प्रसारित की जाती है। इसकी रूपरेखा शासनादेश या ज्ञापन के समान होती है। परिपत्र का नमूना—

पत्रांक 453/73 दिनांक 30 अप्रैल, 1975

प्रेषक,

सचिव, शिक्षा विभाग

उ० प्र० सरकार, लखनऊ।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ० प्र० इलाहाबाद।

2. उ० प्र० सरकार के अधीन सभी कालेजों के प्रधानाचार्य।

विषय—कालेजों में नये विषय खोलने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह बताने का आदेश हुआ है कि आप अपने कालेज में जिन नये विषय/विषयों का समावेश करना चाहते हैं उनके नाम शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के कार्यालय में शीघ्र ही भेज दें। यह भी सूचित करना है कि जिस विषय/विषयों का समावेश होना है क्या उसके लिए अलग से कक्ष बनवाने पड़ेंगे अथवा वर्तमान भवन से ही नये विषय के अध्यापन का काम चल जायगा।

भवदीय,

अ ब स

सचिव

(5) अनुस्मरण-पत्र

अनुस्मरण पत्र भी सामान्य शासकीय पत्र की भाँति लिखा जाता है। जब किसी पत्र का उत्तर आने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है तो संबद्ध अधिकारी को पुनः स्मरण दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मरण-पत्र अथवा अनुस्मारक कहते हैं।

अनुस्मरण पत्र का नमूना—

पत्रांक 273/130 दिनांक 1 मार्च, 1975

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,

सार्वजनिक निर्माण विभाग,

लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,

सार्वजनिक निर्माण विभाग,

लखनऊ।

अनुस्मरण-पत्र

विषय—1974 का व्यय विवरण ।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 273/50 दिनांक 17 दिसम्बर 1974 का अवलोकन करें और उक्त पत्र से संबंधित विवरण शीघ्र भेजें ।

भवदीय,
अ ब स
अधीक्षण अभियंता

(6) कार्यालय ज्ञापन

कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है । साथ ही इसका उपयोग सचिवालय के विभिन्न समान स्तर के अन्तर्विभागों के बीच भी होता है । यों कार्यालयज्ञापन का दूसरा नाम 'कार्यालय-स्मृति-पत्र' भी है । इससे अनुस्मरण-पत्र का भ्रम भी हो जाता है । इसलिए यदि इन दोनों नामों की तुलना में 'ज्ञापन' (Mamo) शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । संबोधनशब्द 'महोदय, एवं समापनशब्द 'भवदीय' आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है । पत्र के शीर्ष पर पत्र संख्या एवं दिनांक लिखना चाहिए । इसके दाहिनी ओर प्रेषक पद और पता लिखा जाता है । इसके बाद 'विषय' लिखकर नये अनुच्छेद से कथ्य का उल्लेख किया जाता है । कथ्य अन्य पुरुष में लिखा जाता है । अंत में दायीं ओर प्रेषक का हस्ताक्षर और पद का उल्लेख रहता है । इसके बायीं ओर प्रेषिती का पद और पता अंकित रहता है ।

कार्यालयज्ञापन का नमूना—

पत्र सं० 351/63 दिनांक 2 फरवरी, 1975

भारत सरकार,
शिक्षा-मंत्रालय,
नयी-दिल्ली ।

ज्ञापन

विषय—हिन्दी में आलेखन व टिप्पणी का ज्ञान । यह निश्चय हुआ था कि 1965 से भारत सरकार के सभी काम-काज हिन्दी में होंगे, लेकिन केन्द्रीय सचिवालय के सचिवों की ओर से शिकायत की गयी है कि अधिकांश कर्मचारी हिंदी आलेखन और टिप्पण लिखने की विधि नहीं जानते हैं । इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा-मंत्रालय ने हिन्दी में आलेखन एवं टिप्पण की विधि का ज्ञान कराने के लिए सांध्य-कक्षाओं की व्यवस्था की है । इस व्यवस्था से लाभ उठाने के इच्छुक कर्मचारियों के नाम शिक्षामंत्रालय के अनुभाग (स) को भेज दिये जायँ ।

राममूरत सिंह
सचिव, शिक्षा-विभाग

सेवा में,

समस्त अनुभाग अधिकारी,

(7) कार्यालय-आदेश

कार्यालय-आदेश का उपयोग किसी कार्यालय के एक या एक से अधिक कर्मचारियों से सम्बन्धित पदोन्नति, नियुक्ति, अर्जित-अवकाश की स्वीकृति आदि से संबंधित सूचना के लिए किया जाता है। इसमें संबोधनसूचक एवं समापनसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। पत्र के शीर्ष पर संख्या एवं दिनांक अंकित रहता है। दायीं ओर आदेश देने वाले अधिकारी का कार्यालयीय पता रहता है तथा आदेश के अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है।

कार्यालय-आदेश का नमूना—

सं० 211/3/73 दिनांक 3-12-73

उत्तर प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
लखनऊ।

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित व्यक्तियों को दिनांक 1-1-74 से उनके नाम के आगे अंकित पद पर 400-15-475-25-600 के वेतनमान में प्रोन्नत किया जाता है।

(क) श्री रामलाल प्रसाद-उपरिवर्ग लिपिक

(ख) श्री जयकिशन लाल-उपरिवर्ग लिपिक

अ ब स
उपसचिव

(8) पृष्ठांकन (Endorssement)

पृष्ठांकन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी पत्र या उसकी प्रतिलिपि को अन्य अधिकारियों को भी सूचनार्थ अथवा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजना होता है। इसमें मूलपत्र की संख्या एवं दिनांक को अंकित किया जाता है। संबोधन एवं समापन शब्द नहीं लिखा जाता।

पृष्ठांकन का नमूना—

पृष्ठांकन सं० 475/45/75 दिनांक 24-12-74

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

(1) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ० प्र०, इलाहाबाद;

(2) राजकीय कालेजों के समस्त प्राचार्य।

(9) अधिसूचना (Notification)

अधिसूचना का प्रयोग राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति स्थानान्तरण, शासनादेश आदि को सूचनार्थ एवं गजट में प्रकाशित करने के लिए किया जाता है।

अधिसूचना का नमूना—

सं०/ नियुक्ति/430/(ख)/72-73 दिनांक—12-7-72

शिक्षा विभाग

उ० प्रदेश सरकार, लखनऊ

अधिसूचना/नियुक्ति

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डॉ० कन्हैया लाल शर्मा को राजकीय कालेज, रानीखेत में रु० 400-40-900-50-1300 के वेतनमान पर लेक्चरर, हिन्दी विभाग के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

अ० ब० सिंह

सचिव

पृष्ठांकन/नियुक्ति/430/(ख)/72-76 दिनांक 12-7-72

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

(1) लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।

(3) प्राचार्य, राजकीय कालेज, रानीखेत।

(4) सरकारी बजट में प्रकाशनार्थ।

(5) संबंधित अधिकारी को।

आज्ञा से,

राजीव सिंह

सचिव

(10) प्रेस विज्ञप्ति

जब किसी महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय को सामान्य जनता तक पहुँचाना होता है तो शासन द्वारा उस निर्णय से युक्त एक प्रेस विज्ञप्ति सूचनाधिकारी के पास समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेज दी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेसकम्युनिक और प्रेसनोट में आपस में अन्तर होता है। 'प्रेस कम्युनिक' का प्रकाशन बिना किसी संशोधन के ज्यों का त्यों किया जाता है। 'प्रेसनोट' की भाषा को समाचार पत्र का संपादक बदलकर मूल भाव की रक्षा करते हुए प्रकाशित कर सकता है। प्रेसविज्ञप्ति में समय का बन्धन होता है। सरकार के निर्दिष्ट समय से पूर्व प्रेसविज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं किया जा सकता।

प्रेसविज्ञप्ति का नमूना—

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 28-1-78

मंगलवार, 31 जनवरी, 1978 ई० को प्रातः 10 बजे के पूर्व प्रसारित न किया जाय।

शासनादेश 750/1/ (क)/78 दिनांक 23-1-78 के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 1 मार्च, 1978 ई० से राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन का 23% महँगाई भत्ता मिलेगा।

अ ब स

मुख्य सचिव

उ० प्र० सरकार

(7) टिप्पण-लेखन (टिप्पण)

एक कार्यालय का पत्र दूसरे कार्यालय में आता है अथवा किसी व्यक्ति का पत्र किसी कार्यालय में आता है तो उसका उत्तर देने से पूर्व उससे संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों से आवश्यक निर्देश ले लेने अथवा पूछताछ कर लेने होते हैं। किसी पत्र की प्राप्ति के बाद और उसका उत्तर देने के बीच नियमों एवं अधिनियमों का उल्लेख करते हुए अधिकारी के अंतिम निर्णय लेने की दिशा में ही कार्यालय के लिपिक, प्रधानलिपिक, कार्यालय-अधीक्षक जो कुछ लिखते हैं उसे टिप्पण या टिप्पणियाँ कहते हैं तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को टिप्पणी-लेखन कहते हैं। यदि किसी पत्र में काररवाई की दिशा स्पष्ट है तो उसमें टिप्पण (Notes) लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन पत्रों के सोच-समझकर नियमानुकूल उत्तर भेजने हों उसमें टिप्पणी की जरूरत पड़ती है। यदि विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए संक्षिप्त टिप्पणी देनी है तो उसे मूल पत्र के हाशिये पर लिख दिया जाता है। यदि लम्बे टिप्पण देने हैं तो उसके लिए निम्नांकित बातों का उल्लेख करना चाहिए—

(1) विषय का संक्षिप्त और स्पष्ट संकेत करना चाहिए।

(2) विषय का संदर्भ और सार देना चाहिए।

(3) विषय से संबंधित प्रत्येक बात का क्रमवार उल्लेख करना चाहिए।

(4) प्रत्येक बात के निस्तारण का सुझाव भी देना चाहिए।

संक्षिप्त टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित वाक्य प्रयुक्त किये जाते हैं—

(1) मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(2) बात कर लीजिए।

(3) शीघ्र कार्रवाई करें।

(4) यह मामला पुलिस के हवाले किया जाय।

(5) मेरी ओर से इस पर कोई कार्रवाई करनी आवश्यक नहीं जान पड़ती है।

(6) देख लिया ।

(7) आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

(8) आवेदन स्वीकार कर लिया जाय ।

(9) मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है ।

(10) मैं सहमत हूँ ।

(11) विषय के पूर्व प्रसंग का स्पष्ट उल्लेख कीजिए ।

(12) अपेक्षित जानकारी के लिए वन-विभाग से पत्राचार करें ।

(13) कागज-पत्रों का मिलान कर लिया गया है ।

(14) कार्यालय की टिप्पणी से मैं सहमत हूँ, आदेश जारी कर दिया जाय ।

(15) वैधमार्ग से पत्राचार करने के लिए आवेदक को सूचित कर दिया जाय ।

टिप्पण का नमूना—

किसी न किसी पत्र के आधार पर ही टिप्पण लिखा जाता है । यहाँ मूल पत्र को न देकर उसके आधार पर टिप्पण प्रस्तुत किया जा रहा है—

अवर अभियंता का टिप्पण—

अधिशासी अभियंता महोदय,

कल की मूसलाधार वर्षा के कारण जी० टी० रोड पर कैण्ट स्टेशन, वाराणसी के निकट मकान गिरने से आज रात में ही यातायात ठप है । सड़क को यातायात योग्य बनाने के लिए कम से कम 15 मजदूर एक दिन का समय लेंगे । इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु आपके आदेश की प्रतीक्षा है ।

रामलाल सिंह
1-3-74

अनुवाद

राष्ट्रभाषा हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद का महत्व बहुत बढ़ गया है। विदेशी भाषा अँग्रेजी में लिखित उत्कृष्ट कृतियों को हिन्दी भाषा-भाषी प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपनी भाषा में पढ़ना चाहता है। हिन्दी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त छात्र वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों से सम्बन्धित अँग्रेजी में लिखित पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता है। किन्तु यह उसी समय संभव हो सकता है जब उसे ऐसी पाठ्य पुस्तकों तथा कृतियों का हिन्दी में अनुवाद उपलब्ध हो।

सरकारी कर्मचारियों को अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अँग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता है। अँग्रेजी में लिखित पत्राचार को हिन्दी में अनूदित करना होता है, रिपोर्टों, निर्णयों और स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व निर्मित अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करना होता है और हिन्दी में निर्मित नियमों आदि का समय-समय पर अँग्रेजी में अनुवाद करना होता है।

अनुवाद कार्य सरल नहीं होता। अँग्रेजी के मूल पाठ का अनुवाद हिन्दी में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वह अनुवाद न लगकर स्वतन्त्र प्रवाहपूर्ण लेख लगे, वास्तव में कठिन है। अनुवादक को दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे अँग्रेजी के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पदावली का अर्थ मालूम होना चाहिये। उसे दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए। शब्दों की बनावट, वाक्य रचना और व्याकरण का उसे समुचित ज्ञान होना चाहिये। साथ ही उसमें उतनी योग्यता होनी चाहिये कि वह मूल पाठ के अर्थ को सहज रूप में सरल और सुबोध भाषा में सुगमतापूर्वक व्यक्त कर सके। उसमें परकाया प्रवेश की सामर्थ्य होनी चाहिए। सफल अनुवादक वही होता है जिसका अनुवाद अनुवाद न मालूम पड़े अपितु वह प्रवाहपूर्ण मूल कृति मालूम पड़े।

भाषा का कच्चा ज्ञान होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है और अनुवाद हास्यास्पद। 'Crown Vs. People' का अनुवाद सरकारी कार्यालय में ताज बनाम जनता किया गया था। अनुवादक वर्ष 1940 में दिये गये एक निर्णय का अनुवाद कर रहा था। उसे स्पष्टतया 'Crown' का अर्थ नहीं मालूम था कि 'Crown' 'सम्राट' का द्योतक है। उसने शाब्दिक अनुवाद कर दिया और Crown को ताज अनूदित कर दिया। इसी प्रकार एक अनुवादक ने 'सर्वसाधारण के लिये नर्स की भी व्यवस्था कर दी गई है' का अनुवाद किया- 'A nurse has also been provided for public use. अस्पतालों में जच्चा बच्चा के लिये उपलब्ध सुविधाओं का संदर्भ था वहीं नर्स की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया था। अँग्रेजी अनुवाद ने तो अनर्थ कर दिया। इस प्रकार के अशुद्ध और हास्यास्पद अनुवाद वही अनुवादक करते हैं जिन्हें न तो अपनी मातृभाषा हिन्दी का और न अँग्रेजी का ही पर्याप्त ज्ञान होता है।

अनुवाद के विभिन्न प्रकार

1. शब्दानुवाद
2. भावानुवाद
3. वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद
4. विधिक अनुवाद

शब्दानुवाद- इस प्रकार का अनुवाद सरल होता है जैसे 'Researved Seat' का अनुवाद हुआ 'स्थान आरक्षित' Smoking Prohibited का अनुवाद हुआ 'धूम्रपान निषेध' है या धूम्रपान मना है, अनुवाद से अर्थ का स्पष्ट बोध हो जाता है और मूल मन्तव्य प्रकट हो जाता है।

भावानुवाद- इसमें विषय प्रधान होता है। इसमें अँग्रेजी के मूल पाठ का भाव अपने शब्दों में सुगठित भाषा में अभिव्यक्त करना होता है, साथ ही इसका ध्यान रखा जाता है कि मूल पाठ के किसी भी महत्वपूर्ण अंश की उपेक्षा न हो जाय। अपेक्षाकृत अनुवादक को अभिव्यक्ति के शब्दों के चयन में स्वतंत्रता होती है। सामान्यतया जब बड़ी-बड़ी रिपोर्टों या पत्र-व्यवहार में अन्तर्निहित विषय और भाव की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को देनी होती है तो भावानुवाद ही किया जाता है।

वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद- इस प्रकार के अनुवाद में विषय को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अनुवादक इसके अनुवाद में कोई शिथिलता नहीं कर सकता। इस प्रकार के अनुवाद में एकरूपता के विचार से भारत सरकार द्वारा प्रमाणित और विहित शब्दावली का ही प्रयोग किया जाता है। विषयवस्तु को स्पष्ट, सरल और बोधगम्य भाषा में अभिव्यक्त करना ही अनुवादक की सफलता का माप है। शैली का स्थान इसमें गौड़ होता है।

विषय का पूरा ज्ञान अनुवादक को होना चाहिये तभी वह मूल विषय-वस्तु को अच्छी तरह समझ सकता है और उसके अनुवाद में समर्थ हो सकता है।

विधिक अनुवाद- इसमें अधिनियमों, विधेयकों, नियमों, विज्ञप्तियों आदि का अनुवाद सम्मिलित है। यह अत्यावश्यक है कि अनुवाद में प्रयुक्त शब्द निश्चित और स्पष्ट अर्थ के बोधक हों। वास्तव में यह अनुवाद अधिकतर शाब्दिक अनुवाद होता है। इसमें प्रामाणिक शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सभी राज्यों के लिये प्रयोग की जाने वाली विधिक शब्दावली में एकसमानता और एकरूपता होनी चाहिये अन्यथा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अर्थ लगाए जावेंगे जो अहितकर होगा।

सरकारी कर्मचारी को सरकारी सामग्री का भी अनुवाद करना होता है चाहे वह अँग्रेजी से हिन्दी में हो या हिन्दी से अँग्रेजी में। सरकारी सामग्री के अन्तर्गत आते हैं-

(1) पत्राचार का अनुवाद

(2) रिपोर्ट आदि का अनुवाद

(3) सरकारी दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य साहित्य का अनुवाद।

पत्राचार का अनुवाद- इसमें कर्मचारी को टिप्पणी और प्रालेखों का अँग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद करना पड़ सकता है। प्रालेखों में अँग्रेजी के वाक्य I am directed to I am disired to का सामान्यतया हिन्दी अनुवाद नहीं किया जाता है क्योंकि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि या मुझसे कहा गया है कि मैं यह कहूँ हिन्दी भाषा की शैली के अनुरूप नहीं है। मुझे निवेदन करना है या अनुरोध करना है से काम निकल जाता है।

इस प्रकार के अनुवाद में सरल सुबोध और स्पष्ट भाषा प्रयुक्त की जाती है जिससे अभीष्ट अर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ न निकल सके।

रिपोर्टों आदि का अनुवाद-इसमें सरकार को अँग्रेजी भाषा में लिखित प्राप्त ज्ञापन, आवेदन पत्र, संविदा, करार आदि शामिल हैं । इनके अनुवाद में सतर्कता बरतना अत्यावश्यक है । शाब्दिक अनुवाद करते हुए भी अनुवाद सुस्पष्ट और बोधगम्य होना चाहिये, साथ ही उसमें विषय के मूल आशय को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य होनी चाहिये ।

इस प्रकार अनुवाद गुण होने चाहिए—

(1) शुद्धता

(2) सुस्पष्टता

(3) सरलता

(4) बोधगम्यता

(5) प्रवाह

अनुवाद के अभ्यास

मूल- 1

So people have to be educated 'to walk upon the earth like men' and to take the next step forward. We find here and there some people who were very war like once upon a time but have now grown up enough to be mild and peace loving, Such, for instance, are the Swedes and the Swiss. It is necessary that people all over the world should become educated like that. If they do not learn their lessons in time, they will go on having one terrible war after another.

अनुवाद- 1

तात्पर्य यह है कि लोगों को 'मनुष्य की तरह धरती पर चलने' और अगला कदम बढ़ाने की शिक्षा देनी होगी । हम प्रायः यहाँ-वहाँ देखते हैं कि जो लोग कभी बहुत जुझारू और युद्धप्रिय थे, वे अब बहुत विनम्र और शान्तिप्रिय बन गये हैं । स्वीडन और स्विटजरलैण्ड इसके उदाहरण हैं । यह बहुत आवश्यक है कि संसार-भर में लोगों को इस प्रकार से शिक्षित किया जाए । यदि वे ठीक समय पर सीख ग्रहण नहीं करेंगे तो उन्हें निरन्तर एक के बाद दूसरे भीषण युद्ध का सामना करते रहना होगा ।

मूल- 2

The Stream of National Consciousness flows incessantly. As the Ganga emerging in the Himalaya takes many conses and froms and fulfils the spritual and Physical needs to the people of India, Similarly the thoughts of the great sages living in the caves of the Himalis have always remaind the source of inspiration for the people of his country, acting as a unifying in fluence in many ways. Ganga is one but has many names, whether we call it Mandakini, Bhagirathee or by any other names, it is

the same, its sacred waters acting as the life-line and giving solace of the people. For all places, races, Castes, Villages and towns of the country the Ganga has been the loving and caring mother through out the ages. The same conception of the land of our birth as our mother has always been the main-stay of national Conciousness for the Indians.

अनुवाद- 2

राष्ट्रीय चेतना का प्रवाह अविराम गति से बहता रहता है। जिस प्रकार हिमालय से निकलने वाली गंगा अनेक मार्ग और रूप ग्रहण करती है तथा भारत के लोगों की आध्यात्मिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसी प्रकार हिमालय की कन्दराओं में रहने वाले मनीषियों के विचार उनके देशवासियों को अनेक रूपों में ऐक्य का सन्देश देने वाले प्रेरणास्रोत रहे हैं। गंगा एक है, किन्तु उसके नाम अनेक हैं। चाहे उसे हम मन्दाकिनी कहें या भागीरथी, अथवा किसी अन्य नाम से पुकारें, वह है एक ही। उसका पवित्र जल लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाली संजीवनी है। गंगा देश के सभी स्थानों, समस्त वर्गों, जातियों, गाँवों और शहरों के निवासियों का माँ के समान पालन-पोषण करती है। अपनी जन्मभूमि के प्रति भी यही मातृत्व-भावना भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना का मूल आधार है।

मूल- 3

Malaviyaji was known in India and ahead as a silence toungued orator. He had a grant command over Hindi Sanskrit, Urdu and English. He could speak in all these languages with ease, fluency, effectiveness, pronounciation, proper intonation and Chaste annunciation. It was a pleasure to here him speak in any one of the alone Languages. He possessed the made less quality of moving his audience to tears or mrth in the twinking of an eye.

अनुवाद- 3

मालवीय जी भारत और विदेशों में एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में विख्यात थे। हिन्दी, संस्कृत, उर्दू और अँग्रेजी पर उनका पूरा अधिकार था। वे इन सभी भाषाओं में बड़ी सहजता, धाराप्रवाह-शैली, प्रभविष्णुता, विचारशीलता, सुस्पष्टता, उच्चारण-शुद्धता, उपयुक्त लयबद्धता एवं सटीकता के साथ बोल सकते थे। इनमें से किसी भी भाषा में उन्हें सुनना आनन्ददायक था। उनमें श्रोताओं को क्षणभर में प्रभावित करके द्रवित या गद्‌गद् कर देने की अपूर्व क्षमता थी।

मूल- 4

Please Do not Forget

All circulave, order, Memoranda.

Resolutions etc. Should be issued in Bilingual Form i. e. in Hindi or English.

It is the responsibility of the Singing Authority to ensure that these are issued bilingually i. e. in Hindi & English.

All communications received in Hindi from any where Should invartably be replied to in Hindi.

Letter with Hindi Signatures should also be replied to in Hindi.

अनुवाद- 4

कृपया ध्यान रखें

कार्यालय से जारी होने वाले सभी परिपत्र, आदेश, ज्ञापन आदि हिन्दी और अँग्रेजी दोनों भाषाओं में होने चाहिये ।

यह सुनिश्चित करना हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी का दायित्व है कि ये सभी हिन्दी और अँग्रेजी-दोनों में जारी किए जाएँ ।

कहीं से भी प्राप्त हिन्दी पत्रों के उत्तर निरपवाद रूप से हिन्दी में ही दिए जाने चाहिए ।

जिन पत्रों पर हिन्दी में हस्ताक्षर हों उनके उत्तर भी हिन्दी में ही दिये जाने चाहिये ।

अन्तर्कथाएँ

अजामिल

अजामिल एक पापी ब्राह्मण था। उसके नारायण नाम का एक पुत्र था। मरते समय उसने अपने पुत्र 'नारायण' को पुकारा। इससे भगवान् ने उसे मुक्ति प्रदान की।

अम्बरीष

राजा अम्बरीष प्रत्येक एकादशी को व्रत रहकर द्वादशी को पारायण करते थे। एक बार राजा ने द्वादशी को दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया। ऋषि गंगा स्नान के लिये चले गये। राजा ने देखा कि द्वादशी की तिथि समाप्त होने वाली है, अतएव ब्राह्मणों की आज्ञा से आचमन कर लिया। ऋषि को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की। भय के कारण राजा बेहोश हो गये। भक्त को कष्ट में देखकर विष्णु का चक्रसुदर्शन कृत्या को मारकर ऋषि के पीछे पड़ गया। जब तीनों लोकों में किसी ने शरण न दी, तब वह राजा अम्बरीष के पास गये और उनसे क्षमा याचना की।

अगस्त्य मुनि

एक बार समुद्र ने टिटिहरी के अंडे को बहा लिया। इसके अतिरिक्त अगस्त्य मुनि की पूजा सामग्री भी बहा ले गया। इससे मुनि अत्यन्त क्रोधित हुए और समुद्र का सारा जल पी गये। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने मूत्र द्वारा सारा जल निकाल दिया। इसलिए समुद्र का पानी खारा है।

अघासुर

अघासुर एक राक्षस था। कंस ने इसे कृष्ण को मारने के लिये भेजा था। कृष्ण ग्वाल बाल सहित जंगल में गाय चराते थे। अघासुर उसी वन में विशालकाय अजगर का रूप धारण करके आया और अपने मुँह को फैला दिया। श्रीकृष्ण, ग्वाल बाल सहित उसके मुँह में घुस गये। जब उन्हें मालूम हुआ तो अपने शरीर को इतना बढ़ा दिया कि वह राक्षस मर गया और श्रीकृष्ण ने अपने सभी साथियों को बचा लिया।

एकलव्य

यह एक निषाद का पुत्र था। द्रोणाचार्य ने उसे शूद्र कह कर धनुर्विद्या सिखाने से अस्वीकार कर दिया। अन्त में एकलव्य, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और इस विद्या में वह निपुण हो गया। एक बार पांडव वन में शिकार के लिए आये। एकलव्य ने सात वाण इस प्रकार मारे कि पाण्डवों के कुत्ते का भौंकना तो बन्द हो गया और उसे चोट भी न लगी। अर्जुन

को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ । अर्जुन ने उनके गुरु का नाम पूछा । 'द्रोणाचार्य' एकलव्य ने उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने उसके पास पहुँचकर दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अँगूठा माँग लिया। एकलव्य ने अँगूठा काट कर दे दिया ।

कर्ण

दुर्वासा ऋषि ने कुन्ती की सेवा से प्रसन्न होकर उसे देवताओं के आह्वान का मंत्र सिखा दिया। कुमारी कुन्ती ने सूर्य का आह्वान किया और उससे कर्ण उत्पन्न हुए । कुन्ती ने लज्जा के कारण बच्चे को सन्दूक में रखकर गंगा में बहा दिया । दुर्योधन के सारथी अधिरथ ने उस सन्दूक को देखा । सन्दूक को खोलने पर एक नवजात शिशु मिला । अधिरथ ने उसका पालन-पोषण किया । कर्ण वीर, बहादुर और पराक्रमी था । अर्जुन ने कर्ण को महाभारत युद्ध में मारा था ।

कुब्जा

वह कंस की कुबड़ी दासी थी । जब भगवान कृष्ण कंस का वध करने जा रहे थे, तब इसने चन्दन आदि से उनका भव्य स्वागत किया । इस पर श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर उसका कूबड़ ठीक कर दिया और वह एक सुन्दर स्त्री बन गई । कहा जाता है बाद को यही श्रीकृष्ण की प्रेयसी बन गई ।

कैकयी

यह राजा दशरथ की पत्नी तथा भरत की मां थी । एक बार देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के रथ के पहिए की धुरी टूट गई । उस समय कैकयी ने अपनी उँगली से पहिये को रोक लिया । राजा दशरथ ने इस कार्य से प्रसन्न होकर किसी समय दो वर मांग लेने का वचन दिया । कैकयी ने राम के राज्याभिषेक के समय दो वर एक तो राम को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरा भरत को राजगद्दी मिले, मांग लिया ।

गज-ग्रह

एक मस्त हाथी प्रति-दिन सरोवर में पानी पीने आया करता था । उसी तालाब में एक ग्राह भी रहता था जिससे हाथी की पुरानी शत्रुता थी । एक दिन ग्राह ने हाथी को पकड़कर पानी में खींच लिया। इस पर गज ने भगवान् से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की । भगवान् पैदल ही उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े और उस संकट-ग्रस्त गज को बचा लिया ।

गणिका

वाराणसी में एक गणिका रहती थी । उसने एक तोता पाल रखा था । जिसे प्रतिदिन राम-राम पढ़ाती थी । इसी नाम के प्रभाव से अन्त में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई ।

गुणनिधि

यह जाति के ब्राह्मण थे । चोरी की इनकी आदत पड़ गई थी । एक दिन इन्होंने शिवाला के

विशाल घंटा को चुराने की व्यवस्था की। घंटा कुछ ऊँचा था। अतएव उसने शिव जी की मूर्ति पर चढ़कर घंटा चुराना चाहा। भूतभावन शंकर जी ने समझा कि इसने सर्वस्व निछावर कर दिया। अतएव गुणनिधि ने प्रसन्न होकर उसे अपने लोक में भेज दिया।

जरासन्ध

जरासन्ध, मगध के राजा वृहद्रथ का पुत्र तथा कंस का ससुर था। पैदा होने के समय यह दो फांकों में था। जरा नामक दासी ने इसे जोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम जरासन्ध पड़ गया। कंस के मरने के बाद इसने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। इसी के डर के कारण कृष्ण द्वारिका चले गए। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया वीर राजाओं को जीतते हुए जरासन्ध की राजधानी गिरिब्रज में पहुँचे। 27 दिन युद्ध करने के बाद भी जब भीम उसे परास्त न कर सके तो श्रीकृष्ण ने एक तिनका चीर कर बताया कि उसे भी बीच से चीर डालो। भीम ने वैसा ही किया।

दधीचि

वृत्रासुर एक पराक्रमी राक्षस था। उसने देवताओं को अत्यन्त कष्ट दिया और उनके अस्त्र-शस्त्र को निगल लिया। अन्त में सभी देवता आदि विष्णु के पास गए और वृत्रासुर के वध का उपाय पूछा। भगवान् ने उत्तर दिया कि दधीचि की हड्डी से विश्वकर्मा द्वारा वज्र तैयार किया जाय तो उसी से उसका वध हो सकता है। सभी ने जाकर दधीचि से हड्डी देने के लिए प्रार्थना की। वह तैयार हो गए। इस प्रकार इन्द्र ने वज्र से वृत्रासुर का संहार किया।

दक्षयज्ञ

सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। शिवजी के साथ इनकी शादी हुई थी। एक बार दक्ष ब्रह्मा की सभा में गए। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी ने उनका स्वागत न किया। इससे दक्ष को बहुत दुःख हुआ। सती बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई, लेकिन अपने पति के भाग को न देखकर क्रुद्ध हुई और अपने को यज्ञ कुंड में डालकर भस्म कर दिया। सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में शिव की पत्नी हुई।

ध्रुव

राजा उत्तानपाद के दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी से ध्रुव और छोटी रानी से उत्तम उत्पन्न हुए। एक दिन ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठा था। उसे बैठा हुआ देखकर छोटी रानी ने, जिसे राजा बहुत चाहते थे, कहा ध्रुव उस गोद में बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो। मेरा पुत्र उसमें बैठेगा। ध्रुव को हटा दिया। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ ने समझाया, 'बेटा, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की गोद में बैठने का प्रयास करो।' वह तपस्या करने चला गया और नारद जी के उपदेश से उसे अचल लोक प्राप्त हुआ।

निशुम्भ

निशुम्भ, शुम्भ और निमुचि तीन भाई थे। इन्द्र ने निमुचि को मार डाला और दो भाइयों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया। इन्होंने दुर्गा का वध करना चाहा क्योंकि दुर्गा ने महिषासुर का वध कर डाला था। दोनों ने दुर्गा के पास संदेश कहलवाया कि वह इन दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति स्वीकार कर लें। दुर्गा ने उत्तर दिया, 'जो हमें युद्ध में पराजित कर देगा, उसी के साथ शादी कर लूँगी।' युद्ध हुआ। दुर्गा ने दोनों को हरा दिया और इन्द्र स्वर्ग का राज्य करने लगे।

नृग

नृग एक दानी राजा थे। प्रतिदिन एक करोड़ गाय दान देते थे। एक दिन दान दी हुई गाय राजा की गायों में आकर मिल गई और भूल से उन्होंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। पहिला ब्राह्मण दूसरे से लड़ने लगा। राजा ने बहुत कुछ समझाया और धन तथा दूसरी गाय खरीदने को कहा लेकिन वह नहीं माना। अन्त में दोनों ने राजा को शाप दे दिया कि तू गिरगिट की योनि प्राप्त कर एक हजार वर्ष तक द्वारिका के एक कुएँ में पड़ा रह।

बलि

राजा बलि दानी और योग्य थे। इन्द्र उसकी प्रसिद्धि से घबरा गया। इन्द्र ने विष्णु से उसके दान की परीक्षा करने के लिये कहा। विष्णु ने 52 अंगुलि का अपना शरीर बना लिया और इन्होंने बलि से साढ़े तीन डग स्थान मांगा। तीन डगों में तो तीनों लोकों को नाप लिया और आधे डग में बलि के शरीर को नाप दिया। भगवान् विष्णु अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया।

बेनु तथा पृथु

बेनु, राजा अंग की पत्नी, सुनीता का पुत्र था। बेनु बड़ा अत्याचारी एवं अधर्मी था। इसके अत्याचारों से राजा अंग राज्य छोड़कर वन को चले गए। ऋषियों ने शाप दिया कि बेनु की मृत्यु हो जाय। देश में उपद्रव होने लगा। बेनु की दाहिनी भुजा का मंथन किया गया और भगवान् के अंश पृथु का जन्म हुआ। पृथु के राज्य में प्रजा सुख से जीवन व्यतीत करने लगी।

वाराहावतार

हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष राक्षस था। इसने पृथ्वी को छिपा कर पाताल में रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया।

वाल्मीकि

वाल्मीकि पहिले व्याध थे और यात्रियों को मार-पीटकर उनका सामान आदि लूट लेते थे। एक बार सप्तर्षियों को लूटना चाहा। इस पर सप्तर्षियों ने कहा, 'क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में तुम्हारे घर वाले भी साथी होंगे ? वाल्मीकि के पूछने पर घरवालों ने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर ऋषियों ने

कहा, 'तुम अपने पेट के लिये क्यों पाप कार्य कर रहे हो ?' वाल्मीकि की समझ में बात आ गई और उन्होंने इस कर्म को छोड़ दिया और फिर तो 'उल्टा नाम (मरा, मरा) जपत जग जाना। वाल्मीकि भए ब्रह्म माना ॥'

भस्मासुर

यह एक राक्षस था। इसने कठिन तपस्या की। फलतः महादेव ने उसे वरदान दिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जायेगा और तभी से वह 'भस्मासुर' कहलाया। उसने पार्वती पर मोहित होकर शिव के ही सिर पर हाथ रखना चाहा। शिवजी परेशानी में पड़ गए और सहायता के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु ने कपट से उसका हाथ उसके ही ऊपर रख दिया जिससे वह स्वयं भस्म हो गया।

रन्तिदेव

राजा रन्तिदेव सकुटुम्ब वन में रहते थे। 48 दिन निराहार रह गए और 49 वें दिन कुछ भोजन प्राप्त हुआ। उसी समय एक अतिथि आ गया और अपना भोजन उन्होंने उसे दे दिया। जब उसने और भोजन मांगा तब स्त्री और बच्चों के भाग को भी दे दिया। इस पर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न हुए और कुटुम्ब को दर्शन दिया।

राहु-केतु

समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था। उसे देवताओं ने बाँट लिया। राहु दैत्य ने भी छल से अमृतपान कर लिया। सूर्य तथा चन्द्रमा ने विष्णु से इसकी शिकायत की। अतएव भगवान् विष्णु ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर का भाग राहु तथा धड़ केतु कहलाता है। इसी वैर के कारण राहु, सूर्य तथा चन्द्रमा को निगलता है तब ग्रहण लगता है।

वकासुर

एक दिन जब श्रीकृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराने गए थे तब कंस ने वकासुर राक्षस को उन्हें मारने के लिए भेजा। उसने एक भयंकर बगुले का रूप धारण किया और श्रीकृष्ण को मुख में दबा लिया। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण जी इतने गर्म हुए कि बगुला उनको मुख में न रख सका और उन्हें उगल दिया। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने उसके दो टुकड़े कर डाले।

राजा शिवि

शिवि, उशीनर देश के राजा थे। इन्द्र ने इनकी प्रसिद्धि से परेशान होकर परीक्षा लेनी चाही। इन्द्र ने स्वयं बाज और अग्नि को कबूतर बनाया। बाज ने कबूतर का पीछा किया। कबूतर राजा शिवि की शरण में जा पहुँचा। बाज ने राजा से कहा, "यह मेरा भोजन है। इसे छोड़ दीजिए।" राजा ने कहा, 'इसके बदले में मेरे शरीर से गोश्त ले लो।' तुला पर अपना गोश्त रखने लगे। अन्त में राजा स्वयं तुला पर बैठ गए। इस पर भगवान् ने प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति प्रदान की।

शिशुपाल

चेदि नरेश शिशुपाल श्रीकृष्ण का फुफेरा भाई था। यही पूर्व जन्म में रावण था। इसकी माता को यह मालूम हो गया कि यह श्रीकृष्ण द्वारा मारा जायगा। माता ने श्रीकृष्ण से उसके 100 अपराधों को क्षमा कर देने का वचन ले लिया। शिशुपाल ने युधिष्ठिर के यज्ञ में जब श्रीकृष्ण को 100 से अधिक गालियाँ दीं तो उन्होंने उसका वध कर डाला।

त्रिशंकु

राजा त्रिशंकु ने सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। इस कार्य के लिये वह गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने इसे शास्त्र विरुद्ध बताया। तदनन्तर वह विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ने उन्हें अपने तपोबल से स्वर्ग भेज दिया लेकिन इन्द्र ने वहाँ से ढकेल दिया। विश्वामित्र ने अपने योगबल से त्रिशंकु को बीच में ही फेंक दिया और वह लटका हुआ है। कहा जाता है कि उसकी लार से ही कर्मनाशा नदी बनी है।

बाणासुर

यह राजा बलि का पुत्र था। इसके सहस्र बाहु थे। यह शिव का परम भक्त था। इसकी पुत्री ऊषा, श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पर मोहित हो गई। जब यह समाचार बाणासुर को मालूम हुआ तो उन्होंने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। बाणासुर और श्रीकृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शिवजी बाणासुर की ओर थे। जब बाणासुर को केवल चार भुजाएं ही रह गईं तब वह भगवान् का भक्त हो गया। तदनन्तर अनिरुद्ध और ऊषा का विवाह हो गया।

नमुचि

यह एक दैत्य था। इसने तपस्या करके ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि मैं न किसी अस्त्र-श. से मरूँ और न किसी शुष्क या आर्द्र पदार्थ से। देवासुर संग्राम में सभी देवता परेशान हो गए। भगवा ने कहा, यह किसी अस्त्र-शस्त्र से न मरेगा, यह समुद्र के फेन से मरेगा। अन्त में समुद्र के फेन ही उसकी मृत्यु हो गई।

देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास

भारत में लिपि का प्रचार कब हुआ और उसका मूल स्रोत कहाँ था, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश यूरोपीय विद्वान् मानते रहे हैं कि लिपि का प्रयोग और विकास भारत की अपनी चीज नहीं है, साथ ही यहाँ लिपि का प्रयोग काफी बाद में हुआ है। किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। हमारे यहाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि, लिपिकर आदि शब्द हैं, जिनसे यह स्पष्ट पता चल जाता है कि उनके समय तक (5 वीं सदी ईस्वी पूर्व) लिखने का प्रचार अवश्य हो चुका था। इसके अतिरिक्त भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण की जो हमारी समृद्ध परम्परा मिलती है, वह भी लेखन के बिना संभव नहीं। यों तो वैदिक साहित्य में भी लेखन के होने के आभास यत्र-तत्र मिलते हैं। ऐसी स्थिति में यह मानना पड़ेगा कि भारत में लेखन का ज्ञान और प्रयोग बहुत बाद का नहीं है जैसा कि विदेशी विद्वान् मानते रहे हैं।

भारत में प्राचीन लिपियाँ दो मिलती हैं : ब्राह्मी और खरोष्ठी। इनमें खरोष्ठी तो विदेशी लिपि थी जिसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश में था जो उर्दू लिपि की तरह से बायें लिखी जाती थी। यह लिपि बहुत वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि न होकर कामचलाऊ लिपि थी।

ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विवादास्पद है। (1) वूलर तथा वेवर आदि इसे विदेशी लिपि से निकली मानते हैं। उदाहरण के लिए वूलर ने यह दिखाने का यत्न किया है कि ब्राह्मी के बाइस अक्षर उत्तरी सेमेटिक लिपियों से लिये गये तथा शेष उन्हीं के आधार पर बना लिये गये। (2) एडवर्ड थॉमस आदि के अनुसार द्रविड़ों को इस लिपि का बनाने वाला कहा जाता है। (3) रामशास्त्री पूजा में प्रयुक्त सांकेतिक चिह्नों से इसका विकास मानते हैं। (4) कनिंघम आदि के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्र लिपि के आधार पर इस लिपि को बनाया। हमारी समझ में हड़प्पा मोहनजोदड़ो में प्राप्त लिपि से इसका विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि के सम्बन्ध में ऊपर पाँच मत दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मी की उत्पत्ति का प्रश्न विवादास्पद ही माना जायगा। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग पाँचवीं सदी ईसवी पूर्व से लेकर लगभग तीन सौ पचास ईसवी तक होता रहा। इसके बाद इसकी दो शैलियों का विकास हुआ। (1) उत्तरी शैली (2) दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से चौथी सदी में 'गुप्त लिपि' का विकास हुआ, जो पाँचवीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त लिपि से छठवीं सदी में 'कुटिल लिपि' विकसित हुई जो आठवीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। इस 'कुटिल लिपि' से ही नवीं सदी के लगभग लिपि के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी लिपि कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत है किन्तु दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम 'नागरी' न होकर नन्दिनागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बँगला आदि लिपियाँ विकसित हुई हैं। कुछ विद्वान् कुटिल लिपि से भी प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि का विकास मानते हैं जिससे आगे चलकर असमिया, बँगला, मनीपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियाँ विकसित हुईं। प्राचीन नागरी से पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं सदी में आधुनिक नागरी लिपि विकसित हुई।

'नागरी नाम'

'नागरी' नाम— कैसे पड़ा, इस बात को लेकर विवाद है। कतिपय मत ये हैं : (1) गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण यह 'नागरी' कहलाई। (2) प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। (3) कुछ लोगों के अनुसार ललित विस्त में उल्लिखित नागलिपि ही 'नागरी' है, अर्थात् 'नाग' से नागर का सम्बन्ध है। (4) तांत्रिक चिह्न देव नागर से साम्य के कारण इसे देवनागरी और फिर संक्षेप में 'नागरी' कहा गया। (5) देवनागर अर्थात् काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई तथा नागरी उसी का संक्षेप है। (6) एक अन्य मत के अनुसार मध्ययुग में स्थापत्य की एक शैली 'नागर' थी जिसमें चतुर्भुजी आकृतियाँ होती थीं। दो अन्य शैलियाँ 'द्रविड़' (अष्टभुजी या सप्तभुजी तथा बेसर) (वृत्ताकार) थीं। नागरी लिपि में चतुर्भुज अक्षरों (प म भ ग) के कारण इसे नागरी कहा गया। उपर्युक्त मतों में कोई भी बहुत प्रामाणिक न है। अतः 'नागरी' नाम की व्युत्पत्ति का प्रश्न अभी तक अनिर्णीत है।

नागरी का विकास

नवीं सदी से अब तक के नागरी लिपि के विकास पर अभी तक कोई भी विस्तृत कार्य प्रका में नहीं आया।

नागरी लिपि के इस लगभग एक हजार वर्षों के जीवन में यों तो प्रायः सभी अक्षरों में न्यूनाधि रूप में परिवर्तन हुए हैं किन्तु इन परिवर्तनों के अतिरिक्त भी कुछ उल्लेखनीय बातें नागरी लिपि आई हैं : (क) सबसे महत्वपूर्ण बात है फारसी लिपि का प्रभाव। नागरी में नुकते या बिन्दु का प्रयो फारसी लिपि का ही प्रभाव है। फारसी लिपि मूलतः बिन्दुप्रधान लिपि कही जा सकती है क्योंकि उस अनेक वर्ण चिह्न (जैसे-बे-पे-ते-से, रे-जे-झे, दाल-जाल, तोय-जोय, स्वाद-ज्वाद, ऐन-गैन सीन-शीन) बिन्दु के कारण ही अलग-अलग हैं। नागरी लिपि में ऐसा कोई अन्तर प्रायः नहीं रहा है हाँ फारसी से प्रभाव ग्रहण करके कुछ परम्परागत तथा नवागत ध्वनियों के लिए नागरी में भी नुक्त का प्रयोग होने लगा है। जैसे ड-ड़, ढ-ढ़, क-क़, ख-ख़, ग-ग़, ज-ज़, फ-फ़। यही नहीं, मध्यर में कुछ लोग य-प दोनों को य जैसा तथा व ब को व लिखने लगे थे। इस भ्रम से बचने के लिए कै लिपि में तो नियमित रूप से तथा कभी-कभी नागरी लिपि में भी य और व के लिए य़ का प्रयोग हो रहा है (ख) नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है। पुराने अ, ल आदि के स्थ पर अ - ळ, या अि, अी, अु आदि रूप में सभी स्वरों के लिए अ का ही कुछ लोगों द्वारा प्रयोग वस्तु मराठी का प्रभाव है। (ग) कुछ लोग नागरी लिपि को शिरोरेखा के बिना ही लिखते हैं। यह गुजरा लिपि का प्रभाव है। गुजराती शिरोरेखा विहीन लिपि है। (घ) अंग्रेजी के पूर्ण प्रचार के बाद आफि कॉलिज जैसे शब्दों में अँ को स्पष्टतः लिखने के लिए नागरी लिपि में ऑ का प्रयोग होने लगा है इसका चंद्राकार अंश तो कदाचित् पुराने चन्द्रबिन्दु से गृहीत है किन्तु यह प्रयोग अंग्रेजी प्रभाव से आ है। (ङ) नागरी-लेखन में पहले मुख्यतः केवल एक पाई या दो पाइयों या कभी-कभी वृत्त का विर के रूप में प्रयोग करते थे। इधर अंग्रेजी विराम चिह्नों ने हमें प्रभावित किया है और पूर्ण विराम छोड़कर सभी चिह्न हमने अंग्रेजी से लिये हैं। यों कुछ लोग तो पूर्ण विराम के स्थान पर भी पाई देकर अंग्रेजी की तरह बिन्दु का ही प्रयोग करते हैं। (च) उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण कभी-क

ह्रस्व ए ह्रस्व ओ के द्योतन के लिए अब एँ, ऑ का प्रयोग भी होने लगा है। इस प्रकार फारसी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी तथा ध्वनियों के ज्ञान ने भी नागरी लिपि को प्रभावित किया, फलतः न्यूनाधिक रूप में परिवर्तित और विकसित किया है।

अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास बारहवीं शताब्दी के निकट प्राचीन नागरी लिपि से हुआ। इस लिपि का प्रयोग हिन्दी के अतिरिक्त आधुनिक मराठी तथा नेपाली के लिये भी होता है। प्राचीन भाषाओं संस्कृत, पालि, प्राकृत के लिये भी इसी लिपि का प्रयोग होता था। देवनागरी लिपि आज स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि है।

देवनागरी लिपि के गुण-दोष

देवनागरी लिपि संसार की श्रेष्ठ लिपियों में से एक है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसमें अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपियों की विशेषताएँ पायी जाती हैं। इसके गुण निम्न प्रकार हैं :

1. यह एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है।
2. इसमें ध्वनि प्रतीकों का क्रम वैज्ञानिक है। उनका अस्तित्व स्पष्ट और पूर्णतः विश्लेषणात्मक है।
3. अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग-अलग लिपि चिह्न हैं : यथा—क, ख।
4. स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ के लिए अलग-अलग चिह्न हैं तथा स्वरों की मात्राएँ निश्चित हैं।
5. प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग चिह्न हैं।
6. एक ध्वनि के लिए एक ही चिह्न है जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिह्न प्रयुक्त होते हैं जैसे—क सूचक ध्वनि के लिए K—Kite काइट तथा C—Cat 'कैट'। इसी प्रकार इसमें एक ही लिपि चिह्न से दो ध्वनियाँ भी अंकित नहीं की जाती हैं। जैसे—U से अ और उ—But तथा Put.
7. एक लिपि चिह्न से सदैव एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है जबकि रोमन लिपि में एक लिपि चिह्न से अधिक ध्वनियों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे—C से क एवं स ध्वनियों का बोध होता है—Cat कैट, Cent सेन्ट।
8. इसमें केवल उच्चरित ध्वनियाँ ही अंकित की जाती हैं। जबकि रोमन लिपि में अनुच्चरित ध्वनियों के लिए भी लिपि चिह्न है जैसे—Walk में 'ल' का उच्चारण नहीं है किन्तु L का प्रयोग है।
9. उर्दू लिपि में 'स' ध्वनि के लिए तीन लिपि चिह्न हैं। 'से', 'स्वाद' तथा सीन। इसी प्रकार ज़ के लिए 'जे', ज़ाल, ज़ोय तथा ज्वाद अर्थात् चार, या यदि 'झे' को भी मिला

दें तो पाँच लिपि चिह्न हैं; त और 'ह' के लिए भी दो (ते, तोय) दो (बड़ी हे, छोटी हे) हैं। यों मूल अरबी में इन सबका स्वतंत्र उच्चारण था किन्तु उर्दू में आकर वहाँ की वैज्ञानिकता अवैज्ञानिकता में परिवर्तित हो गयी है। इसी प्रसंग में अलिफ़ 'अ' को भी व्यक्त करता है आ को भी, कभी-कभी इ (बिल्कुल उर्दू में बाल्कुल लिखते हैं) को भी। इसी प्रकार 'वाव' व, ऊ, ओ, औ को तथा ये ई, य, ए, ऐ आदि को। इसका परिणाम यह हुआ है कि कभी-कभी उर्दू पढ़ना टेढ़ी खीर हो जाता है। उर्दू लिपि के सम्बन्ध में इस प्रकार न पढ़े जाने या कुछ का कुछ पढ़े जाने के अनेक चुटकुले मशहूर हैं, जैसे—आलू 'बुखारे दो तोले' किसी हकीम ने दवा के लिए लिखे तो दुकानदार ने उसे 'उल्लू विचारे दो बोले' पढ़ लिया। इसी प्रकार 'अब्बा अजमेर गये' को अब्बा आज मर गये या कोड़े को कूड़े आदि।

10. सुपाठ्यता किसी भी लिपि के लिए अनिवार्य गुण है। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि बहुत वैज्ञानिक लिपि है। रोमन की तरह इसमें Mal मल को माल, मैल या Aghan को अघन, अगहन पढ़ने की परेशानी उठाने की संभावना ही नहीं है। उर्दू में भी जूता को जोता, जौता आदि कई रूपों में पढ़ने की गलती प्रायः हो जाती है किन्तु देवनागरी लिपि में यह अवैज्ञानिकता नहीं है।

इस प्रकार अनेक दृष्टियों से देवनागरी लिपि काफी वैज्ञानिक भी है।

देवनागरी लिपि के दोष

देवनागरी लिपि में जहाँ अनेक गुण हैं, वहीं वैज्ञानिकता, त्वरालेखन, मुद्रण, टंकण आदि की दृष्टि से इसमें कुछ दोष अथवा त्रुटियाँ भी हैं जो निम्न प्रकार हैं—

1. नागरी लिपि की लिखावट जटिल है, क्योंकि स्वरों की कुछ मात्राएँ नीचे लगती हैं और कुछ ऊपर। इसके अतिरिक्त 'रेफ' का विधान भी कठिनाई उत्पन्न करता है।
2. लिपि चिह्नों में अनेकरूपता है। जैसे—अः अ, णः ण, झः झ, लः ल आदि।
3. कुछ चिह्नों के रूप, समान होने के कारण भ्रम उत्पन्न करते हैं जैसे—ख, र व अर्थात् ख पढ़ते समय र, व भी प्रतीत होता है।
4. पूर्ण रूप से वर्णनात्मक न होने के कारण इसके वैज्ञानिक विश्लेषण में कठिनाई उत्पन्न होती है। अर्द्ध अक्षरात्मक लिपि होने के कारण इसकी ध्वनियों का पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता। जैसे—काम में क्, आ, म्, अ चार ध्वनियाँ हैं, किन्तु दो या तीन लिखी गयी हैं।
5. कुछ ऐसे चिह्नों का प्रयोग होता है, जिनसे सम्बन्धित ध्वनियाँ हिन्दी में नहीं हैं जैसे—ऋ, ॠ, ष आदि।
6. 'र' के अनेक रूप प्राप्त होते हैं जैसे—राम, प्रकाश, राष्ट्र, कृष्ण, धर्म आदि जो अनावश्यक हैं।
7. 'इ' स्वर की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाती है जबकि इसका उच्चारण बाद में होता है।

8. संयुक्त अक्षरों की बनावट भ्रम उत्पन्न करती है। जैसे—धर्मी में 'र' का उच्चारण 'म' से पूर्व होता है किन्तु लिखा 'म' के बाद जाता है।
9. उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की मात्राएँ व्यंजनों के पीछे लगनी चाहिए पर ये व्यंजनों के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे लगती हैं।
10. वर्णों की अधिकता एवं मात्रा-विधान की जटिलता के कारण शीघ्र लेखन, मुद्रण, टंकण इत्यादि में विशेष कठिनाई होती है।

देवनागरी लिपि में सुधार

देवनागरी लिपि की त्रुटियों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता है। यों तो सुधार की दिशा के कई व्यक्तिगत, संस्थागत एवं प्रशासकीय प्रयत्न हुये हैं।

(1) व्यक्तिगत प्रयत्न

मुख्यतः चार व्यक्तियों ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया। सर्वप्रथम सम्भवतः डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी ने नागरी लिपि की त्रुटियों का उद्घाटन किया तथा रोमन लिपि में देवनागरी वर्णों को लिखने का सुझाव दिया जो स्वीकृत नहीं किया जा सका। क्योंकि इसे स्वीकार करने से प्राचीन साहित्य से सम्बन्ध टूट जाएगा। जन सामान्य को सीखने में असुविधा होगी तथा अगली पीढ़ी को दो लिपियाँ सीखनी पड़ेंगी। साथ ही रोमन लिपि में भी सुधार करने पड़ेंगे।

श्रीनिवास जी ने महाप्राण 'ह' (h) के लिए एक चिह्न (c) के प्रयोग का सुझाव दिया। जैसे क से कृ=(ख) ग से गृ=(घ) आदि। इस सुझाव से भी देवनागरी लिपि में आमूल चूल परिवर्तन करना था अतः स्वीकार नहीं किया जा सका।

डॉ० गोरख प्रसाद ने मात्राओं को शब्दों में दाहिनी ओर लिखने तथा शिरोरेखा को हटाने का सुझाव दिया। इससे छपाई में तो सुविधा अवश्य होती परन्तु लिपि की कलात्मकता नष्ट होती थी साथ ही कुछ अक्षरों में समानता होने के कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती थी।

सावरकर बन्धुओं ने 'अ' की बारह खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया किन्तु यह भी स्वीकार नहीं किया जा सका।

(2) संस्थागत प्रयत्न

ऐसे प्रयत्नों में तीन संस्थाओं के प्रयत्न विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

(क) हिन्दी में साहित्य सम्मेलन प्रयाग।

(ख) राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा।

(ग) नागरी प्रचारिणी सभा काशी।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व तथा काका कालेलकर के संयोजकत्व में जो सभा हुई उसके सुझाव थे—शिरोरेखा विहीन, मात्राओं का पंक्ति में पृथक लगाना जैसे—(देवता, आला), संयुक्ताक्षरों को उच्चारण क्रम में लिखना (परदेश को प्रदेश) अ की बारह खड़ी अ, आ, अि, अी, अु, अू आदि।) पूर्ण अनुस्वर के लिए ' ° ' और अनुनासिकता के लिए बिन्दी (˙) का प्रयोग। किन्तु विद्वानों के पूर्ण सहयोग के अभाव में यह प्रयत्न भी असफल रहा। तत्पश्चात् इस समिति ने श्रीनिवास के ही उक्त सुझावों को स्वीकार किया।

इसी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रस्तावित सुझावों की पुष्टि ही नहीं की अपितु उसका प्रचार भी किया।

(3) प्रशासकीय प्रयत्न

प्रशासकीय प्रयत्न तीन हैं—"हिन्दुस्तानी शीघ्र लिपि तथा लेखन पन्त समिति", उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयत्न तथा आचार्य नरेन्द्रदेव समिति का प्रयत्न।

इन तीनों में ठोस रूप से दिये गये प्रयत्न केवल नरेन्द्रदेव समिति के थे। इस समिति ने लिपि को जटिल, विकृत तथा अवैज्ञानिक रूप प्रदान करनेवाले सुझावों—अ की बारह खड़ी, शिरोरेखा विहीनता को अमान्य कर दिया तथा निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किये गये :

(1) मात्राओं को पंक्ति में पृथक् लगाना (प्रदेश)

(2) अनुस्वार के लिए शून्य ' ° ' तथा अनुनासिकता के लिए ' ˙ ' (हंस, हंसना)।

(3) संयुक्त रूप में वर्णों की खड़ी पाई को हटा देना। क फ के अतिरिक्त सबको हलन्त रूप में लिखना (विद्वान)

(4) अ की जगह अ, ध की जगह ध, अ की जगह अ, क्ष की जगह 'क्ष' और त्र की जगह त्र का प्रयोग। तथा

(5) विशेष अक्षर के रूप में 'ल' को स्वीकार किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से कुछ सुधारों को स्वीकार कर अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्रचार करना चाहा परन्तु बहुत कुछ जनता द्वारा नहीं हुआ। अभी तक प्रायः प्राचीन रूप ही प्रचलित है।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक तथा अनेक गुणों से परिपूर्ण है परन्तु साथ में उसमें कुछ दोष भी हैं।

परिशिष्ट (क)

व्याकरण-शब्दों के अंग्रेजी पर्याय

हिन्दी	अंग्रेजी
व्याकरण	Grammar.
वैयाकरण	Grammarian.
परिभाषा	Defination.
भाषा	Language
ध्वनि	Sound
सार्थक ध्वनि	Articulate sound.
निरर्थक ध्वनि	Inarticualate sound.
शब्द	Word.
वर्ण, अक्षर	Alphabet, letter.
स्वर	Vowel
व्यंजन	Consonant.
वर्ण-विभाग	Orthography.
शब्द-विभाग	Etymology.
वाक्य-विभाग	Syntax.
सन्धि	Joining letter.
स्वर-सन्धि	Joining vowels.
व्यंजन-सन्धि	Joining consonants.
वर्ण-विन्यास	Spelling.
संयुक्ताक्षर	Conjunct consonante.
ह्रस्व	Short.
दीर्घ	Long.
विकारी शब्द	Declinable vowel.
अविकारी शब्द	Indeclinable vowel.
संज्ञा	Noun.
व्यक्तिवाचक संज्ञा	Proper noun.
जातिवाचक संज्ञा	Common noun.
भाववाचक संज्ञा	Abstract noun.
सर्वनाम	Pronoun.

हिन्दी	अंग्रेजी
पुरुष	Person.
पुरुषवाचक सर्वनाम	Personal pronoun.
निश्चयवाचक सर्वनाम	Definite pronoun.
प्रश्नवाचक सर्वनाम	Interrogative pronoun.
उत्तम पुरुष	First person.
मध्यम पुरुष	Second person.
प्रथम पुरुष	Third person.
निजवाचक	Reflexive pronoun.
नित्य सम्बन्धी	Co-relative.
लिंग	Gender.
पुल्लिंग	Masculine gender.
स्त्रीलिंग	Feminine gender.
वचन	Number.
एकवचन	Singular.
बहुवचन	Plural.
विशेषण	Adjective.
विशेष्य	Substantive.
गुणवाचक विशेषण	Adjective of quality.
परिमाणवाचक विशेषण	Adjective of quantity.
संख्यावाचक विशेषण	Numeral adjective.
तुलनावाचक विशेषण	Adjective of comparative degree.
अतिशयवाचक विशेषण	Adjective of superlative degree.
क्रिया	Verb.
क्रिया का सामान्य रूप	Infinite.
धातु	Root.
सकर्मक क्रिया	Transitive verb.
अकर्मक क्रिया	Intransitive verb.
द्विकर्मक	Verb having two objects.
प्रधान कर्म	Direct object.
गौण कर्म	Indirect object.
सजातीय कर्म	Congnate object.
वाच्य	Voice.
कर्तृवाच्य	Active voice.

हिन्दी	अंग्रेजी
कर्मवाच्य	Passive voice.
भाववाच्य	Impersonal voice.
वाच्य-परिवर्तन	Change of Voice.
प्रेरणार्थक क्रिया	Casual verb.
कारक	Case.
कर्ता	Nominative case.
कर्म	Object.
करण	Instrumental.
सम्प्रदान	Dative.
अपादान	Ablative.
सम्बन्ध	Coenitive.
अधिकरण	Locative.
विभक्ति	Case-ending.
काल	Tense.
वर्तमान काल	Present tense.
सामान्य वर्तमान	Indeifinite present.
संदिग्ध वर्तमान	Doubtful present.
भूतकाल	Past tense.
सामान्य भूत	Past indefinite.
आसन्न भूत	Present perfect.
पूर्णभूत	Past perfect.
संदिग्ध भूत	Conditional past.
अपूर्ण भूत	Past imperfect
भविष्यत काल	Future tense.
सम्भाव्य भविष्यत्	Indefinite tense.
सामान्य भविष्यत्	Conditional
संयुक्त क्रिया	Absolute constuction.
अव्यय	Indeclinable.
क्रिया विशेषण	Adverb.
सम्बन्ध बोधक	Preposition.
समुच्चय बोधक अव्यय	Conjunction.
विस्मयादि बोधक	Interjection.
व्यक्तिकरण समुच्चय बोधक	Sub-ordinate conjunction.

हिन्दी	अंग्रेजी
समास	Compound.
पद परिचय	Parsing.
उपसर्ग	Prefix.
प्रत्यय	Suffix.
वाक्य विग्रह	Analysis.
उद्देश्य	Subject.
विधेय	Predicate.
उद्देश्य वर्द्धन	Enlargement to subject.
विधेय वर्द्धन	Enlargement to predicate.
कर्म वर्द्धक	Enlargement to object.
विधेय पूरक	Compliment to predicate.
विग्रह	Expounding.
वाक्यांश	Phrase.
उपवाक्य	Clause.
सरल वाक्य	Simple sentence.
मिश्र वाक्य	Complex sentence.
संयुक्त वाक्य	Compound sentence.
संज्ञा उपवाक्य	Noun clause.
विशेषण उपवाक्य	Adjective clause.
क्रिया विशेषण उपवाक्य	Adverbial clause.
आश्रित वाक्य	Subordinate clause.
उक्ति भेद	Speech.
प्रत्यक्ष उक्ति	Direct speech.
परोक्ष उक्ति	Indirect speech.
वाक्य परिवर्तन	Transformation of sentence.
वाक्य संश्लेषण	Synthesis of sentence.
वाक्य विश्लेषण	Analysis of sentence.
विराम चिह्न	Punctuation.
स्वल्प विराम	Comma.
अर्द्ध विराम	Semi colon.
पूर्ण विराम	Full stop.
प्रश्न चिह्न	Sign of interrogation.

हिन्दी	अंग्रेजी
विरोध दर्शक	Adversive.
विस्मयादि बोधक	Exclamatory sign.
विकल्प बोधक	Alternative.
कोष्ठक	Bracket.
अवतरण चिह्न	Inverted comma.
निर्देशक	Dash.
मुहावरे	Idioms.
लोकोक्तियाँ	proverb.
अनुनासिक	Nasal.
अन्वय	Concord.
अपूर्ण क्रिया	Verb of incomplete predicate.
ऊष्म वर्ण	Spirant.
दन्त्य	Dental.
ओष्ठ्य वर्ण	Gutteral.
तालव्य	Palatal.
कृत् प्रत्यय	Verbial affixes.
कृदन्त प्रत्यय	Primary derivatives.
यौगिक	Composits.
तद्धित प्रत्यय	Nominal affixes.
नामरूपावली	Declination of nouns.
नामधातु	Denominative verbs.
निषेधात्मक	Negative.
लिपि	Script.
लोप	Elision.
व्यंजनान्त	Closed syllable.
व्युत्पत्ति	Etymology.
स्वरान्त	Open syllable.
समूह वाचक संज्ञा	Collective noun.

परिशिष्ट (ख)

आलेखन और टिप्पण में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्द

अंग्रेजी	हिन्दी
Accountant	लेखापाल
Accountant-General	महालेखापाल
Accounts Clerk	लेखालिपिक, लेखाक्लर्क
Accounts Department	लेखा विभाग
Accounts Officer	लेखा अधिकारी
Acting	कार्यवाहक
Administration Division	प्रशासन-प्रभाग
Administrator	प्रशासक-प्रबन्ध
Admiral	ऐडमिरल
Advisor	सलाहकार
Air Transport	हवाई परिवहन
All India Radio	आकाशवाणी
Ambassador	राजदूत
Anti-corruption Brach	भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा
Appellant	अपीलकर्त्ता
Applicant	आवेदक
Apprentice	शिक्षार्थी, शिक्षु
Army Headquarters	सेना मुख्यालय/केन्द्र स्थान
Assembly	सभा
Advisory Board	सलाहकार बोर्ड
Adivisory Committee	सलाहकार समिति
Advisory Council	सलाहकार परिषद्
Agent	एजेंट, अभिकर्ता
Agent-General	एजेंट जनरल, महाभिकर्ता
Agriculture, Ministry of	कृषि मन्त्रालय
Air-Headquarters	हवाई केन्द्र-स्थान/मुख्यालय
Air Liaisor Officer	हवाई सम्पर्क अधिकारी
Assembly Legislative	विधान-सभा

अंग्रेजी	हिन्दी
Assistant	सहायक
Assistant-in-charge	प्रभारी सहायक
Assistant Director	सहायक निदेशक
Assistant Secretary	सहायक सचिव
Auditor	लेखापरीक्षक
Bank	बैंक
Board of Censors	सैंसर बोर्ड
Commission	केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन
Chairman	सभापति, अध्यक्ष
Chancellor	कुलाधिपति
Chancellor Vice	कुलपति
Chemical Examiner	रसायन परीक्षक
Chief Justice	मुख्य न्यायमूर्ति
Chief Minister	मुख्य मंत्री
Cipher Officer	कूटलेखक, बीज लेख अधिकारी
Circuit court	दौरा न्यायालय
Civil Court	दीवानी न्यायालय
Collector	कलक्टर
Commander-in-Chief	प्रधान सेनापति
Commissioner	कमिश्नर, आयुक्त
Comptroller and Auditor-General	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
Contractor	ठेकेदार
Controller	नियंत्रक
Cabinet	मन्त्रिमण्डल, कैबिनेट
Co-opted member	सहयोजित सदस्य
Cabinet Secretariat	कैबिनेट/मन्त्रिमण्डल, सचिवालय
Correspondent	संवाददाता
Central Board of Revenue and Excise	केन्द्रीय राजस्व और उत्पादन कर बोर्ड
Cottage Industries Section	कुटीर उद्योग अनुभाग
Council of States	राज्यसभा
Court	न्यायालय, कचहरी, अदालत

अंग्रेजी	हिन्दी
Central Water and power Currency Officer	मुद्रा अधिकारी
Custodian	अभिरक्षक
Deputy Minister	उपमंत्री
Deputy Secretary	उपसचिव
Despatch Clerk	प्रेषण क्लर्क
Despatcher	प्रेषक
Director-General	महानिदेशक
Diarist	दैनिकी लेखक
Directorate	निदेशालय
District Magistrate	जिलाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, दण्डनायक
District Board	जिला परिषद्
District Superintendent of Police	जिला पुलिस अधीक्षक
Divisional Headquarters	मंडल मुख्यालय
Defence Co-ordination	रक्षा समन्वय मंत्रालय
Education Officer	शिक्षा अधिकारी
Education Adviser	शिक्षा सलाहकार
Education Ministry	शिक्षा मंत्रालय
Embassy	राजदूतावास
Ex cadre Post	निःसंवर्ग पद
Executive Authority	कार्यकारी प्राधिकारी
Food Minister	खाद्य मन्त्री
Food Ministry	खाद्य मंत्रालय
Foreign Minister	विदेश मंत्री
Finance	वित्त
Finance Minister	वित्त मंत्री
Finance Ministry	वित्त मन्त्रालय
Finance Officer	वित्त अधिकारी
Gazetted	राजपत्रित
Gazetted Officer	राजपत्रित अधिकारी
Gazetted Post	राजपत्रित पद
Government House	राष्ट्रपति भवन (केन्द्र में) राजभवन (राज्यों में)
Governor	राज्यपाल
Guard	रक्षक, गार्ड

अंग्रेजी	हिन्दी
Headquarters	मुख्यालय
Health Ministry	स्वास्थ्य मंत्रालय
Health Officer	स्वास्थ्य अफसर
His Excellency	परम श्रेष्ठ
Hindi Section	हिन्दी अनुभाग
Home Affairs, Ministry of	गृह मन्त्रालय
Home Minister	गृह मन्त्री
House of People	लोकसभा
In Charge	कार्यभारी, प्रभारी
Industries Department	उद्योग विभाग
Information Department	सूचना विभाग
Landholder	भूमिधर
Leader of Opposition	प्रतिपक्ष नेता
Legation	दूतावास
Liaison Officer	सम्पर्क अधिकारी आर्थिक
Local	स्थानीय
Local Authority	स्थानीय प्राधिकारी
Local Board	स्थानीय बोर्ड
Local body	स्थानीय निकाय
Local government	स्थानीय सरकार
Local Self Government	स्थानीय स्वायत्त शासन
Ministry of Education	शिक्षा मंत्रालय
Ministry of External Affairs	परराष्ट्र/विदेश कार्य मंत्रालय
Ministry of Food and Agriculture	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय
Ministry of Health	स्वास्थ्य मंत्रालय

सामान्य हिन्दी

(प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक)

लेखक

डॉ० विजयपाल सिंह

एम० ए० हिन्दी, एम० ए० (संस्कृत)

पी० एच० डी०, डी० लिट्०

पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग

काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी

हिन्दी प्रचारक संस्थान

पो० बॉ० नं० 1106 पिशाचमोचन

वाराणसी